प्राक्कथन

१. फिलहाल कोयला उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के जो वेतनमान तथा नौकरी की अन्य शर्तें तथा सुविधाएं हैं वे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कोयला उद्योग के लिये गठित केन्द्रीय वेतन मंडल की सिफारिशों पर जिन्हें, १५ अगस्त १९६७ से लागू किया गया तथा राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ तथा २ क्रमानुसार दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ तथा ११ अगस्त १९७९ से लागू हुआ, पर आधारित है। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ के प्रावधान १-१-१९७५ से ३१-१२-७८ तक तथा राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ १-१-७९ से चालू होकर चार वर्षों के लिये लागू रहा।

२. जैसा कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की मियाद ३१-१२-१९८२ तक थी, भारत सरकार ने अपने एक परिपत्र दिनांक ३-८-१९८२ के द्वारा समिति का पुनर्गठन किया जिसके अनुसार आइ.एन.टी.यू.सी. (इंटक) को ४ सीट, ए. आई. टी. यू. सी. को २ सीट, सीटू को २ सीट, एच. एम. एस. को २ सीट (जिसमें एक सीट कुलकर्णी ग्रूप को तथा दूसरा सीट वशिष्ठ ग्रूप को) दी गई। पुनर्गठित जे.बी.सी.सी.आई. की पहली बैठक १२ अगस्त १९८२ को बुलाई गई। जबकि इंटक के प्रतिनिधियों ने उसे कम प्रतिनिधित्व दिये जाने का विरोध करते हुए एच. एम. एस. (कुलकर्णी ग्रूप) के साथ बैठक में भाग लिया, एटक, सीटू तथा एच एम. एस. (वशिष्ठ ग्रूप) के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग नहीं लिया। एटक, सीटू तथा एच.एम. एस. (वशिष्ठ) ने जे. बी. सी. सी. आई में इंटक को अधिक प्रतिनिधित्व तथा बी. पी. ई. के वेतन समझौता सम्बन्धी परिपत्र का हवाला देते हुये उसका विरोध किया। चूंकि एटक, सीटू तथा एच. एम. एस. (ब) बैठकों से बाहर रह रहे थे अतः भारत सरकार ने ३०-१२-१९८२ के घोषणा द्वारा निम्न प्रकार से जे. बी. सी सी. आई. का पुनर्गठन करने का फैसला किया, तदनुसार इंटक-६ सीट, एटक-३ सीट, सीटू-३ सीट, एच. एम. एस. (ब.)-१ सीट, एच.एम. एस. (कु०)-१ सीट तथा बी. एम एस.-१ सीट दी गई। राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता की ९वीं बैठक जो २ तथा ३ मार्च, १९८३ को हुई उसमें सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कोयला उद्योग के लिये संयुक्त द्विदलीय समिति का अन्तिम गठन, जो कोयला उद्योग के लिये तृतीय वेतन समझौता पर वार्तालाप करने तथा समझौता की शर्तों पर पहुंचने हेतु किया गया, उसमें विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

संगठन का नाम	प्रतिनिधियों की संख्या
प्रबन्धकों के प्रतिनिधि :—	
(अ) कोल इंडिया लि. तथा इसकी सहायक कम्पनियां	१२
(ब) दि सिंगारेनी कोलियरीज कम्पनी लि.	१
(स) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि.	१
(द) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि.	१
श्रमिकों के प्रतिनिधि :—	
(अ) इण्डियन नेशनल ट्रेड युनियन कांग्रेस (इंटक)	६
(ब) आल इंडिया ट्रेड युनियन कांग्रेस (एटक)	३
(स) सेन्टर आफ इण्डियन ट्रेड युनियन्स (सीटू)	३
(द) हिन्द मजदूर सभा (वशिष्ठ ग्रूप)	१
(क) हिन्द मजदूर सभा (कुलकर्णी ग्रूप)	१
(ख) भारतीय मजदूर संघ (बी. एम. एस.)	१

विभिन्न ट्रेड युनियनों द्वारा दिये गये मांग पत्रों को एकत्र कर मिला जुला मांग पत्र बनाया गया। संयुक्त द्विदलीय समझौता समिति ने मिले जुले मांग पत्र के विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप से वार्तालाप किया। लगातार वार्तालाप के फलस्वरूप, द्विदलीय समिति वेतनमान के पुनरीक्षण तथा अन्य सुविधाएं एवं नौकरी की शर्तों से सम्बन्धित मांगों पर अन्तिम रूप से समझौता (राजीनामा) पर पहुंचा।

समझौता की शर्तें निम्नलिखित अध्याय में ब्यौरेवार दी जा रही है।

समझौता की शर्तें

अध्याय—१

सीमा तथा विस्तार

१.१ यह समझौता राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के नाम से जाना जायेगा ।

१.२ यह समझौता कोयला उद्योग की उन सभी कैटेगरियों के श्रमिकों पर लागू होगा जो राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ एवं २ (दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४ तथा ११ अगस्त, १९७९) के अधीन आते हैं ।

१.३ यह समझौता वेतन स्तर, मंहगाई भत्ता, संशोधित स्केल में फिटमेंट तथा सेवा-शर्तें सम्बन्धी अन्य विषयों, जिनका उल्लेख अगले अध्यायों में किया गया है, तक सीमित रहेगा ।

अध्याय—२

मजदूरी, वेतनमान तथा मंहगाई भत्ता

मजदूरी का अंग :—

२.१ कोयला खान उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों का वेतनमान निम्न ब्यौरानुसार होगा :—

(अ) बुनियादी (बेसिक) मजदूरी,

(ब) हाजरी बोनस-बुनियादी (बेसिक) मजदूरी का १० प्रतिशत,

(स) विशेष भत्ता (एस० डी० ए०) हाजरी बोनस पर भविष्य निधि, मुनाफा बोनस, ग्रैच्युटी इत्यादि जोड़कर विशेष भत्ता होगा जो हाजरी बोनस का १७.९५ प्रतिशत अथवा बुनियादी मजदूरी के १.७९५ प्रतिशत के हिसाब से जिसमें अन्य लाभ भी जैसे प्रोविडेंटफंड, बोनस, ग्रैच्युटी शामिल होगा, जोड़ा जायेगा ।

(द) निश्चित मंहगाई भत्ता - १४७ रु० ३६ पै० प्रतिमाह अथवा ५ रु० ६६.७ पै० प्रतिदिन ।

(य) परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भी० डी० ए०) औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अङ्क १९६० को १०० आधार मानकर (जिसे मूल्य सूचकांक कहा जायगा) ४५५ अङ्कों के ऊपर कम अथवा अधिक जो भी हो, वह प्रत्येक तिमाही में समायोजित किया जायेगा ।

निम्नतम मजदूरी :—

२.२.१ इस समझौता के अधीन आने वाले, कोयला उद्योग में खदान के ऊपर काम करने वाले निम्नतम वेतन भोगी श्रमिकों की निम्नतम संशोधित मजदूरी ७८१ रु० ९० पै० प्रतिमाह होगी जो औद्योगिक श्रमिक के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार-१९६०=१००) ४७० पर निर्धारित होगी । लेकिन चूंकि संशोधित वेतन १-१-८३ से ही देय है अतः १-१-८३ को ४८५ मूल्य सूचकांक पर ८०१ रु० ४० पै० प्रतिमाह निम्नतम मजदूरी होगी । इसमें ९१ रु० का निम्नतम गारंटी लाभ शामिल है जो १-१-८३ को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ४८५ पर पुरानी निम्नतम मजदूरी में जोड़ दी जायेगी ।

२.२.२ १-१-८३ को मूल्य सूचक अंक ४८५ पर निम्नतम मजदूरी ८०१ रु० ४० पै० का ब्यौरा निम्न प्रकार होगा :—

	प्रतिदिन (रु० में)		प्रति माह (रु० में)	
	पुराना	नया	पुराना	नया
(अ) बुनियादी मजदूरी/वेतन	१५.००	२१.१६	३९०.००	५५०.१६
(ब) हाजरी बोनस-बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत	१.५०	२.११६	३९.००	५५.०१
(स) हाजरी बोनस पर मिलने वाला अन्य लाभ जिसे विशेष भत्ता कहा जायगा	०.२६९	०.३८०	७.००	९.८७
(द) निश्चित मंहगाई भत्ता	२.६२३	५.६६७	६८.२०	१४७.३६
	(मूल्य सूचकांक ४५५ पर)			
(य) परिवर्त्तनशील (भी. डी. ए.) मंहगाई भत्ता	७.९००	१.५००	२०५.४०	३९.००
	(मूल्य सूचकांक ४८५ पर)			
कुल	२७.२९२	३०.८२३	७०९.६०	८०१.४०

२.२.३ इस समझौता के अधीन निश्चित मंहगाई भत्ता औद्योगिक श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक (आधार १९६०=१००) अंक ४५५ से जोड़ा जायगा। परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता मूल्य सूचक अंक ४५५ से अधिक होने से बदलता रहेगा तथा ऊपर उल्लिखित भी. डी. ए मूल्य सूचक अंक ४८५ से जोड़ा गया है।

बुनियादी वेतन का ढांचा :—

२.३.१ विभिन्न कैटेगरी हुनर तथा ग्रेड, दैनिक दर के अन्तर्गत, एक्सकावेशन, वाशरी तथा मासिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये संशोधित मजदूरी ढांचा जैसा कि इस समझौता में बनाया गया है, परिशिष्ट-२ ए में दिया गया है।

२.३.२ असम कोलफील्ड के विभिन्न कैटेगरी, हुनर तथा ग्रेड, जिसमें दैनिक तथा मासिक दर मजदूर शामिल हैं एवं एक्सकावेशन के श्रमिकों का वेतन ढांचा परिशिष्ट-२ ब में दिया गया है।

पीसरेट श्रमिकों की मजदूरी :—

२.३.३ विभिन्न ग्रूप के पीसरेट श्रमिकों की बेसिक मजदूरी के साथ-साथ उनके फालबैक मजदूरी का दर अध्याय-३ में दिया जा रहा है।

हाजरी बोनस :—

२.४.१ हाजरी बोनस बुनियादी मजदूरी का १० प्रतिशत प्रत्येक मजदूर को तीन महीने पर मिला करेगा।

२.४.२ चूंकि हाजरी बोनस पर मिलने वाला लाभ नियमित मजदूरी के साथ ही भुगतान होता रहा है इसलिये तिमाही बोनस पर अलग से और कोई लाभ देय नहीं होगा।

विशेष भत्ता :—

२.५ राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ में हुए समझौता को मद्देनजर रखकर जहाँ हाजरी बोनस पर, भविष्य निधि, मुनाफा बोनस तथा ग्रेच्युटी इत्यादि का लाभ मिलना तय हुआ है वह श्रमिकों को हाजरी बोनस का १७.९५ प्रतिशत अथवा बेसिक मजदूरी का १.७९५ प्रतिशत मिलता रहेगा तथा उसे विशेष भत्ता कहा जायगा। ५५०) रु० की निम्नतम बेसिक मजदूरी पर यह रकम ९ रु० ८७ पै० होगा। इस तरह हाजरी बोनस पर मिलने वाला अन्य लाभ जो विशेष भत्ता कहलायगा उसमें मंहगाई भत्ता पर मिलने वाला सभी लाभ जोड़ा जायगा।

निश्चित मंहगाई भत्ता (फिक्सड डी० ए०)

२.६ एक निश्चित मंहगाई भत्ता होगा जो १४७ रु० ३६ पै० मासिक अथवा ५ रु० ६६.७ पै० दैनिक दर से होगा तथा मूल्य सूचक अंक ४५५ से जुड़ा रहेगा।

परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भी० डी० ए०)

२.७.१ विशेष भत्ता तथा निश्चित मंहगाई भत्ता के अलावा एक परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भी० डी० ए०) होगा जो मूल्य सूचक अंक ४५५ से जुड़ा होगा एवं उस अंक से कम या अधिक होने पर उसका समायोजन प्रत्येक तीन-तीन महीने पर होगा।

२.७.२ १-१-८३ को मूल्य सूचक अंक ४८५ पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता ३९ रु० प्रति माह अथवा १ रु० ५० पै० प्रति दिन होगा।

२.७.३ परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भी० डी० ए०) का पुनरीक्षण प्रत्येक तीन महीने पर होगा तथा इसका भुगतान प्रत्येक वर्ष १ मार्च,

१ जून, १ सितम्बर तथा १ दिसम्बर से हुआ करेगा। इसका आधार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अङ्क दिसम्बर तिमाही के लिये (अक्तूबर-मार्च), जून तिमाही के लिये (अप्रील-जून) तथा सितम्बर तिमाही के लिये (जुलाई-सितम्बर) होगा।

२.७.४ किसी तिमाही का औसत मूल्य सूचक अङ्क निकालने के लिये औसत में भिन्न को पूर्णाङ्क में बदलने के लिये उसे पूर्णाङ्क में आगे का अङ्क लिया जायगा, उदाहरण स्वरूप एक तिमाही का औसत मूल्य सूचक अङ्क यदि ४९२.३ है तो उसे अगले पूर्णाङ्क ४९३ को हिसाब में लिया जायगा।

२.७.५ मजदूर प्रतिनिधियों की ओर से जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के अनुसार पूरा-पूरा क्षतिपूर्ति (Full Neutralisation) देने की मांग की गई। प्रबन्धन की ओर से १ रु० ३० पैसे प्रति अङ्क से अधिक देना स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि राष्ट्रीय पैमाने पर यही नियम प्रचलित है और उनके अनुसार कोयला उद्योग इसका अपवाद नहीं है। श्रमिक प्रतिनिधि इस बात पर राजी नहीं हुए तथा वे अपनी इस मांग (पूरी क्षतिपूर्ति) के लिये दबाव देते रहेंगे। भारत सरकार ने डी० ए० फार्मूला में सुधार लाने हेतु एक त्रिपक्षीय कमिटी का गठन भी किया है। त्रिपक्षीय समिति की सिफारिशों को जैसे ही सरकार मान लेगी वह कोयला उद्योग पर भी लागू हो जायगा। तब तक परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता का वर्त्तमान स्वरूप जो ५ पै० प्रति अङ्क प्रतिदिन तथा १ रु० ३० पै० प्रति अङ्क प्रतिमाह है वह चालू रहेगा तथा मूल्य सूचक अङ्क १९६०=१०० को आधार मानकर प्रति अङ्क के घट-बढ़ के अनुसार समायोजित होगा।

निम्नतम निश्चित लाभ :

२.८ इस समझौता के अधीन आनेवाले सभी श्रमिकों को जो कोयला कम्पनियों की विभिन्न इकाइयों की सूची में ३१-१२-१९८२ को और १-१-१९८३ को भी सूची में रहे उन्हें निम्नतम गारंटी लाभ ९१) रु० के साथ-साथ उनके संशोधित वेतनमान की दो सालाना बढ़ती दी जायगी।

संशोधित वेतन स्तर में फिटमेंट (सामंजस्य) :

२.९ फिटमेंट के लिये, श्रमिकों को संशोधित वेतन/मजदूरी दर, जो उसे ३१-१२-८२ को (बेसिक मजदूरी, हाजरी बोनस, विशेष भत्ता, निश्चित भत्ता तथा परिवर्त्तनशील भत्ता) में मासिक वेतन पानेवालों को ९१ रु० तथा दैनिक मजदूरी पानेवालों को ३ रु० ५० पै० दैनिक के साथ उनके संशोधित वेतनमान/मजदूरी का दो सालाना बढ़ती के बराबर की रकम जोड़ी जायगी। इस तरह जो टोटल (कुल योग) होगा वह निम्न प्रकार से विभाजित होगा जैसे— बेसिक (बुनियादी) मजदूरी, हाजरी बोनस बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत, तथा विशेष भत्ता जो हाजरी बोनस का १७.९५ प्रतिशत अतिरिक्त लाभ होगा, निश्चित भत्ता १४७ रु० ३६ पै० प्रतिमाह अथवा ५ रु० ६६.७ पै० प्रतिदिन तथा परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता ३९ रु० प्रतिमाह अथवा १ रु० ५० पै० प्रति दिन देकर एक श्रमिक को संशोधित वेतनमान के तदनुरूप के स्तर में फिट किया जायगा। यदि किसी श्रमिक का बेसिक मजदूरी संशोधित वेतनमान के निम्नतम स्तर से कम हो तो उसे संशोधित वेतनमान का निम्नतम वेतन दिया जायगा। यदि नया बेसिक संशोधित वेतनमान के दो स्तरों के बीच में हो तो उसे संशोधित वेतनमान के अगले ऊंचे स्तर में फिट किया जायगा।

संशोधित वेतनमान में फिटमेंट का कुछ उदाहरण बाजाप्ता फिटमेंट लाभ के साथ परिशिष्ट-२ सी में दर्शाया गया है।

सालाना बढ़ती की तारीख :

२.१०.१ श्रमिकों को उनके संशोधित वेतनमान में दी जाने वाली सालाना बढ़ती का दिन वही रहेगा जो राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ में था अर्थात् प्रत्येक वर्ष के १ मार्च एवं १ सितम्बर है।

२.१०.२ जो श्रमिक कोयला उद्योग की सेवा में १-१-७९ के बाद आये हैं तथा जिनकी सालाना बढ़ती का दिन अलग-अलग है उनकी सालाना बढ़ती, उनकी पिछली बढ़ती के दिन पावना होगा।

२.१०.३ राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अनुसार वर्त्तमान वेतन सालाना बढ़ती के साथ भुगतान हो जाने पर संशोधित वेतन के अनुसार उपरोक्त पारा में उल्लिखित बढ़ती जो देय होगी, उसका समायोजन किया जायगा।

सालाना बढ़ती का स्थिर होने (रुक जाने) की स्थिति में :

२.११ १-१-८३ को जो श्रमिक संशोधित वेतनमान के सर्वाधिक स्तर में पहुंच जायेंगे अथवा इस समझौता की अवधि में कभी भी संशोधित वेतनमान के सर्वाधिक स्तर में पहुंचेंगे उन्हें उनके संशोधित वेतनमान के सर्वाधिक स्तर में पहुंचने की तिथि से दो बढ़ती वर्षों के बाद अन्तिम बढ़ती दर के बराबर एक स्थिरता बढ़ती दी जायगी। किन्तु यह स्थिरता बढ़ती वैसे कर्मचारियों को नहीं मिलेगी जिनकी या तो पदोन्नति हो जाय अथवा उनका वेतनमान किसी भी कारण से सुधारा गया हो। आगे यदि इस समझौता के लागू की अवधि में कोई बढ़ती पावना हो जाता है तो इस पारा में उल्लिखित वह दूसरी बढ़ती दी जायगी।

———

परिशिष्ट—२-ए

(पारा २.३.१ में उल्लिखित)

१-१-१९८३ से मिलनेवाला संशोधित वेतनमान

(ए) दैनिक दर के मजदूर :

कैटेगरी	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ का वेतनमान (वर्त्तमान या पुराना)	संशोधित वेतनमान १-१-१९८३ से लागू
१	२	३
१.	१५.००-०.२६-१८.१२	२१.१६-०.४३-२७.१८
२.	१५.४०-०.३४-१९.४८	२१.६५-०.५३-२९.०७
३.	१६.३५-०.४२-२१.३९	२२.७०-०.६५-३१.८७
४.	१७.७५-०.५३-२४.११	२४.१०-०.८०-३५.३०
५.	१९.५०-०.७२-२८.१४	२६.०४-१.००-४०.०४
६.	२२.७०-०.९५-३४.१०	२९.२४-१.३५-४८.१४

(बी) एक्सकावेशन :

विशेष		
(स्पेशल)	३१.८०-१.७८-५१.३८	३८.३४-२.१२-६५.९०
ए	२८.००-१ ४९-४५ ८८	३४.५४-१.९५-६१.८४
बी	२५.४५-१.३०-४१.०५	३१.९९-१.७६-५६.६३
सी	२३ ६०-१.१३-३७.१६	३०.१४-१.५५-५१.८४
डी	२०.९०-०.८३-३०.८६	२७.४४-१.१५-४३.५४
ई	१७.२०-०.४८-२२.९६	२३.५५-०.७२-३३.६३

(सी) मासिक दर के कर्मचारी (तकनिकी एवं सुपरवाइजरी तथा अन्यान्य स्केल)

ग्रेड		
ए	७२२-४२-१०५८-४४-१२७८	८९२-५३-१३१६-५५-१७०१
बी	६४०-३५-९२०-४०-११६०	८१०-४६-११७८-५१-१५८६

१	२	३
सी	५७२-२९-८०४-३४-१००८	७४-२४०-१०६२-४५-१४२२
डी	५०८-२३-६९२-२८-८६०	६७८-३०-९१८-३५-११९८
ई	४६०-१६-६५२	६२५-२३-९४७
एफ	४४०-१२-५८४	६०५-१८-८५७
जी	४१५-१०-५३५	५८०-१६-८०४
एच	४०४-९-५१२	५६७-१४-७६३
क्लरिकल ग्रेड :		
स्पेशल	६४०-३५-९२०-४१-१०८४	८१०-४६-११७८-५१-१५८६
१	५७२-२९-८०४-३५-९४४	७४२-४०-१०६२-४५-१४२२
२	५०८-२३-६९२-२९-८०८	६७८-३०-९१८-३५-११९८
३	४६०-१६-६३६	६२५-२३-९४७

टिप्पणी (नोट) :

क्लरिकल ग्रेड ३ के श्रमिकों के सम्बन्ध में :

१. वैसे मुंशियों को जो अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य करते होंगे उन्हें क्लरिकल ग्रेड-२ दिया जायगा :—

(ए) सम्बन्धित पीस रेट के श्रमिकों का माप-का चुटका बनाना तथा जारी करना,

(बी) फार्म-४ भरना,

(सी) लीड, लिफ्ट तथा ठेलाई का नाप लेना,

(डी) सम्बन्धित श्रमिकों की हाजरी लेना ।

२. क्लरिकल ग्रेड-३ से सम्बन्धित श्रमिकों के मामले पर प्रबन्धन द्वारा विचार किया जायगा तथा वैसे लोगों को जिनका कार्य ग्रेड-२ के क्लर्कों के बराबर होगा उन्हें समझौता पर हस्ताक्षर होने के दिन से चार महीने के भीतर ग्रेड-२ में दे दिया जायगा ।

३. विभिन्न ग्रेड के क्लर्कों की पदोन्नति के सम्बन्ध में पदोन्नति विषयक कमिटी समझौता पर हस्ताक्षर होने के छः महीने के भीतर एक "कैडर स्कीम" तैयार कर देगा ।

असम कोयला अंचल के लिये मजदूरी का ढांचा :

(पारा २.३.२ में उल्लिखित)

ए. असम कोयला अंचल के दैनिक दर मजदूर :

कैटेगरी	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता—२ (पुराना)	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता—३ (नया)
१	२	३
१.	१७.२५-०.३०-२०.८५	२४.३३-०.४९-३०.२१
२.	१७.७१-०.३९-२२.३९	२४.८९-०.६१-३२.२१
३.	१८.८०-०.४८-२४.५६	२६.१०-०.७५-३५.१०
४.	२०.४१-०.६१-२७.७३	२७.७१-०.९२-३८.७५
५.	२२.४२-०.८३-३२.३८	२२.९५-१.१५-४३.७५
६.	२६.११-१.०९-३९.१९	३३.६३-१.५५-५२.२३

बी. असम कोलफील्ड के मासिक दर मजदूर (तकनिकी तथा सुपरवाइजरी)

ग्रेड	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ (पुराना)	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ (नया)
ए	८३०-४८-१२१४-५१-१४५९	१०२५-६०-१५०५-६३-१८२०
बी	७३६-४०-१०५६-४६-१३३२	९३१-५२-१३४७-५८-१६९५
सी	६५८-३३-९२२-३९-११५६	८५३-४५-१२१३-५१-१५१९
डी	५७८-२६-७८६-३२-९७८	७८०-३४-१०५२-४०-१२९२
इ	५२९-१८-७४५	७१८-२६-१०३०
एफ	५०६-१४-६७४	६९५-२१-९४७
जी	४७७-१२-६२१	६६७-१८-८८३
एच	४६५-१०-५८५	६५२-१६-८४४

सी. असम कोलफील्ड के मासिक दर

श्रमिक (क्लरिकल)

ग्रेड	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ (पुराना)	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ (नया)
स्पेशल	७३६-४०-१०५६-४४-१२३२	९३१-५२-१३४७-५८-१६९५
ग्रेड १	६५८-३३-९२२-४०-१०८२	८५३-४५-१२१३-५१-१५१९
ग्रेड २	५७८-२६-७८६-३३-९१८	७८०-३४-१०५२-४०-१२९२
ग्रेड ३	५२९-१८-७२७	७१८-२६-१०३०

डी. दैनिक दर के मजदूर

एक्सकावेशन (खुदाई विभाग)

कैटेगरी	१-१०-१९८२ को हुए समझौता के अनुसार वेतन स्तर	१-१-१९८३ से संशोधित वेतन स्तर
स्पेशल	३६.५७-२.०५-५९.१२ (बड़ा ड्रैगलाइन आपरेटरों के लिये)	४४.०९-२.४४-७०.९३ (बड़ा ड्रैगलाइन आपरेटरों के लिये)
ए	३२.२०-१.७१-५२.७२	३९.७२-२.२४-६६.६०
बी	२९.२७-१.४९-४७.१२	३६.७९-२.०२-६१.०३
सी	४७.१४-१.३०-४२.७४	३४.६६-१.७८-५६.०२
डी	४४.०४-०.९५-३५.४४	३१.५६-१.३२-४.७४०
ई	१९.७८-०.५५-२६.३८	२७.०८-०.८३-३७.०४

संशोधित वेतनमान में फिटमेंट का उदाहरण

(पैरा २.९ में उल्लिखित)

उदाहरण—१

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ (पुराना)		राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ (नया)	
कैटेगरी-१ (रु० १५.००-०.२६-१८.१२)	दैनिक रु० पै०	कैटेगरी-१ (रु० २१.१६-०.४३-२७.१८)	दैनिक रु० पै०
बेसिक मजदूरी	१५.००	नया बेसिक मजदूरी	२२.०२०
हाजरी बोनस-बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत	१.५०	हाजरी बोनस-बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत	२.२०२
विशेष भत्ता	०.२६९	विशेष भत्ता	०.३९५
निश्चित मंहगाई भत्ता	२.६२३	निश्चित मंहगाई भत्ता	५.६६७
परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता	७.९००	परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता	१.५००
३१-१२-१९८२ को कुल वेतन	२७.२९२		
फिटमेंट का लाभ	३.५००		
	३०.७९२		
नये स्केल में दो बढ़ती	०.८६०		
कुल योग	३१.६५२	कुल योग	३१.७८४

उदाहरण—२

तकनिकी तथा सुपरवाइजरी

ग्रेड-ए

रु० ७२२-४२-१०५८-४४-१२७८

ग्रेड-ए

रु० ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१

पुराना		नया	
	रु० पै०		रु० पै०
वर्त्तमान बेसिक मजदूरी	७२२.००	नया बेसिक मजदूरी	९९८.००
हाजरी बोनस—बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत	७२.२०	हाजरी बोनस - बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत	९९.८०
विशेष भत्ता	१२.९६	विशेष भत्ता	१७.९१
निश्चित मंहगाई भत्ता	६८.२०	निश्चित मंहगाई भत्ता	१४७.३६
परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता	२०५.४०	परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता	३९.००
कुल	१०८०.७६		
फिटमेंट का लाभ	९१.००		
	११७१.७६		
नये स्केल में २ बढ़ती	६०६.००		
कुल योग रु०	१२७७.७६	कुल योग रु०	१३०२.०७

उदाहरण—३

पुराना		नया	
एक्सकावेशन : स्पेशल कैटेगरी		**एक्सकावेशन : स्पेशल कैटेगरी**	
रु० ३१.८०-१.७८-५१.३८		रु० ३८.३४-२.१२-६५.९०	
	दैनिक रु० पै०		दैनिक रु० पै०
वर्त्तमान बेसिक मजदूरी	५१.३८०	नया बेसिक मजदूरी	६१.६६०
हाजरी बोनस—बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत	५.१३८	हाजरी बोनस—बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत	६.१६६
विशेष भत्ता	०.९२२	विशेष भत्ता	१.१०७
निश्चित महगाई भत्ता	२.६२३	निश्चित मंहगाई भत्ता	५.६६७
परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता	७.९००	परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता	१.५००
कुल	६७.९६३		
फिटमेंट का लाभ	३.५००		
	७१.४६३		
नये स्केल में दो वढ़ती	४.२४०		
कुल योग रु०	७५.७०३	कुल योग रु०	७६.१००

उदाहरण—४

पुराना		नया	
क्लरिकल ग्रेड स्पेशल		**क्लरिकल ग्रेड स्पेशल**	
रु० ६४०-३५-९२०-४१-१०८४		रु० ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	
	मासिक		मासिक
	रु० पै०		रु० पै०
वर्त्तमान बेसिक मजदूरी	६६१.००	नया बेसिक मजदूरी	१२२९.००
हाजरी बोनस—बेसिक		हाजरी बोनस—बेसिक	
मजदूरी का १० प्रतिशत	६६.१०	मजदूरी का १० प्रतिशत	१२२.९०
विशेष भत्ता	१७.२५	विशेष भत्ता	२२.०६
निश्चित मंहगाई भत्ता	६८.२०	निश्चित मंहगाई भत्ता	१४७.३६
परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता	२०५.४०	परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता	३९.००
कुल	१३४७.९५		
फिटमेंट का लाभ	९१.००		
कुल	१४३८.९५		
नया वेतनमान में दो बढ़ती	१०२.००		
कुल योग रु०	१५४०.९५	कुल योग रु०	१५६०.३२

अध्याय—३

पीस-रेट मजदूरों के लिये मजदूरी दर तथा कार्य-भार इत्यादि

३.१ पीस-रेट के कर्मचारियों के लिये ग्रूपिंग तथा उनके कार्य भार एवं कार्य-विवरण राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ (जैसा कि "ग्रूपिंग, नामेन्क्लेचर, जॉब डिस्क्रिप्सन एण्ड वर्क नार्म आफ कोल इम्प्लाइज" नामक पुस्तिका में दिया गया है) एवं उसमें समय-समय पर हुये संशोधनों के अनुसार लागू होगा। विभिन्न कैटेगरियों के अधीन अन्तिम रूप से नामोल्लेख, ग्रूप तथा उनके कार्य-भार एवं कार्य-विवरण शीघ्र ही एक पुस्तिका के रूप में कोयला उद्योग हेतु गठित संयुक्त द्विदलीय समिति द्वारा प्रकाशित किया जायगा।

३.२.१ पीस-रेट के विभिन्न ग्रूपों के कर्मचारियों के लिये वेतन दर **परिशिष्ट-३ ए** में दिया जा रहा है।

३.३.० मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र कोलफिल्ड में कार्यरत पीस-रेट माइनर तथा लोडरों का मजदूरी दर एवं कार्य-भार :

३.३.१ राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत उपरोक्त विषय पर समझौता को मद्देनजर रखते हुये मध्य-प्रदेश तथा महाराष्ट्र कोयलांचल के लोडरों को, जिनके लिये १०० क्यू० फी० तथा ११८ क्यू० फी० कार्य-भार तय किया गया है उनकी मजदूरी निम्न प्रकार से होगी—

	१०० सीएफटी कार्यभार के लिये	११८ सीएफटी कार्यभार के लिये
वर्त्तमान (पुराना) दर २२ रु० ८४ पै०		२६ रु० ९५ पै०
१-१-८३ से संशोधित दर ३० रु० ६७९ पै०		३६ रु० २०१ पै०

३.३.२ मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र कोल्डफील्ड माइनर तथा लोडरों का वर्त्तमान कार्यभार अपरिवर्तित रहेगा।

३.३.३ मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र कोलफील्ड के पीस-रेट माइनर तथा लोडरों को उपरोक्त संशोधित दर का शतप्रतिशत (१०० प्रतिशत) फाल-बैक मजदूरी के रूप में मिला करेगा ।

३.४.० पीस-रेट कर्मचारियों को उनके कार्य-भार से अधिक काम के लिये मजदूरी :

३.४.१ निर्धारित कार्यभार से अतिरिक्त काम के लिये एक पीस-रेट मजदूर को उसके पीस-रेट के बेसिक तथा निश्चित एवं परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता में समानुपात से बढ़ती दिया जायगा ।

३.५.० फाल-बैक मजदूरी :

३.५.१ विभिन्न पीस-रेट ग्रूपों के लिये बेसिक फाल-बैक मजदूरी परिशिष्ट-२ ए के मुताबिक दिया जायगा । इसके साथ उन्हें विशेष भत्ता, निश्चित मंहगाई भत्ता तथा परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता जोड़कर दिया जायगा ।

३.५.२ पीस-रेट मजदूरों के फाल-बैक मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये उनकी कमाई का दैनिक अवलोकन किया जायगा तथा उसमें लीड और लीफ्ट जोड़कर फाल-बैक मजदूरी के भुगतान को आश्वस्त किया जायगा । इसमें टब ठेलाई भत्ता नहीं जोड़ा जायगा । फाल-बैक मजदूरी का भुगतान उसी हालत में किया जायगा जहाँ पीस-रेट के श्रमिक की जिम्मेवारी से परे कारणों से यदि उनकी पोसाई नहीं होगी तो उन्हें फाल-बैक वेतन दिया जायगा । उदाहरणार्थ टब की आपूर्ति नहीं होना अथवा पूरी मात्रा से कम टब की आपूर्ति होना, हालेज का ब्रेकडाउन होना अथवा बिजली की आपूर्ति नहीं होना इत्यादि कारणों में फाल-बैक दिया जायगा । परन्तु मजदूर अपनी गलती से यदि उत्पादन पूरा नहीं कर सकेंगे, उस हालत में उन्हें/उसे फाल-बैक मजदूरी नहीं दी जायगी ।

३.६.० मशीनीकृत फेस क्रू :

३.६.१ मशीनीकृत फेस-क्रू तथा विभिन्न कार्यों के ग्रूप काम के लिये कार्य-भार तथा मजदूरी-दर स्थानीय स्तर पर ही तीन माह के भीतर तय किये जायेंगे यदि तीन महीने में तय नहीं हो सकेगा तो यह मुद्दा जे० बी० सी० सी० आई० में विचार किया जायगा तथा समझौता किया जायगा ।

३.७.० टालीवान :

३.७.१ पीस-रेट टालीवानों का कार्य-भार तथा प्रति-टब का रेट स्थानीय स्तर पर ही द्विपक्षीय वार्ता द्वारा तय किया जाना चाहिये और वह इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये ताकि हाजरी टालीवानों के वेतन ढांचा के मध्य विन्दु पर पड़े । टालीवानों का कार्यभार तथा मजदूरी दर का उनको कार्यदशा में परिवर्त्तन के साथ-साथ समय-समय पर पुनरावलोकन किया जाना चाहिये ।

३.७.२ पीस-रेट के टालीवानों को उनके बेसिक, हाजरी बोनस, निश्चित मंहगाई भत्ता, परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भी० डी० ए०), तथा विशेष भत्ता मिलाकर कुल मजदूरी में ९१ रु० का औसतन निम्नतम बढ़ती दिया जायगा । टालीवानों के बेसिक मजदूरी का इस तरह पुर्ननिरीक्षण किया जाना चाहिए जिससे उनके कुल मासिक वेतन जो बेसिक, निश्चित मंहगाई भत्ता, हाजरी बोनस, परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भी० डी० ए०), हाजरी बोनस पर मिलनेवाला अन्य लाभ जोड़कर उसमें ९१ रु० प्रतिमाह की बढ़ती मिल जाय । पीस-रेट की मजदूरी तय करने के लिये १-७-८२ से ३१-१२-८२ तक छः महीना की अवधि के बीच के टबों का औसत लिया जायगा ।

३.७.३ (ए) जहाँ टालीवानों का १-७-८२ से शुरू होकर छः महीने का कार्य राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता ३ के १-१-८३ से लागू होने के पहले की तुलना में यदि कमोवेश बराबर हो तो टाली का रेट उपरोक्त पैरा ३.७.१ तथा ३.७.२ के अनुसार तय किया जायगा ।

(बी) जहाँ कार्य दक्षता निर्धारित परिमाण से नीचे है वहाँ पुर्ननिरीक्षण इस प्रकार किया जायगा कि पैरा ३.७.१ तथा ३.७.२ में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार उन्हें लाभ मिल जाय ।

(सी) उपरोक्त उल्लिखित निर्धारित कार्य से सम्पादित कार्य में जहाँ अधिक का अन्तर हो और सम्पादित कार्य बहुत ज्यादा हो तो कार्यभार का समायोजन इस प्रकार किया जाना चाहिये जिससे बेसिक कमाई में ३१-१२-१९८२ की कुल कमाई के ४८ प्रतिशत से अधिक नहीं हो ।

३.८.१ **अन्य पीस-रेट के मजदूर :**

अन्य पीस-रेट मजदूरों का जिनके लिये कोई निश्चित कार्य-भार तथा ग्रूप-मजदूरी निर्धारित नहीं है, उनके लिये यह तय हुआ कि उन्हें भी उनके ग्रूप में उसी अनुपात में बढ़ती देकर सुधार किया जायगा। जहाँ इस तरह की ग्रूप मजदूरी नहीं है वहाँ माइनर/लोडर (ग्रूप-५ ए) के मजदूरों के समान अनुपात (प्रतिशत) में बढ़ती दी जायगी जो किसी हालत में बेसिक मजदूरी में ६ रु० १५ पै० की बढ़ती से कम नहीं हो।

३.९.१ **माइनर तथा लोडरों के लिये लीड, लिफ्ट तथा टब पुशिंग का भुगतान :**

माइनर और लोडरों के लीड तथा लिफ्ट के दरों में परिशिष्ट-३ बी (१) में उल्लिखित निर्देश के अनुसार सुधार किया जायगा।

३.९.२ **ओभरबर्डेन हटाने के काम में लगे मजदूरों के लिये लीड तथा लिफ्ट का दर :**

ओभरबर्डेन हटाने वाले मजदूरों के लिये लीड तथा लिफ्ट का दर परिशिष्ट-३ बी (२) के निर्देश के अनुसार दिया जायगा।

३.९.३ **माइनर और लोडर को छोड़कर तथा वागन लोडर सहित अन्य पीस-रेट के मजदूरों का लीड एवं लिफ्ट की दर :**

माइनर तथा लोडर के अलावा अन्य पीस-रेट के मजदूरों का लीड तथा लिफ्ट दर परिशिष्ट-३ बी (३) के निर्देश के अनुसार दिया जायगा।

३.१०.१ **लीड एवं लिफ्ट के भुगतान को बेसिक मजदूरी समझा जाय :**

सभी काम के लिये लीड और लिफ्ट के भुगतान को बेसिक मजदूरी माना जायगा।

३.११.० **पीस-रेट कर्मचारियों को संशोधित ग्रूप मजदूरी में निम्नतम गारंटी लाभ, विशेष पीस-रेट भत्ता फिटमेंट :**

३.११.१ ९१ रु० का निम्नतम गारंटी लाभ संशोधित ग्रूप मजदूरी में पहले ही शामिल किया गया है।

३.११.२ जहाँ तक पीस-रेट के कर्मचारियों का जो ३१-१२-१९८२ को कम्पनी की सूची में थे तथा १-१-१९८३ को भी सूची में शामिल थे उनका सवाल है, उन्हें निम्नलिखित दर से विशेष पीस-रेट भत्ता तथा लागू होने की तारीख, जैसा कि प्रत्येक ग्रूप के सामने निर्देशित है मिलेगा, जिससे उत्पादकता बढ़ाने में उनका लगाव तथा उत्साह बढ़े।

ग्रूप	राशि			
	१.१.८३	१.१.८४	१.१.८५	१.१.८६
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
(ए) ग्रूप-१	०.८६ प्रति दिन	१.२९ प्रति दिन	१.७२ प्रति दिन	२.१५ प्रति दिन
(बी) ग्रूप-२	०.९६ ,,	१.४४ ,,	१.९२ ,,	२.४० ,,
(सी) ग्रूप-३	१.२० ,,	१.८० ,,	२.४० ,,	३.०० ,,
(डी) ग्रूप-४	१.२० ,,	१.८० ,,	२.४० ,,	३.०० ,,
(ई) ग्रूप-५	१.४० ,,	२.१० ,,	२.८० ,,	३.५० ,,
(एफ) ग्रूप-५ए	१.४० ,,	२.१० ,,	२.८० ,,	३.५० ,,

३.११.३ पीस-रेट के कर्मचारी जिनकी बहाली १-१-१९८३ को अथवा उसके बाद हुई हो वे भी लगातार एक साल काम करते रहने पर विशेष पीस-रेट एलाउन्स पाने के हकदार होंगे जैसा कि टाइम-रेट के मजदूरों को सालाना बढ़ती १ मार्च तथा १ सितम्बर को दिया जाता है।

३.११.४ पीस-रेट के उन कर्मचारियों की जिनकी बहाली १-१-८३ को अथवा उसके बाद हुई होगी उनका विशेष पीस-रेट एलाउन्स निम्नानुसार संचालित होगा :—

(ए) जो पीस-रेट कर्मचारी १-१-८४ से २८-२-८४ के बीच किसी भी दिन काम का एक साल पूरा करेंगे उन्हें पहला विशेष पीस-रेट एलाउन्स १ मार्च १९८४ से दिया जायगा।

(बी) जो १-३-८४ से ३१-८-८४ के बीच किसी भी दिन कार्य का एक साल पूरा करेंगे उन्हें पहला विशेष पीस-रेट एलाउन्स १ सितम्बर १९८४ से दिया जायगा।

(सी) जो १-९-८४ और २८-२-८५ के बीच किसी भी दिन कार्य का एक साल पूरा करेंगे उन्हें पहला विशेष पीस-रेट एलाउन्स १ मार्च, १९८५ से दिया जायगा ।

इनमें से प्रत्येक ग्रूप को मिलने वाला विशेष पीसरेट एलाउन्स निम्नानुसार होगा :

ग्रूप	राशि
ग्रूप-१	०.४३
ग्रूप-२	०.४८
ग्रूप-३	०.६०
ग्रूप-४	०.६०
ग्रूप-५	०.७०
ग्रूप-५ए	०.७०

यह विशेष पीस-रेट एलाउन्स अतिरिक्त टब के लिये होने वाला टब-रेट/पीस-रेट/आनुपातिक भुगतान इत्यादि के लिये नहीं जोड़ा जायगा । बल्कि यह हाजरी बोनस तथा विशेष भत्ता के लिये बेसिक समझा जायगा ।

परिशिष्ट-३ ए

पीस-रेट के कर्मचारियों के लिये संशोधित बेसिक वेतन दर

(निर्देशित पैरा-२.३)

ग्रूप	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अनुसार दर (पुराना) रेट	फाल बैक मजदूरी	संशोधित दर रेट	फाल बैक मजदूरी
	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
१	१५.३६	१५.००	२१.५१	२१.१६
२	१५.७५	१५.२५	२१.९०	२१.४०
३	१६.३६	१५.५०	२२.७१	२१.८५
४	१६.७०	१५.७५	२३.०५	२२.१०
५	१८.१५	१७.१५	२४.५०	२३.५० ट्रामरों को छोड़कर
५ए	१८.५०	१८.५०	२४.८५	२४.८५
पीस-रेट टालीवान	१८.१५	१८.१५	२४.५०	२४.५०

परिशिष्ट-३ बी (१)

लीड (माइनर्स तथा लोडर)

(पैरा ३.९.१ के अनुसार)

दूरी	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अनुसार दर (४०.५ सीएफटी प्रति टब को क्यू. मीटर में परिवर्तित करके)	संशोधित दर (४०.५ सीएफटी प्रति टब को क्यु. मीटर में परिवर्तित करके)
	रु० पै०	रु० पै०
० से ५० फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
५१ से १०० फीट	०.४४७	०.६०
१०१ से १५० फीट	१.३४२	१.८०
१५१ से २०० फीट	२.२३६	३.००
२०१ से २५० फीट	३.१९५	४.२८
२५० के ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त ५० फीट के लिये	१.३९२	१.८६

लिफ्ट (माइनर तथा लोडरों के लिये)

दूरी	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अनुसार दर (४०.५ सीएफटी के प्रति टब को क्यू. मीटर में बदल कर)	संशोधित दर (४०.५ सीएफटी के प्रति टब को क्यु. मीटर में बदल कर)
	रु० पै०	रु० पै०
० से १० फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
११ से १५ फीट	०.४४७	०.६०
१६ से २० फीट	०.८४६	१.१३
२१ से २५ फीट	१.३४२	१.८०
२५ फीट से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त ५ फीट के लिये	०.८९५	१.२०

टब ठेलाई (इम्पटी पुशिंग)

	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अनुसार दर (४०.५ सीएफटी के टब के लिये)	संशोधित दर (४०.५ सीएफटी के टब के लिये)
१०० फीट से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त १०० फीट अथवा उसके अंश के लिये	रु० ०.१५७	रु० ०.२१

परिशिष्ट-३ बी (२)

(२) ओभरबर्डेन हटानेवाले श्रमिकों के लिये लीड एवं लिफ्ट

(पैरा ३.६.२ के अनुसार)

लीड	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अनुसार दर	संशोधित दर
प्रथम १०० फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
प्रथम १०० फीट के ऊपर प्रत्येक ६० फीट अथवा उसके अंश के लिये	रु० १३.१३ पै० प्रति १००० सीएफटी	रु० १७.६० पै० प्रति १००० सीएफटी
लिफ्ट		
प्रथम १० फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
प्रथम १० फीट के ऊपर प्रत्येक ५ फीट अथवा उसके अंश के लिये	रु० ६.५७ प्रति १००० सीएफटी	रु० ८.८० प्रति १००० सीएफटी

परिशिष्ट-३बी (३)

(३) माइनर और लोडर को छोड़कर पीस-रेट मजदूरों का लीड और लिफ्ट दर

(पैरा ३.६.३ के अनुसार)

वागन लोडर	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अनुसार दर	संशोधित दर
लीड		
प्रथम १०० फीट से ऊपर प्रत्येक ५० फीट अथवा उसके अंश के लिये	रु० ०.५४ पै० प्रति टन कोयला के लिये	रु० ०.७२ पै० प्रति टन कोयला के लिये
लिफ्ट		
प्रथम १० फीट से ऊपर प्रत्येक ५ फीट अथवा उसके अंश के लिये	रु० ०.२७ पै० प्रति टन कोयला के लिये	रु० ०.३६ पै० प्रति टन कोयला के लिये

अध्याय—४

अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स

४.१.१ वर्तमान में अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स जो बेसिक मजदूरी का १५ प्रतिशत मिलता है वह समझौता के प्रथम दो वर्षों तक १-१-८३ से बेसिक मजदूरी का १७॥% तथा बाद के दो वर्षों के लिये १-१-८५ से बेसिक मजदूरी का २० प्रतिशत मिलेगा।

४.१.२ अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स—अण्डरग्राउण्ड में काम करने वाले उन सभी कर्मचारियों को जो माइन्स एक्ट तथा रेगुलेशन के अधीन आते हैं तथा जिन्हें अभी अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स मिलता है, उन्हें मिलता रहेगा।

४.२.१ असम कोलफील्ड के सम्बन्ध में यह समझौता हुआ कि १-१-८३ से संशोधित वेतनमान के बेसिक मजदूरी का २२.५ प्रतिशत प्रथम दो वर्षों के लिये तथा १-१-१९८५ से अगले दो वर्षों में २५ प्रतिशत अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स के रूप में मिलेगा।

४.३.१ अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स को मजदूरी माना जायगा और निम्नलिखित कामों के लिये जोड़ा जायगा :—

(अ) पावना/साल छुट्टी का पैसा जोड़ने के लिये।

(ब) राष्ट्रीय/त्यौहार छुट्टी के भुगतान के लिये।

(स) बीमारी/आकस्मिक छुट्टी।

(द) ओवरटाइम एलाउन्स।

(य) ग्रैच्युटी।

(फ) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड तथा अन्य प्रोविडेन्ट फण्ड का अंशदान।

अध्याय—५

अन्य एलाउन्स

५.१.० वाशिंग (धुलाई) एलाउन्स :

५.१.१ प्रबन्धन द्वारा जिन कर्मचारियों को युनिफार्म (वर्दी) दिया जायगा उन्हें १५ रु० प्रति व्यक्ति प्रतिमाह वाशिंग (धुलाई) एलाउन्स मिला करेगा। किन्तु नर्सिंग स्टाफ को २० रु० प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से वाशिंग (धुलाई) भत्ता मिला करेगा।

जहाँ प्रबन्धन द्वारा युनिफार्म (वर्दी) के धुलाई का इन्तजाम किया जाता है वहाँ वाशिंग एलाउन्स का भुगतान नहीं होगा।

५.२.० ट्रान्सपोर्ट सबसिडी (सवारी भत्ता) :

५.२.१ उन कर्मचारियों को जो निःशुल्क अथवा नाम मात्र का भुगतान अथवा सबसिडाइजड-रेट से भुगतान करके कम्पनी के वाहन का इस्तमाल नहीं करते हैं उन्हें ट्रान्सपोर्ट सबसिडी के रूप में १ रु० ३० पै० (एक रुपया तीस पैसा) प्रति दिन वास्तविक हाजरी के अनुसार मिलेगा।

अतिरिक्त ट्रान्सपोर्ट सबसिडी :

५.२.२ उन कर्मचारियों को जो अन्तिम शिफ्ट में रात में काम करते हैं (जिन्हें या तो रात पाली या तीसरा पाली अथवा 'सी' शिफ्ट कहते हैं) जो रात १०/११ बजे अथवा १२ बजे रात से शुरू होता है उन्हें अतिरिक्त ट्रान्सपोर्ट सबसिडी के रूप में दैनिक सम्पादित कार्य के लिये २ रु० प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा।

जो श्रमिक लगातार रात पाली में काम करते हैं उन्हें जहाँ सम्भव हो बदल-बदल कर काम दिया जाय तथा उन्हें रात के अन्तिम शिफ्ट में काम के लिये जैसा कि ऊपर में कहा गया है रात पाली में प्रतिदिन काम के लिये २ रु० के हिसाब से भुगतान किया जायगा।

५.२.३ यदि किसी कर्मचारी की बदली किसी दूसरी कोलियरी में किया जाय, पिछले कोलियरी से ८ कि० मी० अथवा उससे अधिक दूर पर हो तथा उसे पिछली कोलियरी में आवास की सुविधा मिली हो तथा नयी कोलियरी में ज़ाने के लिये यातायात का खुद इन्तजाम किया हो तो उसे वर्तमान में ५० पैं० की जगह वास्तविक हाजरी पर १ रु० ३० पैं० प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। वैसे जगहों में जहाँ कर्मचारियों को पुराने जगह पर ड्युटी के लिये हाजिर होने को कहा जाता है और वहाँ से उन्हें नये काम की जगह पर जाने के लिये यायाघात की व्यवस्था कम्पनी द्वारा किया जाता है, वह व्यवस्था यथारूप चालू रहेगा। किन्तु उन्हें जब तक पूराने काम की जगह पर हाजिर होने को कहा जाता है तब तक वास्तविक उपस्थिति के लिये उन्हें १ रु० ३० पैं० प्रतिदिन के हिसाब से मिला करेगा।

५.३ डिफिकल्टी एलाउन्स (कठिनाई भत्ता) :

५.३.१ थिन सीम एलाउन्स :

पीस-रेट तथा हाजरी में अण्डरग्राउण्ड के थिन सीम में काम करने वाले कर्मचारियों की विशेष परेशानी को मद्दे नजर रखते हुए उन्हें निम्नलिखित दर से थिन सीम एलाउन्स मिलेगा।

भुगतान का दर :—

(१) १.५ मीटर से अधिक (मोटे) सीम के लिये —कुछ नहीं

(२) १ से १.५ मीटर सीम के लिये —बास्केट लोडिंग (झौड़ी बोझाई) के लिये बेसिक मजदूरी का ५ प्रतिशत के बराबर तथा शाभेल से कन्वेयर पर लोड करने के लिये बेसिक मजदूरी का २॥ प्रतिशत।

(३) १ मीटर से कम थिकनेस वाले सीम के लिये —बास्केट लोडिंग (झौड़ी से बोझाई) के लिये बेसिक का ८ प्रतिशत तथा शावेल से कन्वेयर पर चढ़ाने के लिये बेसिक का ४ प्रतिशत।

वर्तमान में जहाँ थिन (पतला) सीम एलाउन्स श्रमिकों के पक्ष में अधिक लाभजनक है, वहाँ वही व्यवस्था लागू रहेगी परन्तु जहाँ किसी अन्य रूप में यह दिया जाता है उसे बन्द कर दिया जायगा तथा उपरोक्त लिखित आधार पर उसका नियमन किया जायगा।

५.३.२ अण्डरग्राउण्ड में काफी जमे हुए पानी की हालत में काम करने से :

बरसाती कोट, गम बूट तथा हूड उन कर्मचारियों को ६ महीना के भीतर दिया जायगा जो अण्डरग्राउण्ड में काफी जमे हुए पानी में काम करते हैं।

५.३.३ ढालू तथा उतार-चढ़ाई (ऊँचा-नीचा) रास्ता से चलने हेतु :

जहाँ ढालु और उतार-चढ़ाई वाले रास्ते से १००० मीटर तक चलना पड़ता हो और जहाँ औसत उतार-चढ़ाई १ में ३ से अधिक का अन्तर होगा वैसे डिस्ट्रिक्ट तथा सेक्सन अथवा खदान में काम करने के लिये श्रमिकों को प्रति पाली (शिफ्ट) प्रति व्यक्ति ५० पैसे की दर से भत्ता मिलेगा। जहाँ इस तरह का चलना २००० मीटर से अधिक होगा वहाँ प्रति हाजरी १ रु० मिलेगा।

द्रष्टव्य : इसके लिये औसत ढलाई का मतलब पिट के नीचे अथवा इन्क्लाइन माउथ (मुहान को) और कार्य के जगह के अन्तर में दोनों जगह के बीच की चलने वाली दूरी से भाग देकर जो फल आवे उसी को हिसाब में लिया जायगा।

५.३.४ धूल (डस्ट) :

श्रमिकों को जहाँ कार्यस्थल में काफी धूल का सामना करना पड़ता है अथवा काफी धूल की जगह में काम करते हैं उन्हें ६ माह के भीतर 'डस्ट मास्क' दिया जायगा।

५.४ सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स :

कोयला कम्पनियों/प्रबन्धनों के उन कर्मचारियों को जो ड्युटी के लिये शहरों/नगरों में पदस्थापित किये गये हैं, उन्हें छोड़ कर, जिन्हें निःशुल्क जलावन/निःशुल्क घर जैसी सुविधा प्राप्त नहीं है, उन्हें निम्न प्रकार से सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स दिया जायगा—

शहर/नगर की श्रेणी		बेसिक (बुनियादी) वेतन	सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स की दर
१		२	३
ए	क्लास जैसे कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई महानगर, बंगलोर, कानपुर, अहमदाबाद, मद्रास तथा हैदराबाद	५५० रु० तथा इससे ऊपर	बुनियादी वेतन का ६ प्रतिशत जो निम्नतस १६ रु० २० पै० तथा अधिकतम ७५ रु० होगा ।
बी-१	क्लास जैसे नागपुर, लखनऊ, पटना तथा जयपुर ।	५५० रु० तथा इससे ऊपर	बुनियादी वेतन का ४.५ प्रतिशत जो निम्नतम १६.४५ रु० तथा अधिकतम ५० रु० होगा ।
बी-२	क्लास जैसे भोपाल, चंडीगढ़, रांची, दुर्ग-भिलाई नगर, जमशेदपुर व धनबाद	७५० रु० से नीचे	बेसिक मजदूरी का ३.५ प्रतिशत जो अधिकतम १० रु० हो ।
		७५० रु० तथा इससे अधिक	वह रकम जो ७५ रु० पूरा करने में कम होता हो,
सी	क्लास		कुछ नहीं ।

द्रष्टव्य : यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि कोयला कम्पनियों/प्रबन्धनों के उन कर्मचारियों को जो धनबाद अथवा अन्य कोयलांचल क्षेत्र में पदस्थापित होंगे तथा जिन्हें निःशुल्क ईन्धन/निःशुल्क घर इत्यादि की सुविधा प्राप्त है वे सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स पाने के हकदार नहीं होंगे ।

वैसे मामले में जहाँ भारत सरकार द्वारा अन्य किसी शहर का पुनर्वर्गीकरण किया जाता है (वैसे शहरों) नगरों को छोड़कर जहां कोयला कम्पनी के कर्मचारियों को जलावन तथा घर की निःशुल्क व्यवस्था है अथवा किसी शहर को ए, बी-१ अथवा बी-२ स्तर का शहर घोषित करती है, वहाँ कोयला कम्पनियों के कर्मचारियों को उपरोक्त दर से सिटी एलाउन्स मिलेगा ।

५.५ उपरोक्त धारा ५.२ तथा ५.३ में उल्लिखित ट्रान्सपोर्ट सबसिडी, अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट सबसिडी तथा डिफिकल्टी एलाउन्स १-७-१९८३ से लागू होगा ।

अध्याय—६

अर्जित छुट्टी तथा राष्ट्रीय/त्यौहार की छुट्टियाँ

सवैतनिक सालाना छुट्टी :

६.१ वेतन के साथ सालाना छुट्टी माइन्स एक्ट के अनुसार जैसा मिलता है मिलता रहेगा ।

द्रष्टव्य : अर्जित छुट्टी के लिये हकदार होने के उद्देश्य से सभी अधिकृत छुट्टियाँ शामिल की जायगी जैसे—पूरे पैसे के साथ बीमारी की छुट्टी, वेतन के साथ आकस्मिक (कैज्वल) छुट्टी, सवैतनिक मातृत्व छुट्टी, काम के समय दुर्घटनाग्रस्त होकर अनुपस्थिति अथवा पेशेगत बीमारी के कारण पैसे के साथ अनुपस्थिति तथा सवैतनिक त्यौहार की छुट्टियों को जोड़ा जायगा । यद्यपि उपरोक्त सवैतनिक छुट्टियों के ऊपर कोई अतिरिक्त छुट्टी अर्जित नहीं होगा ।

यदि कहीं वर्तमान में अर्जित छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी तथा सवैतनिक त्यौहार की छुट्टियाँ अधिक लाभकारी हो तो वह तरीका जारी रहेगा ।

अर्जित छुट्टी/पैसे के साथ सालाना छुट्टी का जमा होना :

६.२ सवैतनिक अर्जित छुट्टी/सालाना छुट्टी जमा होने के राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अधीन निर्धारित वर्तमान बढ़ाया हुआ ७० दिनों तक छुट्टियों को जमा किये जाने का प्रचलन चालू रहेगा ।

बीमारी की छुट्टी :

६.३ बीमारी की छुट्टी से सम्बन्धित एक कैलेण्डर वर्ष में पैसे के साथ १५ दिनों की छुट्टी का वर्तमान प्रचलन चालू रहेगा ।

प्रचलित प्रथा के अनुसार पूरे पैसे के साथ बीमारी की छुट्टी को ४५ दिनों तक जमा रखा जा सकता है ।

टी० बी०, कैंसर, कुष्ठ तथा लकवा से पीड़ित कर्मचारियों के लिये विशेष छुट्टी की सुविधा :

६.४ टी०बी०, कैंसर, कुष्ठ तथा लकवा से पीड़ित कर्मचारियों को बेसिक मजदूरी, निश्चित मंहगाई भत्ता, भी. डी. ए. तथा विशेष भत्ता का ५० प्रतिशत मजदूरी पर छः महीने तक की विशेष छुट्टी दी जा सकती है बशर्ते कम्पनी के चिकित्सा पदाधिकारी अथवा कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था के चिकित्सा अधिकारी अथवा प्रबन्धन द्वारा किसी भी अन्य अस्पताल में तत्सम्बन्धी चिकित्सा हेतु भेजे जाने की सिफारिश की गई हो ।

पैसे के साथ कैजुअल (आकस्मिक) छुट्टी :

६.५ पैसे के साथ कैजुअल छुट्टी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत धारा ७.४.१ से ७.४.६ तक का प्रावधान, तत्सम्बन्धी जारी किये गये स्पष्टोक्तियों के साथ वर्तमान की तरह लागू रहेगा ।

राष्ट्रीय त्यौहार की छुट्टियाँ :

६.६ यह समझौता हुआ कि १ली मई माइनर्स डे (खनिज दिवस) होगा और प्रत्येक वर्ष मई में अतिरिक्त छुट्टी के रूप में घोषित होगा । यह ७ सवैतनिक छुट्टियों के अतिरिक्त होगा ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त छुट्टी उन कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त सवैतनिक छुट्टी है जो अभी केवल ७ दिन छुट्टी पाते हैं । उन कर्मचारियों के लिये जो अभी ७ दिन से अधिक सवैतनिक त्यौहार की छुट्टी पाते हैं उनको मिलने वाले छुट्टी में ही १ली मई की छुट्टी को उसी तरह शामिल कर लिया जायगा जिस प्रकार जनतन्त्र दिवस, स्वाधीनता दिवस तथा महात्मा गाँधी के जन्म दिन की छुट्टी दी जाती है ।

अध्याय—७

वापसी रेल किराया तथा रियायती छुट्टी की सुविधा

७.१ वर्तमान में कर्मचारियों को उनके हक के अनुसार प्रत्येक वर्ष में एक बार सिर्फ अपने लिये घर जाने तथा वापस आने का रेलवे किराया दिया जाता है तथा चार वर्ष में एक बार १५०० कि० मी० तक एक तरफ के हिसाब से भारत में किसी भी जगह जाने का साढ़े तीन यूनिट तक का वापसी रेल किराया दिये जाने का प्रावधान है ।

७.२ वेतनमान के वर्तमान पुनर्निरीक्षण को मद्देनजर रखते हुए वापसी रेल किराया हेतु प्रथम श्रेणी रेलवे किराया के हकदार वे होंगे जिनकी बुनियादी मजदूरी ६७० रु० प्रतिमाह है तथा छुट्टी भ्रमण रियायत (एल. टी.सी.) हेतु ६८५ रु० प्रतिमाह पानेवाले हकदार होंगे । दूसरे शब्दों में वैसे कर्मचारी जिनकी बुनियादी मजदूरी ६७० रु० से कम है वे द्वितीय श्रेणी के वापसी रेल किराया पाने के हकदार होंगे तथा छुट्टी भ्रमण रियायत (एल.टी.सी) के लिये द्वितीय श्रेणी रेल किराया के हकदार वे होंगे जिनकी बुनियादी मजदूरी ६८५ रु० प्रतिमाह से कम होगी । अन्य शर्ते समान होंगी ।

७.३.१ ४ साल पर लम्बी छुट्टी भ्रमण रियायत के लिये, जो वापसी रेल किराया के बदले होगी, उसके वर्तमान दूरी को १७०० कि० मी० प्रत्येक तरफ तक बढ़ाने का राजीनामा हुआ ।

७.३.२ उपरोक्त सुविधा का लाभ ४ वयस्क युनिट तक उठाया जा सकता है ।

७.३.३ जहाँ पति तथा पत्नी दोनों एक ही कोयला कम्पनी में नियोजित हैं वे सम्मिलित रूप से ६ वयस्क अथवा श्रमिक के परिवार से सम्बन्धित वास्तविक सदस्यों की संख्या, जो भी कम हो, तक के लिये लम्बी छुट्टी भ्रमण रियायत के हकदार होंगे । वर्तमान नियम के अनुसार 'परिवार' की परिभाषा में जो सदस्य आते हैं वे शामिल होंगे ।

७.३.४ वैसे मामले में जहाँ कोई कर्मचारी पिछले समझौता के अनुसार १५०० कि. मी छुट्टी भ्रमण रियायत का लाभ इस समझौता के क्रियान्वयन के पहले ले चुके हैं उन्हें बढ़े हुए दूरी की यात्रा का अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा।

७.४ वापसी रेल किराया/छुट्टी यात्रा रियायत :

७.४.१ वापसी रेल किराया के लिये वर्तमान व्यवस्था के बदले में सम्बन्धित कर्मचारियों के लिये चार वर्ष में एक बार अपने घर जाने के लिये अधिकतम ४ वयस्क युनिट तक के परिवार हेतु छुट्टी यात्रा रियायत दिया जा सकता है। अपने लिये तीन साल के ब्लाक में वापसी रेल किराया के बदले में चौथे वर्ष का वापसी रेल किराया लम्बी छुट्टी यात्रा रियायत में मुजरा कर दिया जायगा। कोई कर्मचारी चाहे वह वापसी रेल किराया के हकदार हों अथवा नहीं, यदि चाहें तो वह अपने घर के नगर/शहर के बदले ७५० कि. मी. प्रत्येक तरफ की दूरी तक के किसी भी अन्य स्थान की यात्रा कर सकते हैं।

७.४.२ कर्मचारियों के लिये यह ऐच्छिक होगा कि वे इस समझौता की अवधि के दौरान सदा के लिये या तो ४ वर्ष के भीतर तीन वर्ष तक प्रत्येक वर्ष अपने लिये वापसी रेल किराया का लाभ उठावें अथवा ८५० कि. मी. या उससे अधिक तक—यदि घर की दूरी उससे अधिक हो तो, ४ युनिट के परिवार हेतु छुट्टी भ्रमण रियायत का लाभ उठावें। इस तरह का प्रस्ताव समझौता की अवधि के दौरान अपरिवर्त्तनीय होगा।

७.४.३ यदि कोई कर्मचारी इस समझौता पर हस्ताक्षर होने के पहले वापसी रेल किराया का लाभ उठा चुके हैं और जब कभी वे छुट्टी भ्रमण रियायत (एल.टी.सी.) अर्थात् ७५० कि. मी. के लिये इच्छा प्रकट करते हैं तो जितना लाभ उठा चुके हैं उसका समायोजन कर बाकी जब भी वे ७५० कि. मी. के एल टी.सी. की यात्रा करना चाहेंगे उन्हें कुल बकाया युनिट/पैसा का भुगतान किया जायगा।

७.५ लम्बी छुट्टी भ्रमण रियायत (एल.एल.टी.सी.) से सम्बन्धित अन्य नियम वर्तमान कायदे तथा नियमावलियों के अनुसार पूर्ववत अपरिवर्तित रहेंगे।

अध्याय—८

घर, पानी की आपूर्ति, चिकित्सा तथा शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ

८.१.० घर :

८.१.१ सिर्फ स्टैण्डर्ड घरों को मद्देनजर रखकर वर्तमान २८.३४ प्रतिशत के घर को सन्तुष्टता को इस ४ साल के समझौता की अवधि के दौरान ४० प्रतिशत संतुष्टता तक पहुंचा दिया जायगा। इसका मतलब यह होगा कि ४ वर्ष के दौरान कोयला उद्योग को ७० से ७२ हजार तक घर बनाना पड़ेगा जो कि किसी खास वर्ष में १६,१०० घर से कम नहीं होगा।

८.१.२ अबसे बनने वाला सभी स्टैण्डर्ड घर में बिजली, पानी का नल तथा एक पंखा का इन्तजाम किया जायगा।

८.१.३ उन स्टैण्डर्ड घरों में जहाँ अभी तक बिजली, पानी का नल तथा पंखा नहीं लगा है वहाँ भी क्रमानुसार इस समझौता की अवधि में उपरोक्त सुविधाएं प्रदान की जायेगी। उन घरों के लिये भी जहाँ श्रमिक घर भाड़ा के हकदार नहीं है वहाँ भी एक पंखा दिया जायगा।

८.१.४ उन क्वार्टरों तथा झोपड़ियों की जिनको निकट भविष्य में तोड़ने की सम्भावना नहीं है तथा जो कोयला कम्पनियों के अधीन हैं उनकी मरम्मति तथा रखरखाव सम्बन्धित प्रबन्धन द्वारा किया जायगा।

८.२.० घर भाड़ा :

८.२.१ वर्तमान घर भाड़ा के १२ रु. को बढ़ाकर ३० रु. प्रतिमाह कर दिया जायगा तथा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें आवास की सुविधा नहीं मिली है।

८.२.२ घर भाड़ा के भुगतान का नियमन राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के प्रावधान के अनुसार किया जायगा। उन कर्मचारियों को जिन्हें

सिंगल रूम (एक कमरा) अथवा आर्च टाइप (घौड़ा) का आवास दिया गया है, वे उसी हालत में घर भाड़ा के हकदार होंगे यदि उन घरों में अलग से अथवा कामन पाखाना तथा स्नान घर का इन्तजाम नहीं होगा ।

८.३ उन कर्मचारियों को जो घर बनाने का एडवांस पाने के हकदार हैं वे १९-७-१९८३ से संशोधित दर पर घर भाड़ा पाने के हकदार होंगे । अन्य कर्मचारी बढ़ा हुआ घर भाड़ा १-१-१९८३ से पायेंगे ।

८.४ घर भाड़ा/बिजली खर्च की वसूली :

८.४.१ घर भाड़ा तथा बिजली खर्च की वसूली से सम्बन्धित राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ में उल्लिखित वर्तमान नियमावलियाँ पूर्ववत लागू रहेंगी ।

८.५ पानी की आपूर्ति :

८.५.१ कम से कम प्रति व्यक्ति १५ गैलन पानी की आपूर्ति किये जाने की योजनाएं बनायी जायेंगी तथा समझौता की अवधि में उनका क्रियान्वयन किया जायेगा। फिल्टरेशन प्लांट ठीक ढंग से चले उसकी व्यवस्था की जायेगी ।

८.६.१ प्रत्येक कम्पनी में अलग से एक टाउन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (नगर प्रशासन विभाग) होगा जिसके जिम्मे घर तथा पानी आपूर्ति की देख-भाल व रख-रखाव का भार होगा । प्रत्येक एरिया (क्षेत्र) में पानी आपूर्ति की देखभाल तथा रख-रखाव का भार एक पब्लिक हेल्थ इञ्जीनियर/सिविल इञ्जीनियर के जिम्मे होगा । नगर प्रशासन विभाग का गठन तथा कार्यारम्भ समझौता पर हस्ताक्षर होने के तीन महीना के अन्दर हो जायगा ।

८.७.० चिकित्सा सुविधा :

८.७.१ प्रबन्धन द्वारा कोयला कम्पनियों के अधीन सभी अस्पताल तथा कोयला श्रमिक कल्याण संस्था के अस्पतालों को जोड़ कर बी.पी.ई. के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक १०० श्रमिकों पर एक (अस्पताल का) बिस्तर की दर से बिस्तरों की व्यवस्था किये जाने का भरसक प्रयास किया जायगा किन्तु समझौता के अन्त की अवधि तक किसी भी हालत में १-१२० से कम नहीं होगा ।

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के तहत मेडिकल सब-कमिटी की रिपोर्ट के किसी प्रावधान का क्रियान्वयन नहीं हुआ होगा तो वह इस समझौता की अवधि में क्रियान्वित कर दिया जायगा । चिकित्सा सुविधा पर प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष ३५० रु० के हिसाब से खर्च किया जायगा (इसमें कैपिटल-पूंजीगत खर्च शामिल नहीं होगा)। प्रत्येक कम्पनी की वार्षिक चिकित्सा सम्बन्धी योजना कम्पनी स्तर पर संयुक्त वार्तालाप के द्वारा निर्धारित होगी ।

८.७.२ एम्बुलेंस :

प्रत्येक कोलियरी में एक एम्बुलेंस दिया जायगा । यदि कहीं इसकी कमी होगी तो उसे चालू वित्त वर्ष के अन्त तक अर्थात् ३१ मार्च १९८४ तक पूरा कर दिया जायगा । सभी एम्बूलेन्स गाड़ियों को निश्चित रूप से अच्छी चालू हालत में रखा जायगा और जब भी आवश्यक होगा उसे उपलब्ध कराया जायगा ।

८.७.३ नियोमोकोनियोसिस :

नियोमोकोनियोसिस जैसे रोग की जांच व खोज तथा उसे नियंत्रित तथा उससे छुटकारा दिलाने हेतु सुविधा का इन्तजाम करने हेतु प्रत्येक कम्पनी में समुचित मात्रा में यथा-शीघ्र मशीनों का इन्तजाम किया जायगा । प्रत्येक कोयला उत्पादक कम्पनी में नियोमोकोनियोसिस की समस्या से निबटने के लिये एक मेडिकल बोर्ड को क्रियाशील बनाया जायगा और वह इसके गठन के संवैधानिक विज्ञप्ति की प्रतिक्षा किये बगैर काम करने लगेगा । ये मेडिकल बोर्ड नियोमोकोनियोसिस पाये जाने की सूचना पाने के सात दिनों के अन्दर नियोमोकोनियोसिस से सम्बन्धित मरीज की जाँच करेंगे ।

यदि कोई कर्मचारी किसी दक्ष अधिकारी द्वारा नियोमोकोनियोसिस पाये जाने के कारण काम से इसलिये बैठा दिया जाय कि उसके काम में लगे रहने से उसके स्वास्थ्य में गिरावट आयगी तथा यदि मेडिकल बोर्ड द्वारा यह पाया जाता है कि वह कर्मचारी नियोमोकोनियोसिस से पीड़ित है तो उसे पूरे बैठारी की अवधि की मजदूरी का भुगतान किया जायगा ।

८.८ पढ़ाई की सुविधा :

८.८.१ कोयला उद्योग में शैक्षणिक संस्थानों का ढांचा निम्न प्रकार होगा :

(१) प्राइमरी स्कूल—कोयला खदान/कोलियरी/कालोनी में।

(२) मिडिल/जुनियर हाई-स्कूल—बड़ी कोलियरियों अथवा कोलियरियों के ग्रूप में।

(३) हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल—एरिया में

उपरोक्त ढाँचे में प्रत्येक कम्पनी/एरिया के आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।

८.८.२ कोयला खान के श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा को मद्दे-नजर रखते हुए, कोयला कम्पनियों के प्रबन्धन द्वारा समझौता के ४ वर्ष की अवधि में विभिन्न स्तर के १०० स्कूल के मकान बनाये जायेंगे जिसमें—कुछ पुराने मकान के बदले नया तथा कुछ नये मकान शामिल होंगे। स्कूलों में आवश्यक फर्नीचर का इन्तजाम भी किया जायगा।

७.८.३ वर्तमान में प्राइवेट कमिटी द्वारा संचालित स्कूलों को मिलने वाले बराबर के अनुदान (ग्रान्ट) को बढ़ाया जायगा जिससे स्कूल अच्छी तरह चल सके तथा शिक्षकों को बेहतर वेतन दिया जा सके। कोल इण्डिया द्वारा इसके सहायक कम्पनियों के लिये साल में अतिरिक्त दो करोड़ रु. का अनुदान (पूंजीगत खर्च को छोड़कर) दिया जायगा जिसका संचालन कम्पनी स्तर पर संयुक्त द्विदलीय समिति द्वारा किया जायगा। जहाँ श्रमिक अपने से धन एकत्र कर प्रबन्धन के पास शैक्षणिक संस्थान हेतु पहुँचेंगे वहाँ कोयला कम्पनियों द्वारा समान रूप से अनुदान दिया जायगा।

८.९ कैन्टीनों की सुविधा :

८.९.१ प्रबन्धन इस बात पर सहमत हुए कि समझौता की अवधि में प्रत्येक कोलियरी/संस्थान में एक कैंटीन होगा जो ठीकेदारों द्वारा नहीं चलाया जायगा। कैंटीन में लगने वाला बर्त्तन तथा ईंधन (कोयला) कोलियरी प्रबन्धन द्वारा आपूर्ति किया जायगा। कैंटीन के आकार तथा उसके कार्य-कलाप को देखते हुए प्रबन्धन द्वारा कैंटीन के प्रशासी समिति को और भी कुछ रकम दी जायगी जिससे कैंटीन द्वारा सस्ते दर पर खाद्य पदार्थ की आपूर्ति हो सके।

———

अध्याय—९

सामाजिक सुरक्षा

९ रिटायरमेन्ट (अवकाश प्राप्ति) के समय ग्रैच्युटी :

ग्रैच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित मुद्दों पर समझौता हुआ :—

९.१.१ सेवा काल की पूरी अवधि को ग्रैच्युटी भुगतान के लिये हिसाब में लिया जायगा। उदाहरण स्वरूप यदि कोई श्रमिक किसी खास वर्ष में १९०/२४० दिन से कम उपस्थित रहता है वैसी हालत में उस वर्ष को हाजरी में कमी की वजह से बाद नहीं दिया जायगा।

९.१.२ सेवा की अवधि निकालने के लिये, जिस महीने में श्रमिक रिटायर करेंगे उस महीने के अन्तिम दिन तक को सेवा की अवधि मानी जायगी।

९.१.३ ग्रैच्युटी भुगतान एक्ट में उल्लिखित १००० रु. प्रतिमाह की वर्तमान सीमा के बदले, ग्रैच्युटी के भुगतान हेतु अन्तिम वेतन भुगतान के रकम को हिसाब में लिया जायगा। परन्तु जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के लिये लागू है, ग्रैच्युटी का कुल भुगतान ३६,००० रु. से अधिक नहीं होगा। यदि सरकार द्वारा इस सीमा को बढ़ाया जायगा उस हालत में इस पर उसी तरह विचार किया जायगा।

९.१.४ जैसा कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत राजीनामा हुआ है, ३० वर्ष तक की सेवा अवधि के लिये प्रत्येक वर्ष १५ दिन के वेतन के हिसाब से (बुनियादी मजदूरी, अपरिवर्त्तनीय भत्ता, विशेष भत्ता, परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता तथा जहाँ अण्डर ग्राउण्ड एलाउन्स लागू हो सभी को जोड़कर) भुगतान किया जायगा। ३० वर्ष से अधिक को सेवा के लिये अन्तिम प्राप्त वेतन के, प्रति पूरे वर्ष पर एक माह की मजदूरी के हिसाब से जोड़ा जायगा परन्तु सेवा के अन्तिम वर्ष के लिये यदि साल पूरा नहीं भी हुआ हो तो उपस्थित दिनों के लिये समानुपातिक दर पर ग्रैच्युटी का भुगतान किया जायगा।

९.१.५ सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी लिमिटेड तथा टिस्को में वर्तमान में जो योजना तथा सुविधाएं मिलती हैं वह मिलती रहेगी ।

लाइफ कवर स्कीम :

९.२.१ वर्तमान का लाइफ कवर स्कीम चालू रहेगा तथा सामान्य ग्रैच्युटी के अतिरिक्त १५००० रु० का भुगतान किया जायगा तथा लाइफ कवर स्कीम को ग्रैच्युटी से अलग रखा जायगा ।

वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन बेनिफिट (लाभ) कर्मचारी क्षतिपूरक सुविधाएँ :

९.३.१ राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा १०.३.१ के तहत प्रावधान के अतिरिक्त और भी निम्नलिखित रियायतों पर समझौता हुआ ।

(१) सेवा अवधि में कार्यकाल के दौरान दुर्घटना के कारण हुए तत्कालीन अपंगता की अवधि में श्रमिकों को किये गये वेतन के भुगतान को चाहे वह सदा के लिये—आंशिक अथवा पूर्णरूपेण अपंगता के कारण हुआ हो—क्षतिपूर्ति के रूप में मिलने वाली रकम से काटा नहीं जायगा ।

(२) वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन एक्ट के अधीन, दुर्घटनाग्रस्त होकर बराबर के लिये पूरा अपंग होने तथा मृत्यु के लिये मिलने वाले कम्पेन्सेशन के अलावा, कार्यविधि में कार्य के दौरान हुई दुर्घटना के फलस्वरूप हुए बराबर के लिये अपंगता तथा मृत्यु की स्थिति में प्रत्येक केस के लिये १०,००० रु० (दस हजार रुपये) की अनुग्रह राशि दी जायगी ।

(३) वैसे कर्मचारियों के लिये जो वर्तमान में 'वर्कमेन' की परिभाषा के अधीन नहीं आते हैं, उदाहरण के लिये वैसे कर्मचारी जिनका वेतन १००० रु० (एक हजार रुपये) प्रतिमाह से अधिक हो और यदि कम्पेन्सेशन कमिश्नर कम्पेन्सेशन की रकम को लेने से इन्कार करे तो सन्तोषप्रद कानूनी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा एग्रीमेंट/इन्डेमनिटी बॉंड बना देने पर जिससे इस सम्बन्ध में भविष्य में अन्य कोई मांग नहीं किया जा सके तब मृतक श्रमिक के कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान कर दिया जायगा ।

श्रमिकों के आश्रितों को नौकरी :

९.४.१ दुर्घटनाग्रस्त होकर मरने वाले तथा बराबर के लिये अपंग होने वाले कर्मचारियों के एक आश्रित को नौकरी दिया जायगा । इस प्रावधान को निम्न रूप से क्रियान्वित किया जायगा ।

९.४.२ **सेवा अवधि में मरने वाले श्रमिकों के एक आश्रित को नौकरी :**

(१) इसके लिये आश्रितों की श्रेणी में निम्नलिखित आवेंगे :—पत्नी/पति जो भी हो, अविवाहित पुत्री, पुत्र तथा कानूनी दत्तक पुत्र । यदि नौकरी के लिये उपरोक्त आश्रित उपलब्ध नहीं हो तो मृतक का छोटा भाई, विधवा पुत्री/विधवा पुत्र-वधू अथवा दामाद जो मृतक के साथ रहता आ रहा हो तथा उसी की आमदनी पर पूर्णरूपेण परवरिश के लिये आश्रित हो, तो उन्हें मृतक के आश्रित के रूप में विचार किया जा सकता है ।

(२) जो शारीरिक रूप से दक्ष हो तथा ३५ वर्ष से अधिक का नहीं हो वैसे आश्रित को काम देने का विचार किया जायगा । आश्रित में पत्नी अथवा पति होने से उम्र सीमा की कोई पाबन्दी नहीं रहेगी ।

९.४.३ **स्थायी रूप से अपंग होने पर उस श्रमिक के एक आश्रित को नौकरी :**

(१) दुर्घटनाग्रस्त अथवा बीमारी के कारण स्थायी रूप से अपंग होने के फलस्वरूप श्रमिक की नौकरी चले जाने पर सम्बन्धित कोयला कम्पनी द्वारा उसे प्रमाणित किया जाना चाहिए ।

(२) आश्रित को नौकरी में बहाल होने के लिये तभी विचार किया जायगा यदि वह आश्रित शारीरिक रूप से सक्षम हो तथा ३५ वर्ष की उम्र के नीचे हो । आश्रित में पति अथवा पत्नी होने से उम्र सीमा की कोई पाबन्दी नहीं रहेगी ।

९.४.४ **रिटायर करनेवाले श्रमिकों के आश्रितों को नौकरी :**
रिटायर करने वाले श्रमिक के एक आश्रित को काम दिया जायगा लेकिन टिस्को में आश्रितों को नौकरी के सम्बन्ध में जो योजना लागू है वही चलती रहेगी ।

अध्याय—१०

उत्पादकता, दक्षता तथा औद्योगिक शांति

१०.१ प्रबन्धन तथा श्रमिक प्रतिनिधि इस बात पर राजी हुए कि औद्योगिक शांति तथा सौहार्दपूर्ण बातावरण कायम रखकर, निरन्तर, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य ठीक रखते हुए उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया जायगा। इस सम्बन्ध में उठाये गये कदम पर बीच-बीच में द्विदलीय समझौता समिति द्वारा समीक्षा की जायगी।

१०.२ कोयला खानों में उत्पादकता तथा दक्षता बढ़ाने के लिये श्रमिकों तथा प्रबन्धन द्वारा सभी प्रयास किया जायगा तथा उसके लिये अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित उपाय सुझाये गये :—

(१) वर्तमान में उपलब्ध श्रमशक्ति के पूर्ण उपयोग के हर सम्भव कदम उठाये जायेंगे।

(२) जहाँ कहीं भी सम्भव हो युनिट (इकाई) स्तर पर ८ घण्टे का ओभरलैपिंग शिफ्ट चालू किया जाना।

१०.३ सभी स्तर पर उत्पादकता तथा दक्षता बढ़ाने में ट्रेड यूनियनों द्वारा प्रबन्धन को सहयोग किया जायगा जिससे जहाँ भी सम्भव हो मितव्ययिता का ख्याल रखते हुए सालाना निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसके लिये जहाँ भी सम्भव होगा द्विदलीय समिति गठित किया जायगा।

अध्याय—११

सामान्य

११.१.१ उपलब्ध सुविधाएँ :

वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं तथा सहुलियतें जो इस समझौता में नहीं आया है अथवा बदला नहीं गया है वह पूर्ववत लागू रहेगा।

११.२.१ कोयले की निःशुल्क आपूर्ति :

कोलियरियों को प्रतिष्ठानों में निःशुल्क कोयला आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था लागू रहेगी।

११.३.१ ओवरटाइम का भुगतान :

विभिन्न प्रतिष्ठानों, इकाइयों तथा आफिसों में सभी कैटेगरियों के श्रमिकों को जिस प्रकार ओवरटाइम काम का भुगतान होता था वह होता रहेगा।

११.४.१ साप्ताहिक छुट्टी के दिन की मजदूरी :

माइन्स एक्ट अथवा फैक्टरीज एक्ट के नियमों द्वारा संचालित खदान तथा प्रतिष्ठान के श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम में बुलाये जाने पर सामान्य मजदूरी से दूनी मजदूरी के भुगतान को माना जायगा।

११.५.१ ठीकेदारी श्रमिक प्रथा की समाप्ति :

उद्योग में ठीकेदार द्वारा श्रमिकों की बहाली नहीं की जायगी अथवा ठीकेदार के श्रमिकों को उन जगहों पर काम में नहीं लगाया जायगा जो काम या तो स्थायी है अथवा बराबर होने वाला है।

११.५.२ स्थायी तथा बराबर होने वाला कार्य जो वर्तमान में डिपार्टमेंट द्वारा कराया जा रहा है वह स्थायी श्रमिकों द्वारा कराया जाता रहेगा।

११.५.३ उपरोक्त धारा के प्रावधान के क्रियान्वयन में हुए प्रगति का मूल्यांकन समय-समय पर द्विदलीय समिति द्वारा किया जायगा ।

११.५.४ प्रधान नियोक्ता के रूप में प्रबन्धन द्वारा विभिन्न श्रम कानून की धाराओं का नियमन जैसा कि ठीकेदारी श्रमिकों पर लागू है, उसे ठीकेदारी श्रमिक सेल के जरिये नियमन तथा देखभाल किया जाता रहेगा ।

अध्याय—१२

समझौता का क्रियान्वयन

१२.१.१ यह समझौता तथा वेतनमान (कोई अन्य निर्देश नहीं हो तो) १ जनवरी १९८३ से क्रियान्वित होगा ।

१२.१.२ यह समझौता १-१-१९८३ से चार वर्षों के लिये लागू रहेगा ।

१२.१.३ प्रबन्धन तथा श्रमिक प्रतिनिधि इस बात पर राजी हुए कि इस समझौता का क्रियान्वयन पूरी ईमानदारी तथा निष्ठा से किया जायगा तथा युनियन एवं प्रबन्धन द्वारा उसका पालन किया जायगा ।

१२.२.१ इस समझौता की अवधि के भीतर जिन मुद्दों पर समझौता हो गया है उन मुद्दों (राजीनामा के मुद्दों) पर न तो मांग पेश किया जायगा और न ही कोई विवाद खड़ा किया जायगा ।

१२.३.१ कोयला कम्पनियों के प्रबन्धन इस समझौते का एक तरफा विश्लेषण अपने-आप नहीं करेंगे ।

इस समझौता के क्रियान्वयन के लिये किसी धारा के अर्थ में कोई असुविधा तथा सन्देह होने पर आपसी सौहार्द तथा सद्भावना के लिये इसे जे. बी. सी. सी. आई. (द्विदलीय समिति) अथवा इसके द्वारा गठित किसी सब कमिटी के समक्ष लाया जाना चाहिये ।

१२.४ समितियाँ :

यह तय हुआ कि उक्त कार्य के लिये निम्नलिखित समितियों का गठन किया जायगा :

१२.४.१ स्टैण्डरडाइजेशन (एकरूपता) समिति :

विभिन्न पदनाम, कार्य विवरण, विभिन्न श्रमिक के श्रेणियों की सेवा शर्तों में विषमता, जिसमें काम के घण्टे, छुट्टी, अवकाश, कार्य का कैटेगराइजेशन इत्यादि शामिल है, के ऊपर विषमताओं को समिति के ध्यान में लाया जाय तथा इस समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि

इनकी जाँच करें। इसमें असम के हेड आफिस के स्टाफ को निःशुल्क जलावन की कोयला की मांग शामिल होगी।

(२) पीस-रेट मजदूरों के ग्रूपिंग एवं उनका कार्य-भार तथा जहाँ मल्टी-स्किल (बहुधन्धी) कार्य हो उसका विचार करना।

(३) विभिन्न कागजातों में उपलब्ध/उल्लिखित विभिन्न कार्य विवरण को एक में मिलाना।

(४) यह समिति अपने समक्ष आये विषमता, कार्य-विवरण में असमानता, कैटेगराइजेशन तथा श्रमिकों के मुख्य सेवा शर्तों की जाँच करेगी।

(५) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत तथा उसके बाद लागू की गई नयी तकनीक/उच्च क्षमता प्राप्त मशीन के प्रयोग के फलस्वरूप उत्पन्न नये कार्य तथा अन्य छूटे हुए कार्यों का कार्य-विवरण कैटेगराइजेशन तथा वेतनमान का निर्धारण करना इत्यादि।

१२.४.२ प्रोन्नति सम्बन्धी नीति निर्धारण समिति :

श्रमिक तथा प्रतिनिधियों की द्विदलीय समिति द्वारा विभिन्न कोयला कम्पनियों में व्याप्त वर्तमान प्रोन्नति नीति की जाँच कर प्रोन्नति में एकरूपता लाने सम्बन्धी दिशा निर्देश निर्धारित करेगी।

१२.४.३ इन्सेन्टिव (प्रोत्साहन) स्कीम समिति :

उत्पादन तथा उत्पादकता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने हेतु इन्सेन्टिव/पुरस्कार योजना लागू किये जाने हेतु गठित द्विदलीय समिति विस्तृत दिशा निर्देश निर्धारित करेगी।

१२.५.१ ऊपर उल्लिखित समितियों को अपने विषयों पर, इस समझौता पर हस्ताक्षर होने के छः महीना के भीतर अपना कार्य पूरा कर देना चाहिये।

———

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता

समापन की टिप्पणी

१.० सेवा निवृत्ति का लाभ :

१.१ सिद्धान्तः यह स्वीकार किया गया कि इस प्रकार की एक योजना बनायी जायगी जिसके अन्तर्गत श्रमिकों तथा प्रबन्धन द्वारा प्रतिमाह बुनियादी तथा मंहगाई भत्ता का दो प्रतिशत करके, अर्थात् कुल ४ प्रतिशत जमा किया जाय जिसे सम्बन्धित श्रमिक अथवा उसके परिवार को उसकी सेवानिवृत्ति पर अथवा कार्य अवधि में हुए मृत्यु अथवा सम्पूर्ण अपंगता की स्थिति में मासिक भुगतान किया जा सके—संयुक्त द्विदलीय समिति के स्तर पर संयुक्त रूप से इस योजना के प्रावधानों को तैयार किया जायगा।

१.२ कोयला मजदूरों के लिये कुछ समय पहले जो वृहत् सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया था उसका प्रारूप जे. बी. सी. सी. आई. द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा तैयार किया जायगा और समझौता पर हस्ताक्षर के छः महीने के भीतर जे. बी. सी. सी. आई. के समक्ष उसे अन्तिम रूप देने तथा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया जायगा।

२.० पदोन्नति नीति एवं सेवा से सम्बन्धित पदोन्नति योजना :

२.१ ट्रेड यूनियनों द्वारा यह मांग किया गया कि वैसे कर्मचारियों को जो अपने अधिकतम ग्रेड/वेतन तक पहुंच चुके हैं उन्हें स्टेगनेशन इन्क्रीमेंट के अलावा, वैसे कर्मचारियों को तथा पीस-रेट के कर्मचारियों को जिन्हें अपने सेवाकाल में कोई पदोन्नति का अवसर नहीं मिला तथा लम्बी अवधि तक एक ही कैटेगरी/ग्रेड में रहे हैं उन्हें पदोन्नति का अवसर मिलना चाहिये।

२.२ अतः यह तय हुआ कि पैरा २.१ में उल्लिखित मुद्दों की जाँच पड़ताल पदोन्नति नीति कमिटी द्वारा किया जा सकता है और उसे अपना

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३

क्रियान्वयन आदेश

अध्याय—२

ए. हाजरी दर के श्रमिकों की सीमा, संशोधित मजदूरी, मजदूरी ढाँचा, फिटमेंट, मंहगाई भत्ता

कार्यान्वयन आदेश संख्या [१] दिनांक २१-११-१९८३

१.१ राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ जो कोयला उद्योग के लिये गठित द्विदलीय संयुक्त समिति द्वारा ११-११-१९८३ को अन्तिम निर्णय पर पहुंचा गया और जो १-१-१९८३ से लागू होता है, उसमें निम्न-लिखित प्रावधान है :

२.१ **सीमा :**

यह समझौता कोयला उद्योग के उन सभी कैटेगरियों के कर्मचारियों पर लागू होगा जो वर्तमान में राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ एवं २ के अधीन आते हैं (एन.सी.डब्लू.ए. तीन की धारा १.२ द्वारा)।

३. **मजदूरी का अंग :**

३.१ कोयला खान उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों का वेतनमान निम्न ब्यौरानुसार होगा :

अ) बुनियादी (बेसिक) मजदूरी।

ब) हाजरी बोनस—बुनियादी (बेसिक) मजदूरी का १० प्रतिशत।

स) विशेष भत्ता (एस. डी. ए.) हाजरी बोनस पर भविष्य निधि, मुनाफा बोनस, ग्रैच्युटी इत्यादि जोड़कर विशेष भत्ता होगा जो हाजरी बोनस का १७.९५ प्रतिशत अथवा बुनियादी मजदूरी के १.७९५ प्रतिशत के हिसाब से जिसमें अन्य लाभ जैसे प्रोविडेन्ट फण्ड, बोनस, ग्रैच्युटी शामिल होगा, जोड़ा जायगा।

द) निश्चित मंहगाई भत्ता १४७ रु. ३६ पै. प्रतिमाह अथवा ५ रु. ६६.७ पै० प्रति दिन ।

य) परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भी.डी.ए.) औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक १९६० को १०० आधार मानकर (जिसे मूल्य सूचकांक कहा जायगा) ४५५ अंकों के ऊपर कम अथवा अधिक जो भी हो, वह प्रत्येक तिमाही में समायोजित किया जायगा ।

४.० **निम्नतम मजदूरी :** (धारा २.२१, २.२.२ तथा २.२.३)

४.१ इस समझौता के अधीन आने वाले कोयला उद्योग में खदान के ऊपर काम करने वाले निम्नतम वेतन भोगी श्रमिकों की निम्नतम संशोधित मजदूरी ७८१ रु. ९० पै. प्रति माह होगी जो औद्योगिक श्रमिक के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार-१९६०=१०० मानकर) ४०० पर होगी । चूंकि संशोधित वेतन १-१-८३ से ही देय है अतः १-१-८३ को ४८५ मूल्य सूचकांक पर ८०१ रु. ४० पै. प्रतिमाह निम्नतम मजदूरी होगी । इसमें ९१ रु. का निम्नतम गारंटी लाभ शामिल है जो १-१-८३ को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ४८५ पर पुरानी निम्नतम मजदूरी में जोड़ दी जायगी ।

४.२ १-१-८३ को मूल्य सूचक अङ्क ४८५ पर निम्नतम मजदूरी ८०१ रु. ४० पै. का ब्यौरा निम्न प्रकार होगा :—

	प्रतिदिन (रु. में) पुराना	नया	प्रतिमाह (रु. में) पुराना	नया
(अ) बुनियादी मजदूरी/वेतन	१५.००	२१.१६	३९०.००	५५०.१६
(ब) हाजरी बोनस-बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत	१.५०	२.११६	३९.००	५५.०१
(स) हाजरी बोनस पर मिलने वाला अन्य लाभ जिसे विशेष भत्ता कहा जायगा	०.२६९	०.३८०	७.००	९.८७
(द) निश्चित मंहगाई भत्ता (मूल्य सूचक अंक ४५५ पर)	२.६२३	५.६६७	६८.२०	१४७.३६
(य) परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भी. डी. ए.) (मूल्य सूचक अंक ४८५ पर)	७.९००	१.५००	२०५.४०	३९.००
कुल	२७.२९२	३०.८२३	७०९.६०	८०१.४०

४.३ इस समझौता के अन्तर्गत निश्चित मंहगाई भत्ता, औद्योगिक श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अङ्क ४५५ (आधार १९६०=१००) से जोड़ा गया है । परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता मूल्य सूचक अङ्क ४५५ से अधिक होने से बदलता रहेगा तथा ऊपर उल्लिखित भी.डी.ए. को मूल्य सूचक अङ्क ४८५ से जोड़ा गया है।

५.० **संशोधित बुनियादी वेतन का ढाँचा :** (धारा २.३.१)

५.१ विभिन्न कैटेगरी, हुनर तथा ग्रेड, दैनिक दर के अन्तर्गत, एक्सकावेशन, वाशरी तथा मासिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये संशोधित मजदूरी ढाँचा, जैसा कि इस समझौता में बनाया गया है उसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

५.२ **संशोधित वेतन ढाँचा (१-१-१९८३ से लागू)**
(परिशिष्ट-२ अ)

५.२.१ **दैनिक दर के मजदूर :**

कैटेगरी	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ का वेतनमान (वर्तमान अथवा पुराना)	संशोधित वेतनमान १-१-१९८३ से लागू
१	२	३
१	१५.००-०.२६-१८.१२	२१.१६-०.४३-२७.१८
२	१५.४०-०.३४-१९.४८	२१.६५-०.५३-२९ ०७
३	१६.३५-०.४२-२१.३९	२२.७०-०.६५-३१.८०
४	१७.७५-०.५३-२४.११	२४.१०-०.८०-३५.३०
५	१९.५०-०.७२-२८.१४	२६.०४-१.००-४०.०४
६	२२.७०-०.९५-३४.१०	२९.२४-१.३५-४८.१४

५.२.२ **एक्सकावेशन :**

स्पेशल	३१.८०-१.७५-५१.३८	३८.३४-२.१२-६५.९०
ए	२८.००-१.४९-४५.८८	३४.५४-१.९५-६१.८४
बी	२५.४५-१.३०-४१.०५	३१.९९-१.७६-५६.६३
सी	२३.६०-१.१३-३७.१६	३०.१४-१.५५-५१.८४
डी	२० ९०-०.८३-३०.८६	२७.४४-१.१५-४३.५४
ई	१७.२०-०.४८-२२.९६	२३.५५-०.७२-३३.६३

५.२.३ **मासिक दर के कर्मचारी (तकनिकी एवं सुपरवाइजरी तथा अन्यान्य स्केल) :**

ग्रेड		
ए	७२२-४२-१०४८-४४-१२७८	८९२-५३-१३१६-५५-१७०१
बी	६४०-३५-९२०-४०-११६०	८१०-४६-११७८-५१-१५८६
सी	५७२-२९-८०४-३४-१००८	७४२-४०-१०६२-४५-१४२२
डी	५०८-२३-६९२-२८-८६०	६७८-३०-९१८-३५-११९८
ई	४६०-१६-६५२	६२५-२३-९४७
एफ	४४०-१२-५८४	६०५-१८-८५७
जी	४१५-१०-५३५	५८०-१६-८०४
एच	४०४-९-५१२	५६७-१४-७६३

क्लरिकल ग्रेड :

स्पेशल	६४०-३५-९२०-४१-१०८४	८१०-४६-११७८-५१-१५८५
१	५७२-२९-८०४-३५-९४४	७४२-४०-१०६२-४५-१४२२
२	५०८-२३-६९२-२९-८०८	६७८-३०-९१८-३५-११९८
३	४६०-१६-६३६	६२५-२३-९४७

नोट

क्लरिकल ग्रेड ३ के श्रमिकों के सम्बन्ध में :

१. वैसे मुंशियों को जो अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य करते होंगे उन्हें क्लरिकल ग्रेड-२ दिया जायगा :
   (ए) सम्बन्धित पीस-रेट के श्रमिकों के काम का माप का चुटका बनाना तथा जारी करना,
   (बी) फार्म-४ भरना,
   (सी) लोड, लिफ्ट तथा ठेलाई का माप लेना,
   (डी) सम्बन्धित श्रमिकों की हाजरी लेना ।

२. क्लरिकल ग्रेड-३ से सम्बन्धित श्रमिकों के मामले पर प्रबन्धन द्वारा विचार किया जायगा तथा वैसे लोगों को जिनका कार्य ग्रेड-२ के क्लर्कों के बराबर होगा उन्हें समझौता पर हस्ताक्षर होने के चार महीने के भीतर ग्रेड-२ में दे दिया जायगा ।

३. विभिन्न ग्रेड के क्लर्कों की पदोन्नति के सम्बन्ध में पदोन्नति विषयक कमिटी समझौता पर हस्ताक्षर होने के छः महीने के भीतर एक 'कैडर स्कीम' तैयार कर देगा ।

६.० **हाजरी बोनस :** (धारा २.४.१ व २.४.२)

६.१ हाजरी बोनस बुनियादी मजदूरी का १० प्रतिशत प्रत्येक मजदूर को तीन महीने पर, जैसा अभी मिलता है, मिलता रहेगा ।

६.२ चूंकि हाजरी बोनस पर मिलने वाला लाभ नियमित मजदूरी के साथ ही भुगतान होता रहा है इसलिये तिमाही बोनस पर अलग । और कोई लाभ देय नहीं होगा ।

७.० **विशेष भत्ता :** (धारा २.५)

७.१ राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ में हुए समझौता को मद्देनजर रखकर जहाँ हाजरी बोनस पर, भविष्य निधि मुनाफा, बोनस तथा ग्रैच्युटी इत्यादि का लाभ मिलना तय हुआ है वह श्रमिकों को हाजरी बोनस का १७.९५ प्रतिशत अथवा बेसिक मजदूरी का १.७९५ प्रतिशत मिलता रहेगा तथा उसे विशेष भत्ता कहा जायगा । ५५० रु. की निम्नतम बेसिक मजदूरी पर यह रकम ९ रु. ८७ पै. होगा । इस तरह हाजरी बोनस पर मिलने वाला अन्य लाभ जो विशेष भत्ता कहलायगा उसमें मंहगाई भत्ता पर मिलने वाला सभी लाभ जोड़ा जायगा ।

८.० **निश्चित मंहगाई भत्ता :** (धारा २.६)

८.१ एक निश्चित मंहगाई भत्ता होगा जो १४७ रु. ३६ पै. मासिक अथवा ५ रु. ६६७ पै. दैनिक दर से होगा तथा मूल्य सूचक अङ्क ४५५ से जुड़ा रहेगा ।

९.० **परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता :** (धारा २.७.१ से २.७.५)

९.१ विशेष भत्ता तथा निश्चित मंहगाई भत्ता के अलावा एक परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भो.डी.ए.) होगा जो मूल्य सूचक अङ्क ४५५ से जुड़ा होगा एवं उस अङ्क से कम या अधिक होने पर उसका समायोजन प्रत्येक तीन-तीन महीने पर होगा ।

९.२ १-१-८३ को मूल्य सूचक अङ्क ४८५ पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता ३९ रु. प्रतिमाह अथवा १ रु. ५० पै प्रति दिन होगा ।

९.३ परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भौ.डी.ए.) का पुर्ननिरीक्षण प्रत्येक तीन महीने पर होगा तथा इसका भुगतान प्रत्येक वर्ष १ मार्च, १ जून, १ सितम्बर तथा १ दिसम्बर से हुआ करेगा। इसका आधार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक दिसम्बर तिमाही के लिये (अक्टूबर-दिसम्बर), मार्च तिमाही के लिये (जनवरी-मार्च), जून तिमाही के लिये (अप्रील-जून) तथा सितम्बर तिमाही के लिये (जुलाई-सितम्बर) होगा।

९.४ किसी तिमाही का औसत मूल्य सूचक अङ्क निकालने के लिये औसत में भिन्न को पूर्णाङ्क में बदलने के लिये उसे पूर्णाङ्क में आगे का अंक लिया जायगा, उदाहरण स्वरूप एक तिमाही का औसत मूल्य सूचक अंक यदि ४९२.३ है तो उसे अगले पूर्णाङ्क ४९३ को हिसाब में लिया जायगा।

९.५ जब तक डी. ए. फार्मुला (मंहगाई भत्ता) संशोधन हेतु त्रिपक्षीय समिति की अनुशंशाओं पर सरकार का आदेश होता है तब तक परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता के समायोजन का वर्तमान प्रचलन जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अङ्क (आधार १९६०=१००) के प्रत्येक अङ्क की कमी अथवा बढ़ती के लिये प्रति अङ्क प्रति दिन ५ पैसे अथवा प्रति मास १ रु. ३० पै० की दर से मिलता है, वह मिलता रहेगा।

१०.० निम्नतम निश्चित लाभ : (धारा २.८)

इस समझौता के अधीन आने वाले सभी श्रमिकों को जो कोयला कम्पनियों की विभिन्न इकाइयों की हाजरी सूची में ३१-१२-१९८२ को और १-१-१९८३ को भी सूची में रहे उन्हें निम्नतम गारंटी लाभ ९१ रु. के साथ-साथ उनके संशोधित वेतनमान की दो सालाना बढ़ती दी जायगी।

११.० संशोधित वेतन स्तर में फिटमेंट (सामंजस्य) : (धारा २.९)

११.१ फिटमेंट के लिये, श्रमिकों को संशोधित वेतन/मजदूरी दर, जो उसे ३१-१२-८२ को बेसिक मजदूरी, हाजरी बोनस, विशेष भत्ता, निश्चित भत्ता तथा परिवर्त्तनशील भत्ता में मासिक वेतन पाने वालों को ९१ रु. तथा दैनिक मजदूरी पाने वालों को ३ रु. ५० पै. दैनिक के साथ उनके संशोधित वेतनमान/मजदूरी का दो सालाना बढ़ती

के बराबर की रकम जोड़ी जायगी। इस तरह जो टौटल (कुल योग) होगा वह निम्न प्रकार से विभाजित होगा जैसे—बेसिक (बुनियादी) मजदूरी, हाजरी-बोनस—बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत, तथा विशेष भत्ता जो हाजरी बोनस का १७.९५ प्रतिशत अतिरिक्त लाभ होगा, निश्चित भत्ता १४७ रु. ३६ पै. प्रतिमाह अथवा ५ रु. ६६.७ पै. प्रतिदिन तथा परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता ३९ रु. प्रति माह अथवा १ रु. ५० पै. प्रतिदिन देकर एक श्रमिक को संशोधित वेतनमान के अनुरूप के स्तर में फिट किया जायगा। यदि नया बेसिक संशोधित वेतनमान के दो स्तरों के बीच में हो तो उसे संशोधित वेतनमान के अग्रिम (अगले) ऊँचे स्तर में फिट किया जायगा।

११.२ वर्तमान कर्मचारियों को १-१-८३ को संशोधित वेतनमान में ९१ रु. प्रतिमाह का फिटमेंट लाभ व वह रकम जो संशोधित वेतन में दो बढ़ौती के साथ फिटमेंट का कुछ उदाहरण पहले ही समझौता के परिशिष्ट-२-सी में दिया गया है। वर्तमान सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में १-१-१९८३ के दिन सत्वर फिटमेंट करने में सुविधा हेतु मासिक दर तथा दैनिक दर श्रमिकों का विस्तृत फिटमेंट का चार्ट, रेडी रिकोनर (तैयार खोज) निकालने हेतु तैयार किया गया है और सभी कोलियरी प्रबन्धन को भेज दिया गया था।

१२.० तौर-तरीका जो अपनाया जायगा :

१२.१ १-१-१९८३ को वर्तमान कर्मचारियों के एन. सी. डब्लू. ए.-२ से एन. सी. डब्लू. ए.-३ में वेतन निर्धारण के उद्देश्य से प्रत्येक इकाई के लिये प्रत्येक कर्मचारी का विस्तृत ब्यौरा मास्टर फोरमैट-१ में तैयार करना पड़ेगा। प्रत्येक कर्मचारी के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण पहले फोरमैट के कालम १ से कालम १३ तक भर कर तैयार करना पड़ेगा। कर्मचारी से सम्बन्धित संशोधित वेतनमान कालम-१४ में भरा जायगा तथा कालम १५ में फिटमेंट चार्ट से सम्बन्धित राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के तहत १-१-१९८३ का बेसिक वेतन भरा जायगा।

१२.२ इस सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देशों का सावधानी पूर्वक ख्याल रखा जाना चाहिये :—

(अ) संशोधित वेतनमान में फिटमेंट के लिये किसी कर्मचारी का

३१-१२-८२ का वेतन लिया जायगा और सभी कर्मचारियों के लिये वह १-१-८३ का वेतन नहीं लिया जायगा।

(ब) यह फिटमेंट उन्हीं कर्मचारियों के लिये लागू होगा जो १-१-१९८३ को हाजरी सूची में रहेंगे और यह उन कर्मचारियों के लिये लागू नहीं होगा जो १-१-१९८३ को कर्मचारी नहीं रहे अथवा जो १-१-१९८३ से नौकरी में आये हैं।

१२.३ प्रत्येक पेमेन्ट इकाई का फिटमेंट स्टेटमेंट (फिटमेंट का ब्यौरा) मास्टर फोरमैट-१ में तैयार किया जायगा तथा सम्बन्धित परसोनेल या वेलफेयर अधिकारी अथवा उस पे इकाई के इन्चार्ज अधिकारी के जाँच के बाद सत्यापित किया जायगा एवं मनोनीत क्षेत्रीय वित्त अधिकारी/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिये। मास्टर फोरमैट-१ को तीन प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिये— एक प्रति सम्बन्धित पे इकाई (युनिट) को अपने पास रख लेना चाहिये, दूसरी प्रति क्षेत्रीय मुख्यालय को भेज दिया जाना चाहिये तथा तीसरी प्रति कम्पनी प्रधान कार्यालय के कार्मिक विभाग के पास भविष्य के सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रखने के लिये भेज देना चाहिये।

उपरोक्त उल्लिखित सभी तीन अधिकारियों के पास यह ब्यौरा (स्टेटमेंट) सन्दर्भ में आसानी तथा विभागीय आडिट दल द्वारा जब जैसा आवश्यक हो जाँच के लिये प्रत्येक पे इकाई/कोलियरी का अलग-अलग फाइल में रखा जायगा।

१३.० सालाना बढ़ौती की तारीख : (धारा २.१०.१ से २.१०.३)

१३.१ श्रमिकों को उनके संशोधित वेतनमान में दी जाने वाली सालाना बढ़ती का दिन वही रहेगा जो राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ में था अर्थात् प्रत्येक वर्ष के १ली मार्च एवं १ली सितम्बर है।

१३.२ जो श्रमिक कोयला उद्योग की सेवा में १-१-७९ के बाद आये हैं तथा जिनकी सालाना बढ़ती का दिन अलग-अलग है उनकी सालाना बढ़ती, उनके पिछले बढ़ती के दिन पावना होगा।

१३.३ राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अनुसार वर्तमान वेतन सालाना बढ़ती के साथ भुगतान हो जाने पर संशोधित वेतन के अनुसार उपरोक्त पारा में उल्लिखित बढ़ती जो देय होगी, उसका समायोजन किया जायगा।

१४.० राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के राजीनामे के प्रावधानों को मद्देनजर रखकर कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान/ढाँचा में सालाना बढ़ती का दिन वही रहेगा जो वर्तमान में है अर्थात् प्रत्येक वर्ष के १ मार्च तथा १ सितम्बर होगा। मास्टर फोरमैट-१ के कालम-१३ में दर्ज सूचना के आधार पर राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के तहत सालाना बढ़ती का संशोधित तिथि कालम-१६ में दर्ज की जायगी। एन. सी. डब्लू. ए.-३ के तहत मिलने वाली बढ़ती देने के बाद जो संशोधित बेसिक मजदूरी होगी उसे मास्टर फोरमैट-१ के कालम १७ में दर्ज किया जायगा।

१५.० सालाना बढ़ती के स्थिर होने (रुक जाने) की स्थिति में : (धारा २.११)

१५.१ १-१-८३ को जो श्रमिक संशोधित वेतनमान के सर्वाधिक स्तर में पहुंच जायेंगे अथवा इस समझौता की अवधि में कभी भी संशोधित वेतनमान के सर्वाधिक स्तर में पहुंचेंगे उन्हें उनके संशोधित वेतनमान के सर्वाधिक स्तर में पहुंचने की तिथि से दो बढ़ौती वर्षों के बाद अन्तिम बढ़ती दर के बराबर एक स्थिरता बढ़ती दी जायगी। किन्तु यह स्थिरता बढ़ती वैसे कर्मचारियों को नहीं मिलेगी जिनकी या तो पदोन्नति हो जाय अथवा उनका वेतनमान किसी भी कारण से सुधारा गया हो। आगे यदि इस समझौता के लागू की अवधि में कोई बढ़ती पावना हो जाता है तो इस पारा में उल्लिखित वह दूसरी बढ़ती दी जायगी।

१५.२ उन कर्मचारियों के लिये जो १-१-१९८३ को संशोधित वेतन ढांचा में संशोधित वेतनमान के अधिकतम सीमा पर फिट किये गये हैं अथवा वहाँ पहुंच गये हैं अथवा इस समझौता के लागू रहने की अवधि में संशोधित वेतनमान के अधिकतम में पहुंच जायेंगे उनके लिये यह तय हुआ कि उनके संशोधित वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने की तारीख से दो बढ़ौती वर्षों के बाद संशोधित दर (मान) में अन्तिम बढ़ौती दर से एक स्थिरता बढ़ौती दी जायगी। वैसे कर्मचारियों की पहचान करने में विशेष सतर्कता बरतनी चाहिये तथा एन. सी. डब्लू. ए.-३ की धारा २.१.१ में उल्लिखित प्रावधानों के मुताबिक ही स्थिरता बढ़ती दी जानी चाहिये।

१५.३ इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कि संशोधित वेतनमान में समझौता की अवधि के भीतर किसी कर्मचारी को उनकी बढ़ती प्राप्त करने हेतु काफी गुंजाइश (स्तर) छोड़ी गई है अतः सामान्यतया फिलहाल स्थिरता बढ़ती का प्रश्न नहीं उठना चाहिये ।

१६.० उन कर्मचारियों का वेतन निर्धारण जो १-१-१९८३ से या बाद में नौकरी में आये हैं :

पिछले पाराओं में जो निर्देश दिये गये हैं, खासकर फिटमेंट के सम्बन्ध में, वे उन कर्मचारियों के लिये लागू नहीं होंगे जो १-१-१९८३ को अथवा उसके बाद नियुक्त हुए हैं । वे समझौता के परिशिष्ट-२-ए में दिये गये संशोधित वेतनमान के अनुसार सम्बन्धित स्केल के समुचित स्तर पर फिट किये जायेंगे ।

१७.० निश्चित मंहगाई भत्ता :

१७.१ उन सभी कर्मचारियों के लिये चाहे वे पहले से कार्यरत हैं अथवा १-१-१९८३ के बाद के नवागंतुक हैं उन्हें निश्चित मंहगाई भत्ता १४७ रु. ३६ पै. प्रति माह अथवा ५ रु. ६६.७ पै. प्रति दिन मिला करेगा ।

१८.० हाजरी बोनस :

१८.१ हाजरी बोनस जो बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत होता है वह बेसिक मजदूरी का १० प्रतिशत के हिसाब से ही जोड़ा जायगा और तीन सहीने पर भुगतान होगा ।

१९.० विशेष मंहगाई भत्ता :

इसी प्रकार विशेष मंहगाई भत्ता भी बेसिक मजदूरी अथवा हाजरी बोनस पर कुछ प्रतिशत के हिसाब से है वह उसी प्रकार निकाला जायगा और सामान्य वेतन के साथ भुगतान किया जायगा ।

२०.० परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता :

२०.१ जैसा होता आया है परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता का हिसाब सामान्य तरीका से ही निकाला जायगा । १-१-८३ को मूल्य सूचक अंक ४८५ पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता ३९ रु. प्रतिमाह अथवा १ रु. ५० पै. प्रति दिन के हिसाब से होता था ।

२०.२ वर्तमान वेतन में जो परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भी.डी.ए.) का भुगतान हुआ है उसका समायोजन निम्नानुसार किया जाना आवश्यक है :

तिमाही	औसत उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक	लागू होने की तारीख	भुगतान हुआ प. मंहगाई भत्ता (भी.डी.ए.)	एन.सी.डब्लू.ए.-३ के तहत भुगतान योग्य भी.डी.ए.
जुलाई ८२ से सितम्बर ८२	४८५	१-१-८३	२०५.४०	३९.००
अक्टूबर ८२ से दिसम्बर ८२	४९५	१-३-८३	२१८.४०	५२.००
जनवरी ८३ से मार्च ८३	४९९	१-६-८३	२२३.६०	५७.२०
अप्रील ८३ से जून ८३	५२१	१-९-८३	२५२.२०	८५.८०
जुलाई ८३ से सितम्बर ८३	५४८	१-१२-८३	२८७.३० (भुगतान योग्य)	१२०.९०

बी. तत्कालीन एन. सी. डी. सी. के मासिक दर के श्रमिकों का फिटमेंट जो ३० दिन का भी. डी. ए. पाते हैं।

(तकनिकी, सुपरवाइजरी एवं क्लरिकल)

कार्यान्वयन निर्देश संख्या [८] दिनांक २१-१२-१९८३

संदर्भ : कार्यान्वयन निर्देश संख्या १ दिनांक २१ नवम्बर, १९८३

तत्कालीन एन. सी. डी. सी. के मासिक दर श्रमिकों (तकनिकी, सुपरवाइजरी तथा क्लरिकल) जो ३० दिनों का भी डी. ए पाते हैं, के सम्बन्ध में सीमा, संशोधित वेतन, वेतनमान, फिटमेन्ट, मंहगाई भत्ता के सम्बन्ध में कार्यान्वयन निर्देश संख्या-१ दिनांक २१ नवम्बर, १९८३ के क्रम में परिशिष्ट एम. आर. टी.-ए से एम. आर. टी.-एच तथा एम. आर. सी.-स्पेशल, एम. आर. सी.-२ एवं एम. आर. सी.-३ द्वारा जारी किये गये हैं और उनकी प्रतियां जे. बी. सी. सी. आई. द्वारा सम्बन्धित प्रबन्धनों को अलग से भेजी गई है।

इन श्रमिकों के वेतन निर्धारण के लिये का. आ. सं. १ दिनांक २१-११-१९८३ में जो तौर-तरीका बताया गया है उसके अनुसार कार्यान्वित किया जाना चाहिये।

सी. एन. सी. डब्लू ए.-३ के तहत पिट सुपरवाइजरों का वेतनमान

कार्यान्वयन आदेश संख्या [१०] दिनांक ४-१-१९८४

एन. सी. डब्लू. ए.-३ के अन्तर्गत पिट-सुपरवाइजरों का वेतनमान निर्धारित नहीं हुआ है। एन. सी. डब्लू. ए.-२ के अन्तर्गत पिट-सुपरवाइजरों का वेतनमान निम्न प्रकार था :—

रु० ६६२-३९-७४०-४१-८६८-४५-१२४४

२. ३१ दिसम्बर, १९८३ को हुए जे. बी. सी. सी. आई. की स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की बैठक में इस विषय पर वार्ता हुई और यह राजीनामा हुआ कि एन. सी. डब्लू. ए.-३ के अन्तर्गत पिट-सुपरवाइजरों का वेतनमान निम्न प्रकार होगा :—

रु० ८३२-५०-९३२-५२-१३४८-५५-१६७८

३. सेवा की अन्य शर्तें एन. सी. डब्लू. ए.-३ के अन्तर्गत आने वाले अन्य श्रमिकों के समान ही रहेंगी।

डी. तत्कालीन एन. सी. डी. सी. के मासिक वेतन पानेवाले श्रमिक जो ३० दिन का भी. डी. ए. पाते हैं के फिटमेंट से सम्बन्धित कार्यान्वयन आदेश संख्या ८ दिनांक २१ दिसम्बर, १९८३ में संशोधन

(तकनिकी, सुपरवाइजरी एवं क्लरिकल)

कार्यान्वयन आदेश संख्या [११] दिनांक १६-१-१९८४

कार्यान्वियन आदेश सं० ८ (सकुंलर नं० एन. सी. डब्लु. ए.-३ आई. आई. नं० ८/८३/१९३२ दिनांक २१ दिसम्बर, १९८३) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके जरिये से तत्कालीन एन सी. डी. सी. के मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों जो ३० दिनों का भी. डी. ए. पाते हैं (तकनिकी, सुपरवाइजरी तथा क्लरिकल), का फिटमेंट चार्ट भेजा गया था ।

२. यह ध्यान आकृष्ट हुआ है कि मासिक दर कर्मचारियों (क्लरिकल ग्रेड-१ एम. आर. सी.-१) से सम्बन्धित निर्धारण (फिक्सेसन) चार्ट में एक स्तर (स्टेज) पर एक गलती छूट गयी है। पहले के निर्धारण चार्ट में जो निर्धारण उस स्तर का निर्धारण है उसे रद्द समझा जाय और उसके बदले में परिशिष्ट-'ए' पर दिये गये निर्धारण चार्ट को सही माना जाय ।

फिटमेंट चार्ट एम. आर. सी./१ की शुद्धि

परिपत्र (सकुंलर) सं० एन.सी.डब्लू.ए.-३ (आई.आई. नं० ८/८३/१९३२)
दिनांक २१ दिसम्बर, १९८३ (३० दिन का भी.डी.ए.)

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३

१-१-१९८३ की मासिक दर श्रमिक : क्लरिकल ग्रेड-१
(३० दिन का भी. डी. ए.) का निर्धारण (फिटमेंट) चार्ट

एन.सी.डब्लू.ए.-२ (३१-१२-८२ के अनुसार)
रु० ५७२-२९-८०४-३५-९४४

बेसिक वेतन	हाजरी बोनस बेसिक वेतन के १० प्रतिशत के हिसाब से	विशेष भत्ता	निश्चित मंहगाई भत्ता	परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता	योग
रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
८०४.००	८०.४०	१४.४३	६८.२०	२३७.००	१२०४.०३

फिटमेंट लाभ	संशोधित वेतनमान में २ बढ़ौती	कुल योग
रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
९१.००	८०.००	१३७५.०३

एन.सी.डब्लू.ए.-३ संशोधित (१-१-८३ से लागू)
रु० ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२

नया बेसिक वेतन	हाजरी बोनस	विशेष भत्ता	निश्चित मंहगाई भत्ता	परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता	कुल
रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०	रु० पै०
१०६२.००	१०६.२०	१९.०६	२४७.३६	४५.००	१३७९.६२

ई. एन. सी. डब्लू. ए.-३ के तहत पिट सुपरवाइजरों से सम्बन्धित फिटमेंट चार्ट

कार्यान्वयन आदेश संख्या [१३] दिनांक १०-२-१९८४

एन. सी. डब्लू. ए-३ के अन्तर्गत पिट सुपरवाइजरों
का संशोधित वेतनमान

कार्यान्वयन आदेश सं० १० (पत्र सं० एन. सी. डब्लू. ए.-३ (१.१.१०/८४ दिनांक ४ जनवरी १९८४) द्वारा प्रसारित किया गया है ।

निर्धारण में शीघ्रता के लिये सुविधा हेतु सभी कर्मचारियों से सम्बन्धित फिटमेंट चार्ट (१-१-१९८३ को) के साथ ही पिट सुपरवाइजरों का विस्तृत निर्धारण चार्ट भी प्रसारित किया गया है ।

इन श्रमिकों के वेतन निर्धारण के लिये कार्यान्वयन आदेश संख्या १ दिनांक २१-१२-८३ में जो तौर-तरीका दिया गया है उसे अमल में लाया जाय ।

एफ. क्लरिकल ग्रेड-३ के श्रमिक

कार्यान्वयन आदेश संख्या [२५] दिनांक १८-४-१९८४

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के परिशिष्ट-२ में क्लरिकल ग्रेड-३ के श्रमिकों के सम्बन्ध में टिप्पणी (नोट) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है और तुरत सन्दर्भ के लिये उसे नीचे दिया जा रहा है :

१. वैसे मुंशियों को जो अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य करते होंगे उन्हें क्लरिकल ग्रेड-२ दिया जायगा :—

(ए) सम्बन्धित पीस-रेट के श्रमिकों के माप का चुटका बनाना तथा जारी करना,

(बी) फार्म ४ भरना,

(सी) लीड, लिफ्ट तथा ठेलाई का नाप लेना,

(डी) सम्बन्धित श्रमिकों की हाजरी लेना ।

क्लरिकल ग्रेड-३ से सम्बन्धित श्रमिकों के मामले पर प्रबन्धन द्वारा विचार किया जायगा तथा वैसे लोगों को जिनका कार्य ग्रेड-२ के क्लर्कों के बराबर होगा उन्हें समझौता पर हस्ताक्षर होने के दिन से चार महीने के भीतर ग्रेड-२ में दे दिया जायगा ।

२. १२ एवं १३ अप्रील, १९८४ को हुए स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की बैठक में उपरोक्त टिप्पणी की जाँच की गयी और इस बात पर सहमति हुई कि उपरोक्त प्रावधानों के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित कदम उठाया जाना चाहिये ;—

(ए) इस कार्यान्वयन आदेश के जारी होने के एक माह के अन्दर प्रबन्धनों की ओर से सभी ग्रेड-३ मुंशियों को एक आप्सन (वैकल्पिक) फार्म देकर पूछेगी कि वे टिप्पणी धारा-१ (ए), (बी), (सी) एवं (डी) में वर्णित चार कार्यों को करने के इच्छुक हैं अथवा नहीं ।

(बी) मुंशीगण उक्त आप्सन फार्म पाने के १५ दिनों के भीतर अपना आप्सन दे देंगे ।

(सी) उक्त आप्सन फार्म वापस मिल जाने पर प्रबन्धन इच्छुक मुंशियों को ग्रेड-२ में पदस्थापित कर देंगे ।

(डी) तीन महीना काम करने के पश्चात् यदि पाया गया कि कोई मुंशी या तो काम करने में अक्षम हैं अथवा काम सुपुर्द किये जाने पर भी नहीं करते हैं तो वैसे लोगों को पुनः वापस भेज दिया जायगा ।

अन्य ग्रेड-३ क्लर्कों के सम्बन्ध में प्रबन्धन इस कार्यान्वयन आदेश के जारी के एक महीना के भीतर उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे एवं उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को १-३-१९८४ से ऊपर के ग्रेड में दे दिया जायगा ।

जी. क्लरिकल ग्रेड-३ के क्लर्क

कार्यान्वयन आदेश संख्या [२८] दिनांक ७-६-१९८४

सन्दर्भ : एन. सी. डब्लू. ए.-३ (कार्यान्वयन आदेश सं० २५/८४) दिनांक १८ अप्रील, १९८४

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के परिशिष्ट-२ में क्लरिकल ग्रेड-३ के सम्बन्ध में कार्यान्वयन आदेश की टिप्पणी है, तत्सम्बन्धी कार्यान्वयन आदेश संख्या २५ दिनांक १८ अप्रील, १९८४ के प्रति ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

२. इस विषय की आगे और जाँच १७ एवं १८ मई, १९८४ को हुए स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की मीटिंग में हुई और आगे निम्नप्रकार राजीनामा हुआ :—

"(१) उन मुंशियों को जो समझौता में वर्णित सभी चार काम करते हैं उन्हें १-१-८३ से आगे के ग्रेड में पदस्थापित कर दिया जायगा अथवा १-१-८३ के बाद से वास्तविक रूप से जब से काम करते हैं उस दिन से आगे के ग्रेड में दिया जायगा ।

(२) उन मुंशियों को जिन्हें १३ अप्रील, १९८४ के पहले आप्सन देने के लिये कहा गया था और वास्तविक रूप से जिन्होंने आप्सन दे दिया है उन्हें वैसा आप्सन देने की तारीख से आगे के ग्रेड में दिया जायगा ।"

अध्याय—३

ए. पीस-रेट के मजदूरों के लिये मजदूरी दर तथा कार्य-भार इत्यादि

कार्यान्वयन आदेश संख्या २ दिनांक २८-११-८३

संदर्भ : कार्यान्वयन आदेश सं० एन. सी. डब्लू. ए.-३ (का.आ.-१/८३) दिनांक २१-११-१९८३

१.१ पीस-रेट के श्रमिकों के सम्बन्ध में संशोधित वेतन दर ।

२.० एन. सी. डब्लू. ए.-३ में प्रावधान ।

२.१ पीस-रेट के श्रमिकों के लिये मजदूरी दर तथा कार्यभार इत्यादि : (धारा ३.१)

२.१.१ पीस-रेट के कर्मचारियों के लिये ग्रूपिंग तथा उनके कार्यभार एवं कार्य-विवरण राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-१ (जैसा कि "ग्रूपिंग, नामेन्क्लेचर, जाब डिस्क्रिप्शन एण्ड वर्क नार्म आफ कोल इम्प्लाइज" नामक पुस्तिका में दिया गया है) एवं उसमें समय-समय पर हुए संशोधनों के अनुसार लागू होगा । विभिन्न कैटेगरियों के अधीन अन्तिम रूप से नामोल्लेख, ग्रूप तथा उनके कार्य-भार एवं कार्य-विवरण शीघ्र ही एक पुस्तिका के रूप में कोयला उद्योग हेतु गठित संयुक्त द्विदलीय समिति द्वारा प्रकाशित किया जायगा ।

२.१.२ पीस-रेट के विभिन्न ग्रूपों के कर्मचारियों के लिये वेतन दर निम्न प्रकार होगा :—

पीस-रेट के कर्मचारियों के लिये संशोधित बेसिक वेतन दर

(निर्देशित पैरा-३.२)

ग्रूप	एन. सी. डब्लू. ए.-२ की दरें दर रु० पै०	फाल-बैक मजदूरी रु० पै०	संशोधित दर दर रु० पै०	फाल-बैक दर रु० पै०	
१.	१५.३६	१५.००	२१.५१	२१.१६	
२.	१५.७५	१५.२५	२१.९०	२१.४०	
३.	१६ ३६	१५.५०	२२.७१	२१.८५	
४.	१६.७०	१५.७५	२३.०५	२२.१०	
५.	१८.१५	१७.१५	२४.५०	२३.५०	ट्रामरों को
५-ए	१८.५०	१८.५०	२४.८५	२४.८५	छोड़कर
पीस-रेट टालीवान	१८.१५	१८.१५	२४.५०	२४.५०	

२.२ **मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र कोलफील्ड में कार्यरत पीस-रेट के माइनरों तथा लोडरों का मजदूरी दर एवं कार्यभार :** (धारा : ३.३.० से ३.३.३)

२.२.१ राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत उपरोक्त विषय पर समझौता को मद्देनजर रखते हुए मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र कोयला अंचल के लोडरों की, जिनके लिये १०० क्यू. फी. तथा ११८ क्यु. फी. कार्य-भार तय किया गया है उनकी मजदूरी निम्न प्रकार से होगी :—

	१०० सी.एफ.टी. कार्यभार के लिये	११८ सी.एफ.टी कार्यभार के लिये
वर्तमान (पुराना) दर	२२ रु० ८४ पै०	२६ रु० ९५ पै०
१-१-१९८३ से संशोधित दर	३० रु० ६७ ९ पै०	३६ रु० २०.१ पै०

२.२.२ मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र कोलफील्ड के माइनर तथा लोडरों का वर्तमान कार्यभार अपरिवर्तित रहेगा ।

२.२.३ मध्यप्रदेश तथा महाराष्ट्र कोलफील्ड के पीस-रेट माइनर तथा लोडरों को उपरोक्त संशोधित दर का शतप्रतिशत (१००%) फाल-बैक मजदूरी के रूप में मिला करेगा ।

२.३ **पीस-रेट के कर्मचारियों को उनके कार्यभार से अधिक काम के लिये मजदूरी :** (धारा : ३.४.१)

२.३.१ निर्धारित कार्यभार से अतिरिक्त काम के लिये एक पीस-रेट के मजदूर को उसके पीस-रेट के बेसिक तथा निश्चित एवं परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता में समानुपात से बढ़ती दिया जायगा ।

२.४ **फाल-बैक मजदूरी :** (धारा : ३.५.१ व ३.५.२)

२.४.१ विभिन्न पीस-रेट ग्रूपों के लिये बेसिक फाल-बैक मजदूरी पैरा २.१.२ में उल्लिखित दर से दिया जायगा । इसके अतिरिक्त उन्हें बिशेष भत्ता, निश्चित मंहगाई भत्ता तथा परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता जोड़कर दिया जायगा ।

२.४.२ पीस-रेट के मजदूरों के फाल-बैक मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये उनकी कमाई का दैनिक अवलोकन किया जायगा तथा उसमें लीड और लिफ्ट जोड़कर फाल-बैक मजदूरी के भुगतान को आश्वस्त किया जायगा । इसमें टब ठेलाई भत्ता नहीं जोड़ा जायगा । फाल-बैक मजदूरी का भुगतान उसी हालत में किया जायगा जहाँ पीस-रेट के श्रमिक की जिम्मेवारी से परे कारणों से यदि उनकी पोसाई नहीं होगी तो उन्हें फाल-बैक वेतन दिया जायगा । उदाहरणार्थ टब की आपूर्ति नहीं होना अथवा पूरी मात्रा से कम टबों की आपूर्ति होना, हालेज का ब्रेकडाउन होना अथवा बिजली की आपूर्ति नहीं होना इत्यादि कारणों में फाल-बैक दिया जायगा । परन्तु मजदूर अपनी गलती से यदि उत्पादन पूरा नहीं कर सकेंगे, उस हालत में उन्हें/उसे फाल-बैक मजदूरी नहीं दी जायगी ।

२.५ **मशीनीकृत फेस क्रू :** (धारा : ३.६.१)

२.५.१ मशीनीकृत फेस क्रू तथा विभिन कार्यों के ग्रूप काम के लिये कार्य-भार तथा मजदूरी दर स्थानीय स्तर पर ही तीन माह के भीतर तय किये जायंगे । यदि तीन महीने में तय नहीं हो सकेगा तो यह मुद्दा जे बी. सी. सी. आई. में विचार किया जायगा तथा समझौता किया जायगा ।

२.६ **ट्रामर (टालीवान :** धारा : ३.७.१ से ३.७.३)

२.६ १ पीस-रेट टालीवानों का कार्य-भार तथा प्रति-टब का रेट स्थानीय

स्तर पर ही द्विपक्षीय वार्त्ता द्वारा तय किया जाना चाहिये और वह इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिये ताकि हाजरी टालीवानों के वेतन ढाँचा के मध्य बिन्दु पर पड़े। टालीवानों का कार्यभार तथा मजदूरी दर का उनकी कार्यदशा में परिवर्त्तन के साथ-साथ समय-समय पर पुनरावलोकन किया जाना चाहिये।

२.६.२ पीस-रेट के टालीवानों को उनके बेसिक, हाजरी बोनस, निश्चित मंहगाई भत्ता, परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भी. डी. ए.) तथा विशेष भत्ता मिलाकर कुल मजदूरी में ९१ रु० का औसतन निम्नतम बढ़ती दिया जायगा। टालीवानों के बेसिक मजदूरी का इस प्रकार पुर्ननिरीक्षण किया जाना चाहिये जिससे उनके कुल मासिक वेतन जो बेसिक, निश्चित मंहगाई भत्ता, हाजरी बोनस, परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता (भी. डी. ए.), हाजरी बोनस पर मिलनेवाला अन्य लाभ जोड़कर उसमें ९१ रु० प्रतिमाह की बढ़ती मिल जाय। पीस-रेट की मजदूरी तय करने के लिये १-७-८२ से ३१-१२-८२ तक छः महीना की अवधि के बीच के टबों का औसत लिया जायगा।

२.६.३ (ए) जहाँ टालीवानों का १-७-८२ से शुरू होकर छः महीने का कार्य राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के १-१-८३ से लागू होने के पहले की तुलना में यदि कमोबेश बराबर हो तो टाली का रेट एन.सी.डब्लू.ए.-३ के पैरा ३.७.१ और ३.७.२ के अनुसार तय किया जायगा।

(बी) जहाँ कार्य दक्षता निर्धारित परिमाण से नीचे है वहाँ पुनर्निरीक्षण इस प्रकार किया जायगा कि पैरा ३.७.१ तथा ३.७.२ में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार उसे लाभ मिल जाय।

(सी) उपरोक्त उल्लिखित निर्धारित कार्य से सम्पादित कार्य में जहाँ अधिक का अन्तर हो और सम्पादित कार्य बहुत ज्यादा हो तो कार्य-भार का समायोजन इस प्रकार किया जाना चाहिये जिससे बेसिक कमाई में ३१-१२-१९८२ की कुल कमाई के ४८ प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

२.७ अन्य पीस-रेट के मजदूर : (धारा : ३.८.१)

२.७.१ अन्य पीस-रेट के मजदूरों का जिनके लिये कोई निश्चित कार्यभार तथा ग्रूप-मजदूरी निर्धारित नहीं है, उनके लिये यह तय हुआ कि

उन्हें भी उनके ग्रूप में उसी अनुपात में बढ़ती देकर सुधार किया जायगा। जहाँ इस तरह की ग्रूप मजदूरी नहीं है वहाँ माइनर/लोडर (ग्रूप-५ ए) के मजदूरों के समान अनुपात (प्रतिशत) में बढ़ती दी जायगी जो किसी हालत में बेसिक मजदूरी में ६ रु० १५ पै० की बढ़ती से कम नहीं हो।

२.८ पीस-रेट कर्मचारियों को संशोधित ग्रूप मजदूरी में निम्नतम गारंटी लाभ, विशेष पीस-रेट भत्ता/फिटमेंट : (धारा ३.११.१ से ३.११.४)

२.८.१ ९१ रु० का निम्नतम गारंटी लाभ संशोधित ग्रूप मजदूरी में पहले ही शामिल किया गया है।

२.८.२ जहाँ तक पीस-रेट के कर्मचारियों का जो ३१-१२-१९८२ को कम्पनी की सूची में थे तथा १-१-१९८३ को भी सूची में शामिल थे उनका सवाल है, उन्हें निम्नलिखित दर से विशेष पीस-रेट भत्ता तथा लागू होने की तारीख जैसा कि प्रत्येक ग्रूप के सामने निर्देशित है मिलेगा, जिससे उत्पादकता बढ़ाने में उनका लगाव तथा उत्साह बढ़े।

ग्रूप	राशि			
	१-१-८३	१-१-८४	१-१-८५	१-१-८६
	प्रति दिन	प्रति दिन	प्रति दिन	प्रति दिन
(ए) ग्रूप-१	०.८६	१.२९	१.७२	२.१५
(बी) ग्रूप-२	०.९६	१.४४	१.९२	२.४०
(सी) ग्रूप-३	१.२०	१.८०	२.४०	३.००
(डी) ग्रूप-४	१.२०	१.८०	२.४०	३.००
(ई) ग्रूप-५	१.४०	२.१०	२.८०	३.५०
(एफ) ग्रूप-५ए	१.४०	२.१०	२.८०	३.५०

२.८.३ पीस-रेट के कर्मचारी जिनकी बहाली १-१-१९८३ को अथवा उसके बाद हुई हो वे भी लगातार एक साल काम करते रहने पर विशेष पीस-रेट एलाउन्स पाने के हकदार होंगे जैसा कि टाइम-रेट के मजदूरों को सालाना बढ़ती १ मार्च तथा १ सितम्बर को दिया जाता है।

२.८.४ पीस-रेट के उन कर्मचारियों की जिनकी बहाली १-१-८३ को अथवा उसके बाद हुई होगी उनका यह विशेष पीस-रेट एलाउन्स (भत्ता) निम्नानुसार संचालित होगा :—

(ए) जो पीस-रेट के कर्मचारी १-१-८४ से २८-२-८४ के बीच किसी भी दिन काम का एक साल पूरा करेंगे उन्हें पहला विशेष पीस-रेट एलाउन्स १ मार्च १९८४ से दिया जायगा ।

(बी) जो १-३-८४ से ३१-८-८४ के बीच किसी भी दिन कार्य का एक साल पूरा करेंगे उन्हें पहला विशेष पीस-रेट एलाउन्स १ सितम्बर, १९८५ से दिया जायगा ।

(सी) जो १-९-८४ और २८-२-८५ के बीच किसी भी दिन कार्य का एक साल पूरा करेंगे, उन्हें पहला विशेष पीस-रेट एलाउन्स १ मार्च, १९८५ से दिया जायगा ।

इसमें से प्रत्येक ग्रूप को मिलने वाला विशेष पीस-रेट एलाउन्स निम्नानुसार होगा :—

ग्रूप	राशि
ग्रूप-१	०.४३
ग्रूप-२	०.४८
ग्रूप-३	०.६०
ग्रूप-४	०.६०
ग्रूप-५	०.७०
ग्रूप-५ ए	०.७०

यह विशेष पीस-रेट एलाउन्स अतिरिक्त टब के लिये होनेवाला टब-रेट/पीस-रेट/आनुपातिक भुगतान इत्यादि के लिये नहीं जोड़ा जायगा, बल्कि यह हाजरी बोनस तथा विशेष भत्ता के लिये बेसिक समझा जायगा ।

३.० तरीका जो अपनाया जायगा :

जैसा कि हाजरी दर के श्रमिकों के लिये बनाया गया है, एक अलग से मास्टर फोरमैट-१ ए तैयार किया गया है जिसमें पीस-रेट से सम्बन्धित सभी श्रमिकों का विस्तृत ब्यौरा एकत्र कर लिया जायगा। मास्टर फोरमैट-१ ए में प्रत्येक पे इकाई से सम्बन्धित सूचना एकत्र

करने के बाद, एन. सी. डब्लू. ए.-३ के अन्तर्गत संशोधित बेसिक दर निर्धारित कर लिया जायगा तथा १-१-१९८४ को मिलने वाले विशेष पीस-रेट एलाउन्स इस उद्देश्य से निकाला जायगा जिससे १-१-८४ और उसके बाद पे बिल बनाया जा सके ।

४.० माइनरों और लोडरों के लिये लीड व लिफ्ट का भुगतान तथा टब ठेलाई भत्ता एवं ओभर बर्डेन रिमुवल के लिये वर्तमान लीड और लिफ्ट का दर तथा माइनर और लोडरों को छोड़कर पीस-रेट के श्रमिकों के लिये तथा वागन लोडरों के लिये लीड व लिफ्ट के दर में एन. सी. डब्लू ए.-३ में १-१-१९८३ से संशोधित कर दिया गया है । सम्बन्धित प्रावधानों को नीचे उद्धृत किया जाता है :—

४.१ माइनर और लोडरों के लिये लीड, लिफ्ट तथा टब पुशिंग का भुगतान का दर : (धारा : ३.९.१)

४.१.१ माइनर तथा लोडरों के लिये लीड और लिफ्ट का दर संशोधित करके निम्नानुसार होगा :—

लीड (माइनरों तथा लोडरों के लिये)

दूरी	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अनुसार दरें (४०.५ सीएफटी प्रति टब को क्यु. मीटर में परिवर्तित करके)	संशोधित दरें (४०.५ सीएफटी प्रति टब को क्यु. मीटर में परिवर्तित करके)
० से ५० फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
५१ से १०० फीट	रु ०.४४७	रु. ०.६० पै.
१०१ से १५० फीट	रु. १.३४२	रु. १.८० पै.
१५१ से २०० फीट	रु. २.२३६	रु. ३.०० पै.
२०१ से २५० फीट	रु. ३.१९५	रु. ४.२८ पै.
२५० फीट के ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त ५० फीट के लिये	रु. १.३९२	रु. १.८६ पै.

४.१.२ लिफ्ट (माइनर तथा लोडरों के लिये)

दूरी	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अनुसार दरें (४०.५ सीएफटी के प्रति टब को क्यू. मीटर में बदल कर)	संशोधित दरें (४०.५ सीएफटी के प्रति टब को क्यू. मीटर में बदल कर)
० से १० फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
११ से १५ फीट	रु. ०.४४७	रु. ०.६० पै०
१६ से २० फीट	रु. ०.८४६	रु. १.१३ पै०
२१ से २५ फीट	रु. १.०४२	रु १.८० पै०
२५ फीट से ऊपर प्रत्येक अतिरिक्त ५ फीट के लिये	रु. ०.८६५	रु. १.२० पै०

४.१.३ टब ठेलाई

दूरी	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अनुसार दरें (४०.५ सीएफटी के टब के लिये)	संशोधित दरें (४०.५ सीएफटी के टब के लिये)
प्रथम १०० फीट से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त १०० फीट अथवा उसके अंश के लिये	रु. ०.१५७	रु. ०.२६ पै०

४.२ ओभरबर्डेन हटाने के काम में लगे मजदूरों के लिये लीड तथा लिफ्ट की दरें : (धारा : ३.६.२)

४.२.१ ओभर बर्डेन हटानेवाले मजदूरों के लिये लीड तथा लिफ्ट की दरें निम्न प्रकार होंगी :—

४.२.२ ओभर बर्डेन हटाने वाले श्रमिकों के लिये लीड और लिफ्ट की दरें (पैरा ३.६.२) :

लीड	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अनुसार दरें	संशोधित दरें
१	२	३
प्रथम १०० फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
प्रथम १०० फीट के ऊपर प्रत्येक ५० फीट अथवा उसके अंश के लिये	रु. १३.१३ पै० प्रति १००० सीएफटी	रु. १७.६० पै० प्रति १००० सीएफटी

लिफ्ट :

१	२	३
प्रथम १० फीट	कुछ नहीं	कुछ नहीं
प्रथम १० फीट के ऊपर प्रत्येक ५ फीट अथवा उसके अंश के लिये	६ रु. ५७ पै. प्रति १००० सीएफटी	८ रु. ८० पै. प्रति १००० सीएफटी

४.३ माइनर और लोडर को छोड़कर वागन लोडर सहित अन्य पीस-रेट के मजदूरों की लीड एवं लिफ्ट की दरें : (पैरा ३.६.३)

४.३.१ माइनर तथा लोडर के अलावा अन्य पीस-रेट के मजदूरों की लीड और लिफ्ट की दरें निम्न प्रकार होंगी :

माइनर और लोडर को छोड़कर पीस-रेट मजदूरों की लीड और लिफ्ट की दरें : पैरा ३.६.३

वागन लोडर	राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अनुसार दरें	संशोधित दरें
लीड :		
प्रथम १०० फीट से ऊपर प्रत्येक ५० फीट अथवा उसके अंश के लिये	रु. ०.५४ पै. प्रति टन कोयला के लिये	रु. ०.७२ पै. प्रति टन कोयला के लिये
लिफ्ट :		
प्रथम १० फीट से ऊपर प्रत्येक ५ फीट अथवा उसके अंश के लिये	रु. ०.२७ पै. प्रति टन कोयला के लिये	रु. ०.३६ पै. प्रति टन कोयला के लिये

४.४ लीड एवं लिफ्ट के भुगतान को बेसिक मजदूरी समझा जाय :
सभी काम के लिये लीड और लिफ्ट के भुगतान को बेसिक मजदूरी माना जायगा ।

५. उपरोक्त पैराओं में उल्लिखित प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए १-१-१९८३ से भुगतान होने वाले लोड और लिफ्ट का हिसाब फिर से जोड़ा जाना चाहिये तथा संशोधित दरों को १-१-८४ से लागू किया जाना चाहिये। १-१-८३ से ३१-१२-८३ की अवधि से सम्बन्धित भुगतान बकाया मजदूरी बिल के समय दिया जायगा।

६. **मशीनीकृत फेस क्रू :**

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के धारा (पैरा) ३.६.१ के प्रावधानों के अनुसार मशीनीकृत फेस-क्रू तथा विभिन्न कार्यों के ग्रूप काम के लिये कार्य-भार तथा मजदूरी दर स्थानीय स्तर पर ही तीन माह के भीतर ही तय कर दिया जायगा। प्रबन्धनों को यह सलाह दिया गया है कि वे वैसी कोलियरियों की पहचान (चिन्हित) करें जहाँ मशीनीकृत फेस-क्रू कार्यरत है तथा उनका वर्तमान कार्य-भार तथा मजदूरी की दर क्या है एवं स्थानीय स्तर पर वार्ता के उपरान्त राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य-भार तथा मजदूरी दर पर सहमत हों। और एक बार यह सूचना एकत्र हो जाय तब जे. बी. सी. सी. आई. के लिये यह सम्भव होना चाहिये कि जब अन्य सभी कुछ समान हों तो एक-रूपता पर कैसे पहुँचा जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो प्रबन्धन इस सवाल को कोल इण्डिया लि० के स्तर पर ला सकती है।

७. **ट्रामर :**

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ की धारा (पैरा) ३.७.१ से ३.७.३ तक में दिये प्रावधानों के अनुसार पीस-रेट टालीवानों का कार्य-भार तथा प्रति टब का रेट स्थानीय स्तर पर ही द्विपक्षीय वार्त्ता द्वारा तय किया जाना है। इन दरों का निर्धारण करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्त राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के तहत दिया गया है। पीस-रेट टालीवानों का कार्य-भार तथा प्रति टब का दर भी यथाशीघ्र द्विपक्षीय वार्त्ता द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्धारण कर लेना चाहिये एवं निर्धारित किये गये दरों को जानकारी तथा रेकार्ड के लिये कोल इण्डिया के पास ३१ दिसम्बर, १९८३ तक भेज दिया जाना चाहिये।

८. **अन्य पीस-रेट के कर्मचारी :**

अन्य पीस-रेट के मजदूरों का जिनके लिये कोई निश्चित कार्य-भार तथा ग्रूप मजदूरी निर्धारित नहीं है, उनके लिये यह तय हुआ कि उन्हें भी उनके ग्रूप में उसी अनुपात में बढ़ती देकर संशोधित किया जायगा।

९. प्रबन्धनों को यह निर्देश दिया गया है कि वे आवश्यक जानकारी को मास्टर फोरमैट-१ में एकत्र कर लें और विभिन्न ग्रूप के पीस-रेट कर्मचारियों के लिये मजदूरी दर निर्धारण हेतु शीघ्र कदम उठावें।

बी. राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के पैरा ३.११.४ के अनुसार पीस-रेट के कर्मचारियों के लिये विशेष पीस-रेट एलाउन्स

कार्यान्वयन आदेश सं० २२ दि० २३-४-१९८४

पीस-रेट के श्रमिकों से सम्बन्धित उपरोक्त विषय पर प्रसारित कार्यान्वयन आदेश सं०-२ की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है।

जे. बी. सी सी. आई-३ की स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी जिसकी बैठक १२ एवं १३ अप्रैल १९८४ को हुई उसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

"कार्यान्वयन आदेश सं०-२ दिनांक २८ नवम्बर १९८३ के धारा २.८.४ के अन्तिम पैरा तथा अन्तिम वाक्य के शब्द विशेष मंहगाई भत्ता के अन्त में एक शब्द इत्यादि जोड़ दिया जायगा जैसा कि एन सी. डब्लू. ए.-३ के धारा ३.११.४ में दिया गया है।

तदनुसार विशेष पीस-रेट एलाउन्स (एस.पी.आर.ए) को टब-रेट/पीस-रेट/अतिरिक्त टबों के लिये तदनुरूप भुगतान निकालने के लिये नहीं जोड़ा जायगा परन्तु अन्य सभी उद्देश्य के लिये बेसिक मजदूरी जैसा समझा जायगा।"

सी. पीस-रेट के कर्मचारी जो हाजरी दर का कार्य करते हैं उनके लिये निर्धारण लाभ

कार्यान्वयन आदेश सं० २६ दिनांक २३-४-१९८४

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी के सदस्यों के ध्यान में इस बात को लाया गया है कि बहुत से पीस-रेट के कर्मचारियों को जो हाजरी दर का काम करते हैं उन्हें राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ की धारा २.८ के तहत मिलने वाला निम्नतम गारंटी लाभ तथा संशोधित वेतनमान में फिटमेंट का लाभ नहीं दिया गया है।

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की बैठक जो १२ एवं १३ अप्रील १९८४ को हुई उसमें इस विषय पर बातचीत हुई और यह तय हुआ कि उन सभी मामलों में जहाँ राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के धारा २.८ एवं २.९ के प्रावधानों के अनुसार जहाँ संशोधित वेतनमान में फिटमेंट तथा निम्नतम गारंटी लाभ नहीं मिला है उन भुगतानों को प्रबन्धन सुनिश्चित करेगी।

अध्याय—४

अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स

कार्यान्वयन आदेश संख्या ५ दिनांक ३०-११-१९८३

१.१ राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ जिसे कोयला उद्योग के लिये गठित जे. बी सी. सी. आई. ने ११-११-८३ को अन्तिम रूप दिया और जो १-१-८३ से लागू हुआ उसमें अध्याय-४ के अन्तर्गत निम्न-लिखित प्रावधान है :—

२.० अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स :

२.१ वर्तमान में अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स जो बेसिक मजदूरी का १५ प्रतिशत मिलता है वह समझौता के प्रथम दो वर्षों तक १-१-८३ से संशोधित बेसिक मजदूरी का १७॥ प्रतिशत तथा बाद में दो वर्षों के लिये १-१-८५ से संशोधित बेसिक मजदूरी का २० प्रतिशत मिलेगा। (धारा ४.१.१)

२.२ अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स—अण्डरग्राउण्ड में काम करनेवाले उन सभी कर्मचारियों को जो माइन्स ऐक्ट तथा रेगुलेशन के अधीन आते हैं तथा जिन्हें अभी अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स मिलता है, उन्हें मिलता रहेगा।

२.३ असम कोलफील्ड के सम्बन्ध में यह समझौता हुआ कि १-१-८३ से संशोधित वेतनमान के बेसिक मजदूरी का २२.५ प्रतिशत प्रथम दो वर्षों के लिये तथा १-१-१९८५ से अगले दो वर्षों में २५ प्रति-शत अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स के रूप में मिलेगा।

२.४ अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स को मजदूरी माना जायगा और निम्नलिखित कामों के लिये जोड़ा जायगा :—

(अ) पावना साल छुट्टी का पैसा जोड़ने के लिये।
(ब) राष्ट्रीय/त्यौहार छुट्टी के भुगतान के लिये।
(स) बीमारी/आकस्मिक छुट्टी।
(द) ओभरटाइम एलाउन्स।
(य) ग्रैच्युटी।
(फ) कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड तथा अन्य प्रोविडेन्ट फण्ड का अंशदान। (धारा ४.३.१)

अध्याय—५

अन्य एलाउन्स

(धारा ५.१.० से ५.५)

कार्यान्वयन आदेश सं० ६ दिनांक ३०-११-१९८३

१.१ अन्य एलाउन्सों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ में निम्नलिखित प्रावधान बनाये गये हैं :

२.० अन्य एलाउन्स :

२.१ **वाशिंग (धुलाई एलाउन्स :** (धारा ५.१.० तथा ५.१.१)

प्रबन्धन द्वारा जिन कर्मचारियों को यूनिफार्म (वर्दी) दिया जायगा उन्हें १५ रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह वाशिंग (धुलाई) एलाउन्स मिला करेगा। किन्तु नर्सिंग स्टाफ को २० रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से वाशिंग (धुलाई) भत्ता मिला करेगा।

जहाँ प्रबन्धन द्वारा यूनिफार्म (वर्दी) के धुलाई का इन्तजाम किया जाता है वहाँ वाशिंग एलाउन्स का भुगतान नहीं होगा।

२.२ **ट्रान्सपोर्ट सबसिडी (सवारी भत्ता) :** (धारा : ५.२.० एवं ५.२.१)

उन कर्मचारियों को जो निःशुल्क अथवा नाम मात्र के भुगतान पर अथवा सबसिडाइज्ड-रेट से भुगतान करके कम्पनी के वाहन का इस्तेमाल नहीं करते हैं उन्हें ट्रान्सपोर्ट सबसिडी के रूप में १ रु. ३० पै. (एक रुपया तीस पैसा) प्रति दिन वास्तविक हाजरी के अनुसार मिलेगा।

२.३ **अतिरिक्त ट्रान्सपोर्ट सबसिडी :** (धारा : ५.२.२ एवं ५.२.३)

उन कर्मचारियों को जो अन्तिम शिफ्ट में रात में काम करते हैं, (जिन्हें या तो रात पाली, या तीसरी पाली अथवा 'सी' शिफ्ट कहते हैं)

जो रात १०/११ बजे अथवा १२ बजे रात से शुरू होता है उन्हें अतिरिक्त ट्रान्सपोर्ट सबसिडी के रूप में दैनिक सम्पादित कार्य के लिये २ रु० प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा ।

जो श्रमिक लगातार रात पाली में काम करते हैं उन्हें जहाँ सम्भव हो बदल-बदल कर काम दिया जाय तथा उन्हें रात के अन्तिम शिफ्ट में काम के लिये जैसा कि ऊपर में कहा गया है रात पाली में प्रतिदिन काम के लिये २ रु० के हिसाब से भुगतान किया जायगा ।

२.३.१ यदि किसी कर्मचारी की बदली किसी दूसरी कोलियरी में किया जाय जो पहले की कोलियरी से ८ कि० मी० अथवा उससे अधिक दूर पर हो तथा उसे पिछले कोलियरी में आवास की सुविधा मिली हो तथा नई कोलियरी में जाने के लिये यातायात का खुद का इन्तजाम किया हो तो उसे वर्तमान के ५० पैं० की जगह वास्तविक हाजरी पर १ रु० ३० पैं० प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा । वैसे जगहों में जहाँ कर्मचारियों को पुराने जगह पर ड्युटी के लिये हाजिर होने को कहा जाता है, और वहाँ से उन्हें नये काम की जगह पर जाने के लिये यातायात की व्यवस्था कम्पनी द्वारा किया जाता है, वह व्यवस्था यथावत चालू रहेगा । किन्तु उन्हें जब तक पुराने काम की जगह पर हाजिर होने को कहा जाता है तब तक वास्तविक उपस्थिति के लिये उन्हें १ रु० ३० पैं० प्रतिदिन के हिसाब से मिला करेगा ।

२.४ डिफिकल्टी एलाउन्स (कठिनाई भत्ता) : (धारा : ५.३)

२.४.१ थिन सीम एलाउन्स : (धारा : ५.३.१)

पीस-रेट तथा हाजरी में अण्डरग्राउण्ड के थिन सीम में काम करने वाले कर्मचारियों की विशेष परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें निम्नलिखित दर से थिन सीम एलाउन्स मिलेगा :

भुगतान की दर :

(१) १.५ मीटर से अधिक मोटे सीम के लिये —कुछ नहीं

(२) १ से १.५ मीटर सीम के लिये —बास्केट लोडिंग (झोड़ी बोझाई) के लिये बेसिक मजदूरी का ५ प्रतिशत के बराबर तथा शाभेल से कन्वेयर पर लोड करने के लिये बेसिक मजदूरी का २॥ प्रतिशत ।

(३) १ मीटर से कम मोटाई वाले सीम के लिये —बास्केट लोडिंग (झोड़ी से बोझाई) के लिये बेसिक का ८ प्रतिशत तथा शाभेल से कन्वेयर पर चढ़ाने के लिये बेसिक का ४ प्रतिशत ।

वर्तमान में जहाँ थिन (पतला) सीम एलाउन्स श्रमिकों के पक्ष में अधिक लाभजनक है, वहाँ वही व्यवस्था लागू रहेगी परन्तु जहाँ किसी अन्य रूप में यह दिया जाता है उसे बन्द कर दिया जायगा तथा उपरोक्त लिखित आधार पर उसका नियमन किया जायगा ।

२.४.२ अण्डरग्राउण्ड में काफी जमे हुए पानी की हालत में काम करने से : (धारा : ५.३.२)

बरसाती कोट, गम बूट तथा हूड उन कर्मचारियों को ६ महीना के भीतर दिया जायगा जो अण्डरग्राउण्ड में काफी जमे हुए पानी में काम करते हैं ।

२.४.३ ढालू तथा उतार-चढ़ाई (ऊँचा-नीचा) रास्ता से चलने हेतु :

जहाँ ढालू और उतार-चढ़ाई वाले रास्ते से १००० मीटर से अधिक तक चलना पड़ता हो और जहाँ औसत उतार-चढ़ाई १ में ३ से अधिक का अन्तर होगा वैसे डिस्ट्रिक्ट तथा सेक्शन अथवा खदान में काम करने के लिये श्रमिकों को प्रति पाली (शिफ्ट) प्रति व्यक्ति ५० पैसे की दर से भत्ता मिलेगा । जहाँ इस तरह का चलना २००० मीटर से अधिक होगा वहाँ प्रति हाजरी १ रु० मिलेगा ।

द्रष्टव्य : इसके लिये औसत ढलाई का मतलब पिट के नीचे अथवा इन्क्लाइन माउथ (मुहान) और कार्यस्थल के अन्तर में दोनों जगहों के बीच की चलने वाली दूरी से भाग देकर जो फल आवे उसी को हिसाब में लिया जायगा ।

२.४.४ **धूल (डस्ट) :** (धारा ५.३.४)

श्रमिकों को जहाँ कार्य-स्थल में काफी धूल का सामना करना पड़ता है अथवा जो काफी धूल की जगह में काम करते हैं उन्हें ६ माह के अन्दर 'डस्ट मास्क' दिया जायगा ।

२.५ **सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स :** (धारा ५.४)

२.५.१ कोयला कम्पनियों/प्रबन्धनों के उन कर्मचारियों को जो ड्यूटी के लिये शहरों/नगरों में पदस्थापित किये गये हैं उन्हें छोड़कर जिन्हें निःशुल्क जलावन/निःशुल्क घर जैसी सुविधा प्राप्त नहीं है, उन्हें निम्न प्रकार सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउस (भत्ता) दिया जायगा :

शहर/नगर की श्रेणी	बेसिक (बुनियादी वेतन)	सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स की दर
१	२	३
ए क्लास—जैसे कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई महानगर, बंगलोर, कानपुर, अहमदाबाद, मद्रास, तथा हैदराबाद	५५० रु. प्रतिमाह तथा इससे ऊपर	बुनियादी वेतन का ६ प्रतिशत जो निम्नतम १६ रु. २० पै. तथा अधिकतम ७५ रु. होगा ।
बी-१ क्लास—जैसे नागपुर, लखनऊ, पटना तथा जयपुर	५५० रु. प्रतिमाह तथा इससे ऊपर	बुनियादी वेतन का ४.५ प्रतिशत जो निम्नतम १६.४५ रु. तथा अधिकतम ५० रु. होगा ।
बी-२ क्लास—जैसे भोपाल, चंडीगढ़, राँची, दुर्ग-भिलाईनगर, जमशेदपुर व धनबाद	७५० रु. प्रतिमाह से नीचे	बेसिक मजदूरी का ३.५ प्रतिशत जो अधिकतम १० रु. हो ।
	७५० रु. प्रतिमाह तथा इससे अधिक	वह रकम जो ७५९ रु. पूरा करने में कम होता हो ।
सी-क्लास—		कुछ नहीं ।

द्रष्टव्य : यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि कोयला कम्पनियों/प्रबन्धनों के उन कर्मचारियों को जो धनबाद अथवा अन्य कोयलांचल क्षेत्र में पदस्थापित होंगे तथा जिन्हें निःशुल्क ईन्धन, निःशुल्क घर इत्यादि की सुविधा प्राप्त है वे सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स के हकदार नहीं होंगे ।

वैसे मामले में जहाँ भारत सरकार द्वारा अन्य किसी शहर का पुनर्वर्गीकरण किया जाता है (वैसे शहरों) नगरों (को छोड़कर जहाँ कोयला कम्पनी के कर्मचारियों को जलावन तथा घर की निःशुल्क व्यवस्था है), अथवा किसी शहर को ए, बी-१ अथवा बी-२ स्तर का शहर घोषित करती है, वहाँ कोयला कम्पनियों के कर्मचारियों को उपरोक्त दर से सिटी एलाउन्स मिलेगा ।

२.६ उपरोक्त धारा ५.२ तथा ५.३ में उल्लिखित ट्रान्सपोर्ट सबसिडी, अतिरिक्त ट्रान्सपोर्ट सबसिडी तथा डिफिकल्टी एलाउन्स १-७-१९८३ से लागू होगा ।

३.१ उपरोक्त प्रावधानों से यह देखा जाता है कि जब सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स की संशोधित दरें हकदार (योग्य) व्यक्तियों को १-१-१९८३ से लागू होगी, जबकि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के अध्याय-५ में उल्लिखित एलाउन्स (भत्तों) का भुगतान १-७-१९८३ से होगा ।

४.१ उपरोक्त एलाउन्सों को पाने की पात्रता (हकदारी) जानने के लिये यह आवश्यक है कि विशेषकर धुलाई भत्ता, अतिरिक्त परिवहन सबसिडी स्थानान्तरित श्रमिक, डिफिकल्टी (कठिनाई) एलाउन्स तथा सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स पाने के जो हकदार हैं उनकी सूची तैयार किया जाय और उनसे सम्बन्धित विस्तृत सूचनाएं एकत्र किया जाना चाहिये ।

५.१ प्रबन्धनों को सलाह दिया गया है कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ इस अध्याय-५ में जैसा ऊपर में वर्णित है उन प्रावधानों को लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये ।

५.२ जहाँ तक इन एलाउन्सों में से कोई भी अन्य लाभ जैसे भविष्यनिधि, ग्रेच्युटी इत्यादि को प्रभावित करेगा अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे ।

बी. परिवहन तथा अतिरिक्त परिवहन सबसिडी

कार्यान्वयन आदेश संख्या ६ दिनांक ३-१-१९८४

सन्दर्भ : कार्यान्वयन आदेश संख्या ६ दिनांक ३० नवम्बर, १९८३

उपरोक्त वर्णित परिपत्र के बाद स्टीयरिंग ग्रूप (कोयला उद्योग के वरीय ट्रेड यूनियन नेताओं और प्रबन्धन प्रतिनिधि) की अनौपचारिक बैठक जो ३०-११-१९८३ को हुई, उसमें इस बात पर वार्ता हुई कि क्या परिवहन सबसिडी तथा अतिरिक्त परिवहन सबसिडी पर कोई अन्य लाभ मिलेगा अथवा नहीं और अन्ततः यह फैसला हुआ कि चूंकि ये भुगतान सबसिडी प्रकृति के हैं अतः इन पर कोई लाभ जैसे भविष्यनिधि, ग्रैच्युटी इत्यादि नहीं मिलेगी ।

२. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रबन्धनों से यह आग्रह किया गया है कि वे इस तथ्य को ध्यान में रखें कि परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) सबसिडी तथा अतिरिक्त परिवहन सबसिडी पर भविष्यनिधि, ग्रैच्युटी इत्यादि का कोई अन्य लाभ नहीं मिलेगा अतः तदनुसार भुगतान प्रपत्र तैयार करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है ।

३. जनवरी, १९८४ से प्रारम्भ होने वाले वेतन बिल में इन सबसिडियों को सम्मिलित करने तथा योग्य कर्मचारियों को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ की प्रावधानों के अनुसार भुगतान करने का निर्देश दिया गया है ।

४. इस बात का भी ख्याल रखना चाहिये कि परिवहन सबसिडी (अनुदान) वास्तविक हाजरी का १ रु. ३० पै० प्रतिदिन के हिसाब से तथा अतिरिक्त परिवहन सबसिडी रात के अन्तिम पाली (चाहे उसे रात पाली अथवा तीसरा शिफ्ट या 'सी' शिफ्ट कहा जाता हो) जो रात के १०/११ अथवा मध्यरात्रि के १२ बजे शुरु होता है, के लिये प्रतिदिन काम के लिये २ रु. के हिसाब से उन कर्मचारियों को भी मिलेगा जो रविवार तथा अन्य सर्वतनिक सार्वजनिक छुट्टी के दिन भी काम करते हैं ।

सी. अतिरिक्त परिवहन सबसिडी

कार्यान्वयन आदेश संख्या १७ दिनांक १-३-१९८४

सन्दर्भ : राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३, कार्यान्वयन आदेश संख्या ६/८३/१९०६ दिनांक ३०-११-१९८३

उक्त सन्दर्भ में पूर्व प्रसारित कार्यान्वयन आदेश संख्या ६ में प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि अतिरिक्त परिवहन सबसिडी से सम्बन्धित धारा ५.२.२ के निम्नोक्त प्रावधानों को कार्यान्वित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठावें—

२.३ अतिरिक्त परिवहन सबसिडी :

उन कर्मचारियों को जो अन्तिम शिफ्ट में रात में काम करते हैं (जिन्हें या तो रात पाली या तीसरी पाली अथवा 'सी' शिफ्ट कहते हैं) जो रात १०/११ बजे मध्यरात्रि १२ बजे शुरु होता है उन्हें अतिरिक्त ट्रान्सपोर्ट (परिवहन) सबसिडी के रूप में दैनिक सम्पादित कार्य के लिये २ रु. प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा ।

जो श्रमिक लगातार रात पाली में काम करते हैं उन्हें जहाँ सम्भव हो बदल-बदल कर काम दिया जाय तथा उन्हें रात के अन्तिम शिफ्ट में काम के लिये जैसा कि ऊपर में कहा गया है रात पाली में प्रतिदिन काम के लिये २ रु. के हिसाब से भुगतान किया जायगा ।

२. जे. बी. सी. सी. आई.-३ की स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की ८ तथा ९ फरवरी, १९८४ को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया कि धारा ५.२.२ के अनुसार रात पाली अथवा अन्तिम पाली में काम करने वाले कर्मचारियों, जहाँ शिफ्ट चाहे कभी भी शुरू होता हो और चौबीसों घण्टे काम होता है, को प्रतिदिन काम के लिये २ रु. के हिसाब से परिवहन सबसिडी मिलेगा ।

डी. परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) सबसिडी तथा अतिरिक्त परिवहन सबसिडी

रा. को. वे. स -३ की धारा ५.२.१ तथा ५.२.३

कार्यान्वयन आदेश संख्या २४ दिनांक २३-४-१९८३

सन्दर्भ : (१) जे.बी सी.सी. आई. परिपत्र संख्या एन.सी.डब्लू.ए.-३ आई.आई. ६/८३/१९०६ दिनांक ३०-११-१९८३

(२) जे.बी.सी.सी. आई परिपत्र संख्या एन.सी डब्लू.ए.-३ (आई.आई. ६/८४)/२६ दिनांक ३-१-१९८४

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रसारित कार्यान्वयन आदेश सं० ६/८३ एवं ६/८४ की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की १२ तथा १३ अप्रील १९८४ को हुई बैठक में उपरोक्त विषय पर वार्त्ता हुई और उसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया :—

"वे कर्मचारी जो धारा ५.२.१ तथा ५.२.३ के अन्तर्गत आते हैं (अर्थात् ट्रान्सपोर्ट (परिवहन) सबसिडी तथा अतिरिक्त परिवहन सबसिडी) वे वास्तविक हाजरी के १ रु. ३० पै. प्रतिदिन के हिसाब से परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) सबसिडी पाने के हकदार होंगे, इसमें वर्तमान में जहाँ कहीं ५० पैसे प्रतिदिन वास्तविक हाजरी के हिसाब से मिलता है वह इसी में शामिल रहेगा । किसी भी हालत में कोई श्रमिक वास्तविक हाजरी का १ रु. ३० पै. प्रतिदिन के हिसाब से अधिक नहीं पायगा इसमें जो अभी इससे बेहतर सुविधा पाते हैं उन श्रमिकों को इसमें छूट दी जायगी ।"

(वे श्रमिक इसमें शामिल नहीं रहेंगे)

अध्याय—६

अर्जित छुट्टी, राष्ट्रीय/त्यौहार छुट्टियाँ तथा विशेष छुट्टी

(धारा ६.१ से ६.६)

कार्यान्वयन आदेश संख्या ७ दिनांक ३०-११-१९८३

१.१ राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ जिसका फैसला जे बी. सी. सी. आई द्वारा ११-११-८३ को किया गया और जो १-१-८३ से लागू हुआ है उसमें उपरोक्त उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान है ।

२.० **सवैतनिक सालाना छुट्टी :**

२.१ वेतन के साथ सालाना छुट्टी माइन्स ऐक्ट के प्रावधानों के अनुसार जैसा मिलता है मिलता रहेगा ।

द्रष्टव्य : अर्जित छुट्टी के लिये हकदार होने के उद्देश्य से सभी अधिकृत छुट्टियाँ शामिल की जायंगी जैसे—पूरे पैसे के साथ बीमारी की छुट्टी, वेतन के साथ आकस्मिक (कैज्वल) छुट्टी, सवैतनिक मातृत्व लाभ छुट्टी, काम के समय दुर्घटनाग्रस्त होकर अनुपस्थिति अथवा पेशेगत बीमारी के कारण पैसे के साथ अनुपस्थिति तथा सवैतनिक त्यौहार की छुट्टियों को जोड़ा जायगा । यद्यपि उपरोक्त सवैतनिक छुट्टियों के ऊपर कोई अतिरिक्त छुट्टी अर्जित नहीं होगा ।

फिर भी, वर्तमान में यदि कहीं अर्जित छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी तथा सवैतनिक त्यौहार की छुट्टियाँ अधिक लाभकारी हों तो वह तरीका जारी रहेगा । (धारा ६.१)

२.१.१ **अर्जित छुट्टी/पैसे के साथ सालाना छुट्टी का जमा होना :**
सवैतनिक अर्जित छुट्टी / सालाना छुट्टी जमा होने के राष्ट्रीय

कोयला वेतन समझौता-२ के अधीन निर्धारित वर्तमान बढ़ाया हुआ ७० दिनों तक छुट्टियों को जमा किये जाने का प्रावधान चालू रहेगा। (धारा ६.२)

२.१.३ बीमारी की छुट्टी :

२.१.४ बीमारी की छुट्टी से सम्बन्धित एक कैलेण्डर वर्ष में पैसे के साथ १५ दिनों की छुट्टी का वर्तमान प्रचलन चालू रहेगा। (६.३)

पूरे पैसे के साथ बीमारी की छुट्टी को वर्तमान प्रचलित प्रथा के अनुसार ४५ दिनों तक जमा रखा जा सकता है।

२.२ टी. बी., कैंसर, कुष्ठ तथा लकवा से पीड़ित कर्मचारियों के लिये विशेष छुट्टी की सुविधा :

२.२.१ टी. बी., कैंसर, कुष्ठ तथा लकवा से पीड़ित कर्मचारियों को बेसिक मजदूरी, निश्चित मंहगाई भत्ता, भी. डी. ए. तथा विशेष भत्ता का ५० प्रतिशत मजदूरी पर छः महीने तक की विशेष छुट्टी दी जा सकती है बशर्ते कम्पनी के चिकित्सा पदाधिकारी अथवा कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था के चिकित्सा अधिकारी अथवा प्रबन्धन द्वारा किसी भी अन्य अस्पताल में तत्सम्बन्धी चिकित्सा हेतु भेजे जाने की सिफारिश की गई हो। (धारा ६ ४)

२.२.२ पैसे के साथ आकस्मिक (कैजुअल) छुट्टी :

२.२.३ पैसे के साथ कैजुअल छुट्टी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत धारा ७.४.१ से ७.४.६ तक का प्रावधान, तत्सम्बन्धी जारी किये गये स्पष्टोक्तियों के साथ वर्तमान की तरह लागू रहेगा। (धारा : ६.५)

२.३ राष्ट्रीय/त्यौहार छुट्टियाँ :

२.३.१ यह समझौता हुआ कि १ली मई माइनर्स डे (खनिज दिवस) होगा और प्रत्येक वर्ष मई में अतिरिक्त छुट्टी के रूप में घोषित होगा। यह ७ सवैतनिक छुट्टियों के अलावा होगा। (धारा : ६.६)

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त छुट्टी उन कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त सवैतनिक छुट्टी है जो अभी केवल ७ दिन छुट्टी पाते हैं। उन कर्मचारियों के लिये जो अभी ७ दिनों से अधिक सवैतनिक

त्यौहार की छुट्टी पाते हैं उनको मिलने वाले छुट्टी में ही १ली मई की छुट्टी को उसी तरह शामिल कर लिया जायगा जिस प्रकार गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस तथा महात्मा गांधी के जन्म दिन की छुट्टी दी जाती है। (धारा : ६.६)

३.१ समझौता की धारा ६.६ को मद्देनजर रखते हुए मई १९८३ में माइनर्स डे की घोषणा की गई और १९८३ के दौरान ही उक्त छुट्टी का पालन कर लिया गया। (द्वारा सी. आई. एल. सर्कुलर नं० सी. आई. एल./सी.-५ (बी) तृतीय जे. बी. सी. सी. आई./इम्पल (कार्यान्वियन)/३६६ दिनांक २९-४-८३)

———

अध्याय—७

ए. वापसी रेल किराया तथा रियायती छुट्टी की सुविधा

कार्यान्वयन आदेश संख्या ३ दिनांक ३०-११-१९८३

१. **वापसी रेल किराया तथा रियायती छुट्टी भ्रमण सुविधा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ में प्रावधान :** (धारा ७ १ से ७.५)

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ में निम्नलिखित प्रावधान हैं :—

"वापसी रेल किराया तथा छुट्टी भ्रमण सुविधा :

७.१ वर्तमान में कर्मचारियों को उनके हक के अनुसार प्रत्येक वर्ष में एक बार सिर्फ अपने लिये घर जाने तथा वापस आने का रेलवे भाड़ा दिया जाता है तथा चार वर्षों में एक बार १५०० कि. मी. तक एक तरफ के हिसाब से भारत में किसी भी जगह जाने का साढ़े तीन युनिट तक का वापसी रेल किराया दिये जाने का प्रावधान है।

७.२ वेतनमान के वर्तमान पुनर्निरीक्षण को मद्देनजर रखते हुए वापसी रेल किराया हेतु प्रथम श्रेणी रेलवे किराया के हकदार वे होंगे जिनकी बुनियादी मजदूरी ६७० रु. प्रतिमाह है तथा छुट्टी भ्रमण रियायत (एल.टी.सी.) हेतु ६८५ रु. प्रतिमाह पाने वाले हकदार होंगे। दूसरे शब्दों में वैसे कर्मचारी जिनकी बुनियादी मजदूरी ६७० रु. से कम है वे द्वितीय श्रेणी के वापसी रेल किराया के हकदार होंगे तथा छुट्टी भ्रमण रियायत (एल.टी.सी.) के लिये द्वितीय श्रेणी रेल किराया के हकदार वे होंगे जिनकी बुनियादी मजदूरी ६८५ रु. प्रतिमाह से कम होगी। अन्य शर्तें समान रहेंगी।

७.३.१ ४ साल पर लम्बी छुट्टी भ्रमण रियायत के लिये, जो वापसी रेल किराया के बदले होगी, उसके वर्तमान दूरी को १७०० कि. मी. प्रत्येक तरफ तक बढ़ाने का राजीनामा हुआ।

७.३.२ उपरोक्त सुविधा का लाभ ४ वयस्क युनिट तक उठाया जा सकता है।

७.३.३ जहाँ पति तथा पत्नी दोनों एक ही कोयला कम्पनी में नियोजित हैं वे सम्मिलित रूप से ६ वयस्क अथवा श्रमिक के परिवार से सम्बन्धित वास्तविक सदस्यों की संख्या, जो भी कम हो, तक के लिये लम्बी छुट्टी भ्रमण रियायत के हकदार होंगे। वर्तमान नियम के अनुसार 'परिवार' की परिभाषा में जो सदस्य आते हैं वे शामिल होंगे।

७.३.४ वैसे मामले में जहाँ कोई कर्मचारी पिछले समझौता के अनुसार १५०० कि. मी. छुट्टी भ्रमण रियायत का लाभ इस समझौता के क्रियान्वयन के पहले ले चुके हैं उन्हें बढ़े हुए दूरी की यात्रा का अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा।

७.४ **वापसी रेल किराया छुट्टी/यात्रा रियायत :**

७.४.१ वापसी रेल किराया के लिये वर्तमान व्यवस्था के बदले में सम्बन्धित कर्मचारियों के लिये चार वर्ष में एक बार अपने घर जाने के लिये अधिकतम चार वयस्क युनिट तक के परिवार हेतु छुट्टी यात्रा रियायत दिया जा सकता है। अपने लिये तीन साल के ब्लाक में वापसी रेल किराया के बदले में चौथे वर्ष का वापसी रेल किराया लम्बी छुट्टी यात्रा रियायत में मुजरा कर दिया जायगा। कोई कर्मचारी चाहे वह वापसी रेल किराया के हकदार हों अथवा नहीं, यदि चाहें तो वह अपने घर के नगर/शहर के बदले ७५० कि. मी. प्रत्येक तरफ की दूरी तक के किसी भी अन्य स्थान की यात्रा कर सकते हैं।

७.४.२ कर्मचारियों के लिये यह ऐच्छिक होगा कि वे इस समझौता की अवधि के दौरान सदा के लिये या तो चार वर्ष के भीतर तीन वर्ष तक प्रत्येक वर्ष अपने लिये वापसी रेल किराया का लाभ उठावें अथवा ७५० कि. मी. या उससे अधिक तक—यदि घर की दूरी उससे अधिक हो तो, चार यूनिट के परिवार हेतु छुट्टी भ्रमण रियायत का लाभ उठावें। इस तरह का प्रस्ताव समझौता की अवधि के दौरान अपरिवर्त्तनीय होगा।

७.४.३ यदि कोई कर्मचारी इस समझौता पर हस्ताक्षर होने के पहले वापसी रेल किराया का लाभ उठा चुके हैं और जब कभी वे छुट्टी भ्रमण रियायत (एल.टी.सी.) अर्थात् ७५० कि. मी. के लिये इच्छा प्रकट

करते हैं तो जितना लाभ उठा चुके हैं उसका समायोजन कर बाकी जब भी वे ७५० कि. मी. के एल.टी.सी. की यात्रा करना चाहेंगे उन्हें कुल बकाया युनिट/पैसा का भुगतान किया जायगा ।

७.५ लम्बी छुट्टी भ्रमण रियायत (एल. एल. टी. सी.) से सम्बन्धित अन्य नियम वर्तमान कायदे तथा नियमावलियों के अनुसार पूर्ववत अपरिवर्तित रहेंगे ।"

२. उपरोक्त प्रावधानों से यह देखा जायगा कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के ऊपर राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ में निम्न-लिखित सुधार किये गये हैं :

(अ) लम्बी छुट्टी यात्रा रियायत (एल.एल.टी.सी) जो ४ वर्षों में एक बार मिलता है, उस सम्बन्ध में यह समझौता हुआ कि वर्तमान का १५०० कि. मी. एक तरफ की सीमा को १७०० कि.मी. प्रत्येक तरफ तक बढ़ा दिया जायगा ।

एल.एल.टी.सी. के लिये युनिटों की वर्तमान संख्या जो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं उसे ३.५ युनिट से बढ़ाकर ३ वयस्क युनिट कर दिया गया है ।

(ब) घर जाने के लिये अथवा यदि वे चाहें तो उसके बदले अन्य किसी भी जगह जो अधिकतम ७५० कि.मी. प्रत्येक तरफ होगा और घर जाने के बदले एल. टी. सी. (छुट्टी भ्रमण रियायत) में नया प्रावधान जोड़ा गया है और वह परिवार के साथ ४ वर्ष के ब्लाक में एक बार मिलेगा (अर्थात् अपने लिये ३ वर्ष के ब्लाक में एक बार वापसी रेल किराया के बदले में चौथे वर्ष का वापसी रेल किराया एल.एल.टी सी. में परिवर्तित हो जायगा । यह छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) का उपयोग खुद तथा परिवार के अधिकतम चार वयस्क युनिट द्वारा किया जा सकता है ।

जो भी हो, यह लाभ तीन वर्ष के ब्लाक में अपने लिये वापसी रेल किराया के बदले में मिलेगा ।

२.१ यह भी प्रावधान रखा गया है कि वैसे कर्मचारी जो वापसी रेल किराया (आर.आर.एफ.) पाने के हकदार हैं और वे इस सुविधा को पाते रहना चाहते हैं, वे वापसी रेल किराया पाते रहेंगे परन्तु

आर. आर. एफ. (वापसी रेल किराया) और एल.टी.सी. (छुट्टी यात्रा रियायत) दोनों नहीं पायेंगे ।

२.२ अतः समझौता में एक प्रावधान रखा गया है कि कर्मचारियों को वैकल्पिक सुविधा दी जायगी कि वे हमेशा के लिये अपना आप्शन (इच्छा) बता दें कि या तो वे चार वर्ष की अवधि में तीन वर्ष के दौरान प्रत्येक वर्ष अपने लिये वापसी रेल किराया लेंगे अथवा चार वयस्क इकाई के परिवार के लिये ७५० कि. मी. तक या उससे अधिक यदि घर कार्य-स्थल से ७५० कि. मी. से ऊपर (अधिक) है । वैसा आप्शन समझौता की अवधि के दौरान अन्तिम तथा अपरिवर्त्तनीय होगा ।

३ कर्मचारियों को अपना आप्शन व्यक्त करने के लिये एक (समरूप) फार्म तैयार किया गया है । सभी कर्मचारी जो वापसी रेल किराया पाने के हकदार हैं उन्हें अधिकतम ३१ जनवरी, १९८४ तक उस फार्म पर अपना आप्शन भर कर दे देना चाहिये । यदि कोई कर्मचारी जो वापसी रेल किराया पाने का हकदार है और वह छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) तुरन्त लेना चाहता है तो उसे उस लाभ की स्वीकृति उसके आप्शन मिलने के तुरत बाद मिल जानी चाहिये । आप्शन फार्म या तो साइक्लोस्टाइल किया हुआ हो अथवा छपा हो और वह आप्शन प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत फोल्डर में फाइल करके रखा जाना चाहिये ।

फिर भी जो कर्मचारी एल.टी.सी. (छुट्टी भ्रमण रियायत) के लिये स्वीकारोक्ति नहीं देंगे वे वर्तमान नियमों, तौर-तरीकों और नियमावलियों के अनुसार वापसी रेल किराया (आर.आर.एफ) की सुविधा पाते रहेंगे ।

४ समझौता के धारा ७.४.३ में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई कर्मचारी इस समझौता पर हस्ताक्षर होने अर्थात् ११-११-१९८३ के पहले वापसी रेल किराया का लाभ उठा चुके हैं और जब कभी वे छुट्टी भ्रमण रियायत (एल.टी.सी) अर्थात् ७५० कि. मी. के लिये इच्छा प्रकट करते हैं तो जितना लाभ उठा चुके हैं उसका समायोजन कर बाकी जब भी वे ७५० कि. मी. के एल.टी.सी. की यात्रा करेंगे उन्हें कुल बकाया युनिट/पैसा का भुगतान किया जायगा ।

दूसरे शब्दों में यदि कोई कर्मचारी इस समझौता पर हस्ताक्षर होने से पहले १९८३ के दौरान अपने लिये वापसी रेल किराया का लाभ उठा चुका है और वह एल.टी.सी. (छुट्टी यात्रा रियायत) की सुविधा का लाभ उठाकर घर जाने अथवा ७५० कि.मी. तक जाने की इच्छा जाहिर करता है तो वह केवल ३ टिकट पाने का हकदार होगा ।

५ जहाँ तक एल. एल. टी. सी. (लम्बी छुट्टी यात्रा रियायत) का सवाल है, जहाँ कोई कर्मचारी इस समझौता पर हस्ताक्षर होने अर्थात् ११-११-१९८३ के पहले १५०० कि० मी० का एल. एल. टी. सी. का लाभ उठा चुके हैं, उन्हें बढ़ी हुई दूरी अर्थात् १७०० कि० मी० दूरी की यात्रा का अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा (जैसा कि धारा ७.३.४ में उल्लिखित है) । परन्तु वैसे कर्मचारी जिन्होंने ११-११-१९८३ के बाद किन्तु इस परिपत्र के जारी होने के पहले एल. एल. टी. सी. का लाभ उठा लिया है और जिनका वलेम (भुगतान) बाकी है वे या तो वास्तविक खर्च अथवा प्रत्येक तरफ १७०० कि० मी० तक का रकम नियमानुसार जो भी कम हो, के भुगतान की मांग कर सकते हैं ।

६ समझौता की धारा ७.५ से यह परिलक्षित होता है कि लम्बी छुट्टी भ्रमण रियायत (एल. एल. टी. सी.) से सम्बन्धित अन्य नियम वर्तमान कायदे तथा नियमावलियों के अनुसार पूर्ववत अपरिवर्तित रहेंगे । इसी प्रकार धारा ७.२ के तहत वापसी रेल किराया (आर. आर. एफ.) तथा एल. टी. सी. से सम्बन्धित अन्य शर्तें उसी प्रकार रहेंगी । इससे यह स्पष्ट होता है कि वापसी रेल किराया एल. टी. सी. और एल. एल. टी. सी. को संचालित करने वाले वर्तमान सभी नियम, नियमावलियाँ तथा परिपत्र पूर्व की तरह लागू रहेंगे । (इस सम्बन्ध में का. आ. सं. २० दिनांक १३-२-१९८०, का. आ. सं. २७ दिनांक १५-३-१९८०, का. आ. सं. २९ दिनांक १७-४-१९८०, का. आ. सं. ३२ दिनांक २२-६-१९८० एवं परिशिष्ट-'डी' जो सदस्य सचिव, जे. बी. सी. सी. आई.-२ द्वारा जारी किया गया है उसका उल्लेख किया जाय । (तत्काल जानकारी हेतु उसकी प्रतिलिपि नीचे दी जा रही है) :—

७ रेल यात्रा हेतु पात्रता के सम्बन्ध में धारा ७.२ में प्रावधान है कि जिनका बेसिक वेतन ६७० रु. प्रतिमाह अथवा अधिक है वे ही सिर्फ

अपने लिये प्रथम श्रेणी की वापसी रेल किराया पाने के हकदार होंगे । छुट्टी यात्रा रियायत (दोनों एल. टी. सी. तथा एल. एल. टी. सी.) के सम्बन्ध में प्रथम श्रेणी में यात्रा के लिये वे ही हकदार होंगे जिनकी बेसिक मजदूरी ६८५ रु० प्रति माह अथवा उससे अधिक है ।

८ वापसी रेल किराया तथा छुट्टी यात्रा लाभ से सम्बन्धित अध्याय-७ के प्रावधान १-१-१९८३ से लागू हो गये हैं । परन्तु इस वास्तविकता को मद्देनजर रखते हुए कि कोई भी कर्मचारी संशोधित सुविधाओं का उपभोग समझौता के हस्ताक्षर होने से पहले नहीं कर सकता, अतः इससे सम्बन्धित एक समायोजन प्रावधान धारा ७.४.३ में दे दिया गया है ।

—— ——

नमूना

कोलियरी

आप्शन फार्म : कम्पनी : एरिया (क्षेत्र) : पे आफिस

वापसी रेल किराया के बदले एल. टी. सी. सुविधा लेने हेतु आप्शन फार्म

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ की धारा ७.४.१, ७.४.२ तथा ७.४.३ के शर्तों के अनुसार, एतद्द्वारा मैं वर्तमान में सिर्फ अपने लिये वापसी रेल किराया के बदले अपने खुद तथा मेरे परिवार के अधिकतम ४ वयस्कों हेतु छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) प्राप्त करने हेतु अपना आप्शन देता हूं जिससे मैं अपने गांव .... पो० .... थाना .... जिला .... प्रान्त .... को ४ वर्ष के ब्लाक में एक बार घर जाने अथवा घर के बदले में कहीं भी प्रत्येक तरफ ७५० कि. मी. की यात्रा सुविधा प्राप्त कर सकूं (तीन वर्ष के ब्लाक में अपने लिये वापसी रेल किराया के बदले चौथे वर्ष का वापसी रेल किराया (आर. आर. एफ.) की जगह एल. एल. टी. सी. मिलेगा)। यह आप्शन राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के अवधि तक अन्तिम एवं अपरिवर्त्तनीय होगा।

मेरे परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम	पुरुष/ स्त्री	जन्म की ता० तथा १-१२-'८३ को उम्र	सम्बन्ध	क्या कर्मचारी के साथ ही कार्यस्थल पर रहते हैं। हाँ या ना	यदि कर्मचारी के साथ नहीं रहते हैं तो उनका निवास स्थान	क्या पूरी तरह कर्मचारी पर आश्रित हैं।	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७	८
१.							
२.							
३.							
४.							

पदनाम .... पदस्थापन की जगह .... हस्ताक्षर (पूरा नाम)

दिनांक .... पहचान/टोकन नं० .... बायां अंगूठा का निशान

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२

का० आ० सं० २० दिनांक १३-२-१९८३

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के अन्तर्गत धारा ९.२.१ तथा ९.२.२ के तहत एल. टी. सी. (छुट्टी भ्रमण रियायत) योजना :—

११ फरवरी, १९८० को हुए जे. बी. सी. आई. ने अपने बैठक में उपरोक्त स्कीम (योजना) को अन्तिम रूप दिया तथा सभी सम्बन्धित संस्थाओं को क्रियान्वयन हेतु भेजा। परिवार की परिभाषा के सम्बन्ध में जैसा कि केन्द्रीय सरकार के एल. टी. सी. नियमों में दिया गया है, वह निम्न प्रकार है :

"परिवार की परिभाषा :—'परिवार' शब्द का अर्थ एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी अथवा पति, जो भी हो और वह सरकारी कर्मचारी के साथ रहता/रहती हो, वैध संतान एवं सौतेला (स्टेप) बच्चे, माता-पिता, विमाता (माँ), बहनें तथा नाबालिग भाई जो सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हैं तथा पूरी तरह उन्हीं के ऊपर आश्रित हैं।

'परिवार' शब्द के अर्थ में सिर्फ एक पत्नी ही शामिल है।

एक दत्तक पुत्र को भी वैध संतान माना जायगा यदि सरकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत कानून में दत्तक संतान को कानूनी मान्यता हो और उसे प्राकृतिक संतान जैसा दर्जा दिया गया हो।

बालिग पुत्र तथा शादी-शुदा पुत्रियाँ (विधवा पुत्री सहित) भी, जब तक सरकारी कर्मचारी के साथ रहते हैं और पूरी तरह उसी पर आश्रित हैं, परिवार की परिधि में शामिल होंगे।

बच्चे जो शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षारत हैं और वास्तव में हमेशा सरकारी कर्मचारी के साथ नहीं रहते बल्कि उनके साथ छुट्टी बिताने आते हैं वे भी इस उद्देश्य के लिये परिवार के सदस्य माने जायंगे।"

इस सम्बन्ध में कर्मचारियों द्वारा आवश्यक फार्म भरकर देना होगा।

———

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत आनेवाले (संचालित) श्रमिकों के लिये एल. टी. सी. स्कीम (छुट्टी यात्रा रियायत योजना)

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा ९.२.१ तथा ९.२.२ की शर्तें

एल. टी. सी. (छुट्टी यात्रा रियायत) सुविधा पाने हेतु मौलिक शर्तें।

(ए) यह सुविधा ४ वर्ष के ब्लाक में सिर्फ एक बार उपलब्ध होगी। स्थायी श्रमिकों के लिये, जो १-१-१९७९ को लगातार नौकरी में थे उनके हेतु चार वर्ष के ब्लाक की शुरुआत १-१-१९७९ से होगी।

(बी) १-१-१९७९ के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के साथ ही अन्य दूसरे श्रमिकों के लिये यह ब्लाक उस कैलेण्डर वर्ष से प्रारम्भ होगा जब से वे स्थायी श्रमिक के रूप में नियुक्त/घोषित किये जायंगे। उनके मामले में यह ब्लाक चार वर्षों तक के लिये, उस वर्ष को मिलाकर जिस वर्ष वे नियुक्त किये जाते हैं अथवा स्थायी श्रमिक घोषित किये जाते हैं, से चालू समझा जायगा।

(सी) नये स्थायी श्रमिक इस सुविधा के लिये प्रारम्भिक रूप में उस समय से हकदार हो जायंगे जब से वे सम्बन्धित ब्लाक में कम से कम एक वर्ष सेवा कर चुके हों।

(डी) बदली/कैजुअल श्रमिक इस सुविधा के हकदार नहीं होंगे। क्रमानुसार उनका हक उस समय से निर्धारित किया जायगा जिस वर्ष में वे स्थायी श्रमिक के रूप में ले लिये जायंगे।

परिवार के सदस्यों के सम्बन्ध में हक (पात्रता) :

केन्द्रीय सरकार के एल. टी सी. नियमावलियों में दिये शर्तों के अधीन पड़ने वाले परिवार हेतु यह सुविधा, अधिकतम ३.५ वयस्क यूनिट अथवा परिवार के सदस्यों की वास्तविक संख्या जो भी कम हो, को मिलेगी।

प्रत्येक तरफ की अधिकतम दूरी जिसके लिये यह सुविधा उपलब्ध होगी :

कार्यस्थल/इकाई से प्रत्येक तरफ १५०० कि. मी. करके सीधा अथवा राउण्ड ट्रिप (भ्रमण) के लिये कुल ३००० कि. मी. तक अथवा वास्तविक दूरी जिसकी यात्रा की गयी, जो भी कम हो। यात्रा यदि कोई सर्कुलर रूट से की गई हो तो किराये का भुगतान (रि-इम्बर्समेन्ट) कुल यात्रा दूरी अथवा अधिकतम ३००० कि. मी. जो भी कम हो, के लिये सीमित रहेगी।

रेल/बस की श्रेणी जिसके लिये यात्रा के हकदार (पात्र) होंगे :

(ए) **रेल से द्वितीय श्रेणी के हकदार :**

(१) सभी कोयला कम्पनियों में विभिन्न ग्रूप के पीस-रेट श्रमिकों की जिनकी पिछले एक कैलेण्डर वर्ष में औसत बेसिक आय प्रतिमाह ५२५) रु. से कम रही है।

(२) सभी दैनिक दर तथा मासिक दर श्रमिकों की जिनकी यह सुविधा लेते समय बुनियादी मजदूरी ५२५) रु. प्रतिमाह से कम रही है।

(बी) **रेल से प्रथम श्रेणी के हकदार :**

(१) सभी श्रमिक, अर्थात् दैनिक दर तथा मासिक दर श्रमिक, जिनकी यह सुविधा लेते समय बुनियादी वेतन प्रतिमाह ५२५) रु अथवा उससे अधिक है।

(२) सभी कोयला कम्पनियों में विभिन्न ग्रूप के पीस-रेट श्रमिकों की जिनकी पिछले एक कैलेण्डर वर्ष में औसत बेसिक आय प्रतिमाह ५२५ रु. अथवा अधिक रही है।

(सी) जहाँ यात्रा बस द्वारा की जाती है वहाँ वास्तविक बस किराया मिलेगा परन्तु वह रेल यात्रा के लिये मिलनेवाले रकम के बराबर ही रहेगा।

यह सुविधा लेते समय कर्मचारियों द्वारा यात्रा किये जाने के प्रमाण में एक घोषणा (डिक्लरेशन) देना होगा :

सभी श्रमिकों को जो इस सुविधा का लाभ उठाते हैं उन्हें निम्न-लिखित बातों का एक घोषणापत्र देना पड़ेगा।

—कि किस स्टेशन तक इस सुविधा का उाभ उठाया गया है,

—यात्रा की जरिया,

—किस श्रेणी में यात्रा किया,

—यात्रा की तारीख,

—परिवार के सदस्यों की संख्या, उनके नाम, श्रमिक के साथ उनका सम्बन्ध एवं उनकी उम्र।

निम्नतम अनिवार्य छुट्टी जो लेनी होगी :

जो श्रमिक एल. टी. सी. की सुविधा लेते हैं उन्हें अपने पावना छुट्टी में से कम से कम ७ दिनों की पैसे के साथ छुट्टी लेना अनिवार्य होगा।

एल. टी. सी. सुविधा लेने के लिये अन्य शर्तें :

(ए) श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्यों को जो इस सुविधा का लाभ उठाते हैं उन्हें एक साथ यात्रा करना होगा ;

(बी) चार वर्ष के एक ब्लाक में यदि इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया तो वह खत्म (लैप्स) हो जायगा और जमा नहीं रहेगा ;

(सी) श्रमिकों को निर्धारित फार्म पर शुरू में ही अपने परिवार के सदस्यों का पूरा विवरण घोषित कर देना पड़ेगा, साथ ही कोई परिवर्त्तन होने से इसकी सूचना देंगे तथा एल. टी. सी. सुविधा लेते समय भी पूरा विवरण देना होगा।

एन. सी. डी. सी. के तत्कालीन मासिक दर श्रमिकों के मामले में जो सरकारी (सिविल) नियमों अथवा कार्पोरेशन नियमों द्वारा संचालित होते हैं और जो चार वर्ष में एक बार घर जाने के लिये हकदार होते हैं उनके लिये इस सुविधा के लिये योग्यता।

इस योजना के तहत एल. टी. सी. के तहत चार वर्ष में एक बार भारत में कहीं भी जाने की सुविधा उपलब्ध होगी, परन्तु इसके लिये शर्त यह होगी कि ये कर्मचारी चार वर्ष के एक ब्लाक में एल. टी. सी. लेकर एक बार अपने परिवार के साथ घर जाने तथा एक बार

भारत में कहीं भी जाने की सुविधा ले सकेंगे। तत्कालीन एन. सी. डी. सी. के उन कर्मचारियों के लिये जो रेलवे नियम के अनुसार निःशुल्क पास पाने के हकदार हैं वे इस योजना के तहत अन्य कोई लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे।

प्रबन्धन द्वारा एल. टी. सी. के लिये भाड़ा का ८० प्रतिशत तक अग्रिम के रूप में दिया जायगा। बाकी का बीस प्रतिशत कर्मचारियों द्वारा यात्रा पूरा करने के एक माह के भीतर एल. टी. सी. बिल जमा देने के उपरान्त भुगतान किया जायगा।

———

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा ९.२.१ तथा ९.२.२ के तहत एल. टी. सी. स्कीम (योजना)

एन. सी. डब्लू. ए.-२ आई. आई. (कार्यान्वयन आदेश) सं. २७ दिनांक १५-३-१९८०

कार्यान्वयन आदेश संख्या २० दिनांक फरवरी १३, १९८० के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा एल. टी. सी. सुविधा लेने हेतु जो फार्म जारी किया जायगा उसका नमूना भेजा गया था :

(१) फार्म-ए —कर्मचारी द्वारा प्रारम्भिक घोषणा की जायगी। परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित आश्रितों अथवा उनके पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचनाओं की घोषणाएं भी बाद में चलकर इसी फार्म पर की जायगी।

(२) फार्म-बी—एल. टी. सी. एडवान्स (अग्रिम बिल),

(३) फार्म-सी—जाँच सूची/एल. टी. सी. एडवान्स के लिये जाँच,

(४) फार्म-डी—फाइनल एल. टी. सी. बिल।

यह अनुरोध किया गया है कि आवश्यक फार्म छपवाकर कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाय। चूंकि फार्मों की छपाई में कुछ समय लग सकता है अतः फिलहाल साइक्लोस्टाइल फार्म ही बनवा लिया जाय।

यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकतम ३.५ वयस्कों अथवा सम्बन्धित कर्मचारी के सदस्यों की वास्तविक संख्या जो भी कम हो और परिवार की परिधि में आवे, जैसा कि एल. टी. सी. के लिये निर्धारित किया गया है, उसमें खुद श्रमिक भी शामिल रहेगा।

———

एल. टी. सी. स्कीम का लाभ

एन. सी. डब्लू. ए.-२ क्रि. आ. सं. २६ दिनांक १७-४-१६८०

उपरोक्त विषय पर जारी किया गया क्रि. आ. संख्या २० की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। एक सवाल उठाया गया है कि क्या जो कर्मचारी इस्तीफा दे दिये हैं अथवा कम्पनी से काम छोड़ दिये हैं इत्यादि अथवा जिन कर्मचारियों की क्रि. आ. संख्या २० के जारी होने से पहले मृत्यु हो चुकी है, वैसे कर्मचारी एल. टी. सी. योजना के तहत लाभ पाने की मांग कर सकते हैं। यह सराहनीय होगा कि एल. टी. सी. योजना का मूल उद्देश्य यह है कि कर्मचारीगण वास्तविक रूप से इस योजना का लाभ उठावें और इस उद्देश्य के लिये उन्हें आवश्यक घोषणायें भी करनी होती है, चूंकि उपरोक्त श्रेणी में पड़नेवाले जिन भूतपूर्व कर्मचारियों का मामला इसके तहत आता है परन्तु उनके द्वारा उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किया जा सकता अतः वे एल. टी. सी. का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे। इस तरह की स्थिति उन कर्मचारियों के लिये भी हो सकती है जो चार साल के ब्लाक में एल. टी. सी. का लाभ उठाये बिना ही अपनी सेवा से निवृत होंगे। इन लोगों के मामलों में भी चूंकि एल. टी. सी. योजना की मूल शर्तों का पालन नहीं हो पाता है अतः वे भी इस सुविधा की मांग नहीं कर सकते।

———

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की बैठक में जो १८ से २० जून, १६८० को हुई, उसमें लिये गये कुछ फैसलों, जो कि जे. बी. सी. सी. आई. की २१ जून, १६८० को हुई बैठक में पारित किया गया, उनका क्रियान्वयन :

एन. सी. डब्लू. ए.-२ क्रि. आ. संख्या ३२ दिनांक २२-६-१६८०

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की बैठक जो १८ से २० जून, १६८० को हुई, उसमें लिये गये फैसलों, जो जे. बी. सी. सी. आई. की २१ जून, १६८० को हुए बैठक द्वारा पारित किया गया, तत्सम्बन्धी निम्न रेकार्ड नोट भेजा गया है। ये फैसले स्व-स्पष्ट है। प्रबन्धनों से उन फैसलों को लागू करने हेतु अनुरोध किया गया है।

१, २ तथा ३ ... ...

४. किसी कोयला कम्पनी में जहाँ पति और पत्नी दोनों ही नियोजित हैं, उनके एल. टी. सी. हेतु पात्रता से सम्बन्धित लिये गये फैसले के साथ टिप्पणी (परिशिष्ट-'डी')।

५ एवं ६ ... ...

———

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की १८-६-१९८० को कलकत्ता में हुए बैठक में लिया गया फैसला

किसी कोयला कम्पनी में जहाँ पति और पत्नी दोनों ही नियोजित हैं उनके लिये एल. टी. सी. सुविधा हेतु पात्रता

क्या पति और पत्नी दोनों ही अलग-अलग एल. टी. सी. सुविधा पाने के हकदार होंगे तथा उनके परिवार के सदस्यों की संख्या जो इस सुविधा के हकदार होंगे (उन मामलों में भी जहाँ पति-पत्नी एक ही कम्पनी में नियोजित हैं) के प्रश्न पर वार्तालाप हुई एवं निम्नलिखित राजीनामा पर पहुंचा गया :—

(ए) जहाँ पति तथा पत्नी एक ही कोयला कम्पनी में नियोजित हैं उन्हें संयुक्त रूप से अधिकतम ३.५ वयस्कों की जगह ५.५ वयस्कों अथवा सम्बन्धित कर्मचारी के परिवार के वास्तविक सदस्यों, जो भी कम हो, को जो केन्द्रीय सरकार के एल. टी. सी. नियमावलियों के अनुसार परिवार की परिधि में आते हैं, वे सम्मिलित रूप से हकदार होंगे ।

(बी) पत्नी तथा पति दोनों एल. टी. सी. की सुविधा एक साथ अथवा अलग-अलग भी उठा सकते हैं, परन्तु कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या जो इस सुविधा को लेंगे वह अधिकतम ५.५ वयस्क ही होने चाहिये ।

(सी) जहाँ एल. टी. सी. की सुविधा पत्नी तथा पति द्वारा सम्मिलित रूप से उठाया जाता है वहाँ उनके द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा साथ ही यह उल्लेख भी करना होगा कि पति अथवा पत्नी किनके वेतन के अनुसार किस श्रेणी में यात्रा करेंगे ।

(डी) जहाँ एल. टी. सी. की सुविधा संयुक्त रूप से लिया जाय वहाँ प्रबन्धन निम्नतम सवैतनिक सात दिनों की छुट्टी मंजूर करेगा और वह छुट्टी उस अवसर पर किसी एक के बकाया पर भी मिलेगी । जहाँ दोनों में से किसी एक को सवैतनिक छुट्टी पावना नहीं है तो उसे एल. टी. सी. का लाभ उठाने हेतु जितना आवश्यक होगा बिना पैसे की छुट्टी मंजूर किया जायगा ।

(ई) इस फैसला के लागू होने के पहले जहाँ कहीं पति-पत्नी ने एल. टी. सी. की सुविधा सिर्फ ३.५ वयस्कों के लिये ले लिया है उन मामलों में वर्तमान चार वर्षों के दौरान उन्हें शेष सदस्यों के लिये जो कुल ५.५ वयस्कों में बचते हैं, के लिये उन चार वर्षों के बचे हुए अवधि के दौरान यह लाभ ले सकते हैं ।

यह सवाल उठाया गया कि अप्रील १९८० में एल. टी. सी. स्कीम के कोलियरियों में आने से पहले ही कुछ कर्मचारी अपना पूरा पावना/वार्षिक छुट्टी जो उन्हें १९८० के दौरान मिलती, वह पूरा का पूरा ले चुके हैं और उनमें से कुछ तो १९८० में ही रिटायर होने वाले हैं । फलतः वे एल. टी. सी. की सुविधा से वंचित रह जायेंगे । यह राजीनामा हुआ कि उन मामलों में जहाँ कर्मचारी १९८० में रिटायर होने वाले हैं तथा जहाँ वे अप्रील १९८० के अन्त से पहले ही अपना सारा पावना/सालाना छुट्टी ले लिये हैं, उन्हें इस शर्त पर एल. टी. सी. का लाभ मिलेगा कि वे सात दिनों का अपना बकाया कैजुअल छुट्टी लेंगे और सात दिन बिना पैसे की छुट्टी लेंगे । सम्बन्धित कर्मचारियों के मामले में एक विशेष परिस्थिति को देखते हुए यह एक विशेष फैसला होगा ।

———

बी. वापसी रेल किराया, एल. टी. सी./एल. एल. टी. सी. सुविधा

क्रियान्वयन आदेश संख्या २३ दिनांक २३-४-१९८४

सन्दर्भ : जे. बी. सी. सी. आई. आफिस सर्कुलर (परिपत्र) सं० एन. सी. डब्लू. ए.-३ / (क्रि. आ. सं. ३/८३) / १९८५ दिनांक ३० नवम्बर, १९८३ ।

वापसी रेल किराया / एल. टी. सी. / एल. एल. टी. सी सुविधाओं से सम्बन्धित क्रियान्वयन आदेश से सन्दर्भित सर्कुलर पत्र (परिपत्र) की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

१२ और १३ अप्रील, १९८४ को हुए स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की बैठक में निम्नलिखित फैसला लिया गया :—

(१) एल. एल. टी. सी. पाने के लिये, प्रथम श्रेणी किराया पाने के लिये बेसिक मजदूरी ६८५ रु० अथवा इससे अधिक होना चाहिये ।

(२) एल. टी. सी. का लाभ पाने हेतु सम्बन्धित श्रमिक को अपने पावना छुट्टी से कम से कम ६ दिनों की सवैतनिक छुट्टी लेना अनिवार्य होगा ।

(३) क्रियान्वयन आदेश संख्या-३ दिनांक ३० नवम्बर, १९८३ के पैरा ४ का निम्नलिखित अंश—"दूसरे शब्दों में, यदि कोई कर्मचारी समझौता पर हस्ताक्षर के पहले ही १९८३ के दौरान अपने लिये रियायती रेल किराया सुविधा का लाभ उठा चुका है और यदि वह अपने घर अथवा ७५० कि. मी. की यात्रा पर जाने हेतु इच्छा जाहिर (opt) करता है तो वह सिर्फ तीन टिकटों का हकदार होगा इत्यादि ।

उपरोक्त अंश के बदले निम्न उद्धरण को जोड़ा जायगा :—

"दूसरे शब्दों में, यदि कोई कर्मचारी एल. टी. सी. हेतु इच्छा जाहिर करने से पहले ही अपने लिये वापसी रेल किराया की सुविधा का लाभ उठा लिया है तो वह चार टिकट के लिये हकदार होगा

लेकिन अपने लिये वापसी रेल किराया सुविधा के लिये जो रकम प्राप्त कर चुका है, उसका समायोजन उपरोक्त लाभ से कर लिया जायगा ।" (अर्थात् चार टिकट के खर्च से पहले मिला हुआ वापसी रेल किराया बाद देकर बाकी का पैसा मिलेगा) ।

जिन्होंने आप्सन फार्म आपूर्ति किये जाने के बाबजूद भी अपनी इच्छा जाहिर नहीं किया है (अपना आप्सन नहीं दिया है), उन्हें इसके लिये एक मौका और दिया जायगा । किसी भी हालत में आप्सन ३० जून, १९८४ तक व्यक्त कर दिया जाना चाहिये ।

प्रबन्धनों से यह अनुरोध किया गया है कि जहाँ कहीं भी ऐसा अभी तक नहीं किया गया है, वहाँ आप्सन फार्म ग्रहण करने की दिशा में कदम उठावे और ३० जून, १९८४ तक एक मौका और दिया जाय ।

———

सी. छुट्टी यात्रा रियायत तथा लम्बी छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी. तथा एल. एल. टी. सी)

क्रियान्वयन आदेश सं० ३६ दिनांक २-८-१९८४

सन्दर्भ : जे. बी. सी. सी. आई. ऑफिस पत्रांक : एन. सी. डब्लू. ए-३ (क्रि० आ० सं० ३/८३)/१८६५ दि० ३०-११-१९८३ एवं पत्रांक : एन. सी. डब्लू. ए.-३ (क्रि०आ० सं० २३/८४) २४४ दि० २३-४-१९८४

जहाँ पति तथा पत्नी दोनों एक ही कम्पनी में नियोजित हैं, वे एल. टी. सी. तथा एल. एल. टी. सी. की सुविधा पाने के उद्देश्य से कितने यूनिटों के लिये हकदार होंगे इस सवाल पर जे. बी. सी. सी. आई.-३ के स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २३ एवं २४ जुलाई को हुई बैठक में विचार किया गया और निम्न फैसला लिया गया :—

ए. एल. एल. टी. सी. (लम्बी छुट्टी यात्रा रियायत) :

(१) जहाँ पति तथा पत्नी दोनों ही नियोजित हैं वे एल. एल. टी. सी. सुविधा के लिये अधिकतम ६ वयस्क इकाई अथवा वर्तमान नियमावलियों के अन्तर्गत सम्बन्धित श्रमिक के 'परिवार' की परिधि में आने वाले वास्तविक सदस्यों, जो भी कम हो, के लिये हकदार होंगे ।

(२) जहाँ पति उच्च श्रेणी में यात्रा का हकदार है एवं पत्नी निम्न श्रेणी की हकदार है अथवा इसके विपरीत की स्थिति, जो भी हो, के लिये उनमें एक किसी भी श्रेणी से यात्रा हेतु इच्छा प्रकट कर सकते हैं ।

बी. छुट्टी यात्रा रियायत :

(१) सम्बन्धित कर्मचारी को वापसी रेल किराया (आर. आर. एफ.) के बदले एल. टी. सी. के लिये आप्ट करना चाहिये ।

(२) जहाँ पति तथा पत्नी दोनों ही नियोजित हैं वे अधिकतम ६ वयस्क इकाई अथवा वर्तमान नियमावलियों के अन्तर्गत सम्बन्धित श्रमिक के 'परिवार' की परिधि में आने वाले वास्तविक सदस्यों, जो भी कम हो, के लिये हकदार होंगे ।

———

अध्याय—८

ए. आवास, जल आपूर्ति, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधा तथा कैन्टीनों का सुधार

(एन. सी. डब्लू. ए.-३ की धारा ८.१ से ८.६.१ तक)

क्रियान्वयन आदेश संख्या ४ दि० ३०-११-१९८३

१.१ राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ जिसका फैसला कोयला उद्योग की संयुक्त द्विदलीय समिति द्वारा ११-११-१९८३ को किया गया और जो १-१-१९८३ से लागू हुआ, उसमें उपरोक्त विषयों हेतु निम्नलिखित प्रावधान हैं :—

२.० आवास, जल आपूर्ति, चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधा तथा कैन्टीनों का सुधार :

२.१ आवास : (धारा : ८.१)

२.१.१ सिर्फ स्टैण्डर्ड घरों को मद्देनजर रखकर वर्तमान २८.३४ प्रतिशत के आवास की सन्तुष्टता को इस चार साल के समझौता की अवधि के दौरान ४० प्रतिशत सन्तुष्टता तक पहुंचा दिया जायगा । इसका मतलब यह होगा कि चार वर्ष के दौरान कोयला उद्योग को ७० से ७२ हजार तक घर (आवास) बनाना पड़ेगा जो कि किसी खास वर्ष में १६,५०० घर से कम नहीं होगा । (८.१.१)

२.१.२ अब से बनने वाले सभी स्टैण्डर्ड घरों में बिजली, पानी का नल तथा एक पंखा का इन्तजाम किया जायगा । (८.१.२)

२.१.३ उन स्टैण्डर्ड घरों में जहाँ अभी तक बिजली, पानी का नल तथा पंखा नहीं लगा है, वहाँ भी क्रमानुसार इस समझौता, की अवधि में उपरोक्त सुविधाएं प्रदान की जायंगी । उन घरों के लिये भी जहाँ श्रमिक घर भाड़ा के हकदार नहीं हैं वहाँ भी एक पंखा दिया जायगा : (८.१.३)

२.१.४ उन क्वार्टरों तथा झोपड़ियों की जिनको निकट भविष्य में तोड़े जाने की सम्भावना नहीं है तथा जो कोयला कम्पनियों के अधीन हैं, उनकी मरम्मति तथा रख-रखाव सम्बन्धित प्रबन्धन द्वारा किया जायगा। (धारा : ८.१.४)

२.२ **घर भाड़ा भत्ता :** (धारा : ८.२)

२.२.१ वर्तमान घर भाड़ा के १२ रु. को बढ़ाकर ३० रु. प्रतिमाह कर दिया जायगा तथा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्हें आवास की सुविधा नहीं मिली है। (धारा : ८.२.१)

२.२.२ घर भाड़ा के भुगतान का नियमन राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के प्रावधान के अनुसार किया जायगा। उन कर्मचारियों को जिन्हें सिंगल रूम (एक कमरा) अथवा आर्च-टाइप (धौड़ा) का आवास दिया गया है, वे उसी हालत में घर भाड़ा के हकदार होंगे यदि उन घरों में अलग से अलवा कामन (सम्मिलित) पाखाना तथा स्नान घर का इन्तजाम नहीं होगा। (धारा : ८.२.२)

२.३ उन कर्मचारियों को घर बनाने का एडवांस पाने के हकदार हैं, वे १-७-१९८३ से संशोधित दर पर घर भाड़ा पाने के हकदार होंगे। अन्य कर्मचारी बढ़ा हुआ घर भाड़ा १-१-१९८३ से पायेंगे। (धारा : ८.३)

२.४ **घर भाड़ा/बिजली खर्च की वसूली :**

२.४.१ घर भाड़ा तथा बिजली खर्च की वसूली से सम्बन्धित राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ में उल्लिखित वर्तमान नियमावलियाँ पूर्ववत लागू रहेंगी।

२.५ **जल आपूर्ति :** (धारा : ८.५)

२.५.१ प्रति व्यक्ति कम से कम १५ गैलन पानी की आपूर्ति किये जाने की योजनाएं बनायी जायगी तथा समझौता की अवधि में उनका क्रियान्वयन किया जायगा। फिल्टरेशन प्लान्ट ठीक ढंग से चले उसकी व्यवस्था की जायगी। (धारा : ८ ५.१)

२.६.१ प्रत्येक कम्पनी में अलग से एक टाउन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (नगर प्रशासन विभाग) होगा, जिसके जिम्मे घर तथा पानी आपूर्ति की देखभाल व रख-रखाव का भार होगा। प्रत्येक एरिया (क्षेत्र) में

पानी आपूर्ति की देखभाल तथा रख-रखाव का भार एक पब्लिक हेल्थ इञ्जीनियर/सिविल इञ्जीनियर के जिम्मे होगा। नगर प्रसासन विभाग का गठन तथा कार्यारम्भ समझौता पर हस्ताक्षर होने के तीन महीना के अन्दर हो जायगा। (धारा : ८.६ १)

२.७ **चिकित्सा सुविधा :** (धारा : ८.७)

२.७.१ प्रबन्धन द्वारा कोयला कम्पनियों के अधीन सभी अस्पताल तथा कोयला श्रमिक कल्याण संस्था के अस्पतालों को जोड़कर बी. पी. ई. के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक १०० श्रमिकों पर एक विस्तर की दर से विस्तरों की व्यवस्था (अस्पताल का) किये जाने का भरसक प्रयास किया जायगा, किन्तु समझौता के अन्त की अवधि तक किसी भी हालत में १ : १२० से कम नहीं होगा। (धारा : ८.७ १)

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के तहत मेडिकल सब-कमिटी की रिपोर्ट के किसी प्रावधान का क्रियान्वयन नहीं हुआ होगा तो वह इस समझौता की अवधि में क्रियान्वित कर दिया जायगा। चिकित्सा सुविधा पर प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष ३५० रु. के हिसाब से खर्च किया जायगा (इसमें कैपिटल-पूंजीगत खर्च शामिल नहीं होगा)।

प्रत्येक कम्पनी की वार्षिक चिकित्सा सम्बन्धी योजना कम्पनी स्तर पर संयुक्त वार्तालाप के द्वारा निर्धारित होगी।

२.७.२ **एम्बुलेन्स :** (धारा : ८.७.२)

प्रत्येक कोलियरी में एक एम्बुलेंस दिया जायगा। यदि कहीं इसकी कमी होगी तो उसे चालू वित्त वर्ष के अन्त तक अर्थात् ३१ मार्च १९८४ तक पूरा कर दिया जायगा। सभी एम्बुलेंस गाड़ियों को सुनिश्चित रूप से अच्छी चालू हालत में रखा जायगा और जब भी आवश्यक होगा उसे उपलब्ध कराया जायगा।

२.७.३ **नियोमोकोनियोसिस :** (धारा : ८.७.३)

नियोमोकोनियोसिस जैसे रोग की जाँच व खोज तथा उसे नियन्त्रित एवं उससे छुटकारा दिलाने हेतु सुविधा का इन्तजाम करने की दिशा में प्रत्येक कम्पनी में समुचित मात्रा में यथा-शीघ्र मशीनों का इन्तजाम किया जायगा। प्रत्येक कोयला उत्पादक कम्पनी में नियोमोको-नियोसिस की समस्या से निबटने के लिये एक मेडिकल बोर्ड को

क्रियाशील बनाया जायगा और इसके गठन के संवैधानिक विज्ञाप्ति प्रतीक्षा किये बगैर काम करने लगेगा । ये मेडिकल बोर्ड नियोमोकोनियोसिस पाये जाने की सूचना पाने के सात दिनों के अन्दर नियोमोकोनियोसिस से सम्बन्धित मरीज की जांच करेंगे ।

यदि कोई कर्मचारी किसी दक्ष अधिकारी द्वारा नियोमोकोनियोसिस पाये जाने के कारण काम से इसलिये बैठा दिया जाय कि उसके काम में लगे रहने से उसीके स्वास्थ्य में गिरावट आयगी तथा यदि मेडिकल बोर्ड द्वारा यह पाया जाता है कि वह कर्मचारी नियोमोकोनियोसिस से पीड़ित है तो उसे पूरे बैठारी की अवधि की मजदूरी का भुगतान किया जायगा ।

२.८ **पढ़ाई की सुविधा :** (धारा : ८.८)

२.८.१ कोयला उद्योग में शैक्षणिक संस्थानों का ढाँचा निम्न प्रकार होगा :-

(१) प्राइमरी स्कूल—कोयला खदान/कोलियरी/कोलोनी में ।

(२) मिडिल/जुनियर हाई स्कूल—बड़ी कोलियरियों अथवा कोलियरियों के ग्रूप में ।

(३) हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल—एरिया में ।

उपरोक्त ढाँचे में प्रत्येक कम्पनी/एरिया के आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है । (धारा : ८.८.१)

२.८.२ कोयला खान के श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए कोयला कम्पनियों के प्रबन्धन द्वारा समझौता के चार वर्ष की अवधि में विभिन्न स्तर के १०० स्कूल के मकान बनाये जायेंगे, जिसमें कुछ पुराने मकान के बदले नया तथा कुछ नये मकान शामिल होंगे । स्कूलों में आवश्यक फर्नीचर का इन्तजाम भी किया जायगा । (धारा : ८.८.२)

२.८.३ वर्तमान में प्राइवेट कमिटी द्वारा संचालित स्कूलों की मिलने वाले बराबर (नियमित) के अनुदान (ग्रान्ट) को बढ़ाया जायगा, जिससे स्कूल अच्छी तरह चल सके तथा शिक्षकों को बेहतर वेतन दिया जा सके । कोल इण्डिया द्वारा इसके सहायक कम्पनियों के लिये साल में अतिरिक्त दो करोड़ रुपयों का अनुदान (पूंजीगत खर्च को छोड़कर) दिया जायगा, जिसका संचालन कम्पनी स्तर पर संयुक्त द्विदलीय

समिति द्वारा किया जायगा । जहाँ श्रमिक अपने से धन एकत्र कर प्रबन्धन के पास शैक्षणिक संस्थान हेतु पहुंचेंगे वहाँ कोयला कम्पनियों द्वारा समान रूप से अनुदान दिया जायगा । (धारा : ८.८.३)

२.९ **कैन्टीनों का सुधार :** (धारा : ८.९)

२.९.१ प्रबन्धन इस बात पर सहमत हुए कि समझौता की अवधि में प्रत्क कोलियरी/संस्थान में एक कैन्टीन होगा, जो ठीकेदारों द्वारा नहीं चलाया जायगा । कैन्टीन में लगनेवाला बर्त्तन तथा जलावन (कोयला) कोलियरी प्रबन्धन द्वारा आपूर्ति किया जायगा । कैन्टीन के आकार तथा उसके कार्य कलाप को देखते हुए प्रबन्धन द्वारा कैन्टीन के प्रशासी समिति को और भी कुछ रकम दी जायगी जिससे कैन्टीन द्वारा सस्ते दर पर खाद्य पदार्थ की आपूर्ति हो सके । (धारा : ८.९.१)

३. प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि कल्याणकारी सुविधाओं के सम्बन्ध में समझौता के उपरोक्त वर्णित विभिन्न प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठावे । उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे अपनी कम्पनी में विभिन्न प्रावधानों को क्रियान्वित करने सम्बन्धी अपने प्रस्ताव जे. बी. सी. सी. आई. कार्यालय को १० जनवरी १९८४ तक भेज दें ।

———

बी. आवास तथा शैक्षणिक सुविधाएँ

क्रियान्वयन आदेश संख्या १८, दिनांक १३-३-१९८४

क्रियान्वयन आदेश संख्या ४, दिनांक ३० नवम्बर, १९८३ के बाद एन. सी. डब्लू. ए.-३ की धारा ८.१.१, ८.८.२ एवं ८.८.३ के अनुसार घर आपूर्ति तथा स्कूलों के विषय में जे. बी. सी. सी. आई. की स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की ८ व ९ फरवरी, १९८४ को हुई, दूसरी बैठक में वार्त्तालाप हुई और यह समझौता हुआ कि प्रत्येक कम्पनी को घर तथा स्कूलों का आबंटन करते हुए आदेश जारी किये जायेंगे। यह राजीनामा भी हुआ कि १९८४-८५ वर्ष के लिये लिये विभिन्न इकाइयों के बीच शैक्षणिक सुविधा के लिये अतिरिक्त दो करोड़ रुपयों का आबन्टन कोल इण्डिया द्वारा किया जायगा।

२. तदनुसार आवास तथा स्कूलों का निम्नानुसार आबन्टन करने का फैसला किया गया :—

(ए) **आवास :** समझौता की अवधि के दौरान बनाये जाने वाले घरों की संख्या :—

कम्पनी	*१९८४	१९८५	१९८६	कुल
बी. सी. सी. एल.	५,३५०	४,०००	४,०००	१३,३५०
सी. सी. एल.	७,०००	३,५००	३,५००	१४,०००
ई. सी. एल.	४,३५०	४,०००	४,०००	१२,३५०
डब्लू. सी. एल.	८,४००	४,५००	४,५००	१७,४००
एन. ई. सी.	५००	२५०	२००	९५०
सी.एम.पी.डी.आई.एल.	५०	५०	५०	१५०
टिस्को	८००	३००	३००	१,४००
इस्को	२००	१००	१००	४००
एस. सी. सी. एल.	४,०००	३,८००	२,२००	१०,०००
कुल योग	३०,६५०	२०,५००	१८,८५०	७०,०००

* इसमें १९८३ के लिये भी आंकड़ा दिया गया है एवं शर्त यह है कि प्रत्येक कम्पनी को निर्धारित किये गये आवासों का निर्माण चार वर्षों के भीतर करना होगा। प्रत्येक वर्ष के निर्माण में थोड़ा अन्तर हो सकता है।

स्टैण्डर्ड आवासों के ४०% सन्तुष्टि हासिल करने हेतु भरसक प्रयत्न किये जायेंगे।

(बी) **शिक्षा :** समझौता अवधि के दौरान विभिन्न स्तर के १०० स्कूल भवनों के निर्माण, कुछ पुराने भवनों के स्थान पर नया और कुछ बिलकुल नये बनाये जाने वाले स्कूल भवनों के निर्माण का ब्यौरा :—

कम्पनी	१९८४	१९८५	१९८६	कुल
ई. सी. एल.	१०	६	७	२३
बी. सी. सी. एल.	१०	६	७	२३
सी. सी. एल.	११	६	७	२४
डब्लू. सी. एल.	११	६	७	२४
टिस्को	—	—	१	१
इस्को	—	१	—	१
एस. सी. सी. एल.	२	१	१	४
कुल	४४	२६	३०	१००

स्कूलों में आवश्यक फर्नीचर भी आपूर्ति किया जायगा।

द्रष्टव्य : समझौता की अवधि के दौरान प्रत्येक कम्पनी को निर्धारित स्कूल भवनों का निर्माण कराना होगा। परन्तु प्रत्येक वर्ष के बंटवारे में अन्तर हो सकता है। कम्पनियों को स्कूलों में आवश्यक फर्नीचरों की आपूर्ति करना आवश्यक है।

(सी) कोल इण्डिया की इकाई कम्पनियों के लिये प्रति वर्ष (दो करोड़) अतिरिक्त रकम (कैपिटल पूंजीगत) खर्चों को छोड़कर) का आबंटन :

कम्पनी	रकम (लाख रुपयों में)
ई. सी. एल.	६०.००
बी. सी. सी. एल.	५०.००
सी. सी. एल.	४३.००
डब्लू. सी. एल.	४६.००
एन. ई. सी.	१.००
कुल रुपये	२००.०० लाख

उपरोक्त प्रत्येक कम्पनी को आबंटित रकम का संचालन कम्पनी स्तर के संयुक्त द्विदलीय समिति द्वारा किया जायगा, जिसका गठन यथाशीघ्र कर लिया जाना चाहिये। जहाँ श्रमिक से स्कूल चलाने हेतु अपनी ओर से दान (चन्दे) की व्यवस्था करेंगे वहाँ कम्पनी की ओर से भी समान अनुदान दिया जायगा।

अध्याय—९

सामाजिक सुरक्षा

ए. रिटायर होने (अवकाश प्राप्ति) पर ग्रैच्युटी

क्रियान्वयन आदेश संख्या १४ दिनांक १४-२-१९८४

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ जिसका फैसला कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति द्वारा ११-११-१९८३ को किया गया और जो १-१-१९८३ से लागू हुआ, में निम्नलिखित प्रावधान हैं :—

९. रिटायरमेंट (अवकाश प्राप्ति) के समय ग्रैच्युटी :

ग्रैच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में निम्नलिखित मुद्दों पर समझौता हुआ :—

९.१.१ सेवा काल की पूरी अवधि को ग्रैच्युटी भुगतान के लिये हिसाब में लिया जायगा। उदाहरणस्वरूप यदि कोई श्रमिक किसी खास वर्ष में १९०/२४० दिन से कम उपस्थित रहता है वैसी हालत में उस वर्ष को हाजरी में कमी की वजह से बाद नहीं दिया जायगा।

९.१.२ सेवा की अवधि निकालने के लिये, जिस महीने में श्रमिक रिटायर करेंगे उस महीने के अन्तिम दिन तक को सेवा की अवधि मानी जायगी।

९.१.३ ग्रैच्युटी भुगतान एक्ट में उल्लिखित १००० रु. प्रतिमाह की वर्तमान सीमा के बदले, ग्रैच्युटी के भुगतान हेतु अन्तिम वेतन भुगतान के रकम को हिसाब में लिया जायगा। परन्तु जैसा कि सरकारी कर्मचारियों के लिये लागू है, ग्रैच्युटी का कुल भुगतान ३६,००० रु. से अधिक नहीं होगा। यदि सरकार द्वारा इस सीमा को बढ़ाया जायगा, तो उस हालत में इस पर उसी तरह विचार किया जायगा।

९.१.४ जैसा कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ के तहत राजीनामा हुआ है, ३० वर्ष तक सेवा अवधि के लिये प्रत्येक वर्ष १५ दिन

के वेतन के हिसाब से (बुनियादी मजदूरी, अपरिवर्त्तनीय भत्ता, विशेष भत्ता, परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता तथा जहाँ अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स लागू हो, सभी को जोड़कर) भुगतान किया जायगा । तीस वर्ष से अधिक की सेवा के लिये अन्तिम प्राप्त वेतन के, प्रति पूरे वर्ष पर एक माह की मजदूरी के हिसाब से जोड़ा जायगा परन्तु सेवा के अन्तिम वर्ष के लिये यदि साल पूरा नहीं भी हुआ हो तो उपस्थित दिनों के लिये समानुपातिक दर पर ग्रैच्युटी का भुगतान किया जायगा ।

९.१.५ सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी लिमिटेड तथा टिस्को में वर्तमान में जो योजना तथा सुविधाएं मिलती हैं वह मिलती रहेगी ।

उपरोक्त सभी प्रावधान १-१-१९८३ से लागू हुई समझा जायगा । उपरोक्त प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई किये जाँय ।

— — —

बी. लाइफ कवर स्कीम

क्रियान्वयन आदेश सं. १९ दिनांक १९-३-१९८४

सन्दर्भ पत्रांक सी.आई.एल./सी ५ डो/२/५५१३४/५५८ दिनांक २४-६-८० के साथ ही कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा जारी किये गये लाइफ कवर स्कीम के कापी की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई थी । उसे पत्र संख्या सी ५ सी/जे. बी. सी. सी. आई./लाइफ कवर/७५४ दिनांक ३ जुलाई १९८० में जे. बी. सी. सी. आई. के सदस्यों को भेजी गई थी ।

२. राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के तहत निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं :

"लाइफ कवर स्कीम

९.२.१ वर्तमान लाइफ कवर स्कीम चालू रहेगा तथा सामान्य ग्रैच्युटी के अतिरिक्त १५,००० रु. का भुगतान किया जायगा तथा लाइफ कवर स्कीम को ग्रैच्युटी से अलग रखा जायगा ।"

२.१ इस तरह यह देखा जायगा कि एन. सी. डब्लू. ए.-३ के तहत ११,००० रु. को बढ़ाकर १५,००० रु. कर दिया गया है एवं लाइफ कवर स्कीम को ग्रैच्युटी से अलग कर दिया गया है ।

३.१ अतः परिपत्र (सरकुलर) सं० सी-५ सी/जे.बी सी.सी.आई./लाइफ कवर/१०५८ दिनांक ३ दिसम्बर, १९८० के साथ जो ग्रैच्युटी के लिये पात्रता एवं लाइफ कवर स्कीम के तहत मिलने वाले रकम का जो ब्यौरा (स्टेटमेंट) नत्थी किया गया था वह अब अप्रभावी हो गया है ।

३.२ एन. सी. डब्लू. ए.-३ के उपरोक्त प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए पत्र संख्या २४-६-१९८० के तहत जो लाइफ कवर स्कीम प्रसारित किया गया था तथा उसके बाद जो परिपत्र सं० सी-५ सी/जे. बी. सी. सी. आई./एल. सी. एस./१४९५ दिनांक १८ सितम्बर १९८१ के द्वारा जो संशोधन किया गया था उसे उपयुक्त रूप से परिवर्द्धित कर दिया गया है और संशोधित स्कीम (योजना) को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के तहत लागू करने हेतु दिया जा रहा है ।

कोल इण्डिया लिमिटेड

डिपोजिट लिंक्ड इन्स्योरेन्स स्कीम, १९७६ के सन्दर्भ में लाइफ कवर स्कीम

लाइफ कवर स्कीम (योजना) का फैलाव :

यह स्कीम कोल इण्डिया लिमिटेड के कर्मचारियों, जो इसके प्रधान कार्यालय, इकाई एवं सहायक कम्पनियाँ जैसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं सेन्ट्रल इञ्जीनियरिंग माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्युट लिमिटेड में नियोजित हैं और जो राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के अधीन आते हैं और जो किसी भी अंशदायी प्रोविडेन्ट फण्ड जैसे कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड, इम्प्लाइज प्रोविडेन्ट फण्ड, सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड प्रोविडेन्ट फण्ड अथवा कोल माइन्स औथोरिटी लिमिटेड प्रोविडेन्ट फण्ड के सदस्य हैं, वशर्ते कि वे किसी भी पेंशन स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं, वे सभी इस स्कीम के तहत आयेंगे ।

इस स्कीम को 'कोल इण्डिया लिमिटेड की लाइफ कवर स्कीम' के नाम से पुकारा जायगा और वह उस दिन से लागू होगा जिस दिन से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाय । अथवा सम्बन्धित डिपोजिट लिंक्ड इन्स्योरेन्स स्कीम के तहत जिस दिन से छूट मिला हो । (याने १-१-१९७९ से)

स्कीम की लागत :

इस स्कीम के तहत देय खर्च कोल इण्डिया लिमिटेड अथवा इसकी सहायक कम्पनियाँ जो भी हो, के जिम्मे होगा तथा इस बात पर निर्भर करेगा कि मृत्यु के समय मृतक कर्मचारी किस कम्पनी के अधीन काम करता था । कर्मचारियों को स्कीम की लागत के लिये न तो कोई अंशदान ही करना होगा और न कोई प्रिमियम देना पड़ेगा ।

परिभाषाएँ :

२. इन नियमावलियों में, जहाँ भी सन्दर्भ ऐसा लागू हो पुलिंग के साथ-साथ स्त्रीलिंग और एक बचन के साथ बहुबचन भी सम्मिलित होगा और निम्नलिखित शब्दों तथा उद्धरणों, यदि सन्दर्भ के विपरीत न हों तो, उनका अर्थ निम्न प्रकार होगा :

(क) "कम्पनी" का अर्थ कोल इण्डिया लिमिटेड होगा और इसमें इसका मुख्यालय, इकाईयाँ तथा सहायक कम्पनियाँ शामिल होंगी ।

(ख) "नियोजक" का अर्थ कम्पनी होगा, जैसा कि उपरोक्त (क) में वर्णित है ।

(ग) "स्कीम" का अर्थ "कोल इण्डिया लिमिटेड का लाइफ कवर स्कीम" होगा ।

(घ) "प्रोविडेन्ट फण्ड" का अर्थ सम्बन्धित कानूनों (अधिनियमों) के तहत स्थापित अंशदायी प्रोविडेन्ट फण्ड, जैसे दि इम्प्लाइज प्रोविडेन्ट फण्ड मिसलेनियस प्रोभिजन्स एक्ट १९५२ एवं कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड, एण्ड मिसलेनियस प्रोभिजन्स एक्ट १९५२ । दि सेन्ट्रल कोलफील्ड लि० प्रोविडेन्ट फण्ड एवं दि कोल माइन्स औथोरिटी लिमिटेड प्रोविडेन्ट फण्ड ।

(ङ) "नियमावलियाँ" का अर्थ स्कीम की नियमावलियाँ होंगी जो यहाँ दी जा रही हैं और जैसा समय-समय पर संशोधित की जाय ।

(च) "सदस्य" का अर्थ एक कर्मचारी जो कोल इण्डिया लिमिटेड अथवा इसकी सहायक कम्पनियों, जो इस स्कीम के अन्तर्गत आते हैं और जो इसके सदस्य बनाये गये हैं और जिनके जीवन पर (आधारित) स्कीम नियमावलियों के अनुसार एक लाइफ कवर चालु किया गया है ।

(छ) "लाइफ कवर" का अर्थ लाइफ कवर रकम से होगा जो सदस्य के जीवन पर लागू होगा ।

(ज) "नामित व्यक्ति (नोमिनी)" का अर्थ वह व्यक्ति या उन व्यक्तियों से होगा जो सम्बन्धित प्रोविडेन्ट फण्ड स्कीम के तहत उसके मृत्यु हो जाने पर उसका लाभ प्राप्त करने हेतु नामित किया गया हो, वशर्ते कि सम्बन्धित प्रोविडेन्ट फण्ड स्कीम के तहत वैध नामांकन (नोमिनेशन) विद्यमान नहीं हो, ग्रैच्युटी भुगतान एक्ट के तहत नामांकन (नोमिनेशन) वैध हो ।

(झ) "लागू की तारीख" वह दिन होगा जिस दिन से भारत सरकार इसे लागू करने की अनुमति प्रदान करती है/सम्बन्धित डी. एल. आई. (डेथ लिंक्ड इन्स्योरेन्स) के तहत छूट प्रदान करती है ।

३. **पात्रता :**

(अ) निम्नलिखित कैटेगरी के श्रमिक इस स्कीम के सदस्य होने के पात्र होंगे :

सभी कर्मचारी जो कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड (सी. एम. पी. एफ.) इम्प्लाइज प्रोविडेन्ट फण्ड (ई. पी. एफ.)/सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड प्रोविडेन्ट फण्ड (सी.सी.एल.पी.एफ)/ कोल माइन्स औथोरिटी लिमिटेड प्रोविडेन्ट फण्ड (सी.एम.ए. एल.पी.एफ.) के सदस्य के रूप में भर्ती किये गये हैं।

वर्तमान कर्मचारी जो लागू होने के दिन इस श्रेणी में आयेंगे तथा जो उपरोक्त वर्णित किसी भी प्रोविडेन्ट फण्ड स्कीम के सदस्य हैं वे स्वतः ही उस दिन से इस स्कीम के सदस्य हो जायेंगे। वे कर्मचारी जो लागू होने के दिन उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते हैं वे उक्त किसी भी प्रोविडेन्ट फण्ड स्कीम के जिस दिन से सदस्य बनेंगे उसी दिन से इस स्कीम के सदस्य हो जायेंगे।

भविष्य में आने वाले कर्मचारियों के लिये सेवा की शर्तों में एक यह शर्त भी होगा कि जिस दिन से वे उपरोक्त किसी भी प्रोविडेन्ट फण्ड स्कीम के सदस्य बनेंगे उसी दिन से वे इस स्कीम के भी सदस्य हो जायेंगे।

(ब) डेपुटेशन में आने वाले कर्मचारी इस स्कीम के सदस्य नहीं हो सकेंगे।

(स) स्कीम में निर्दिष्ट पात्रता की शर्तों को पूरा करने तक कोई भी सदस्य इस स्कीम की सदस्यता से पृथक नहीं हो पायेंगे।

४. **उम्र का प्रमाण :**

यदि इस स्कीम के तहत प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध में उसके स्कीम में प्रवेश के समय उम्र प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता हो तो वह नियोजक द्वारा दिया जायगा।

५. **लाइफ कवर स्कीम :**

लाइफ कवर हेतु प्रति सदस्य के लिये ११,००० रु० (ग्यारह हजार रुपये) का रकम होगा।

६. **सेवा अवधि में मृत्यु होने से मिलनेवाला लाभ :**

कोल इण्डिया लिमिटेड की सेवा की अवधि में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस सदस्य के वारिश/वारिशों को ११,००० (ग्यारह हजार) रुपये का भुगतान किया जायगा।

७. **लाइफ कवर की समाप्ति :**

निम्नलिखित में से किसी भी एक घटना के घटने से किसी सदस्य के लाइफ कवर की समाप्ति हो जायगी :—

(अ) किसी सदस्य के सामान्य स्थिति में रिटायर होने अथवा स्वैच्छिक रिटायर होने की स्थिथि में।

(ब) सदस्य द्वारा नियोजक की सेवा में नहीं रहने पर, अथवा

(स) किसी सदस्य के किसी भी कारण से सम्बन्धित प्रोविडेन्ट फण्ड स्कीम की सदस्यता से पृथक (च्यूत) होने पर।

८ **प्रत्याशा अथवा भार पर प्रतिबन्ध :**

इस स्कीम के तहत मिलने वाला लाभ एकान्त व्यक्तिगत है और निम्न प्रकार से निर्दिष्ट नियुक्ति व्यक्ति (नोमिनेशन) के अलावा किसी भी प्रकार किसी दूसरे को पृष्ठांकित, बेचा अथवा अलग नहीं किया जा सकता है।

८. ए **परिवार :**

"परिवार" का अर्थ

(क) एक पुरुष सदस्य के लिये, उसकी पत्नी, उसके बच्चे जो विवाहित अथवा अविवाहित हो सकते हैं, उसके आश्रित अभिभावक (माता-पिता) तथा उसके मृतक पुत्र की विधवा व बच्चे।

वशर्ते कि यदि कोई सदस्य यह साबित करे कि उसकी पत्नी उसके ऊपर लागू व्यक्तिगत कानूनों के तहत अलग हो गयी है अथवा सामाजिक नियमों के अन्तर्गत जिसके अधीन वे दम्पति आते हैं और उसकी पत्नी परिवरिश की हकदार है तो उन मामलों में जिससे यह स्कीम सम्बन्धित है, उसकी पत्नी उसके परिवार की सदस्य नहीं मानी (समझी) जायगी। तथापि/यदि सदस्य लिखित रूप से अपने नियोजक को यह

सूचित करे कि उसकी पत्नी को फिर से उसके वारिशों में माना जाय तो उसे परिवार का सदस्य माना जायगा ।

(ख) महिला सदस्य होने की स्थिति में, उसका पति, उसके बच्चे विवाहित अथवा अविवाहित, उसके आश्रित माता-पिता, उसके पति के आश्रित माता-पिता तथा उसके पुत्र की विधवा एवं बच्चे ।

वशर्ते कि यदि सदस्य अपने नियोजक को लिखित सूचना देकर यह इच्छा प्रकट करे कि उसके पति को उसके परिवार से पृथक समझा जाय तो उसका पति उस सदस्य के परिवार का सदस्य नहीं माना जायगा तथापि यदि सदस्य द्वारा पुन: लिखित रूप से वैसे किसी सूचना को रद्द किया जाता है तो फिर से उसके पति को उसके परिवार का सदस्य माना जायगा ।

स्पष्टीकरण : उपरोक्त में से किसी भी हालत में, यदि किसी सदस्य का बच्चा (अथवा सदस्य के मृतक पुत्र का बच्चा, जो भी हो) किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उसके (गोद लेने वाले के) व्यक्तिगत कानून के तहत गोद ले लिया जाता है तो इस तरह के गोद लेने को वैध माना जायगा और वह बच्चा उस सदस्य के परिवार से पृथक माना जायगा ।

६. लाइफ कवर के रकम का भुगतान किसे किया जायगा :

(क) सेवा की अवधि में किसी सदस्य को मृत्यु होने पर सम्बन्धित प्रोविडेन्ट फण्ड स्कीम अथवा ग्रैच्युटी भुगतान कानून, जो भी हो, के तहत सदस्य द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को ११,००० (ग्यारह हजार) रुपये का भुगतान किया जायगा ।

(ख) यदि कोई व्यक्ति नियुक्त (नोमिनेट) नहीं किया गया हो अथवा वह उस लाभ के लिये आंशिक नियुक्ति (नोमिनेट) किया गया हो तो वह पूरी रकम अथवा उसका अंश जिसके लिये नोमिनेशन नहीं किया गया है तो सदस्य/सदस्या के परिवार के सदस्यों के बीच समान हिस्से में भुगतान किया जायगा :

बशर्ते कि वह हिस्सा निम्नलिखित को नहीं मिलेगा :

(अ) पुत्रों को, जो बालिग हो गये हैं,

(आ) मृतक पुत्र के पुत्रों को, जो बालिग हो गये हैं,

(इ) विवाहित पुत्रियों को, जिनके पति जीवित हैं,

(ई) मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियों को, जिनके पति जीवित हैं ।

उपरोक्त (अ), (आ), (इ) तथा (ई) में उल्लिखित व्यक्तियों को छोड़कर यदि सदस्य के परिवार के अन्य कोई सदस्य हों ।

बशर्ते आगे की मृतक पुत्र की विधवा अथवा विधवाओं एवं बच्चा/बच्चों को समान रूप से सिर्फ उतना हिस्सा ही मिलेगा जितना कि उसे जीवित होने पर तथा सदस्य की मृत्यु के समय बालिग नहीं होने पर मिलता ।

(ग) जिस किसी मामले में धारा (क) तथा (ख) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं वहाँ सम्पूर्ण रकम उस व्यक्ति को दे दिया जायगा जो कानूनन उसके हकदार हैं ।

स्पष्टीकरण : उपरोक्त पारा के उद्देश्य से किसी कर्मचारी की मृत्यु के बाद जन्म लिये उसके बच्चे को उसी प्रकार की सुविधा दी जायगी जिस प्रकार उसके जीवित अवस्था में जन्मे बच्चे को दी जाती हैं ।

१०. लाइफ कवर के रकम में परिवर्त्तन :

इस स्कीम (योजना) के तहत मिलने वाले लाभ के परिमाण में उपयुक्त सरकारी प्राधिकार की अनुमति के बिना कोई कमी नहीं की जा सकती ।

११. स्कीम में संशोधन अथवा उसकी समाप्ति :

कम्पनी किसी भी दिन से इस स्कीम को समाप्त करने अथवा उसके नियमों में तीन महीने की नोटिस (सूचना) देकर परिवर्त्तन करने के अधिकार को सुरक्षित रखती है, बशर्ते कि स्कीम की समाप्ति अथवा उसके नियमों में परिवर्त्तन, किसी उपयुक्त सरकारी प्राधिकार के पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता ।

१२. **सामान्य :**

कर्मचारियों को सी. एम. पी. एफ./इम्प्लाइज डिपोजिट लिंक्ड इन्स्योरेन्स स्कीम, १९७६ के तहत दिये गये सुविधाओं के बदले मिलने वाले लाभों को इस स्कीम में समाविष्ट किया गया है। यह स्कीम तब तक लागू रहेगा जब तक कि कोई कर्मचारी उक्त सी. एम. पी. एफ. / इम्प्लाइज डिपोजिट लिंक्ड इन्स्योरेन्स स्कीम, १९७६ के प्रावधानों से छूट नहीं मिल जाती तथा सम्बन्धित सरकारी प्राधिकार की पूर्व अनुमति लिये बिना न तो कोई परिवर्त्तन किया जा सकता है और न ही सदस्यता छोड़ी जा सकती है।

यदि किसी समय सी. एम. पी. एफ./इम्प्लाइज डिपोजिट लिंक्ड इन्स्योरेन्स स्कीम में मिलने वाले सुविधाओं में इस स्कीम से अधिक उदारतापूर्वक वृद्धि होती हैं तो कम्पनी भी सरकार से परामर्श करके इस स्कीम के तहत लाइफ कवर सुविधाओं में उपयुक्त सुधार करने की दिशा में कदम उठायेगी।

——

सी. वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन लाभ

क्रियान्वयन आदेश सं• १५ दिनांक १५-२-१९८४

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ दिनांक ११-८-१९७९ के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाओं का प्रावधान है :

''वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन बेनिफिट (श्रमिकों की क्षतिपूर्ति लाभ) :

१०.३.१ यह राजीनामा हुआ कि :—

(क) जो कर्मचारी इस समझौता के अन्तर्गत आते हैं वे वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन एक्ट, १९२३ के तहत मिलने वाले सुविधाओं के हकदार होंगे।

(ख) इस समझौता के द्वारा वेतन में संशोधन होने से वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों पर कोई भारी असर नहीं पड़ेगा।

(ग) यदि कोई कर्मचारी अपने नियोजन की अवधि में कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होकर यदि अपंग हो जाता है तो वह दुर्घटना के दिन से कम्पनी के मेडिकल आफिसर (चिकित्सा पदाधिकारी) द्वारा फिट घोषित किये जाने तक पूरी बेसिक मजदूरी तथा मंहगाई भत्ता पायगा। इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु उस अपंग कर्मचारी को कोलियरी/प्रतिष्ठान के अन्तर्गत ही रहना पड़ेगा।

(घ) अपंगता की अवधि के दौरान कम्पेन्सेशन (क्षतिपूर्ति) का भुगतान सम्बन्धित श्रमिक द्वारा दुर्घटनाग्रस्त होने के तुरन्त पहले प्राप्त अन्तिम वेतन के आधार पर किया जायगा।"

२. राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ दिनांक ११ नवम्बर, १९८३, जो १-१-१९८३ से लागू हुआ, उसमें निम्नलिखित प्रावधान बनाये गये हैं :

''वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन बेनिफिट (लाभ) कर्मचारी क्षतिपूरक सुविधाएँ :

९.३.१ राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-२ की धारा १०.३.१ के तहत

प्रावधान के अतिरिक्त और भी निम्नलिखित रियायतों पर राजीनामा हुआ ।

(१) सेवा अवधि में कार्यकाल के दौरान दुर्घटना के कारण हुए तात्कालिक अपंगता की अवधि में श्रमिकों को किये गये वेतन के भुगतान को चाहे वह सदा के लिये—आंशिक अथवा पूर्णरूपेण अपंगता के कारण हुआ हो, के लिये क्षतिपूर्ति के रूप में मिलने वाली रकम से काटा नहीं जायगा ।

(२) वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन एक्ट के अधीन, दुर्घटनाग्रस्त होकर बराबर के लिये पूरा अपंग होने तथा मृत्यु के लिये मिलने वाले कम्पेन्सेशन (क्षतिपूर्ति) के अलावा कार्यावधि में कार्य के दौरान हुई दुर्घटना के फलस्वरूप बराबर के लिये हुए अपंगता तथा मृत्यु की स्थिति में प्रत्येक केस के लिये १०,०००) रु० (दस हजार रुपये) की अनुग्रह राशि दी जायगी ।

(३) वैसे कर्मचारियों के लिये जो वर्तमान में 'वर्कमेन' की परिभाषा के अधीन नहीं आते हैं, उदाहरण के लिये वैसे कर्मचारी जिनका वेतन १००० रु० (एक हजार रुपये) प्रतिमाह से अधिक हो और यदि कम्पेन्सेशन कमिश्नर कम्पेन्सेशन की रकम को लेने से इन्कार करे तो संतोषप्रद कानूनी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा एग्रीमेंट/इन्डेमनिटी बौंड बना देने पर, जिससे भविष्य में इस सम्बन्ध में अन्य कोई मांग नहीं किया जा सके, तब मृतक श्रमिक के कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान कर दिया जायगा ।

———

डी. आश्रितों की बहाली (नियुक्ति) का प्रावधान

(धाराएं ९.४.१ से ९.४.३ तक)

(कार्यान्वयन आदेश सं० २० दिनांक २०-३-१९८४)

१. राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ जिसे जे.बी.सी.सी.आई. द्वारा ११-११-८३ को अन्तिम रूप दिया गया और जो १-१-१९८३ से लागू हुआ, उसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं :

"श्रमिकों के आश्रितों की नौकरी :

९.४.१ दुर्घटनाग्रस्त होकर मरने वाले तथा बराबर के लिये अपंग होने वाले कर्मचारियों के एक आश्रित को नौकरी दिया जायगा । इस प्रावधान को निम्न रूप से क्रियान्वित किया जायगा ।

९.४.२ **सेवा-अवधि में मरनेवाले श्रमिकों के एक आश्रित को नौकरी :**

(क) इसके लिये आश्रितों की श्रेणी में निम्नलिखित आवेंगे :—

पत्नी/पति जो भी हो, अविवाहित पुत्री, पुत्र तथा कानूनी दत्तक पुत्र । यदि नौकरी के लिये उपरोक्त सीधे आश्रित उपलब्ध नहीं हों तो मृतक का छोटा भाई, विधवा पुत्री/विधवा पुत्र-बधू अथवा दामाद जो मृतक के साथ रहता आ रहा हो तथा उसी की आमदनी पर पूर्णरूपेण परिवरिश के लिये आश्रित हो, तो उन्हें मृतक के आश्रित के रूप में विचार किया जा सकता है ।

(ख) काम देने का विचार उन्हीं आश्रित को किया जायगा जो शारीरिक रूप से दक्ष हो तथा ३५ वर्ष से अधिक उम्र का नहीं हो । आश्रित में पत्नी अथवा पति होने से उम्र सीमा की कोई पाबन्दी नहीं रहेगी ।

९.४.३ **स्थायी रूप से अपंग होने पर उस श्रमिक के एक आश्रित को नौकरी :**

(क) दुर्घटनाग्रस्त अथवा बिमारी के कारण स्थायी रूप से अपंग होने के फलस्वरूप श्रमिक की नौकरी चले जाने पर सम्बन्धित कोयला कम्पनी द्वारा उसे सही प्रमाणित किया जाना चाहिये ।

(ख) आश्रित को नौकरी में बहाल होने के लिये तभी विचार किया जायगा यदि वह आश्रित शारीरिक रूप से सक्षम हों तथा ३५ वर्ष की उम्र के नीचे हो। आश्रित में पति अथवा पत्नी होने से उम्र सीमा की कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

२. एकरूपता की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि प्रत्येक कम्पनी में मृतक श्रमिक तथा स्थायी रूप से अपंग हुए श्रमिकों के एक आश्रित को काम देने हेतु विचार किया जाय एवं निदेशक (कार्मिक) के स्तर पर अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्मिक विभाग के प्रधान द्वारा उसपर विचार तथा निर्णय किया जाना चाहिये। पहले एन. सी. डब्लू. ए.-२ में यह सुझाव दिया गया था कि एक ऐसा तरीका अपनाया जाना चाहिये जिसमें इस तरह के सभी मामले का विस्तृत ब्यौरा सम्बन्धित इकाई द्वारा उपरोक्त अधिकारियों के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाय।

———

आश्रितों की नियुक्ति के प्रावधान (धारा ६.४.१ से ६.४.३) कार्यान्वयन आदेश संख्या २० दिनांक २०-३-८४ का संशोधन

जे. बी. सी. सी. आई. कार्यालय पत्र संख्या एन. सी. डब्लू. ए.-३ (आई. आई. (कार्यान्वयन आदेश) सं० २०/८४)/१४३० दिनांक २० मार्च १९८४ का संदर्भ देते हुए निम्न संशोधन किया गया है।

धारा ६.४.२ (ख) के तहत "विधवा पुत्री / विधवा पुत्रवधू" के बाद "अथवा दामाद" शब्दों को जोड़ा जाय।

———

अध्याय—११

सामान्य

अ. साप्ताहिक अवकाश के दिन के लिये ओवरटाइम तथा मजदूरी का भुगतान

कार्यान्वयन आदेश संख्या २७ दिनांक २५-४-१९८४

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ जिसका फैसला ११-११-१९८३ को हुआ, और जो १-१-१९८३ से लागू हुआ उसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं :—

"११.३.१ **ओवरटाइम का भुगतान :**

विभिन्न प्रतिष्ठानों, इकाइयों तथा आफिसों में सभी कैटेगरियों के श्रमिकों को जिस प्रकार ओवरटाइम काम का भुगतान होता था वह होता रहेगा।

११.४.१ **साप्ताहिक छुट्टी के दिन की मजदूरी :**

माइन्स एक्ट अथवा फैक्टरीज एक्ट के नियमों द्वारा संचालित खदान तथा प्रतिष्ठान के श्रमिकों को साप्ताहिक छुट्टी के दिन काम में बुलाये जाने पर सामान्य मजदूरी से दूनी मजदूरी के भुगतान को स्वीकृत किया जायगा।

२. एन. सी. डब्लू. ए.-३ की धारा ११.३.१ के प्रावधानों के अनुसार सुपरवाइजरी तथा गोपनकार्य से सम्बन्धित कर्मचारियों को ओवर-टाइम की पात्रता के लिये बेसिक मजदूरी निर्धारित करने के प्रश्न पर जे. बी. सी. सी. आई.-३ की स्टैण्डरडाइजेशन (एकरूपता) समिति की विभिन्न बैठकों में वार्त्तालाप हुई तथा १२ एवं १३ अप्रील, १९८४ को हुए बैठक में यह राजीनामा हुआ कि पिछले निर्धारित ८१५ रु० प्रतिमाह के बेसिक मजदूरी को बढ़ाकर १०८६ रु० प्रतिमाह बेसिक मजदूरी पर निर्धारित किया जायगा एवं अन्य

शर्तें जैसा कि आई. आई. (कार्यान्वयन आदेश) सं. ३२ दिनांक २२-६-१९८० में दिया गया है उसी के अनुसार रहेंगी ।

३. तदनुसार आई.आई. (कार्यान्वयन आदेश) सं. ३२ दिनांक २६-६-८० में दिये गये प्रावधानों को समुचित संशोधन किया जाता है और नीचे उधृत किया जाता है :—

(क) गोपनीय कार्य तथा सुपरवाइजरी श्रमिक सहित सभी कर्मचारी जो एन. सी. डब्लू. ए.-३ द्वारा शासित होते हैं और जो माइन्स एक्ट तथा फैक्टरीज एक्ट के अन्तर्गत आने वाले संस्थान में नियुक्त हैं व साप्ताहिक अवकाश के दिन कोलियरी/संस्थान के काम पर बुलाये जाते हैं तो उनके बेसिक मजदूरी/वेतन सीमा का विचार किये बगैर सबों को उनके सामान्य मजदूरी से दूनी मजदूरी भुगतान को स्वीकृत किया जायगा ।

(ख) गोपनीय कार्य तथा सुपरवाइजरी श्रमिक जो १०८६ रु० प्रतिमाह तक कुल बेसिक मजदूरी पाते हैं वे जैसा कि माइन्स एक्ट अथवा फैक्टरीज एक्ट में प्रावधान है, सामान्य कार्य दिवस में ओवरटाइम काम के लिये ओवरटाइम एलाउन्स पाने के हकदार होंगे, वशर्ते कि उन एक्ट के प्रावधानों को पूरा करते हों ।

(ग) गोपनीय कार्य (कन्फिडेन्सियल) तथा सुपरवाइजरी श्रमिक जो १०८६ रु० प्रतिमाह से अधिक बेसिक वेतन पाते हैं और सामान्य कार्य दिवस में माइन्स एक्ट अथवा फैक्टरीज एक्ट के अन्तर्गत संचालित कोलियरी/प्रतिष्ठान में ओवरटाइम में काम के लिये रोक लिये जाते हैं, उन्हें माइन्स एक्ट अथवा फैक्टरीज एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक तत्सम्बन्धी शर्तों को पूरा करने पर, उनकी बेसिक मजदूरी सिर्फ १०८६ रु० प्रतिमाह मानकर और उसी आधार पर हिसाब करके ओवरटाइम एलाउन्स का भुगतान किया जायगा ।

(घ) कन्फिडेन्सियल तथा सुपरवाइजरी श्रमिक जो १०८६ रु० बेसिक प्रतिमाह से अधिक पाते हैं और जो माइन्स एक्ट तथा फैक्टरीज एक्ट के तहत पड़ने वाले कोलियरी/प्रतिष्ठान में

ओवरटाइम काम के लिये, यद्यपि उनका बेसिक प्रतिमाह १०८६ रु० से अधिक होने पर भी, ओवरटाइम एलाउन्स पाते आये हैं, वे ओवरटाइम एलाउन्स पाते रहेंगे । यह सिर्फ सम्बन्धित कर्मचारी की व्यक्तिगत सुविधा होगी और सम्बन्धित कर्मचारी के नन-एक्जिक्युटिव से पृथक होने के साथ ही यह सुविधा समाप्त हो जायगी ।

(ङ) कन्फिडेन्सियल तथा सुपरवाइजरी कर्मचारी जो १०८६ रु० प्रतिमाह से अधिक बेसिक मजदूरी पा रहे हैं और जिन्हें साप्ताहिक अवकाश के दिन काम के लिये सामान्य दर से दूना ओवरटाइम एलाउन्स अथवा अतिरिक्त भुगतान मिला होता वे उपरोक्त सब-पैरा (क), (ख) और (ग) जो भी हो, में वर्णित निर्णय के समकक्ष लाये जायंगे ।

४. उपरोक्त निर्णयों का क्रियान्वयन-१-४-१९८४ से किया जायगा ।

— — —

ब. साप्ताहिक अवकाश के दिन के लिये मजदूरी तथा ओवरटाइम का भुगतान

क्रियान्वयन आदेश संख्या २६ दिनांक ७-६-१९८४

सन्दर्भ : जे.बी.सी.सी.आई. कार्यालय पत्र संख्या एन. सी. डब्लू. ए.-३ (आई. आई. (क्रियान्वयन आदेश) सं २७/८४)/ २५४ दिनांक २५ अप्रील, १९८४

उपरोक्त विषय के ऊपर क्रियान्वयन आदेश संख्या २७ दिनांक २५ अप्रील, १९८४ की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

२. इस विषय पर स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की १७ और १८ मई, १९८४ को हुए बैठक में आगे वार्तालाप हुई और निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

"५. **ओवरटाइम एलाउन्स :**

श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया गया कि क्रियान्वयन आदेश संख्या २७ दिनांक २५-४-८४ के अन्तर्गत ओवरटाइम भुगतान के विषय में उल्लेख है कि इसका क्रियान्वयन १-४-१९८४ से होगा एवं इस पर बातचीत नहीं हुई है । प्रबन्धन प्रतिनिधि द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि चूंकि यह फैसला १२ एवं १३ अप्रील १९८४ की बैठक में लिया गया था, अतः इसे १-४-१९८४ से लागू करने का निर्णय लिया गया । इस बात की स्वीकृति दी गई कि कन्फिडेन्सियल तथा सुपरवाइजरी कर्मचारी जो १-१-८३ के पहले ओवरटाइम पा रहे थे वे क्रियान्वयन आदेश सं. २७ दिनांक २५-४-८४ के अनुसार ओवरटाइम पाते रहेंगे ।

———

स. ठीकेदारी श्रमिक प्रथा की समाप्ति

कार्यान्वयन आदेश सं. ३४ दिनांक १७-७-१९८४

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३, जिसका फैसला जे. बी. सी. सी. आई. द्वारा ११-११-१९८३ को हुआ, उसमें निम्नलिखित प्रावधान हैं :

"११.५ **ठीकेदारी श्रमिक प्रथा की समाप्ति :**

११.५.१ उद्योग में ठीकेदार द्वारा श्रमिकों की बहाली नहीं की जायगी अथवा ठीकेदार के श्रमिकों को उन जगहों पर काम में नहीं लगाया जायगा जो काम या तो स्थायी है अथवा बराबर होने वाला है ।

११.५.२ स्थायी तथा बराबर होने वाला कार्य जो वर्तमान में डिपार्टमेंट द्वारा कराया जा रहा है वह स्थायी श्रमिकों द्वारा कराया जाता रहेगा ।

११.५.३ उपरोक्त धारा के प्रावधान के क्रियान्वयन में हुए प्रगति का मूल्यांकन समय-समय पर द्विदलीय समिति द्वारा किया जायगा ।

११.५.४ प्रधान नियोक्ता के रूप में प्रबन्धन द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों की धाराओं का नियमन जैसा कि ठीकेदारी श्रमिकों पर लागू है, उसे ठीकेदारी श्रमिक सेल के जरिये नियमन तथा देखभाल किया जाता रहेगा ।

२. प्रबन्धनों से यह अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त प्रावधानों (यथा) ११.५.१, ११.५.२ एवं ११.५.४ को क्रियान्वित करने हेतु कार्रवाई की जाय ।

३. इन प्रावधानों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु जे. बी. सी. सी. आई. कार्यालय को मासिक प्रगति विवरण भेजा जाय ।

———

अध्याय—१२

समझौता का क्रियान्वयन

१. **प्रोमोशन पालिसी कमिटी :**

क्रियान्वयन आदेश संख्या ३० दिनांक २६-६-१९८४

ए. **इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल विभाग के लिये कैडर स्कीम/ प्रोन्नति (प्रोमोशन) के नियम :**

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. की प्रोमोशन पालिसी कमिटी ने इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल विभाग के कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम/प्रोमोशन नियमावलियों का फैसला इसके ८ व ९ मई, १९८४ एवं १८ जून, १९८४ को हुए बैठक में किया गया। यह राजीनामा भी हुआ था कि इस सम्बन्ध में क्रियान्वयन आदेश भी जारी कर दिये जाँय एवं उसकी एक-एक प्रति जे. बी. सी. सी. आई. के सदस्यों की जानकारी हेतु भेजी जाय।

२. तदनुसार, उसे कैडर स्कीम सं० ७ के रूप में सम्बन्धित सबों को भेजा गया और प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया कि निम्नलिखित संशोधनों के साथ उसे क्रियान्वित करने की दिशा में कदम उठावें :

(क) कैडर स्कीम संख्या ७-१ (VII-1) जिसमें क्रम सं० ८ पर हालेज खलासी से वाइंडिंग इंजिन खलासी के लिये प्रोमोशन चैनेल से सम्बन्धित कैडर स्कीम संख्या ७-१ (VII-1) के क्रम सं० ८ पर "६०० एच. पी. और उसके ऊपर" के बदले "५५० एच पी. तथा उसके ऊपर" हो जायगा।

संशोधित पदनाम निम्नप्रकार होगा :

कूपे वाइण्डर आपरेटर

(५००० बी. ओ. बी. तक अर्थात् ५५० एच. पी. तथा उसके ऊपर)

३. आगे, परिशिष्ट ७-११ के अनुसार कारपेन्टरों से सम्बन्धित कैडर स्कीम अभी भी वार्त्तालाप के क्रम में है, अतः वह बाद में प्रसारित किया जायगा।

४. ज्ञातव्य हो कि इन कैडर स्कीमों को लागू हो जाने पर इस विषय पर जारी किये गये सभी आदेश तथा निर्देश साथ-साथ रद्द समझे जायंगे।

———

कैडर स्कीम संख्या—७

इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल डिसिप्लिन के श्रमिकों के लिये कैडर स्कीम

१. **संक्षिप्त नाम, सीमा एवं श्रेणी :**

(क) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के तहत गठित (बनाये गये) इस योजना (स्कीम) को "इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल डिसिप्लिन के कर्मचारियों का कैडर स्कीम" के नाम से पुकारेंगे।

(ख) यह स्कीम इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल कैडर के समस्त श्रमिकों पर लागू होगा, और इसे चार श्रेणियों में विभक्त किया गया है :

(१) **डिप्लोमा धारी :** जो मैट्रिक के बाद स्वीकृत संस्थान/ विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल / मेकैनिकल में तीन वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करके डिप्लोमा प्राप्त हो।

(२) **तृतीय प्रमाण-पत्र प्राप्त :**

(अ) वे जो मैट्रिक के बाद अपने सम्बन्धित ट्रेड (व्यवसाय) में मान्यताप्राप्त संस्थान से तीसरा प्रमाण - पत्र प्राप्त हैं।

(ब) **तृतीय प्रमाण-पत्र प्राप्तकर्त्ता :** वे जो सम्बन्धित ट्रेड में किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से तृतीय प्रमाण-पत्र प्राप्त हैं परन्तु मैट्रिक अथवा एस. एस. एल. सी. प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त हैं।

(३) **मैट्रिकुलेट :** वे जो किसी मान्यताप्राप्त संस्थान / बोर्ड/ युनिवर्सिटी से मैट्रिक पास है।

(४) **अन्य :** मैट्रिक से नीचे तथा निरक्षर।

(ग) इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल कैडर को आगे निम्न प्रकार विभाजित किया गया है :

(अ) **आपरेशनल :** इसके अन्तर्गत नीचे दिये गये कैटेगरी के कार्मिक आते हैं :—

(१) **हालेज खलासी तथा वाइन्डिंग इन्जिन खलासी :** स्क्रैपर स्लशर खलासी/ड्राइवर आपरेटर कैटेगरी-२ में हालेज खलासी / वाइन्डिंग इन्जिन

र/कूपे वाइण्डर आपरेटर
परिशिष्ट ७-१

ा खलासी/ड्राइवर/आपरेटर/
ाम्प खलासी/ड्राइवर/आपरेटर
परिशिष्ट ७-२

खलासी / ड्राइवर / आपरेटर
न खलासी)
परिशिष्ट ७-३

(ब्वायलर फायरमैन कैटे.-४
थम श्रेणी कैटे.-५)
परिशिष्ट ७-४

(लैम्प मजदूर कैटे.-१ से
ाल ग्रेड-१)
परिशिष्ट ७-५

कम्प्रेसर खलासी / आपरेटर/
परिशिष्ट ७-६

(जेनरल मजदूर कैटे.-१
ैटे.-५) परिशिष्ट ७-७

एवं ड्रिलर : (जेनरल
६ में सी. सी एम. ड्राइवर)
परिशिष्ट ७-८

निम्नलिखित कैटेगरी के

मोल्डर ग्रेड (डब्लू)
परिशिष्ट ७-९

ल्डर कैटे.-६)
परिशिष्ट ७-१०

(३) **कारपेन्टर (बढ़ई) :** हेल्पर कैटे-२ से पैटर्न मेकर कैटे.-६) परिशिष्ट ७-११

(४) **टब रिपेयरिंग (मरम्मत)/मेकिंग (बनाना) कार्मिक :** टब रिपेयरिंग/मजदूर कैटेगरी-२ से ब्लैकस्मिथ कैटे.-६ ग्रेड (डब्लू.)। परिशिष्ट ७-१२

(५) **मेकैनिकल फिटर :** हेल्पर कैटेगरी-२ से फोरमैन इन्चार्ज ग्रेड (ए) परिशिष्ट ७-१३

(फ) **इलेक्ट्रिकल :**

(१) **आर्मेचर वाइण्डर :** (हेल्पर कैटेगरी-२ से आर्मेचर वाइण्डर कैटेगरी-६) परिशिष्ट ७-१४

(२) **इलेक्ट्रिकल/फिटर :** (हेल्पर कैटेगरी-२ से फोरमैन इन्चार्ज ग्रेड-ए परिशिष्ट ७-१५

(३) **असिस्टेंट (सहायक) :** फोरमैन / चार्जमैन ग्रेड-सी से फोरमैन इन्चार्ज ग्रेड-ए (डिप्लोमा धारकों) परिशिष्ट ७-१६

२. **परिभाषा :**

इस स्कीम (योजना) के अन्तर्गत यदि विषय अथवा संदर्भ के कुछ भी प्रतिकूल नहीं हो तो :—

(ए) 'कम्पीटेन्ट औथोरिटी' (दक्ष प्राधिकार) का मतलब कम्पनी के मुख्य कार्यपालक अथवा क्षेत्रीय प्रबन्धक (एरिया जेनरल मैनेजर जो भी हो अथवा अन्य कोई भी प्राधिकार जिन्हें समय-समय पर उनके द्वारा तत्सम्बन्धी अधिकार दिये जाँय।

(बी) 'शैक्षणिक योग्यता' का अर्थ वह योग्यता जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा कम्पनियों द्वारा निर्धारित तथा संचालित जाँच/योग्यता हो।

(सी) 'सर्विस' (सेवा) का अर्थ किसी पद में उस सेवा से है, जो आगे के परिशिष्ट में दर्शाया गया है।

(डी) जेनेरल मजदूर : वह सभी मजदूर जो कैटेगरी-१ में हैं।

३.० **पदोन्नति की प्रणाली (तरीका) : (प्रोमोशन चैनेल)**

३.१ इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल विभाग के विभिन्न कैटेगरियों के लिये पदोन्नति का तरीका आगे दिये गये परिशिष्टों के अनुसार होगा। उक्त परिशिष्टों में विभागीय उम्मीदवारों की योग्यताओं तथा अनुभवों को सिर्फ दर्शाया गया है, जिसे समय-समय पर उम्मीदवारों के चयन/पदोन्नति के लिये पात्रता के उद्देश्य से जोड़ा गया है और इस योजना में निर्धारित किया गया है।

३.२ कैटेगरी-५ तक के पदों के लिये चयन का आधार सिनियरिटी-सह-मेरिट (वरीयता-सह-योग्यता) होगी तथा कैटेगरी ५ से ६ के लिये योग्यता-सह-वरीयता होगी। सुपरवाइजरी ग्रेड-सी के लिये चयन कैटेगरी-६ के श्रमिकों में से योग्यता के आधार पर होगा :

इसी प्रकार ग्रेड-'सी' से 'बी' तथा ग्रेड-'बी' से 'ए' में पदोन्नति का आधार हुनर/योग्यता-सह-वरीयता (सिनियरिटी) होगा।

३.३ कैटेगरी-१ से कैटेगरी-६ तक के रिक्त पदों के लिये पदोन्नति का क्षेत्र इकाई/प्रोजेक्ट (परियोजना) होगा। स्कीम (योजना) में विशेष रूप से उल्लिखित प्रावधानों के अलावा तकनिकी तथा सुपरवाइजरी ग्रेड-'सी' से 'ए' में पदोन्नति का फैलाव क्षेत्रीय (एरिया) स्तर होगा।

४.० **विभागीय पदोन्नति समिति (डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमिटी) :**

उच्चतर कैटेगरियों में रिक्त पदों को भरने के लिये उम्मीदवारों का चयन/पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति (डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमिटी) की अनुसंशा पर किया जायगा, उक्त समिति का गठन समर्थ प्राधिकार (कम्पीटेन्ट औथोरिटी) अथवा समय-समय पर उनके द्वारा अधिकृत अन्य किसी पदाधिकारी द्वारा किया जायगा। उन अनुसंशाओं पर कम्पीटेन्ट औथोरिटी (समर्थ प्राधिकार) का निर्णय अन्तिम होगा।

५.० **सीधा बहाली :**

सीधा बहाली उसी स्थिति में किया जायगा जब सभी रिक्त पदों को भरने हेतु ६ महीने के भीतर किसी विभागीय उम्मीदवारों को पाने की सम्भावना नहीं होगी।

६. **खंडन बचाव इत्यादि :**

इस योजना के लागू हो जाने के साथ ही साथ इस विभाग के लिये अब तक के सभी कैडर स्कीम अप्रभावी हो जायेंगे।

(चूंकि उपरोक्त शर्तों के अनुसार जो कैडर स्कीम बनाया गया है वह कोल इंडिया तथा इसकी सहायक कम्पनियों के वर्तमान संगठनात्मक ढाँचे को आधार करके बनाया गया है, अतः जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा सिंगरेनी, टिस्को तथा इस्को के लिये स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उनके स्तर पर युनियन प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करके उन स्कीमों में फेर-बदल करने की छूट होगी।)

———

इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल (ई. एण्ड एम.) कार्मिकों के पदोन्नति की प्रणाली

परिशिष्ट ७-१

(प्रभावी)

(हालेज खलासी तथा वाइण्डिंग इंजिन खलासी)

स्क्रैपर स्लशर खलासी / ड्राइवर / आपरेटर से हालेज खलासी / वाइण्डिंग इंजिन खलासी

क्रम संख्या	पदनाम	पे स्केल/कैटेगरी	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	पदोन्नति के लिये पात्रता (योग्यता)	पदोन्नति का ढंग
१	२	३	४	५	६
१.	स्क्रैपर स्लशर खलासी/ ड्राइवर आपरेटर	रु. २२.७०-०.६५-३१.८० कैटेगरी-३	साक्षर क्षेत्रिय भाषा/हिन्दी/अंग्रेजी में पढ़ना तथा लिखना आवश्यक। मीटरों का पढ़ना जरूरी है जैसे भोल्ट मीटर, प्रेसर मीटरों (स्टीम हालेज के लिये) की रीडिंग ले तथा उसे निर्धारित लाग बुक तथा दैनिक रख-रखाव सूची में लिखे।	कोई भी स्थाई श्रमिक	डी.पी.सी तथा योग्यता जांच
२.	हालेज खलासी/ड्राइवर/ आपरेटर (७५ एच. पी. हालेज से नीचे)	रु. २२.७०-०.६५-३१.८० कैटेगरी-३	वही	वही	वही
३.	स्क्रीनिंग प्लांट के साथ-साथ टिप्लर / ग्रेडर / ह्वाइस्ट स्क्रीन बेल्ट इत्यादि	रु. २२.७०-०.६५-३१.८० कैटेगरी-३	वही	वही	वही
४.	हालेज खलासी/ड्राइवर/ आपरेटर (७५ एच.पी. से १२५ एच.पी.हालेज)	रु. २४.१०-०.८०-३५.३० कैटेगरी-४	उपरोक्त (१) के जैसा ही	हालेज खलासी अथवा क्रमांक १ से ३ में तीन वर्षों का अनुभव को वरीयता	वही
५.	हालेज खलासी/ड्राइवर/ (१२५ एच.पी. हालेज अथवा उससे उपर)	रु. २६.०४-१.००-४० ०४ कैटेगरी-५	वही	कैटेगरी-४ में हालेज खलासी के रूप में तीन वर्षों का अनुभव	वही
६.	वाइण्डिंग इंजिन खलासी /ड्राइवर/आपरेटर	रु. २६.०४-१.००-४०.०४ कैटेगरी-५	(१) साक्षर होना जरूरी है एवं हिन्दी/क्षित्रीय भाषा/अंग्रेजी में पढ़ना व लिखना जानता हो। नियमों के अनुसार वैधानिक कागज-पत्र रखने में सक्षम होना तथा उन्हें निर्धारित	कैटेगरी-४ के हालेज खलासी के रूप में तीन वर्षों का अनुभव। डी जी एम एस द्वारा जारी किया गया द्वितीय श्रेणी वाइण्डिंग इंजिन	डी. पी. सी. एवं योग्यता जांच।

१	२	३	४	५	६
			लौग-बुक में लिखना तथा दैनिक कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाना आवश्यक है।	खलासी का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो।	
			(२) कोई भी अन्य इलेक्ट्रिकल/ मेकैनिकल हेल्पर तथा योग्यता प्राप्त श्रमिक जो बाइण्डिंग इंजिन खलासी बनना चाहते हैं, उन्हें व्यावसायिक जाँच एवं ६ महीने के प्रशिक्षण में जाना आवश्यक है। डी. जी. एम. एस. द्वारा जारी किया गया दक्षता में द्वितीय श्रेणी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, पद में भरती के लिये साक्षात्कार (इन्टरव्यू) लिया जायगा।		
७. बाइण्डिंग इंजिन खलासी	रु. २६.२४-१.३५-४८.१४ कैटेगरी-६	(१) उपरोक्त ६ की तरह ही ।। (२) उपरोक्त ६ की तरह ही (३) साक्षर होना आवश्यक है तथा	कैटेगरी-५ में बाइण्डिंग इंजिन खलासी के रूप में ३ वर्षों का अनुभव एवं डी.		उपरोक्त ६ की तरह ही।

१	२	३	४	५	६
			नियमों के अनुसार वैधानिक खातों (कागजातों) को रखना होगा तथा उसे लौग बुक एवं दैनन्दिन रख-रखाव सूची में लिखना होगा।	जी. एम. एस. द्वारा जारी प्रथम श्रेणी दक्षता का प्रमाण पत्र प्राप्त।	
८. कूपे वाइण्डर आपरेटर (५००० बी.ओ.बी. तक अर्थात् ५५० एच. पी.) और उससे ऊपर)	ग्रेड-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	मैट्रिक वांछनीय		वाइण्डिंग इंजिन खलासी/ ड्राइवर/आपरेटर कैटेगरी-६ में तीन वर्षों का अनुभव।	उपरोक्त ६ की तरह ही।
९. कूपे वाइण्डर आपरेटर (के-६०००) (५००० बी. ओ. बी. से ऊपर)	ग्रेड-बी तीन अग्रिम बढ़ौती के साथ। रु. ९४८-४६-११७८-५१-१५८६	वही		कूपे वाइण्डर आपरेटर ग्रेड-'बी' में तीन वर्षों का अनुभव।	उपरोक्त ६ की तरह ही।

द्रष्टव्य : १. वांछित योग्यता जाँच की रूपरेखा का निर्णय प्रबन्धन द्वारा किया जायगा।

२. यूनियन प्रतिनिधियों ने अनुशंसा किया कि के-६००० आपरेटरों को ग्रेड-'ए' में पदस्थापित किया जाय। प्रबन्धन प्रतिनिधियों ने इंगित किया कि इस सवाल को स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी में रखा जाना चाहिये।

४३८

इलेक्ट्रिकल एवं मेकैनिकल कार्मिकों के पदोन्नति की प्रणाली (आपरेशनल)

परिशिष्ट ७-२

पम्प खलासी / ड्राइवर / आपरेटर

पम्प मजदूर से पम्प खलासी :

क्र० सं०	पदनाम	पे स्केल/कैटेगरी	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	पदोन्नति हेतु पात्रता	पदोन्नति का तरीका
१.	पम्प खलासी / ड्राइवर/ आपरेटर (३५ एच. पी. तक)	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.०७	साक्षर होना आवश्यक है।	कोई भी स्थायी श्रमिक	डी. पी. सी. पात्रता जाँच
२.	पम्प खलासी/ड्राइवर/ आपरेटर (३५ एच. पी. और ऊपर)	कैटेगरी-३ रु. २२.७०-०.६५-३१.८०	वही	पम्प खलासी/ड्राइवर/आपरेटर कैटेगरी-२ का होना आवश्यक है, यदि उपलब्ध हो सके तो।	वही

द्रष्टव्य : १. खलासी/ड्राइवर/आपरेटर यदि एक से अधिक पम्प चलाता है तो उसे एक कैटेगरी ऊपर में रखा जायगा।

२. कमिटी को सूचित किया गया कि उद्योग में उच्चतर क्षमता वाले पम्प बैठाये गये हैं तथा श्रमिकों को जो दो पम्प चलाते हैं उन्हें कैटेगरी-४ एवं ५ में पदस्थापित कर दिया गया है।

३. वैसे पम्प खलासी/ड्राइवर/खलासी जो उच्च शक्ति का पम्प चलाते हैं, के कैटेगराइजेशन से सम्बन्ध सवालों को स्टैण्डरडाइजेशन समिति के पास जाँच हेतु लाया जाना चाहिये।

F—63

इलेक्ट्रिकल एवं मेकैनिकल कार्मिकों के पदोन्नति की प्रणाली (आपरेशनल)

परिशिष्ट-७-३

फैन खलासी/ड्राइवर/आपरेटर

फैन (पंखा) मजदूर से फैन खलासी :

क्रम संख्या	पदनाम	वेतन स्तर/कैटेगरी	निम्नतम योग्यता (शैक्षनिक/तकनिकी)	पदोन्नति हेतु पात्रता	पदोन्नति का जरिया
१	२	३	४	५	६
१.	फैन खलासी/ड्राइवर/ आपरेटर (७५ एच. पी. से नीचे)	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.०७	साक्षर होना आवश्यक। वांछित एच. पी. का फैन (पंखा) आपरेट करने में सक्षम होना आवश्यक है साथ ही कोल माइन्स रेगुलेशनों के तहत निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार कार्यों का निष्पादन करना।	कोई भी स्थायी श्रमिक	वही
२.	फैन खलासी	कैटेगरी-३ रु. २२.७०-०.६५-३१.८०	—वही— ७५ एच. पी. एवं उससे	कैटेगरी-२ में फैन खलासी/ ड्राइवर/आपरेटर के रूप	वही

४३७

१	२	३	४	५	६
			अधिक क्षमता का फैन चलाने में सक्षम है।	में कार्य करना आवश्यक है।	
३.	फैन खलासी (६०० एच. पी. और उससे अधिक)	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.०	उपरोक्त क्रमांक-२ जैसा ही। ६०० एच. पी. और ऊपर का पम्प चलाने में सक्षम होना चाहिये।	कैटेगरी-३ में फैन खलासी के रूप में कार्य करने का तीन वर्षों का अनुभव	वही

इलेक्ट्रिकल एवं मेकैनिकल कार्मिकों के पदोन्नति की प्रणाली — परिशिष्ट-७-४

(आपरेशनल)

ब्वायलर

ब्वायलर फायरमैन :

क्रम संख्या	पदनाम	वेतन स्तर/कैटेगरी	निम्नतम योग्यता (शैक्षनिक/तकनिकी)	पदोन्नति हेतु पात्रता	पदोन्नति का तरीका
१	२	३	४	५	६
१.	ब्वायलर फायरमैन (द्वितीय श्रेणी) स्टीम लोको फायरमैन	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	ब्वायलर एक्ट तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमावलियों के तहत द्वितीय श्रेणी की दक्षता प्रमाण-पत्र रखना आवश्यक है।	कोई भी स्थायी श्रमिक	डी. पी. सी. योग्यता जाँच
२.	ब्वायलर फायरमैन (प्रथम श्रेणी)	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०५	ब्वायलर एक्ट एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमावलियों के तहत प्रथम श्रेणी दक्षता का प्रमाण पत्र प्राप्त होना चाहिये।	वही	वही

द्रष्टव्य : १. प्रथम श्रेणी दक्षता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने पर, ब्वायलर फायरमैन (द्वितीय श्रेणी) को कैटेगरी-५ में पदस्थापित किया जायगा।

२. यह पावर हाउस ब्वायलर को लागू नहीं होगा।

इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल कार्मिकों के पदोन्नति की प्रणाली

परिशिष्ट-७-५

(आपरेशनल)

लैम्प रूम पर सोनेल (कार्मिक)

लैम्प मजदूर से लैम्प फिटर :

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान/कैटेगरी	निम्नतम योग्यता (शैक्षनिक/तकनिकी)	पदोन्नति हेतु पात्रता	पदोन्नति का तरीका
१	२	३	४	५	६
ग्रूप—ए					
१.	लैम्प मजदूर	कैटेगरी-१ रु. २१ १६-०.४३-२७.१८	साक्षर होना वांछनीय, हिन्दी/अंग्रेजी अथवा दोनों में ही पढ़ना तथा लिखना जानता हो।	योग्यता जाँच द्वारा चयन	
२.	लैम्प क्लीनिंग मजदूर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.३७	वही	डी. पी. सी.	
३.	सेफ्टी लैम्प चार्जर/लैम्प मिस्त्री	कैटेगरी-३ रु. २२.७०-०.६५-३१.८०	(१) इलेक्ट्रोलाइट के स्पेसिफिक ग्रैभिटी की जाँच एवं इले-	कैटेगरी-२ में लैम्प क्लीनिंग मजदूर के रूप	डी पी. सी.

१	२	३	४	५	६
			क्ट्रिक सेफ्टी लैम्प के टोपिंग तथा उन्हें चार्जिंग रैक में रखने में समक्ष होना जरूरी है। (२) निर्धारित लौग बुक को लिखने एवं भरने में सक्षम होना जरूरी है।	में ३ वर्षों का अनुभव।	
४.	लैम्प फिटर	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	(१) एवं (२) वही जैसा कि क्रम संख्या-३ में ऊपर दिया गया है। (३) बैटरी एवं आयल सेफ्टी लैम्प के विषय में जानकारी तथा कैप लैम्प एवं आयल सेफ्टी लैम्प सर्किट की गहन जानकारी वांछनीय है। (४) कैप लैम्प के एफ.एल.पी. विषय के पुर्जों को जानना	सेफ्टी लैम्प चार्जर/लैम्प मिस्त्री कैटेगरी-३ के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.

१	२	३	४	५	६
			आवश्यक है तथा उनका सही रख-रखाव कर लेना चाहिये एवं दोषों को पकड़ने में सक्षम होना चाहिये तथा बैटरी की मरम्मति भी कर ले एवं नियमानुसार वैधानिक कागजातों को सही-सही भर ले।		
५.	लैम्प फीटर	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	उपरोक्त क्रमांक ४ के जैसा ही।	कैटेगरी-४ में लैम्प फीटर के रूप में ३ वर्षों का कार्यानुभव	डी. पी. सी.
	ग्रूप-बी				
६.	लैम्प इस्यू एवं रिटर्न क्लर्क	क्लरिकल ग्रेड-३ रु. ६२५-२३-९४७	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास हो अथवा नन-	कम्पनी के अन्तर्गत ३ वर्षों की सेवा	चयन / जाँच

१	२	३	४	५	६
			मैट्रिक जो विभागीय लिखित एवं प्रायोगिक जाँच पास किया हो।		
	ग्रूप ए एवं बी				
७.	असिस्टेंट लैम्प रूम इन्चार्ज/जुनियर लैम्प रूम इन्चार्ज	तक. ग्रेड-डी रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	(१) मैट्रिक अथवा नन-मैट्रिक जो विभागीय लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा पास किया हो। (२) बिजली एवं तेल वाले दोनों तरह के सेफ्टी लैम्पों की मरम्मति तथा रख-रखाव की जानकारी रखना चाहिये। (३) इलेक्ट्रोलाइट के लेभेल एवं एस. सी. टेस्टिंग एवं इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैम्प के	(१) कैटेगरी-५ में लैम्प रूम फिटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव। (२) क्लरिकल ग्रेड-३ में लैम्प इस्यु एवं रिटर्न क्लर्क जिन्हें कैप लैम्प फिटर कैटेगरी-४/५ में सम्मिलित रूप से ६ वर्षों का अनुभव है।	डी. पी. सी. सिर्फ कैटेगरी-५ के लैम्प रूम फिटरों में से चयन किया जानेवाला पद।

१	२	३	४	५	६
			टापिंग तथा उन्हें चार्जिंग रैक में रखने की जानकारी रखना चाहिये ।		
८.	लैम्प रूम इन्चार्ज	टेकनिकल ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	—वही—	असिस्टेंट लैम्प रूम इन्चार्ज/ जुनियर लैम्प रूम इन-चार्ज क्लरिकल ग्रेड-२ टेकनिकल ग्रेड-डी के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : (१) कार्य विवरण/उत्तरदायित्व :

(१) (अ) असिस्टेंट लैम्प रूम इन्चार्ज/ जुनियर लैम्प रूम इन्चार्ज/ क्लरिकल ग्रेड-२

१. लैम्प इस्सूअर फिटर तथा लैम्प रूम में उसके अधीन कार्यरत अन्य कार्मिकों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना ।
२. लैम्प रूम में रखे जाने वाले सभी रजिस्टरों तथा रेकार्डों को रखना ।
३. वह लैम्पों को सही कार्य दशा में रखने एवं मरम्मति के लिये उत्तरदायी होगा ।
४. वह लैम्प रूम के रख-रखाव एवं सामान्य व्यवस्था के लिये जिम्मेवार होगा ।
५. उसके वरिष्ठों द्वारा उसके द्वारा कराये जाने वाले कार्यों अथवा माइन्स एक्ट तथा नियमावलियों इत्यादि के अधीन आने वाले कार्यों को करना ।

(बी) लैम्प रूम इन्चार्ज क्लर्क ग्रेड-१

वह लैम्प रूम का पूरी तरह इन-चार्ज होगा और असिस्टेंट लैम्प रूम इन्चार्ज/ जुनियर लैम्प रूम इन्चार्ज के लिये निर्दिष्ट सभी कार्यों के लिये भी वह जिम्मेवार होगा ।

२. क्लरिकल ग्रेड-३ में लैम्प रूम इसूअर तथा रिटर्न क्लर्कों को जो फिटर के अनुभव से रहित हैं उन्हें ग्रेड-३ क्लर्कों के साथ क्लरिकल ग्रेड के लिये विचार किया जायगा ।

नोट : टिस्को, इस्को, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी उनके स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ परिवर्तनों सहित लागू करने को राजी हुए ।

इ. एवं एम. (इलेक्ट्रिकल एवं मेकैनिकल) कार्मिकों के प्रोमोशन का जरिया — परिशिष्ट-७-६

(आपरेशनल)

कम्प्रेशर खलासी/आपरेटर ड्राइवर

क्रम संख्या	पदनाम	वेतन का स्केल/कैटेगरी	निम्नतम योग्यता शैक्षणिक/तकनिकी	प्रोमोशन के लिये पात्रता	प्रोमोशन का तरीका
१.	कम्प्रेशर खलासी/आपरेटर/ ड्राइवर ग्रेड-३	कैटेगरी-३ रु. २२.७०-०.६५-३१.५०	साक्षर एवं ए.एम.एम.ई. मीटर, भोल्ट मीटर, प्रेशर गेज तथा आयल गेज पढ़ने में सक्षम तथा उन रीडिंगों का विश्लेषण कर सके एवं उनकी मरम्मति कर ले और निर्धारित लौग-बुक लिख ले और उसे संभाल सके ।	कैटेगरी-२ का कोई भी स्थायी श्रमिक	चयन एवं दक्षता जाँच द्वारा ।

द्रष्टव्य : कम्प्रेशर आपरेटरों के मामले में यदि वह एक से अधिक अथवा साथ-साथ कम्प्रेशरों के बैटरी को चलाता है तो उसे कैटेगरी-४ में पदस्थापित किया जायगा ।

नोट : टिस्को, इस्को, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्त्तनों के साथ राजी हुए ।

इ. व एम. (इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल) कार्मिकों के प्रोमोशन का जरिया — परिशिष्ट-७-७

(आपरेशनल)

जेनरल मजदूर से सब-स्टेशन अटेन्डेंट

१	२	३	४	५	६
१.	जेनरल मजदूर (इन्जीनियरिंग विभाग)	कैटेगरी-१ रु. २१.१६-०.४३-२७.१८		कोई भी स्थायी श्रमिक साक्षर को बरीयता	चयन/योग्यता जाँच द्वारा ।
२.	सब-स्टेशन अटेन्डेंट/ स्विच बोर्ड अटेन्डेंट	कैटेगरी-३ रु. २२.७०-०.६५-३१.८०	साक्षर, हिन्दी/अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषा अथवा सभी में लिखना तथा पढ़ना जानना आवश्यक । नियमों के मुताबिक वैधानिक रेकार्ड रखने तथा निर्दिष्ट लौग बुक रखने में समक्ष होना चाहिये ।	कैटेगरी-१ के जेनरल मजदूर अथवा इन्जीनियरिंग विभाग के कैटेगरी-२ हेल्पर के रूप में कुल तीन वर्षों का अनुभव ।	डी पी. सी./ योग्यता जाँच ।
३.	सब-स्टेशन अटेन्डेंट/ स्विच बोर्ड अटेन्डेंट	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	मैट्रिक अथवा समकक्ष । वायरमैन का परमिट प्राप्त	कैटेगरी-१ के जेनरल मजदूर अथवा इन्जीनियरिंग	—वही—

१	२	३	४	५	६
			होना चाहिये (एच. टी./ एल. टी., नियमानुसार जैसा वांछनीय हो ।)	विभाग के कैटेगरी-२ हेल्पर के रूप में कुल ४ (चार) वर्षों का अनुभव । ११ के. भी. अथवा उससे अधिक परन्तु ३ एम. भी. ए. के स्थापित क्षमता के सब-स्टेशन को चलाने / उसपर काम करने में सक्षम हो । निर्धारित लौग-बुक इत्यादि को रखने में सक्षम हो । नियमानुसार वैधानिक रेकार्डों को रखने में सक्षम होना आवश्यक है ।	—वही—
४.	सब-स्टेशन अटेन्डेंट	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	मैट्रिक अथवा समकक्ष । वायरमैन का परमिट धारक	जेनरल मजदूर कैटेगरी-१ अथवा इन्जीनियरिंग	—वही—

१	२	३	४	५	६
			हो (एच. टी./एल. टी. जैसा कि नियमों के अनुसार वांछनीय है ।)	विभाग के कैटेगरी-२ हेल्पर के रूप में कुल ३ (तीन) वर्षों का अनुभव । ११ के. भी. तथा उससे ऊपर एवं ३ एम. भी. ए. से अधिक स्थापित क्षमता वाले सब-स्टेशन को चलाने/ उसपर काम करने में निपुण होना चाहिये ।	

द्रष्टव्य : १. उपरोक्त स्कीम (योजना) कोल माइन्स में कार्यरत कैप्टिभ पावर हाउस को लागू नहीं होगा ।

२. स्विच बोर्ड अटेन्डेंट का ड्युटी तथा जिम्मेदारियाँ निम्नोक्त परिशिष्ट 'ए' के मुताबिक होंगी ।

३. वर्तमान स्विच बोर्ड अटेन्डेंट जो कैटेगरी-४ एवं ५ में है उनके पास यदि एल. टी./एच. टी. परमिट नहीं है तो उसे प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिये ।

४. टिस्को, इस्को एवं सिंगरेनी कोल कम्पनी ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्त्तन के साथ राजी हुए ।

परिशिष्ट-७-७

स्विच बोर्ड अटेन्डैंट की ड्युटी एवं जिम्मेवारियाँ

सब-स्टेशन अटेन्डैंट/स्विच बोर्ड अटेन्डैंटों जो कैटेगरी-४ तथा ५ में पदस्थापित—को नीचे दिये कार्यों को करना आवश्यक है।

क) इलेक्ट्रिकल (बिजली) सब-स्टेशनों में स्विच गियर को आपरेट करना तथा सरकिट को चालू करना एवं स्विच-ट्रिप होने पर बिजली करेन्ट को फिर से चलाना।

ख) हमेशा सतर्क होकर यह सुनिश्चित करने हेतु देखना कि ट्रान्सफार्मर ओभरलोडेड नहीं हो जाँय।

ग) स्विचों के फेल होने के कारणों को निर्धारित करना कि वह सतही कारणों से फेल हुआ अथवा ओभरलोड के कारण।

घ) जब कभी स्विच-गियर तथा ट्रान्सफार्मर अस्वाभाविक लगे (चले) तो इसकी सूचना अपने से वरिष्ठों को देना अर्थात् ट्रान्समिसन लाइन के शार्ट सर्किटिंग होने पर अथवा सतही दोषों से फेल होने के कारण बराबर लाइन जाना अथवा ट्रान्स-फार्मर सर्किट में अस्वाभाविक आवाज आने पर उन दोषों को स्वाभाविक अवस्था आने तक मरम्मत का कार्य करते रहना।

ङ) स्विच गियर तथा ट्रान्सफार्मरों का रूटीन रख-रखाव करना।

च) मेजर मेन्टनेन्स अथवा ट्रान्सफार्मरों, स्विच गियरों, तथा अन्य विद्युतीय उपकरणों के सामान्य मरम्मत के समय सभी सम्भव तरीकों से सुपरवाइजरों एवं अन्य तकनिकी कर्मचारियों की सहायता करना।

छ) भोल्टेज, फ्रिक्वेन्सी के. डब्लू. ए. आर्मेचर, अधिकतम मांग इत्यादि में सम्बन्धित निर्धारित प्रोफोर्मा के अनुसार लौग-बुक रखना।

ज) विद्युत आपूर्ति के तौर-तरीकों को ठीक रखने हेतु अपने सुपरवाइजरों द्वारा निर्देशित आफिस कार्यों को करना।

परिशिष्ट-७-८

इ. एवं एम. (इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल) कार्मिकों के प्रोमोशन का जरिया (आपरेशनल)

सी. सी. एम. क्रू एवं ड्रिलर (एक्सकैवेशन व एक्सप्लोरेशन के अतिरिक्त)

१	२	३	४	५	६
१.	जेनरल मजदूर	कैटेगरी-१ रु. २१.१६-०.४३-२७.१८	साक्षर	कोई भी स्थायी कर्मचारी	चयन समिति
२.	सी. सी. एम. हेल्पर	कैटेगरी-३ रु. २२.७०-०.६५-३१.८०	—वही—	जेनरल मजदूर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव	—वही—
३.	ड्रिलर	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	—वही—	सी. सी. एम. हेल्पर कैटेगरी-३ के रूप में तीन वर्षों का अनुभव	—वही—

१	२	३	४	५	६
४.	सी. सी. एम. ड्राइवर ग्रेड-२	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	—वही—	सी. सी. एम. हेल्पर कैटे-३ का ५ वर्षों का अनुभव अथवा ड्रिलर कैटेगरी-४ में २ वर्षों का अनुभव ।	—वही—
५.	सी. सी. एम. ड्राइवर ग्रेड-१	कैटेगरी-६ रु. २९.२४-१.३५-४८.१४	—वही—	सी. सी. एम. ड्राइवर ग्रेड-२ में कटेगरी-५ के रूप में ३ वर्षों का अनुभव	—वही—

द्रष्टव्य : टिस्को, इस्को, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इनमें परिवर्त्तन करने—लागू करके—को राजी हुए ।

इ. एवं एम. (इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल) कार्मिकों के प्रोमोशन का जरिया

परिशिष्ट-७-६

(आपरेशनल)

हेल्पर से मोल्डर

हेल्पर से मोल्डर

१	२	३	४	५	६
१.	हेल्पर	कैटेगरी-१ रु. २१.१६-०.४३-२७.१८	(अ) साक्षर (ब) आई. टी. आई.	(अ) साक्षर के लिये जेनरल मजदूर कैटेगरी-१ का ३ वर्षों का अनुभव । (ब) आई टी.आई. के लिये कैटेगरी-२ का २ वर्षों का प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) ।	चयन तथा योग्यता जाँच द्वारा
२.	मोल्डर ग्रेड-२ (डब्लू)	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	—वही—	(अ) नन-आई. टी. आई.-कैटेगरी-२ में ४ वर्षों तक हेल्पर (ब) आई. टी. आई. के लिये कैटेगरी-२ में २ वर्षों तक हेल्पर	डी. पी. सी./ ट्रेड टेस्ट

१	२	३	४	५	६
३.	मोल्डर ग्रेड-१ (डब्लू)	कैटेगरी-६ रु. २६.२४-१.३५-४८.१४	—वही—	कैटेगरी-५ मोल्डर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	—वही—

द्रष्टव्य : जहाँ तक उनके सुपरवाइजरी ग्रेड में प्रोमोशन का सवाल है, उनका विचार अन्य आक्जीलियरी कैडर (ई. एवं एम.) के साथ किया जायगा।

नोट : टिस्को, इस्को एवं सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्त्तन करके लागू करने को राजी हुए।

ई. एवं एम. (इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल) कार्मिकों के प्रोमोशन का जरिया परिशिष्ट-७-१०

(वेल्डर)

हेल्पर - वेल्डर

१	२	३	४	५	६
१.	हेल्पर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.०७	साक्षर	कैटेगरी-१ में जेनरल मजदूर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव	डी. पी. सी./ योग्यता जाँच द्वारा।
२.	वेल्डर ग्रेड-२ (डब्लू)	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	(अ) साक्षर (ब) वेतन मंडल (वेज बोर्ड) तथा ट्रेड टेस्ट निर्देशिका द्वारा निर्धारित कुशलता।	(अ) कैटेगरी-२ में वेल्डर हेल्पर के रूप में ४ वर्षों का अनुभव। (ब) आई. टी. आई. तथा मैट्रिक होने अथवा कैटेगरी-२ हेल्पर होने से २ वर्षों का अनुभव।	—वही—
३.	वेल्डर ग्रेड-१ (डब्लू)	कैटेगरी-६ रु. २६.२४-१.३५-४८.१८	—वही—	कैटेगरी-५ वेल्डर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	—वही—

द्रष्टव्य : १) यदि विभागीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो वेल्डिंग ट्रेड में आई. टी. आई. सहित मैट्रिक होने पर उन्हें सिर्फ २ वर्षों के लिये ट्रेनी/हेल्पर कैटेगरी-२ के रूप में लिया जायगा ।

२) जहाँ तक उनके सुपरवाइजरी ग्रेड में प्रोमोशन का सवाल है उनपर आक्जीलियरी ग्रेड 'ई एवं एम' के साथ विचार किया जायगा ।

नोट : टिस्को, इस्को एवं सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी में स्थानीय परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्त्तन करके लागू करने को राजी हुए ।

इ. एवं एम. (इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल) कार्मिकों के प्रोमोशन का जरिया

परिशिष्ट-७-१२

(हैमरमैन / पिक शार्पेनर / ब्लैकस्मिथ टब रिपेयरिंग / मेकिंग मजदूर से ब्लैकस्मिथ ग्रेड-१ (डब्लू)

१	२	३	४	५	६
१.	टब रिपेयरिंग/मेकिंग मजदूर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२९.०७	(१) साक्षर बांछनीय । (२) नयी बहाली के लिये आई. टी. आई. (प्रमाण-पत्र प्राप्त (ब्लैकस्मिथ होने पर)	(१) कैटेगरी-१ मजदूर का ३ वर्षों का अनुभव । (२) कैटेगरी-१ मजदूर में १ वर्ष की ट्रेनिंग ।	डी. पी. सी./ योग्यता जाँच ।
२.	(अ) हैमरमैन (ब) पिक शार्पेनर	कैटेगरी-३ रु. २२.७०-०.६५-३१.८०	साक्षर बांछनीय ।	टब रिपेयरिंग मजदूर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.
३.	बिट शार्पेनर	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	—वही—	कैटेगरी-३ में पिक-शार्पेनर का ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी सी./ ट्रेड टेस्ट ।
४.	(अ) ब्लैकस्मिथ	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	—वही—	कैटेगरी-३ में हैमरमैन का ३ वर्षों का अनुभव अथवा	—वही—

१	२	३	४	५	६
	(ब) टब रिपेयरिंग/मेकिंग/	—वही—	—वही—	आई. टी. आई. सर्टिफिकेट धारकों के लिये कटेगरी-२ में टब रिपेयरिंग/मेकिंग मजदूर का ४ वर्षों का अनुभव ।	—वही—
५.	ब्लैकस्मिथ ग्रेड-२ (डब्लू)	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	—वही—	कैटेगरी-४ में ब्लैकस्मिथ अथवा टब रिपेयरिंग/मेकिंग/ मिस्त्री के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.
६.	ब्लैकस्मिथ ग्रेड-१ (डब्लू)	कैटेगरी-६ रु. २९.२४-१.३५-४८.१४	—वही—	कैटेगरी-५ में ब्लैकस्मिथ का ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी./ ट्रेड टेस्ट

द्रष्टव्य : (१) ट्रेड टेस्ट मानक के अनुसार हासिल किये जाने वाले कुशलता का निर्धारण प्रबन्धन द्वारा किया जायगा ।

(२) किसी कम्पनी में यदि आई. टी. आई. लड़कों के लिये कोई ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) योजना लागू है, वह इस योजना से अप्रभावित रहेगा ।

नोट : टिस्को, इस्को एवं सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक संशोधनों के साथ लागू करने को राजी हुए ।

इ. एवं एम. (इलेक्ट्रिकल एवं मेकैनिकल) कार्मिकों के प्रोमोशन का जरिया
(मेकैनिकल फिटर)

परिशिष्ट-७-१३

१	२	३	४	५	६
१.	हेल्पर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२९.०७	(१) साक्षर (२) मैट्रिक के साथ आ. टी. आई.	(१) कैटेगरी-१ में जेनरल मजदूर का ३ वर्षों का अनुभव (२) मैट्रिक के साथ आई.टी आई. के लिये कैटेगरी-१ में १ वर्ष का प्रशिक्षण ।	डी. पी सी./ योग्यता जाँच
२.	मेकैनिकल फिटर	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	—वही···	(१) कैटेगरी-२ में हेल्पर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव । (२) मैट्रिक के साथ आई.टी.आई. के लिये २ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी./ व्यावसायिक जाँच (टी.टी.)
३.	मेकैनिकल फिटर	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	—वही—	कैटेगरी-४ में मेकैनिकल फिटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	—वैसा ही—

१	२	३	४	५	६
४.	मेकैनिकल फिटर ग्रेड-१ (डब्लू.)	कैटेगरी-६ रु. २९.२४-१.३५-४८.१४	—वही—	कैटेगरी-५ में मेकैनिकल फिटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	—वैसा ही—
५.	असिस्टेंट फोरमैन (मेकैनिकल)	ग्रेड-'सी' रु. ७४२-४०-१०६२	—वही—	(१) कैटेगरी-६ में मेकैनिकल फिटर के रूप में ६ वर्षों का अनुभव । (२) कैटेगरी-६ मेकैनिकल फिटर के रूप में ४ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी./ चयन जाँच
६.	फोरमैन (मेकैनिकल)	ग्रेड-बी रु. ८१०-४८-११७८-५१-१५८६	फोरमैन (मेकैनिकल) के जैसा ही ।	असिस्टेंट फोरमैन (मेकैनिकल) के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.
७.	फोरमैन इन्चार्ज	ग्रेड-'ए' रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	फोरमैन (मेकैनिकल) के जैसा ही ।	फोरमैन (मेकैनिकल) के रूप में २ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : (१) वांछित जाँच का ब्यौरा प्रबन्धन द्वारा निर्धारित किया जायगा ।
(२) कैटेगरी-६ तक का चुनाव/प्रोमोशन इकाई स्तर पर होगा ।

नोट : टिस्को, इस्को एवं सिंगरेनी कोलियरीज कं. लि. द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ परिवर्त्तन के साथ लागू करने को राजी हुए ।

इ. तथा एम. (इलेक्ट्रिकल एवं मेकैनिकल) कार्मिकों के प्रोमोशन का जरिया — परिशिष्ट-७-१४

(आर्मेचर वाइण्डर)

(हेल्पर से आर्मेचर वाइण्डर)

१	२	३	४	५	६
१.	हेल्पर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२९.०७	(१) साक्षर (२) वांछित कुशलता वेतन मंडल तथा व्यावसायिक जाँच के अनुरूप ।	कैटेगरी-१ में जेनरल मजदूर के रूप में तीन वर्षों का अनुभव	डी पी. सी./ योग्यता आँच द्वारा
२.	आर्मेचर वाइण्डर ग्रेड-२ (डब्लू)	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	—वही—	(अ) नन-आई. टी. आई. तथा नन-मैट्रिक होने से आर्मेचर वाइण्डर हेल्पर के रूप में ४ वर्षों का अनुभव । (ब) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. होने पर कैटेगरी-२ में आर्मेचर वाइण्डर/ट्रेनी/हेल्पर के रूप में २ वर्षों का अनुभव	डी. पी सी./ व्यवसायिक जाँच द्वारा ।

१	२	३	४	५	६
३.	आर्मेचर वाइण्डर ग्रेड-१ (डब्लू)	कैटेगरी-६ रु. २६.२४-१.३५-४८.१४	—वही—	कैटेगरी-५ में आर्मेचर वाइण्डर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	—वही—

द्रष्टव्य : १) विभागीय उम्मीदवार नहीं मिलने पर मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. वाले नये प्रवेशार्थी को कैटेगरी-२ में ट्रेनी/हेल्पर के रूप में सिर्फ २ वर्षों के लिये लिया जायगा ।

२) जहाँ तक उनके सुपरवाइजरी ग्रेड में प्रोमोशन का सवाल है उनपर आक्जिलियरी कैडर (इ. एवं एम.) में अन्य लोगों के साथ-साथ विचार किया जायगा ।

नोट : टिस्को, इस्को, सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ परिवर्त्तन करके लागू करने को राजी हुए ।

परिशिष्ट-७-१५

इ. एवं एम. (इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल) कार्मिकों के प्रोमोशन का जरिया

(इलेक्ट्रिशियन/फिटर)

हेल्पर (इलेक्ट्रिकल) से फोरमैन इन्चार्ज

१	२	३	४	५	६
१.	हेल्पर इलेक्ट्रिकल	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.०७	१) साक्षर २) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई.	(१) कैटेगरी-१ में जेनरल मजदूर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव । (२) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. के लिये कैटेगरी-१ में १ वर्ष का अनुभव ।	डी. पी. सी / व्यावसायिक
२.	(अ) इलेक्ट्रिशियन (ब) इलेक्ट्रिकल फिटर	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	१) साक्षर २) मैट्रिक के साथ आई.टी.आई. ३) माइन्स के लिये आई ई. रूल्स के तहत एल. टी. परमिट अथवा खदानों के लिये दक्ष प्राधिकार द्वारा जारी ५५० भोल्ट माइनिंग पार्ट का परमिट ।	साक्षरों के लिये कैटेगरी-२ में हेल्पर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव एवं मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. के लिये २ वर्षों का अनुभव ।	—वही—

१	२	३	४	५	६
३.	इलेक्ट्रिशियन/फिटर इलेक्ट्रिकल	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	१) साक्षर अथवा मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. २) माइन्स के लिये आई. ई. रूल्स के तहत एल. टी. परमिट अथवा कोयला खदानों के लिये लागू दक्ष प्राधिकार द्वारा जारी किया गया ५५० भोल्ट माइनिंग पार्ट का परमिट	कैटेगरी-४ में इलेक्ट्रिशियन अथवा कैटेगरी-४ में इलेक्ट्रिकल फिटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव	—वही—
४.	इलेक्ट्रिशियन/फिटर इलेक्ट्रिकल	कैटेगरी-६ रु. २९.२४-१.३५-४८.१४	१) साक्षर अथवा मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. २) खदानों के लिये लागू दक्ष प्राधिकार द्वारा जारी किया गया ओभरहेट लाइन तथा केबुल जोड़ने के लिये एच. टी. परमिट।	कैटेगरी-५ में इलेक्ट्रिशियन/फिटर इलेक्ट्रिकल के रूप में ३ वर्षों का अनुभव	—वही—

१	२	३	४	५	६
५.	असिस्टेंट फोरमैन/चार्जमैन	ग्रेड-'सी' रु. ७४२.४०-१०६२.४५-१४२२	माइन्स के लिये वैध इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरशिप का प्रमाण-पत्र	द्रष्टव्य-१ देखें	—वही—
६.	फोरमैन/इलेक्ट्रिकल	ग्रेड-'बी' रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	असिस्टेंट फोरमैन/चार्जमैन के रूप में योग्यता।	असिस्टेंट फोरमैन/चार्जमैन के रूप में ३ वर्षों का अनुभव	—वही—
७.	फोरमैन इन्चार्ज	ग्रेड-'ए' रु. ८६२-५३-१३१६-५५-१७०१	मैट्रिक तथा खदानों के लिये वैध/इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरशिप प्रमाण-पत्र।	फोरमैन इलेक्ट्रिकल के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	—वही—

द्रष्टव्य : १) कोई कैटेगरी-५ का इलेक्ट्रिशियन यदि इलेक्ट्रिकल रूल्स के तहत सुपरवाइजर के रूप में काम करने हेतु वैध सुपरवाइजरशिप प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है तो वह तकनिकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड-'सी' में सीधा पदोन्नति पाने के काबिल हो जाता है बशर्ते कि वह कैटेगरी-५ में ३ वर्ष काम किया हो।

२) कोई इलेक्ट्रिशियन कैटेगरी-६ में पहुँचने के पहले यदि खदानों के लिये वैध सुपरवाइजरशिप प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेता है तो उसे पर-रिक्तता का विचार किये बिना ही अगले उच्च कैटेगरी में दिया जायगा ।

३) उपरोक्त नियम सिर्फ पात्रता की जानकारी के लिये है । उपरोक्त पारा-२ को छोड़ कर पदोन्नति सिर्फ उपलब्ध रिक्त पदों के लिये ही होगी ।

४) वांछित हुनर वही होगा जैसा कि एक्ट/रूल्स/एवार्ड्स/आदेश इत्यादि में दिया गया है ।

५) व्यावसायिक जाँच के लिये मापदण्ड प्रबन्धन द्वारा निर्धारित किया जायगा ।

नोट : टिस्को, इस्को एवं सिंगरेनी कोलियरी कम्पनी द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्त्तनों के साथ माना गया ।

इ. एवं एम. (इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल) कार्मिकों के प्रोमोशन का जरिया परिशिष्ट-७-१६

असिस्टेंट फोरमैन/चार्जमैन से फोरमैन इन्चार्ज (डिप्लोमाधारक)

१	२	३	४	५	६
१.	असिस्टेंट फोरमैन/चार्जमैन (ट्रेनी) (इलेक्ट्रिकल अथवा मेकैनिकल)	ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	मेकैनिकल अथवा इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा (निम्नतम ३ वर्ष का कोर्स)	विभागीय उम्मीदवार जिन्हें कोयला खदान उद्योग में डिप्लोमा प्राप्त करने से पहले किसी भी पद में ३ वर्षों का अनुभव है ।	चयन तथा साक्षात्कार/ डी. पी. सी.
२.	असिस्टेंट/फोरमैन/चार्जमैन (इलेक्ट्रिकल अथवा मेकैनिकल)	—वही—	—वही—	असिस्टेंट फोरमैन/चार्जमैन (ट्रेनी) इलेक्ट्रिकल अथवा मेकैनिकल के रूप में २ वर्षों के प्रशिक्षण के बाद निर्धारित जाँच/परीक्षा पास करना होगा ।	चयन/ डी. पी. सी.
३.	फोरमैन (मेकैनिकल)	ग्रेड-'बी' रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	—वही—	१) ग्रेड-'सी' में असिस्टेंट फोरमैन/ चार्जमैन के रूप में ३ वर्षों का अनुभव । २) कम्पनी के अन्तर्गत दक्षता प्रमाण-पत्र प्राप्त ।	डी. पी- सी.

१	२	३	४	५	६
४.	फोरमैन (इलेक्ट्रिकल)	—वही—	—वही—	१) ऊपर जैसा ही २) माइनिंग के लिये वैध इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की योग्यता का प्रमाण-पत्र प्राप्त ।	डी. पी. सी.
५.	फोरमैन इन्चार्ज (इ. एवं एम.)	ग्रेड-'ए' रु. ८६२-५३-१३१६-५५-१७०१	—वही—	ग्रेड-'बी' फोरमैन के रूप में ३ वर्षों का अनुभव	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : १) कम्पनी के अन्तर्गत दक्षता/योग्यता प्रमाण-पत्र का सिलेवस प्रबन्धन द्वारा निर्धारित किया जायगा । कोल इण्डिया की इकाई कम्पनियों के लिये प्रबन्धन का अर्थ कोल इण्डिया लि० है ।

२) टिस्को, इस्को एवं सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करके लागू करने को राजी हुए ।

इलेक्ट्रिकल एवं मेकैनिकल विभाग के कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम/प्रोमोशन के नियम

क्रियान्वयन आदेश सं० ३३ दि० १७-७-१९८४

संदर्भ : जे. बी. सी. सी. आई. कार्यालय परिपत्र सं० एन. सी. डब्लू. ए.-३ (आई. आई. संख्या ३० / ८४) / ९८४ दिनांक २९ जून, १९८४

तृतीय जे.बी.सी.सी.आई. की प्रोमोशन पालिसी कमिटी ने १० और ११ जुलाई, १९८४ को हुए अपने बैठक में इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल विभाग के कार्मिकों से सम्बन्धित निम्नलिखित दो कैडर स्कीमों को अन्तिम रूप दिया ।

१) हेल्पर से मैशिनिष्ट— परिशिष्ट ७-१७

२) हेल्पर से टर्नर/लिदमैन— परिशिष्ट ७-१८

२. यह भी राजीनामा हुआ कि इस सम्बन्ध में क्रियान्वयन आदेश जारी किये जायें ।

३. तदनुसार, उपरोक्त कैडर स्कीम अग्रसारित किया (भेजा) जा रहा है और वह सदस्य सचिव, जे. बी. सी. सी. आई. द्वारा क्रियान्वयन आदेश सं०-३० के तहत जारी किये गये शिर्षक "(सी) (२) (१०) मेकैनिकल" के अन्तर्गत कैडर स्कीम सं० ७ का एक हिस्सा होगा । प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि इसे लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाये जायं ।

४. इस बात का लक्ष्य किया जाय कि इन कैडर स्कीमों के लागू हो जाने से इस विषय पर अबतक के वर्तमान सभी आदेश व निर्देश साथ-साथ ही रद्द समझे जायं ।

———

मैशिनिस्ट

हेल्पर से मैशिनिस्ट

१	२	३	४	५	६
१.	हेल्पर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.०७	मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. अथवा साक्षर	१) मैट्रिक के साथ आई.टी.आई. के लिये कैटेगरी-१ के रूप में १ वर्ष का प्रशिक्षण २) साक्षर के लिये कैटेगरी-१ में जेनरल मजदूर के रूप में ३ वर्ष का प्रशिक्षण ।	डी.पी.सी./ योग्यता जाँच
२.	वर्कशाप मैशिनिस्ट	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	साक्षर वेतन मंडल की तरह कुशलता	कैटेगरी-२ में हेल्पर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी. योग्यता जाँच ।
३.	वर्कशाप मैशिनिस्ट/ मेशिनमैन ग्रेड-२ (डब्लू)	कैटेगरी-५ रु. २६ ०४-१.००-४०.०४	—वही—	कैटेगरी-४ में ३ वर्षों का अनुभव ।	—वही—

१	२	३	४	५	६
४.	वर्कशाप मैशिनिष्ट (डब्लू)	कैटेगरी-६ रु. २६.२४-१.३५-४८.१४	—वही—	कैटेगरी-५ में ३ वर्षों का अनुभव	—वही—

द्रष्टव्य : (१) व्यावसायिक जाँच की रूपरेखा जैसा प्रबन्धन द्वारा निर्धारित किया जाय ।

(२) कुशलता व्यावसायिक जाँच की रूपरेखा तथा वेतन मण्डल के अनुसार ।

(३) टिस्को, इस्को तथा सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधनों के साथ लागू करने को राजी हुए ।

इ. एवं एम. (इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल) कार्मिकों के प्रोमोशन का जरिया — हेल्पर से टर्नर/लिदमैन

परिशिष्ट-७-१८

१	२	३	४	५	६
१.	हेल्पर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.०७	मैट्रिक के साथ आई.टी.आई. अथवा साक्षर	(१) मैट्रिक के साथ आई टी.आई. के लिये कैटेगरी-१ में १ वर्ष का प्रशिक्षण । (२) साक्षर के लिये कैटेगरी-१ में जेनरल मजदूर के रूप में ३ वर्ष ।	डी पी सी./ योग्यता जाँच ।
२.	टर्नर/लिदमैन ग्रेड-२ (डब्लू)	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	(ए) साक्षर (बी) वेतन मंडल तथा व्यावसायिक जाँच की रूपरेखा के अनुसार वांछित कुशलता ।	(ए) कैटेगरी-२ में हेल्पर के रूप में ४ वर्षों का अनुभव । (बी) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. होने से कैटेगरी-२ में ट्रेनी हेल्पर के रूप में २ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी./ व्यावसायिक जाँच ।

१	२	३	४	५	६
३.	टर्नर/लिदमैन ग्रेड-१ (डब्लू)	कैटेगरी-६ रु. २६.२४-१.३५-४८.१४	उपरोक्त जैसा ही	कैटेगरी-५ में टर्नर/लिदमैन के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	—वही—

द्रष्टव्य : (१) यदि विभागीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. को टर्नर/लिदमैन व्यवसाय (कार्य) में कैटेगरी-२ में ट्रेनी/हेल्पर के रूप में सिर्फ २ वर्षों के लिये लिया जायगा ।

(२) व्यावसायिक जाँच की रूपरेखा प्रबन्धन द्वारा निर्धारित किया जायगा ।

(३) कुशलता जाँच की रूपरेखा तथा वेतनमण्डल के अनुसार ।

(४) टिस्को, इस्को तथा सिमरेली कोलियरीज कम्पनी स्थानीय परिस्थितियों के उपयुक्त संशोधनों के साथ लागू करने को राजी हुए ।

———

१. इ. एवं एम. (इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल) कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम—कारपेन्टर हेल्पर से पैटर्न मेकर तथा कन्वेयर शिफ्टिंग मजदूर से कन्वेयर फिटर/कन्वेयर मूवर.

क्रियान्वयन आदेश सं०-३७ दिनांक २५-६-१९८४

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. के प्रोमोशन पालिसी कमिटी की २१ और २२ अगस्त, १९८४ तथा १४ सितम्बर, '८४ को हुए बैठक में निम्नलिखित कैडर स्कीमों के सम्बन्ध में वार्तालाप हुई तथा इसे अन्तिम रूप दिया गया जो निम्न प्रकार है :

इ. एवं एम. कार्मिकों के कैडर स्कीम।

(१) कार्पेन्टर हेल्पर से पैटर्न मेकर ग्रेड-१ परिशिष्ट-७-११

(२) कन्वेयर शिफ्टिंग मजदूर से कन्वेयर फिटर/कन्वेयर मूवर—परिशिष्ट-७-१९

२. उपरोक्त कैडर स्कीम, इ. एवं एम. कार्मिकों के लिये क्रियान्वयन आदेश सं० ३० में जारी किये गये कैडर स्कीम का हिस्सा होगा (परिपत्र सं. एन. सी. डब्लू. ए.-३ (आई. आई. सं. ३०/८४/६८४ दिनांक २९ जून, १९८४ के अनुसार)। परिशिष्ट ७-१९ शीर्षक (सी) (२) (१०) मेकैनिकल के अन्तर्गत आयगा।

३. उपरोक्त कैडर स्कीमों को प्रबन्धनों के पास आवश्यक कार्रवाई तथा उसे लागू करने के लिये भेजा गया है।

४. इस बात का लक्ष्य किया जाय कि इन कैडर स्कीमों के लागू हो जाने से इस विषय पर अबतक के वर्तमान सभी आदेश व निर्देश साथ-साथ ही रद्द समझे जाँय।

———

इ. एवं एम. (इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल) कार्मिकों के प्रोमोशन का जरिया — परिशिष्ट-७-११

(कार्पेन्टर)

कार्पेन्टर हेल्पर से असिस्टेंट पैटर्न मेकर

१	२	३	४	५	६
१.	कार्पेन्टर हेल्पर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.०७	(१) साक्षर (२) मैट्रिक के साथ सम्बन्धित व्यवसाय में आई. टी. आई.	(ए) साक्षर के लिये कैटेगरी-१ में ३ वर्ष का अनुभव। (बी) मैट्रिक के साथ आई.टी.आई. के लिये कैटेगरी-१ में १ वर्ष का प्रशिक्षण।	डी.पी सी. योग्यता जांच
२.	कार्पेन्टर	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	—वही—	(ए) कार्पेन्टर हेल्पर के रूप में ३ वर्ष	डी.पी.सी./ व्यावसायिक जाँच
३.	कार्पेन्टर/पैटर्नमेकर (ग्रेड-२)	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	—वही—	(ए) कैटेगरी-४ में कार्पेन्टर के रूप में ३ वर्ष	—वही—
४.	पैटर्न मेकर (ग्रेड-१)	कैटेगरी-६ रु. २९.२४-१.३५-४८.१४	—वही—	(ए) कैटेगरी-५ में कार्पेन्टर / पैटर्न मेकर के रूप में ३ वर्ष	—वही—

द्रष्टव्य : (१) व्यावसायिक जांच की रूपरेखा प्रबन्धन द्वारा निर्धारित किया जायगा।
(२) व्यावसायिक जांच की रूपरेखा तथा वेतन मण्डल में निर्दिष्ट कुशलता।

टिप्पणी : टिस्को, इस्को तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक संशोधन करके लागू करने को राजी हुए।

इ. एवं एम. (इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल) कार्मिकों के पदोन्नति का जरिया — परिशिष्ट-७-१६

कन्वेयर शिफ्टिंग मजदूर से कन्वेयर फिटर/कन्वेयर मूवर

१	२	३	४	५	६
१.	कन्वेयर शिफ्टिंग मजदूर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.०७	(ए) साक्षर (बी) मैट्रिक के साथ आई.टी.आई.	(ए) कैटेगरी-१ में जेनेरल मजदूर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव । (बी) मैट्रिक के साथ आई.टी.आई. के लिये कैटेगरी-१ में १ वर्ष का प्रशिक्षण ।	डी.पी.सी./ योग्यता जाँच
२.	कन्वेयर खलासी	कैटेगरी-३ रु. २२.७०-०.६५-३१.८०	(ए) उपरोक्त जैसा ही (बी) उपरोक्त जसा ही	(ए) नन - आई. टी. आई. के लिये कैटेगरी-२ में कन्वेयर शिफ्टिंग मजदूर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव । (बी) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. के लिये कैटेगरी-२ कन्वेयर शिफ्टिंग मजदूर के रूप में २ वर्षों का अनुभव ।	—वही— —वही—

१	२	३	४	५	६
३.	कन्वेयर फिटर/ कन्वेयर मूवर	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	(ए) उपरोक्त जैसा ही (बी) उपरोक्त जैसा ही	(ए) नन-आई. टी. आई. के लिये कैटेगरी-३ में कन्वेयर खलासी के रूप में ३ वर्षों का अनुभव । (बी) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. के लिये कैटेगरी-२ में कन्वेयर शिफ्टिंग मजदूर के रूप में २ वर्षों का अनुभव ।	—वही—

द्रष्टव्य : (१) कन्वेयर फिटर/कन्वेयर मूवरों को कैटेगरी-४ में ३ वर्ष काम करने पर अन्य लोगों के साथ कैटेगरी-५ में मेकैनिकल फिटर (मेकैनिकल फिटर कैडर परिशिष्ट-७-१३) के रूप में पदोन्नति के लिये विचार किया जायगा ।

(२) टिस्को, इस्को एवं सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करके लागू करने हेतु राजी हुए ।

डी. मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये कैडर स्कीम

कार्यान्वयन आदेश संख्या-३४ दिनांक १७-७-१९८४

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. की प्रोमोशन पालिसी कमिटी ने १० और ११ जुलाई, १९८४ को हुए अपने बैठक में मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये कैडर स्कीम के ऊपर बार्तालाप किया और अन्तिम निर्णय लिया, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क) संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा वर्गीकरण इत्यादि — कैडर स्कीम सं० ८

ख) क्लरिकल स्टाफ के लिये कैडर स्कीम— — परिशिष्ट ८-१

ग) स्टोर कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम— — परिशिष्ट ८-२

२. यह राजीनामा हुआ कि अन्य कैडर स्कीम जैसे (१) लोडिंग, डिस्पैच तथा सेल्स (बिक्री) कैडर, (२) कैश कार्मिकों का कैडर, (३) एकाउन्टस कैडर एवं (४) सेक्रेटेरियल कैडर का कैडर स्कीम का निर्णय बाकी रखते हुए उपरोक्त के सम्बन्ध में कार्यान्वयन आदेश जारी कर दिया जा सकता है ।

३. तदनुसार, उपरोक्त कैडर स्कीमों को प्रबन्धनों को इसे लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध के साथ भेजा गया ।

४. इस बात का लक्ष्य किया जाय कि इन कैडर स्कीमों के लागू हो जाने से इस विषय पर अबतक के वर्तमान सभी आदेश व निर्देश साथ-साथ ही रद्द समझे जाँय ।

———

कैडर स्कीम संख्या—८

मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये कैडर स्कीम

१. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा वर्गीकरण :**

ए) इस स्कीम को मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये कैडर स्कीम के नाम से पुकारा जायगा ।

बी) निम्नलिखित वर्गीकृत सभी मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये यह स्कीम लागू होगा ।

१) सामान्य (जेनरल) क्लरिकल कैडर,

२) स्टोर कार्मिक कैडर,

३) लोडिंग, डिस्पैच एवं सेल्स (बिक्री) कैडर,

४) कैश कार्मिक कैडर,

५) एकाउन्ट्स कैडर,

६) सेक्रेटेरियल कैडर ।

२. **परिभाषा :**

विषय अथवा संदर्भ के विपरीत कुछ नहीं हो तो इस स्कीम में :

ए) कम्पीटेन्ट अथोरिटी (दक्ष प्राधिकार) का अर्थ कम्पनी के मुख्य कार्यपालक अथवा क्षेत्रीय प्रबन्धक अथवा प्रोजेक्ट के प्रमुख जो भी हो अथवा अन्य कोई भी पदाधिकारी जिसे समय-समय पर वैसे अधिकार दिये जाँय ।

बी) "शैक्षणिक योग्यता" (एडुकेशनल क्वालिफिकेशन का अर्थ—वह योग्यता जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा योग्यता जाँच जैसा कि कम्पनी द्वारा निर्धारित और संचालित हो ।

सी) 'सेवा' (सर्विस) का अर्थ उस पद की सेवा है—जो आगे के परिशिष्टों में दर्शाया गया है ।

डी) जाँच : वेतन मंडल तथा प्रबन्धन द्वारा भी समय-समय पर कैडर स्कीम में कुशलता जाँच हेतु जो भी जाँच निर्धारित किये गये हैं।

३.० प्रोमोशन का रास्ता :

३.१ विभिन्न ग्रेडों के मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये प्रोमोशन का रास्ता इसके साथ के परिशिष्टों में दिया गया है। उक्त परिशिष्टों में विभागीय कर्मचारियों के लिये जो समय-समय पर कैडर सूची में जोड़े जायेंगे उनके लिये वांछित योग्यता तथा अनुभव का निर्देश ही किया गया है जिससे स्कीम (योजना) में निर्दिष्ट अभ्यर्थियों के चयन हेतु पात्रता मालूम हो।

३.२ क्लरिकल ग्रेड-१ तक के पदों के लिये चयन का आधार सिनियरिटी-कम-मेरिट रहेगा तथा स्पेशल ग्रेड क्लर्क एवं उससे ऊपर के लिये मेरिट कम-सिनियरिटी का आधार होगा।

३.३ सुपरवाइजरी ग्रेड 'ए' तक के पदों को भरने के लिये प्रोमोशन का क्षेत्र कम्पनी स्तर होगा।

३.४ वर्तमान अभ्यर्थी जो कैडर स्कीम में निर्दिष्ट निम्नतम योग्यता नहीं रखते हैं वे प्रोमोशन लाइन के अनुसार आगे प्रोमोशन के योग्य नहीं होंगे जबतक कि वे निम्नतम योग्यता हासिल नहीं कर लेते।

४.० विभागीय प्रोमोशन कमिटी :

उच्चतर कैटेगरियों के खाली स्थानों को भरने के लिये अभ्यर्थियों का चयन विभागीय प्रोमोशन कमिटी की अनुशंशा पर, जिसका गठन दक्ष प्राधिकार अथवा उसके द्वारा समय-समय पर अधिकृत किये गये अन्य अधिकारियों द्वारा किया जायगा। उन अनुशंशाओं पर दक्ष प्राधिकार का निर्णय ही अन्तिम होगा। डी.पी.सी. (विभागीय प्रोमोशन कमिटी) द्वारा तैयार किया गया अन्तिम सूची को डी. पी. सी. के मिलने तथा अभ्यर्थियों को उपयुक्त पाने पर सम्बन्धित व्यक्तियों को उनका निर्णय बता दिया जाय।

५.० सीधा बहाली :

सीधा बहालो उसी हालत में होगा जब डी. पी. सी. की बैठक हो गयी हो और किसी भी विभागीय उम्मोदवार को रिक्त पद के लिये ६ महीने के भीतर उपयुक्त नहीं पाया हो।

६.० रद्द संशोधन इत्यादि :

इस विषय पर अबतक जारी सभी कार्यकारी निर्देश तथा आदेशों को उसी समय से रद्द समझा जायगा जब से यह स्कीम (योजना) लागू हो जाता है।

———

परिशिष्ट-८-१

मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये कैडर स्कीम

सामान्य क्लरिकल कैडर

१	२.	३	४	५	६
१.	क्लर्क ग्रेड-३	क्लरिकल ग्रेड-३ रु. ६२५-२३-९४७	१) किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।	कम्पनी में तीन वर्ष की सेवा	चयन/जाँच
२.	ए) क्लर्क ग्रेड-२	क्लरिकल ग्रेड-२ रु. ६७५-३०-९१५-३५-११९९	उपरोक्त जैसा ही	क्लर्क ग्रेड-३ में ३ वर्षों का अनुभव	डी.पी.सी.
	बी) टाइपिस्ट	—वैसा ही—	१) —वही— २) टाइपिंग की गति ४० शब्द प्रति मिनट		
३.	क्लर्क ग्रेड-१	क्लरिकल ग्रेड-१ रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।	क्लर्क ग्रेड-२ में ३ वर्षों का अनुभव	डी.पी.सी.

१	२	३	४	५	६
४.	स्पेशल ग्रेड क्लर्क/ सिनियर क्लर्क	क्लरिकल स्पेशल ग्रेड रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	—वही—	क्लर्क ग्रेड-१ के रूप में ५ वर्षों का अनुभव अथवा क्लर्क ग्रेड-१ तथा २ में ८ वर्षों का अनुभव जिसमें ग्रेड-१ में कम से कम ३ वर्ष का अनुभव अनिवार्य है ।	डी. पी. सी.
५.	आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट	तकनिकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	—वही—	स्पेशल ग्रेड क्लर्क / सिनियर क्लर्क के रूप में ५ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : १) ग्रेड-२ में टाइपिस्टों को स्वैच्छिक होगा कि या तो वे इस कैडर में अथवा सेक्रेटेरियल कैडर में आगे बढ़ने का मौका पायेंगे बशर्ते कि वे निर्धारित स्टेनोग्राफिक (आशुलिपिक) की योग्यता रखते हों ।

२) क्लरिकल ग्रेड-३ में लैम्प इस्सू तथा रिटर्न क्लर्क भी इस कैडर स्कीम में प्रोमोशन के लिये विचार किये जायेंगे ।

३) टिस्को, इस्को तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधनों के साथ लागू करने को राजी हुए ।

परिशिष्ट-८-२

मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये कैडर स्कीम
स्टोर कार्मिक कैडर

१	२	३	४	५	६
१.	स्टोर इस्सू क्लर्क	क्लरिकल ग्रेड-३ रु. ६२५-२३-९४७	किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास ।	कम्पनी में ३ वर्षों की सेवा ।	चयन/जांच
२.	असिस्टेंट स्टोर कीपर	क्लरिकल ग्रेड-२ रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	—वही—	क्लरिकल ग्रेड-३ में स्टोर इस्सू क्लर्क के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.
३.	स्टोर कीपर	क्लरिकल ग्रेड-१ रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	—वही—	क्लरिकल ग्रेड-२ में असिस्टेंट स्टोर कीपर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	—वही—
४.	सिनियर स्टोर कीपर	क्लरिकल स्पेशल ग्रेड रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	—वही—	क्लरिकल ग्रेड-१ में स्टोर कीपर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव ।	—वही—
५.	चीफ स्टोर कीपर	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	—वही—	स्टोर कीपर क्लरिकल स्पेशल ग्रेड के रूप में ५ वर्षों का अनुभव ।	—वही—

द्रष्टव्य : (१) यदि अन्य दूसरी तरह से उपयुक्त हों तो स्टोर इस्सू क्लर्क ग्रेड-३ से स्टोर कीपर क्लरिकल ग्रेड-१ पद के लिये वर्तमान कर्मचारियों के प्रोमोशन हेतु शैक्षणिक योग्यता कोई बाधा नहीं होगी ।

(२) जहाँ कहीं भी मैगेजिन स्टोर का एक अंग है वहां मैगेजिन में नियुक्त श्रमिक स्टोर्स कैडर के अन्तर्गत आवेंगे । स्टोर्स विभाग में नियुक्त क्लरिकल स्टाफ जो क्लरिकल ड्यूटी करते हैं उन्हें क्लरिकल कैडर कर्मचारियों के साथ रखा जायगा ।

(३) फिर भी क्लरिकल स्टाफ को स्टोर्स की ड्यूटी में लगाया जाना चाहिये क्योंकि वे स्टोर्स के लिये अधिकृत जिम्मेवारी नहीं रखते हैं ।

(४) चीफ स्टोर कीपर (तकनिकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड-'ए') के पद केवल क्षेत्रीय (रिजनल)/केन्द्रीय (सेन्ट्रल) स्टोर्स के लिये हैं ।

(५) टिस्को, इस्को एवं सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी लिमिटेड उनके स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधनों के साथ लागू करने को राजी हुए ।

१. मिनिस्टेरियल स्टाफ—लोडिंग कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

कार्यान्वयन आदेश संख्या ३८ दि० २५-९-१९८४

जे.बी.सी.सी.आई.-३ की प्रोमोशन पालिसी कमिटी की २१ व २२ अगस्त, १९८४ को हुए अपने बैठक में मिनिस्टेरियल स्टाफ—लोडिंग कार्मिकों के सम्बन्ध में वार्तालाप किया तथा उनके लिये कैडर स्कीम को अन्तिम रूप दिया— परिशिष्ट-८-३ ।

२. यह राजीनामा हुआ कि मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये कैडर स्कीम संख्या-८ के पैरा ३.३ को संशोधित किया जाय । परिपत्र संख्या एन. सी. डब्लू. ए.-३ का. आ. संख्या ३४/८४/७७१ दिनांक १७ जुलाई, १९८४ के अनुसार निम्नलिखित संशोधन किया गया :—

"३.३ क्लरिकल ग्रेड स्पेशल तक के पदों के लिये प्रोमोशन का क्षेत्र एरिया (क्षेत्रीय स्तर) होगा तथा तकनिकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड-ए के लिये क्षेत्र (एरिया) अथवा कम्पनी स्तर, कम्पनी की वर्तमान प्रचलन के अनुसार होगा ।"

३. १४ सितम्बर १९८४ को हुए बैठक में निम्नानुसार फैसला हुआ : "मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये जो कैडर स्कीम का. आ. संख्या ३४ दिनांक १७ जुलाई, १९८४ के परिशिष्ट-८-१ में 'प्रोमोशन के लिये पात्रता" कालम के अन्तर्गत क्रम संख्या २ (बी) टाइपिस्ट के सामने निम्नलिखित शब्दों को जोड़ लेना चाहिये जो कि पहले छूट गया है :—

"क्लर्क ग्रेड-३ के रूप में ३ वर्षों का अनुभव"

४. मिनिस्टेरियल स्टाफ—लोडिंग कार्मिक के लिये कैडर स्कीम, परिशिष्ट-८-३ मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये कैडर स्कीम का अंश होगा । (का. आ. सं० ३४ दि० १७-७-१९८४)

५. प्रबन्धनों से इन्हें लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है ।

६. यह द्रष्टव्य हो कि इस कैडर स्कीम के लागू हो जाने के साथ ही साथ इस विषय पर अब तक जारी किये गये वर्तमान सभी आदेश एवं निर्देश रद्द समझे जायेंगे ।

मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये कैडर स्कीम

लोडिंग कार्मिक

परिशिष्ट-८-३

१	२	३	४	५	६
१.	असिस्टेंट लोडिंग क्लर्क	क्लरिकल ग्रेड-३ रु. ६२५-२३-६४७	किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।	कम्पनी का कोई भी स्थायी श्रमिक।	चयन
२.	लोडिंग क्लर्क	क्लरिकल ग्रेड-२ रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	—वही—	क्लरिकल ग्रेड-३ में असिस्टेंट लोडिंग क्लर्क के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी.पी.सी.
३.	असिस्टेंट लोडिंग इन्सपेक्टर/असिस्टेंट लोडिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	तकनिकी तथा सुपरवाइजरी ग्रेड-बी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	—वही—	क्लरिकल ग्रेड-२ में लोडिंग क्लर्क के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	—वही—
४.	लोडिंग इन्सपेक्टर/लोडिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	तकनिकी तथा सुपरवाइजरी ग्रेड-सी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	—वही—	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-सी में असिस्टेंट लोडिंग इन्सपेक्टर / असिस्टेंट लोडिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी.पी.सी.
५.	सिनियर लोडिंग इन्सपेक्टर/सिनियर लोडिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	तकनिकी तथा सुपरवाइजरी ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	—वही—	तकनिकी तथा सुपरवाइजरी ग्रेड-बी में लोडिंग इन्सपेक्टर/लोडिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट के रूप में वर्षों का अनुभव।	

द्रष्टव्य : १) तकनिकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड-सी में असिस्टेंट लोडिंग इन्सपेक्टर/असिस्टेंट लोडिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट पदों तक के वर्तमान कर्मचारियों के प्रोमोशन के लिये शैक्षणिक योग्यता कोई बाधा नहीं रहेगी।

२) टिस्को, इस्को तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक संशोधनों के साथ लागू करने को राजी हुए।

एफ. मिनिस्टेरियल स्टाफ—सेक्रेटेरियल कैडर तथा कैश कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

कार्यान्वयन आदेश संख्या ४० दि० ५/१२-१-८४

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. के प्रोमोशन पालिसी कमिटी ने ३० व ३१ अक्टूबर, १९८४ को हुए अपने बैठक में निम्नलिखित कैडर स्कीमों पर वार्तालाप किया तथा निर्णय किया :—

(अ) मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये कैडर स्कीम—

सेक्रेटेरिएट कैडर — परिशिष्ट-८-६

कैश कार्मिक — परिशिष्ट-८-४

मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये उपरोक्त कैडर स्कीम—मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये कैडर स्कीम का एक अंग होगा। (का.आ.सं.-३४ दि० १७-७-१९८४)।

२. प्रोमोशन पालिसी कमिटी की २९ एवं ३० नवम्बर, १९८४ को हुए अपने बैठक में मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये कैडर स्कीम जो का.आ. सं. ३४ दि० १७-७-१९८४ के तहत प्रसारित किया गया था उसका पुनर्मूल्यांकन किया और यह फैसला किया कि संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा वर्गीकरण से सम्बन्धित पैरा ३.४ को बाद दे दिया जाय। तदनुसार निम्नलिखित वाक्य जो पैरा ३.४ के रूप में दिया गया है उसे रद्द किया जाता है।

"३.४ वर्तमान अभ्यर्थी जो कैडर स्कीम में निर्दिष्ट निम्नतम योग्यता नहीं रखते हैं वे प्रोमोशन लाइन के अनुसार आगे प्रोमोशन योग्य नहीं होंगे, जब तक कि वे निम्नतम योग्यता हासिल नहीं कर लेते।"

३. आगे यह राजीनामा हुआ कि का.आ.सं. ३४ दि० १७-७-१९८४ के जेनेरल क्लरिकल कैडर के लिये कैडर स्कीम-परिशिष्ट-८-१ में एक नया द्रष्टव्य क्रम सं. (४) जैसा कि नीचे दिया जा रहा है जोड़ दिया जायगा :

"(४) क्लरिकल ग्रेड-१ में क्लर्क ग्रेड-१ पद तक के लिये वर्तमान कर्मचारियों के प्रोमोशन हेतु शैक्षणिक योग्यता कोई बाधक नहीं होगी।"

४. यह द्रष्टव्य हो कि इस कैडर स्कीम के लागू हो जाने के साथ-ही-साथ इस विषय पर अब तक जारी किये गये वर्तमान सभी आदेश व निर्देश रद्द समझे जायेंगे।

———

मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये कैडर स्कीम
(कैश कार्मिक कैडर)

१	२	३	४	५	६
१.	असिस्टेंट कैशियर	क्लरिकल ग्रेड-२ रु. ६७५-३०-९१५-३५-११९५	किसी मान्यताप्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	क्लरिकल ग्रेड-३ में ३ वर्षों का अनुभव।	चयन/जाँच
२.	कैशियर	क्लरिकल ग्रेड-१ रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	—वही—	ठीक इसके नीचले ग्रेड में ५ वर्षों का अनुभव।	डी.पी.सी.
३.	सिनियर कैशियर	क्लरिकल स्पेशल ग्रेड रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५५६	—वही—	ठीक इसके नीचले ग्रेड में ५ वर्षों का अनुभव।	डी.पी.सी.
४.	चीफ कैशियर	तकनिकी तथा सुपरवाइजरी ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	—वही—	ठीक इसके नीचले ग्रेड में ५ वर्षों का अनुभव।	डी.पी.सी.

द्रष्टव्य : १) सभी कैश कार्मिक जैसे—पे क्लर्क, कैश क्लर्क, असिस्टेंट कैश क्लर्क इत्यादि जो वर्तमान में क्लरिकल ग्रेड-२ में हैं उन्हें फिर से उसी ग्रेड में असिस्टेंट कैशियर के नये नाम से रहेंगे।

२) करेस्पोंडिंग स्केल के अनुसार क्लरिकल ग्रेड-१, क्लरिकल स्पेशल ग्रेड तथा तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-ए में वर्तमान कर्मचारियों को उपरोक्त जैसा ही पुनर्नामकरण किया जायगा।

३) सम्बन्धित कम्पनियों द्वारा कर्मियों का ढाँचा निर्धारित किया जायगा।

४) क्लरिकल ग्रेड-१ में कैशियर तक के पदों के लिये वर्तमान कर्मचारियों के प्रोमोशन हेतु शैक्षणिक योग्यता कोई बाधक नहीं होगी।

५) टिस्को, इस्को तथा सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधनों के साथ लागू करने को राजी हुए।

मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये कैडर स्कीम

परिशिष्ट-८-६

(सेक्रेटेरिएट कैडर)

१	२	३	४	५	६
१.	टाइपिस्ट	क्लरिकल ग्रेड-२ रु. ६७८-३०-९१८-३८-११९८	१) किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उतीर्ण। २) टाइपिंग स्पीड (गति) ४० शब्द प्रति मिनट।	ग्रेड-३ क्लर्क के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी.पी.सी./ जाँच
२.	स्टेनोग्राफर	क्लरिकल ग्रेड-१ रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	१) किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उतीर्ण। २) शार्टहैंड में ८० शब्द प्रति मिनट तथा टाइपिंग में ४० शब्द प्रति मिनट की गति (स्पीड) हो।	क्लरिकल ग्रेड-२ में टाइपिस्ट के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	—वही—
३.	परसनल असिस्टेंट	क्लरिकल स्पेशल ग्रेड रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	१) किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड द्वारा मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उतीर्ण।	स्टेनोग्राफर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	—वही—

१	२	३	४	५	६
			२) शार्टहैंड में १०० शब्द प्रति मिनट तथा टाइपिंग में ४० शब्द प्रति मिनट का रफ्तार होना अनिवार्य होगा।		
४. सिनियर परसनल असिस्टेंट	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-ए रु. ८९२-२३-१३१६-५५-१७०१		१) किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड द्वारा मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। २) शार्टहैंड में १०० शब्द प्रति मिनट तथा टाइपिंग में ४० शब्द प्रति मिनट का रफ्तार रखना अनिवार्य होगा।	स्पेशल ग्रेड पी.ए. के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी.पी.सी.

द्रष्टव्य : १) तदनुरूप स्केल के अनुसार वर्तमान कर्मचारियों को उपरोक्त जैसा फिर से नामकरण किया जायगा।

२) टिस्को, इस्को तथा सिगरेनी कोलियरीज कम्पनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन करके लागू करने को राजी हुए।

---

२. स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी (एकरूपता समिति)

ए. एक्सकैवेशन श्रमिकों की ग्रूपिंग, कार्य-विवरण इत्यादि

कार्यान्वयन आदेश संख्या-१६ दिनांक २२-२-१९८४

१. सदस्य सचिव, जे. बी. सी. सी. आई. के पत्र सं० सी. आई. एल. जे. बी. सी. सी. आई.-३/१९८३ दि० ९ सितम्बर, १९८३ जो जे. बी. सी. सी. आई. के सभी सदस्यों को अग्रसारित (भेजा) किया गया, जिसमें एक्सकैवेशन आपरेशन के वर्किंग ग्रूप (कार्य-दल) जिसका गठन, बढ़ी क्षमता की मशीनों एवं एक्सकैवेशन में नई प्रकार की मशीनों के लागू करने तथा उनके प्रयोग तथा तत्सम्बन्धी अन्य मामलों पर विचार करके वेज स्ट्रक्चर फामुलेशन कमिटी की अनुशंशा पर किया गया था, द्वारा एक्सकैवेशन कर्मचारियों के कुछ कैटेगरियों का संशोधित वर्गीकरण, विवरण, नामकरण, कार्य-विवरण दिया गया था।

२. जे.बी सी.सी.आई.-३ के स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की दूसरी बैठक जो ८ एवं ९ फरवरी, १९८४ को हुई उसमें उक्त विषय पर वार्त्तालाप हुई और यह निर्णय लिया गया कि एन. सी. डब्लू. ए.-३ की धारा १२.४.१ तथा १२.५.१ के प्रावधानों को मद्‌नजर रखते हुए सदस्य सचिव जे. बी. सी. सी आई.-३ द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यान्वियन आदेश जारी कर दिया जाना चाहिये तथा उसकी प्रतिलिपि जे.बी.सी सी.आई. के सभी सदस्यों को भेजी जाय।

३. तदनुसार, उपरोक्त पैरा-१ में जैसा कहा गया है एक्सकैवेशन आपरेशन के वर्किंग ग्रूप द्वारा जो एक्सकैवेशन श्रमिकों के कुछ कैटेगरियों की ग्रूपिंग, विवरण, नामकरण, कार्य-विवरण जो संशोधित किया गया था वह परिशिष्ट-ए के रूप संलग्न है और वह वर्तमान विवरणों के बदले/उसके साथ जोड़कर/उसे बदलकर तत्क्षण लागू करने हेतु भेजा जा रहा है।

एक्सकवैशन श्रमिकों की ग्रूपिंग, कार्य-विवरण इत्यादि

ग्रूप—'ए'

१. **सिनियर डम्पर आपरेटर**

एक अति कुशल श्रमिक जिसे कोयला को इधर से उधर करने वाले (हालर) के हेभी ड्यूटी हाइवे डम्पर आपरेट करने का कम से कम ८ वर्षों का अनुभव है। जिसमें उसके निचले ग्रेड अर्थात् ग्रूप-बी का कम से कम ३ वर्षों का अनुभव है। उसे ४५ टन अथवा उससे अधिक की क्षमतावाले उस तरह यन्त्रों को आपरेट करना पड़ेगा। उसे उन मशीनों के तकनीक की सामान्य जानकारी होनी चाहिये तथा छोटा-मोटा रख-रखाव एवं चालू मरम्मत कर सके। उसे हेभी ड्यूटी गाड़ी चलाने हेतु पृष्ठांकित वैध लाइसेन्सधारी होना चाहिये।

२. **एक्सकवैशन प्लांट सिनियर इलेक्ट्रिशियन**

एक अति कुशल श्रमिक जिसे भारी एक्सकवैशन यन्त्रों के बिजली सम्बन्धी तौर-तरीका के मरम्मत तथा रख-रखाव का १० वर्षों का अनुभव है, जिसमें तीन वर्ष उसके नीचले ग्रेड अर्थात् ग्रूप-बी का अनुभव है। उसमें न्यायोचित योग्यता होनी चाहिये तथा हाई-टेन्सन यन्त्र कन्ट्रोल सर्किट एवं इलेक्ट्रोनिक मशीन तथा उसके नियन्त्रण का सम्पूर्ण ज्ञान और उसमें निनुण होना चाहिये। उसे सर्किटों की जानकारी होनी चाहिये, उसे पढ़ सके तथा दोषों को पकड़ सके तथा उसे ठीक कर सके एवं स्वतन्त्र रूप से उसे बैठा सके और उसका रख-रखाव कर सके और काम में लगने वाले यन्त्रों की जाँच कर सके।

३. **सिनियर डोजर ऑपरेटर**

एक अति कुशल श्रमिक जिसे क्राउलर अथवा ह्वील टाइप डोजर जो ३८५ एच.पी./४१० एच.पी. की श्रेणी से कम नहीं हो, उसे आपरेट करने का कम से कम ८ वर्षों का अनुभव हो जिनमें इससे

नीचले ग्रेड अर्थात् ग्रूप-बी में तीन वर्षों का अनुभव प्राप्त हो। उसे मशीन की यांत्रिकी की सामान्य जानकारी होनी चाहिये और छोटा-मोटा चालू मरम्मत तथा रख-रखाव का जिम्मा ले सके। उसे ट्रैक्टर ड्राइविंग हेतु वैध लाइसेन्सधारी होना चाहिये।

४. **सिनियर ड्रिल ऑपरेटर**

एक अति कुशल श्रमिक जो हेभी ड्यूटी रोटरी/परक्यूसिव ब्लास्ट होल्ड ड्रिल (२। इन्च) ३११ एम. एम. डायमीटर और उससे अधिक के आपरेशन का कम से कम ८ वर्षों का अनुभव हो, जिसमें इसके निचले ग्रेड अर्थात् ग्रूप-बी का तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिये। उसे उक्त मशीनों के यांत्रिकी का सामान्य ज्ञान होना चाहिये और उसे छोटा-मोटा चालू मरम्मत तथा रख-रखाव अपने से कर लेना चाहिये। उसे विभिन्न फार्मेशन और अप्लिकेशनों में व्यवहृत होने वाले बिटों के प्रकार की पूरी जानकारी होनी चाहिये।

ग्रूप—'बी'

५. **एक्सकवैटर ऑपरेटर ग्रेड-२**

एक कुशल श्रमिक जिसे बिजली/डीजल ड्रैगलाइन/शॉवेल चलाने और उस पर काम करने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव है। वह वैसे यन्त्रों को जिसकी क्षमता १.९ क्यू. मीटर से अधिक तथा ३.५ क्यू. मीटर से कम हो को चलायगा। इसके अतिरिक्त उसे उस मशीन की यांत्रिकी का थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है और वह छोटा-मोटा चालू मरम्मत का काम कर सके।

६. **ड्रिल आपरेटर ग्रेड-१**

एक कुशल श्रमिक जिसे हेभी ड्यूटी रोटरी/२०० एम. एम. डाय (७.७.८।") और उससे अधिक किन्तु ३११ एम.एम. (१२-१") डाय से कम का परक्यूसिव ब्लास्ट होल ड्रिल चलाने और उस पर काम करने का कम-से-कम ५ वर्षों का अनुभव हो। उसे ड्रिल की यांत्रिकी का ज्ञान होना चाहिये तथा वह छोटा-मोटा मरम्मत तथा रख-रखाव का जिम्मा ले सके। उसे विभिन्न फार्मेशन तथा अप्लिकेशन में व्यवहृत होनेवाले बिटों के प्रकार की जानकारी होनी चाहिये।

ग्रूप-'सी'

७. **एक्सकैवेटर आपरेटर ग्रेड-३**

एक कुशल श्रमिक जो बिजली/डीजल ड्रैगलाइन शॉवेल चलाने और उस पर काम करने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव रखता है। वह वैसे यंत्रों जिनकी क्षमता १.५ क्यू. मी. से अधिक परन्तु १.९ क्यू. मी. से कम हो को चलायगा। इसके साथ ही उसे उन यंत्रों की मशीनरी का थोड़ा ज्ञान रखना चाहिये तथा छोटा-मोटा चालू मरम्मत का काम अपने जिम्मे लेना चाहिये।

८. **ड्रिल आपरेटर ग्रेड-२**

एक कुशल श्रमिक जो क्वारी के काम के लिये व्यवहृत होने वाले रोटरी/परक्यूसिव ड्रिलों को चलाने तथा उनपर काम करने का कम से कम तीन वर्षों का अनुभवी है। उसे वैसे यंत्रों, जो १६० एम. एम. (६-१/४") डाय और उसके ऊपर परन्तु २०० एम. एम. (७-७/८") डाय से नीचे को आपरेट करना चाहिये। उसे विभिन्न प्रकार के फार्मेशनों और एप्लिकेशनों (व्यवहारों) में लगने वाले बिटों के प्रकार की समुचित जानकारी होनी चाहिये और वह छोटा-मोटा चालू मरम्मत तथा रख-रखाव का काम कर सके।

ग्रूप-'डी'

९. **एक्सकैवेटर आपरेटर (जुनियर)**

एक कुशल श्रमिक जो बिजली/डीजल शॉवेल/ड्रैगलाइन चलाने और उसपर काम करने का कम से कम दो वर्षों का अनुभवी है। वह उन यंत्रों को जो १.५ क्यू. मी. से कम क्षमता का नहीं हो को चलायगा। इसके अतिरिक्त उसे उन मशीनों की यांत्रिकी का थोड़ा ज्ञान होना चाहिये और वह छोटा-मोटा चालू मरम्मत का काम कर लेता हो।

१०. **ड्रिल आपरेटर ग्रेड-३**

एक कुशल श्रमिक जिसे क्वारी के काम के लिये व्यवहृत होने वाले रोटरी/परक्यूसिव ड्रिलों को चलाने तथा उनपर काम करने का तीन वर्ष से कम का अनुभव है। उसे वैसे यंत्रों को जो १६० एम. एम. (६-१/४") डाय से कम का हो उसे आपरेट करना चाहिये। उसे उन मशीनों के यांत्रिकी का ज्ञान होना चाहिये और वे चालू मरम्मत तथा रख-रखाव का काम कर सकें। उसे विभिन्न प्रकार के फार्मेशनों और एप्लिकेशनों में लगने वाले बिटो के प्रकार की समुचित जानकारी होनी चाहिये।

———

बी. वाइण्डिंग इंजिन खलासी का पदनाम वाइंडिंग इंजिन आपरेटर किया जायगा

कार्यान्वयन आदेश सं० ३१ दि० ४-७-१९८४

वाइण्डिंग इञ्जिन खलासी का नाम बदलकर वाइण्डिंग इञ्जिन आपरेटर करने के सवाल पर स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २७ एवं २८ जून, १९८४ को हुए बैठक में वार्तालाप हुई। यह निर्णय हुआ कि वाइण्डिंग इञ्जिन खलासी जो वर्तमान कैटेगरी-४ तथा ५ में क्रमशः हैं और जिनके पास माइन्स डिपार्टमेन्ट द्वारा दिया गया वाइण्डिंग इंजिन ड्राइवर का प्रमाण-पत्र है उनका पदनाम फिर से बदलकर वाइण्डिंग इंजिन आपरेटर कर दिया जायगा।

२. तदनुसार, जे. बी. सी. सी. आई. द्वारा जारी पुस्तिका "ग्रूपिंग्स, नामेन्क्लेचर, जाब डिस्क्रिप्शन एण्ड वर्कनार्म्स आफ कोल इम्प्लाइज एण्ड नेशनल कोल वेज एग्रीमेन्ट दि० ११ दिसम्बर, १९७४ के क्रमशः पृष्ठ-४१ का क्रम संख्या ९ एवं पृष्ठ-४४ का क्रम संख्या-५ पर दिये गये शब्द "वाइण्डिंग इंजिन खलासी" के बदले शब्द "वाइण्डिंग इंजिन आपरेटर" हो जायगा। कार्य विवरण एवं वर्गीकरण (कैटेगराइजेशन) जैसा उक्त पुस्तिका में उल्लिखित में वैसा ही रहेगा।

३. उन वाइण्डिंग इंजिन खलासियों को जिनके पास माइन्स विभाग द्वारा जारी वाइण्डिंग इंजिन ड्राइवर का प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हैं उनका पदनाम वाइण्डिंग इंजिन खलासी ही रहेगा।

———

सी. तत्कालीन एन.सी.डी.सी. के वेतन मंडल के पूर्व के मासिक दर कर्मचारियों के मामले में कुछ उद्देश्यों के लिये एन. सी. डब्लू. ए.-३ के तहत वेतन की अधिकतम सीमा निर्धारित करना

कार्यान्वयन आदेश संख्या ३२ दि० ५-७-१९८०

सन्दर्भ : सदस्य सचिव, जे.बी.सी.सी.आई.-२ द्वारा जारी कार्यान्वयन आदेश सं० २५ जो परिपत्र संख्या आई.आर./९४/आई.एम.पी./५०५ दिनांक ६ मार्च, १९८० के तहत निर्गत किया गया था।

तत्कालीन एन. सी. डी. सी. के वेतन मंडल के पूर्व के मासिक दर कर्मचारियों के ट्यूशन फीस का भुगतान, बच्चों की शिक्षा भत्ता तथा बिना औसत का हिसाब किये छुट्टी के पैसा का भुगतान करने के उद्देश्य से एन. सी. डब्लू. ए.-३ के तहत वेतन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के विषय में स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २७ एवं २८ जून, १९८४ को हुए बैठक में वार्तालाप हुई।

२. यह राजीनामा हुआ कि एन. सी. डब्लू. ए.-३ की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित ब्यौरा के मुताबिक बुनियादी मजदूरी की अधिकतम सीमा में संशोधन किया जायगा।

विषय	एन.सी.डब्लू.ए.-२ के अन्तर्गत सीमा	तदनुसार एन.सी.डब्लू. ए.-३ के अन्तर्गत सीमा
(ए) ट्यूशन फीस का भुगतान	१०२७ रु.	१२९६ रु.
(बी) बच्चों के शैक्षणिक भत्ता का भुगतान	७८० रु.	१०४० रु.
(सी) बिना औसत वेतन का हिसाब किये छुट्टी वेतन का भुगतान	५५४ रु.	७६८ रु.

३. यहाँ इस बात पर बल दिया जाय कि यह फैसला **सिर्फ तत्कालीन एन. सी. डी. सी. के पूर्व-वेतन मंडल के मासिक दर कर्मचारियों पर ही लागू होता है अन्य दूसरों पर नहीं।**

४. उपरोक्त फैसला सिर्फ कोल इण्डिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों पर ही लागू होंगी।

डी. ब्रेक्समैन/प्वाइंट्समैन का कैटेगराइजेशन जो वाशरी साइडिंग के अलावा अन्य दूसरे साइडिंग में काम करते हैं तथा पे लोडर

कार्यान्वयन आदेश संख्या ३६ दि० २७-६-१६८४

वैसे ब्रेक्समैन/प्वाइन्ट्समैन जो वाशरी साइडिंग के अलावा अन्य साइडिंग में काम करते हैं, के वर्गीकरण (कैटेगराइजेशन) के प्रश्न पर तृतीय जे.बी.सी.सी.आई. स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २३ एवं २४ जुलाई, ८४ को बैठक में वार्तालाप हुई और यह राजीनामा हुआ कि वैसे ब्रेक्समैन/प्वाइन्ट्समैन जो वाशरी साईडिंग को छोड़कर अन्य साइडिंग में काम करते हैं, जहाँ कोयला मशीनीकृत लोडिंग प्लांट के जरिये बोझाई किया जाता है उन्हें भी वाशरी की तरह कैटेगरी-४ में रखा जायगा । (जे.बी.सी.सी.आई./आई.आर./६४/आई.एम.पी./१२६२ दिनांक १६ मार्च १६८१ कार्यान्वयन आदेश संख्या ३८ परिशिष्ट-१ के जरिये ।)

२. स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २० एवं २१ सितम्बर, १६८४ को हुए बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि पे लोडर जहाँ कहीं भी कोयला उद्योग में काम करते हैं वे कार्यान्वयन आदेश सं० ३६ (जरिया पत्र संख्या जे.बी.सी.सी.आई./आई.आर./६४/आई.एम.पी./११६७ दिनांक २ फरवरी, १६८१) के परिशिष्ट-बी में निर्दिष्ट क्षमता के आधार पर एक्सकैवेशन ग्रेड में रखे जायंगे ।

———

समापन की टिप्पणियाँ

ए. सेवा से जुड़ा हुआ बढ़ौती

कार्यान्वयन आदेश संख्या २१ दि० ६-४-१६८४

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ जिसका जे. बी. सी. सी. आई. द्वारा ११-११-१६८३ को अन्तिम फैसला किया गया और जो १-१-१६८३ से लागू हुआ उससे जुड़े समापन की टिप्पणी में निम्नलिखित प्रावधान हैं :

२.० प्रोमोशन पालिसी तथा सेवा से जुड़ा प्रोमोशन योजना (स्कीम) :

२.१ ट्रेड यूनियनों की ओर से मांग किया गया कि उन कर्मचारियों को जो अपने स्केल/ग्रेड के अधिकतम अन्त तक पहुंच गये हैं उन्हें रुकी हुई बढ़ौती देने के साथ-ही-साथ सेवा से प्रोमोशन को जोड़े जाने पर विचार किया जाना चाहिये यह खासकर उन कर्मचारियों—पीस-रेट कर्मचारी सहित—को जिन्हें अपने पूरे सेवा अवधि में कोई प्रोमोशन नहीं मिला है और जो बराबर लम्बी अवधि तक उसी कैटेगरी/ग्रेड में रहते आये हैं ।

२.२ अतः यह राजीनामा हुआ कि जो सवाल उपरोक्त पैरा २.१ में उठाया गया है उसकी जाँच प्रोमोशन पालिसी कमिटी द्वारा किया जाना चाहिये और वह अपना प्रतिवेदन (रिपोर्ट) २८-२-१६८४ तक दे दें । इस प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न विवरण रहेगा :—

ए) उन कैटेगरियों का विवरण जिनमें प्रोमोशन की कोई रास्ता (क्षेत्र) नहीं है ।

बी) उन कैटेगरियों की सूची जहाँ प्रोमोशन की कुछ गुंजाइस है परन्तु कर्मचारियों के कैडर स्कीम के अन्तर्गत निर्धारित प्रोमोशन है । पात्रता की अवधि बीत जाने के बावजूद काफी लम्बे समय तक भी कोई प्रोमोशन नहीं मिला है ।

प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी को अपनी सिफारिशें इस प्रकार करनी

चाहिये जिससे रुकी हुई प्रोमोशन की समस्या का सबसे अच्छा समाधान हो सके ।

२.३ उपरोक्त कमिटी अपना कार्य जितना शीघ्र हो सके पूरा कर ले ; परन्तु तीन महीना से अधिक नहीं हो और इनकी सर्वसम्मत सिफारिशें १-१-१९८३ से उन कर्मचारियों के लिये लागू हो जायंगी जो प्रोमोशन का कोई रास्ता नहीं रहने की वजह से अपने पूरे सेवा अवधि में एक ही कैटेगरी/ग्रेड में रहते आये हैं और १-१-१९८३ को १० वर्ष अथवा उससे भी अधिक पूरा कर लिया है ।

२.४ फिर भी यदि प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी अपने निर्धारित समय के भीतर सर्वसम्मत फैसले पर नहीं पहुंच पाती है तो वैसे कर्मचारियों के लिये जिस प्रकार सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा उनकी कैटेगरी/ग्रेड में एक अतिरिक्त बढ़ती दे दी जाती है उसी प्रकार यहाँ भी वैसे कर्मचारियों को जो किसी प्रोमोशन के अभाव में १-१-१९८३ को एक ही स्केल/कैटेगरी/ग्रेड में १० वर्ष अथवा उससे अधिक से कार्यरत हैं, उन्हें १-१-१९८३ से एक अतिरिक्त बढ़ती दे दी जायगी। वैसे कर्मचारी जिनके ऊपर किसी डी. पी. सी. द्वारा विचार किया गया है और उन्हें प्रोमोशन हेतु उपयुक्त नहीं पाया है (रिक्त पदों के अभाव को छोड़कर) वे १-१-१९८३ को एक ही कैटेगरी/ग्रेड में १० वर्ष काम करने पर भी, इस लाभ के हकदार नहीं होंगे ।"

२. जे.बी.सी.सी.आई. द्वारा गठित प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी की कई बैठकें हुई और "सेवा से जुड़ा प्रोमोशन योजना" के विषय पर वार्त्ताएं भी हुई परन्तु किसी सर्वसम्मत फार्मूला पर नहीं पहुंच पायी ।

३. कमिटी की १वीं बैठक जो २६ तथा २७ मार्च १९८४ को हुई उसमें निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

"४.२ चूंकि कोई सर्वमत फार्मूला नहीं निकल पाया कि १-१-१९८३ को जो कर्मचारी एक ही स्केल ग्रेड/कैटेगरी में १० साल से अधिक से बाधित पड़े हुए हैं अतः वे समापन की टिप्पणी की धारा २.४ के अनुसार १-१-१९८३ से एक अतिरिक्त बढ़ती के हकदार होंगे ।"

४.० उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि सभी मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी (मासिक दर तथा दैनिक

दर दोनों) जो एक ही (उसी) स्केल/ग्रेट/कैटेगरी में प्रोमोशन के मौका के अभाव में १-१-१९८३ को १० वर्ष अथवा उससे अधिक से पड़े हुए हैं उन्हें १-१-१९८३ से उनके स्केल/ग्रेड/कैटेगरी का एक अतिरिक्त बढ़ती दिया जायगा ।

४.१ वैसे कर्मचारी जिनका मामला किसी डी.पी.सी. द्वारा विचार किया गया परन्तु उन्हें प्रोमोशन के लिये उपयुक्त नहीं पाया (पदों की रिक्तता के कारण को छोड़कर) तो उनके १-१-१९८३ को १० वर्ष या इससे अधिक अवधि से एक ही (उसी) ग्रेड/कैटेगरी में रहने पर भी वे इस लाभ के हकदार नहीं होंगे ।

५. अतिरिक्त बढ़ौती देने के लिये निम्नलिखित फार्म पर विचारार्थ सुझाव सूची बनाया जाना चाहिये और दक्ष प्राधिकार द्वारा पारित होने के बाद ही लागू किया जाय ।

———

प्रोफोर्मा

कोलियरी का नाम ……………………………………………… कम्पनी ……………………………………

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान ग्रेड/ कैटेगरी में जाने की तारीख	१-१-८३ को वर्तमान ग्रेड/कैटेगरी में कुल सेवा (सर्विस)	१-१-८३ को बुनियादी मजदूरी	इस परिपत्र के मुताबिक १-१-८३ को उक्त ग्रेड/ कैटेगरी में एक अतिरिक्त बढ़ौती दिये जाने के बाद प्रस्तावित बेसिक मजदूरी
१	२	३	४	५	६	७	८

स्टेटमेन्ट तैयार करने वाले का हस्ताक्षर — पी. ओ. / का मंजूरी दिया — डब्लू. ओ. इन-चार्ज हस्ताक्षर — वित्त (फाइनेन्स)/एकाउन्टस आफिसर का हस्ताक्षर

सब एरिया मैनेजर/जेनेरल मैनेजर

(६) यह अतिरिक्त बढ़ती सामान्य बढ़ती जो सामान्य अवस्था में अपने निर्धारित तिथि को देय होगा उससे अलग होगा।

(७) तदनुसार उपरोक्त प्रावधान को लागू करने की दिशा में कदम उठाये जांय।

बी. १२ रु० प्रतिमाह का अतिरिक्त भुगतान जैसा कि राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के समापन की टिप्पणी राजीनामा हुआ

कार्यान्वयन आदेश संख्या १२ दिनांक २४-१-१९८४

११-११-१९८३ को हस्ताक्षरित हुए समापन की टिप्पणी के पैरा ४.० में निम्नलिखित प्रावधान हैं :—

४.० अतिरिक्त भुगतान :

४.१ कोयला उद्योग के १-१-१९८३ के वर्तमान कर्मचारियों को १-१-१९८३ से १२ रु० प्रतिमाह का एक अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। इस भुगतान का सही नामकरण एवं नई बहाली के लिये इस भुगतान की प्रावता के सम्बन्ध में आगे और वार्त्तालाप होगी।

२. इस विषय पर आगे वार्त्तालाप स्टियरिंग ग्रुप (ट्रेड यूनियन नेतागण तथा कोयला उद्योग के प्रबन्धन प्रतिनिधियों) की अनौपचारिक बैठक जो ३० नवम्बर, १९८३ को कलकत्ता में हुई, उस समय निम्नलिखित फैसला लिया गया :—

(क) सभी प्रतिनिधि द्वारा यह राजीनामा हुआ कि इस अरिरिक्त भुगतान को "स्पेशल इन्सेन्टिव" कहा जायगा। यह भी राजीनामा हुआ कि १-१-१९८३ को कोयला उद्योग में रहने वाले श्रमिकों को १-१-१९८३ से यह भुगतान किया जायगा। यह भी राजीनामा हुआ कि यह रकम कोयला उद्योग में आनेवाले सभी कर्मचारियों को उनके कोयला उद्योग में बहाली के दिन से दिया जायगा।

(ख) इस विषय पर कि इस विशेष इन्सेन्टिव पर कोई अन्य अतिरिक्त लाभ जैसे प्रोविडेन्ट फण्ड, ग्रैच्युटी इत्यादि मिलेगा कि नहीं तथा क्या यह रकम हाजरी के आधार पर समानुपात से मिलेगा इन प्रश्नों पर प्रमुख सार्वजनिक उद्योग में एक समान प्रचलन को मद्देनजर रखकर यह राजीनामा हुआ कि इस्पात उद्योग के प्रचलन को मंगाया जाय तथा उसे लागू किया जाय।

(ग) यह राजीनामा हुआ कि चूंकि यह विशेष इन्सेन्टिव १-१-८३ से संशोधित वेतन के साथ लागू हुआ है तो इस मद में १-१-१९८३ से ३१-१२-१९८३ तक का बकाया हकदार कर्मचारियों को बाद में भुगतान किया जायगा।

तदनुसार, कोल इण्डिया द्वारा यह तय किया गया कि स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा इस विषय पर अन्तिम निर्णय होने तक, यह १२ रु० प्रति माह का विशेष इन्सेन्टिव तत्काल उन स्थायी कर्मचारियों को जो १-१-१९८३ को और उसके बाद कम्पनी के स्थायी सूची में हैं एवं जो श्रमिक इस तिथि के बाद स्थायी होंगे उन्हें उनके स्थायी होने के दिन से जनवरी १९८४ के वेतन के साथ भुगतान किया जायगा।

४. विशेष इन्सेन्टिव का भुगतान ४६.२ पैसे प्रति दिन हाजरी के हिसाब से किया जाना चाहिये। और इस विशेष इन्सेन्टिव पर अन्य कोई लाभ जैसे प्रोविडेन्ट फण्ड, ग्रैच्युटी तथा अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स इत्यादि नहीं मिलेगा।

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३

भाग-३

क्रियान्वयन आदेश सं० ४१—५७

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३

अध्याय—२

क्रियान्वयन आदेश सं० ४४ दि० ६-६-१९८५

परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता—१-४-१९८३ से लागू होने वाला संशोधित दर उन कर्मचारियों के लिये जो राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता—३ दि० ११-११-१९८३ के अन्तर्गत आते हैं।

सन्दर्भ : क्रियान्वयन आदेश सं० १ दिनांक २१-११-१९८३

परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता के सम्बन्ध में क्रियान्वयन आदेश सं० १ दिनांक २१-११-१९८३ के पैरा ९.१ से ९.५ तक की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है।

२. ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अपने कार्यालय ज्ञापांक १ (१)/८३-बी. पी. ई. (डब्लू. सी.) दिनांक १६ अप्रील १९८५ के जरिये औद्योगिक मंहगाई भत्ता की निम्नलिखित संशोधित दरों की सूचना भेजी थी :

"१) औद्योगिक मंहगाई भत्ता की वर्तमान दर १ रु० ३० पै० प्रति अंक (उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक सिमला सिरीज १९६०=१००) की घटती बढ़ती को बढ़ाकर प्रति अंक १ रु० ६५ पै० प्रति अंक होगा। यह १ली अप्रील, १९८३ से लागू रहेगा तथा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक ४९२ से अधिक होने पर बढ़ती दिया जायगा।

२) संशोधित दर से भुगतान वर्तमान अवधि अर्थात् १ अप्रील, १९८५ से किया जायगा। १ अप्रील १९८३ से ३१ मार्च १९८५ तक के बकाया को जोड़ा जायगा एवं उसके आधा

का नगद भुगतान कर दिया जायगा। दूसरा आधा सम्बन्धित सार्वजनिक उद्यमों के पास ही रख लिया जायगा और एक वर्ष के उपरान्त १२ रु० सैकड़ा सालाना सूद के साथ वापस कर दिया जायगा।

(३) मंहगाई भत्ता के संशोधन की अवधि अभी की तरह तिमाही ही रहेगी।"

३. राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ दिनांक ११-११-१९८३ के प्रावधानों के अनुसार उक्त समझौता के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी मंहगाई भत्ता पाने के हकदार हैं जो औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक ४५५ से ऊपर होने पर मिलेगा (आधार १९६०=१००)

(एन.सी.डब्लू.ए.-३ के अध्याय-१ का पैरा २.७.१ के अनुसार)

४. उपरोक्त संदर्भित भारत सरकार के फैसला के अनुसार परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता का संशोधित दर १ रु० ६५ पै० अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक ४९२ अंक से ऊपर होने पर मिलेगा तथा १ अप्रील १९८३ से देय होगा।

५. कोल इण्डिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों के सम्बन्ध में उपरोक्त फैसला को लागू करने हेतु आवश्यक आदेश कार्यालय ज्ञापांक सी. आई. एल. / सी.-५ ए (६)/५०७१७/१/५४ दिनांक १०-५-१९८५ के द्वारा जारी कर दिया गया है।

६. दूसरी कम्पनियों को परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता से सम्बन्धित सरकार के फैसला को लागू करने का आग्रह किया गया है।

———

क्रियान्वयन आदेश सं० ४६ दि० ४-७-१९८५

परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता—१-४-१९८३ से लागू होने वाला संशोधित दर उन कर्मचारियों के लिये जो राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ दि० ११-११-१९८३ के अन्तर्गत आते हैं।

सन्दर्भ : क्रियान्वयन आदेश सं० एन. सी. डब्लू. ए-३

(क्रि० आ० सं० ४४/८५/४२८ दि० ६ जून १९८५)

ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज द्वारा इसके कार्यालय ज्ञापांक १ (१) ८३-बी. पी. ई. (डब्लू. सी.) दिनांक १६-४-१९८५ के जरिये औद्योगिक मंहगाई भत्ता फार्मूला की दर में संशोधन के आधार पर एन. सी. डब्लू. ए.-३ के अन्तर्गत आने वाले नन-एक्जयूटिव कैडर के कर्मचारियों को मिलने वाला संशोधित मंहगाई भत्ता की दरों को क्रि० आ० सं० ४४ द्वारा पत्रांक एन. सी. डब्लू. ए.-३ (क्रि० आ० सं० ४४/८५/४२८ दिनांक ६ जून, १९८५ के जरिये प्रसारित किया गया था।

२. उपरोक्त परिपत्र के क्रम में ब्यूरो आफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज कार्यालय ज्ञापांक ४ (१२)/८२ बी. पी. ई. (डब्लू. सी.) दिनांक ७ जून १९८५ जिसमें उक्त विषय पर कुछ स्पष्टीकरण दिया गया था उसे जानकारी तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु उधृत किया जा रहा है।

उपरोक्त उल्लिखित बी.पी.ई. मेमो का सम्बन्धित सार :—

"अधोहस्ताक्षरी, यह उल्लेख करने के लिये निदेशित है कि बी. पी. ई. ओ. एम. सं० १ (१)/८३-बी. पी. ई. (डब्लू. सी.) दि० १६-४-१९८५ जहाँ यह बताया गया है कि औद्योगिक मंहगाई भत्ता को १ रु० ३० पैसा प्रति अंक की जगह १ रु० ६५ पै० प्रति अंक की दर से अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक में घटती या बढ़ती के लिये बढ़ाया गया है। संशोधित दर १-४-१९८३ से लागू होंगे एवं मूल्य सूचक अंक के ४९२ अङ्कों से अधिक होने पर लागू होंगे। बी. पी. ई. ने यह भी उल्लेख किया था कि सार्वजनिक उद्यम इस संशोधित मंहगाई भत्ता का भुगतान १-४-१९८५ से शुरू कर सकती है तथा कर्मचारियों को १-४-८३ से ३१-३-८५ तक के बकाया का आधा नगद भुगतान किया जा सकता है और दूसरा आधा एक वर्ष बाद अर्थात् १-४-८६ को १२% सालाना सूद के साथ भुगतान कर सकती है।

(२) फिर भी प्रशासनिक मंत्रालय/टी. ई. द्वारा निम्नलिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है कि :

(क) क्या वेतन संशोधन (वेतन तथा मंहगाई भत्ता) के फलस्वरूप १-४-८३ से ३१-३-८५ तक के बकाया में पावना छुट्टी के बदले नगद भुगतान, ओभरटाइम, ग्रैच्युटी, हाजरी बोनस तथा तदर्थ बोनस इत्यादि को जोड़ा जायगा ?

(ख) अनुग्रह राशि (एक्स-ग्रेशिया) जिसका भुगतान कर्मचारियों को किया जा चुका है और १-४-८३ से मंहगाई भत्ता में बढ़ती के कारण वे अब उक्त भुगतान के पात्र नहीं रहे तो क्या उनके पास से यह रकम काटा जायगा अथवा नहीं ?

(ग) उन कर्मचारियों से सम्बन्धित जो सुपरएनुयेशन में नौकरी छोड़कर चले गये हैं अथवा रिटायर कर गये या इस्तीफा दे दिया है उन्हें उनका आधा रकम १-४-१९८६ तक बिना रोके पूरा बकाया अभी ही नगद दिया जा सकता है कि नहीं ?

(३) उपरोक्त सवालों की जाँच सरकार द्वारा की गई तथा यह निर्णय हुआ कि :—

(क) सार्वजनिक उद्यम जिनके कर्मचारी औद्योगिक मंहगाई भत्ता की दर में वृद्धि से लाभान्वित हुए हैं उनका बकाया जोड़ा जाना चाहिये तथा औद्योगिक मंहगाई भत्ता की रकम के अलावा जो अन्य बकाया हैं जैसे कि अंशदायी भविष्य निधि, बोनस की पात्रता, छुट्टी का नगद भुगतान, ग्रैच्युटी, ओवर-टाइम इत्यादि को १-४-१९८३ से जोड़ा जाय और सम्बन्धित कर्मचारी को कार्यालय ज्ञापन में जैसा उल्लेख है उस तरह भुगतान किया जाय।

(ख) यदि किसी कर्मचारी का वेतन जो कानूनन बोनस अथवा एक्स-ग्रेसिया भुगतान, जो भी हो, पाने का हकदार है। यदि उसका वेतन १६०० रु० प्रतिमाह हो जाय और वह वैसे भुगतान से बंचित हो गया है उसे एक्स-ग्रेसिया/बोनस में मिला हुआ पैसा बकाया भुगतान से काट लिया जाना चाहिये।

(ग) सार्वजनिक उद्यमों को इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि बकाया की राशि को जिस प्रकार ऊपर में जोड़ा गया है उसका दूसरा आधा भी काम छोड़ने वाले, रिटायर करने वाले, इस्तीफा देने वालों इत्यादि को उनका बकाया उनके काम से हटने के दिन ही अथवा १-४-८६ को जो भी पहले हो, दे दिया जाय।

(४) इस कार्यालय के ज्ञापन के प्रावधान सार्वजनिक उद्यमों के सभी कर्मचारियों, चाहे वे श्रमिक हों, एक्जयूटिव अथवा सम्बन्धित व्यक्ति किसी ऊँचे पद पर हों, सभी पर समान रूप से लागू होंगी।"

३. बी. पी. ई. के उपरोक्त फैसलों को कोल इण्डिया तथा इसकी सहायक कम्पनियों में लागू करने हेतु आवश्यक आदेश कार्यालय मेमो सं. सी. आई. एल./सी-५ ए (६) ५०७१७/१/१३५ दिनांक २८ जून १९८५ के जरिये भेज दिया गया है।

४. अन्य कम्पनियों से आग्रह किया गया है कि वे सरकार के उपरोक्त फैसलों को लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठावें।

———

अध्याय—४

अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स

क्रियान्वयन आदेश संख्या ४१ दि० ७-१-१९८५

अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स से सम्बन्धित क्रियान्वयन आदेश

सन्दर्भ : क्रियान्वयन आदेश सं० एन.सी.डब्लू.ए.-३ (आई.आई. ५/८३)/१९०८ दिनांक ३० नवम्बर, १९८३

क्रियान्वयन आदेश संख्या ५/८३ दिनांक ३० नवम्बर '८३ के सन्दर्भ में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा गया है कि उपरोक्त आदेश के जरिये अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स से सम्बन्धित एन.सी.डब्लू.ए.-३ के अध्याय-४ के प्रावधानों को लागू करने हेतु आग्रह किया गया था।

२. अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स की दर बढ़कर १-१-१९८५ से संशोधित वेतन का २० प्रतिशत हो जायगा। (धारा : ४.१.२)

३. आसाम कोलफील्ड के लिये अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स बढ़कर १-१-१९८५ से संशोधित बेसिक मजदूरी का २५ प्रतिशत होगा। (धारा : ४.२.१)

४. प्रबन्धनों से राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ के उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने का आग्रह किया गया है।

५. अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स से सम्बन्धित अन्य सभी शर्तें जैसा कि पहले क्रियान्वयन आदेश संख्या ५/८३ द्वारा प्रसारित किया गया है वह पूर्ववत रहेगा। अण्डरग्राउण्ड एलाउन्स के हकदार कर्मचारियों की सूची उपरोक्त परिपत्र के साथ भेजे गये प्रोफोर्मा में रखा जाना चाहिये।

———

अध्याय—१२

समझौता का क्रियान्वयन

१. प्रोमोशन पालिसी कमिटी

क्रियान्वयन आदेश सं० ४५ दि० २८-६-१९८५

जी. माइनिंग सुपरवाइजरी कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम—एन.सी.डब्लू.ए.-२ से सम्बन्धित परिशिष्ट-४ (द्वारा पत्र सं० जे.बी.सी.सी.आई./आई.आर./९४/आई.एम.पी./६९७ दिनांक २२ जून, १९८०)

एन. सी. डब्लू. ए.-२ के क्रियान्वयन आदेश संख्या ३३ के परिशिष्ट-४ (द्वारा पत्र सं० जे.बी.सी.सी.आई./आई आर /९४/आई एम.पी./६९७ दिनांक २२ जून १९८०) की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, जिसके द्वारा माइनिंग सुपरवाइजरी कर्मचारियों का कैडर स्कीम प्रसारित किया गया था ।

२. जे.बी.सी.सी.आई.-३ की प्रोमोशन पालिसी कमिटी ने ६ और ७ मई १९८५ को हुए अपने बैठक में उक्त कैडर स्कीम के ऊपर वार्त्तालाप किया और यह निर्णय लिया कि स्कीम के ग्रूप 'ए' क्रम संख्या-२ में सेफ्टी असिस्टेंट, प्रोडक्शन असिस्टेंट/स्टोईंग इनचार्ज को तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-सी की जगह तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-बी में रखा जाना चाहिये एवं तदनुसार पे स्केल के कालम के शब्दों "रु० ७७५-१००८ (स्केल ५७२—१००८ रु० के स्केल में ७७५ रु० के उच्चतर स्तर पर निर्धारित किया जायगा)" को हटा दिया जाय । आगे यह राजीनामा हुआ कि वर्तमान के एवं भविष्य में आनेवाले कर्मचारियों को ग्रेड-बी के उपयुक्त स्तर पर निर्धारित किया जायगा और यह फैसला सदस्य सचिव जे. बी. सी. सी. आई.-३ द्वारा क्रियान्वयन आदेश जारी किये जाने के दिन से लागू होगा ।

३. प्रोमोशन पालिसी कमिटी ने १० एवं ११ जून, १९८५ को हुए अपनी बैठक में इस विषय पर आगे और वार्तालाप किया । इलेक्ट्रिकल व मेकैनिकल एवं माइनिंग कैडर स्कीमों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह राजीनामा हुआ कि उपरोक्त कैडर स्कीम में निम्नलिखित संशोधन किया जाना चाहिये :—

ग्रूप-बी :

सिनियर ओभरमैन/हेड ओभरमैन :—

प्रोमोशन हेतु पात्रता (इलिजिबिलिटी) कालम के अन्तर्गत वर्तमान वाक्य "ओभरमैन के रूप में कम से कम ५ वर्ष काम करना अनिवार्य है" के स्थान पर निम्नलिखित वाक्यों द्वारा जोड़ा जायगा—

"(क) डी. जी. एम. एस. द्वारा जारी योग्यता प्रमाण-पत्र धारक ओभरमैन होने पर उन्हें ओभरमैन के रूप में ५ वर्षों से अधिक से काम किया होना चाहिये ।

अथवा

(ख) माइनिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त अथवा डी.जी.एम.एस. द्वारा स्वीकृत किसी शैक्षणिक संस्थान से मान्यता प्राप्त योग्यता धारक होने से तकनिकी ग्रेड-बी में ओभरमैन के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।"

४. तदनुसार माईनिंग सुपरवाइजरी कर्मचारियों के लिये संशोधित कैडर स्कीम इसके साथ दिया जा रहा है । यह सदस्य सचिव, जे. बी. सी. सी. आई.-२ द्वारा जारी किये गये क्रियान्वयन आदेश संख्या ३३ दि० २२-६-१९८० के परिशिष्ट-४ की जगह पर होगा ।

५. प्रबन्धनों से इन्हें लागू किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है ।

———

परिशिष्ट-४

माइनिंग सुपरवाइजरी कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम

१. **संक्षिप्त नाम तथा विस्तार :**

(अ) इस स्कीम (योजना) को माइनिंग सुपरवाइजरी कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम के नाम से पुकारा जायगा ।

(ब) यह स्कीम माइनिंग से सम्बन्धित (अथवा लगे हुए) कार्यों, जैसा कि समय-समय पर अधिसूचित किया जायगा, में लगे विभिन्न इकाइयों में नियुक्त माइनिंग सुपरवाइजरी कर्मचारियों जैसे सिनियर ओभरमैन/हेड ओभरमैन, ओभरमैन, सेफ्टी असिस्टेंट-सह-प्रोडक्सन (उत्पादन) असिस्टेंट/स्टोइंग-इन-चार्ज एवं शॉट-फायरर/माइनिंग सरदार पर लागू होगा ।

२. **परिभाषा :**

इस स्कीम में विषय अथवा सन्दर्भ से सम्बन्धित कोई विरोधाभास नहीं हो तो :—

(ए) 'कम्पीटेन्ट औथोरिटी' (दक्ष प्राधिकार) का अर्थ कम्पनी के मुख्य कार्यपालक (चीफ एक्जीक्यूटिव) है ।

(बी) 'शैक्षणिक योग्यता' का अर्थ वह योग्यता जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है अथवा कम्पनी द्वारा संचालित एवं निर्धारित जांच तथा योग्यता है ।

(सी) 'सेवा' (सर्विस) का अर्थ उस सेवा से है जो परिशिष्ट-४-ए में दर्शाया गया है ।

३. **प्रोमोशन (पदोन्नति) का जरिया इत्यादि :**

माइनिंग सुपरवाइजरी कार्मिकों के प्रोमोशन का जरिया (रास्ता) जैसा कि इसके साथ परिशिष्ट-ए-४ में दिया गया है, तदनुसार होगा । उक्त परिशिष्ट, आगे के उच्चतर पद पर पदोन्नति से सम्बन्धित चयन के लिये विचारार्थ योग्यता के उद्देश्य से समय-समय

पर कैडर में लिये जाने वाले विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा हासिल किये जाने वाले योग्यताओं तथा अनुभवों का निर्देश मात्र है । फिर भी पदोन्नति इस बात पर निर्भर करेगा कि समय-समय पर कितने स्थान खाली तथा उपलब्ध होते हैं और इस स्कीम में जैसा निर्दिष्ट है उसके अनुसार चुनाव हेतु कितने अभ्यर्थी इसके लिये योग्य हैं । माइनिंग सरदार/शॉट फायरर से सेफ्टी असिस्टेंट/स्टोइंग-इन-चार्ज एवं सेफ्टी असिस्टेंट-सह-प्रोडक्सन असिस्टेंट/स्टोइंग-इन-चार्ज से ओभरमैन में पदोन्नति हेतु चयन का आधार सिनियरिटी (वरीयता)-सह-योग्यता होगी जब कि ओभरमैन से सिनियर ओभरमैन / हेड ओभरमैन में पदोन्नति के लिये चयन का आधार योग्यता-सह-वरीयता होगी ।

४. **विभागीय पदोन्नति समिति (डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमिटी) :**

उच्चतर कैटेगरी में रिक्त पदों को भरने के लिये अभ्यर्थियों का चयन विभागीय पदोन्नति समिती की अनुशंशा पर किया जायगा एवं उक्त समिती का गठन दक्ष प्राधिकार अथवा अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा जिसे समय-समय पर इसके द्वारा अधिकृत किया गया हो, द्वारा किया जायगा ।

दक्ष प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा एवं सभी सम्बन्धित लोगों पर बाध्य होगा ।

५. **रद्दोबदल इत्यादि :**

इस स्कीम के लागू हो जाने के साथ-ही-साथ इस विषय से सम्बन्धित जारी किये गये सभी कार्यकारी निर्देश तथा आदेश रद्द समझे जायेंगे ।

———

क्रम संख्या	पदनाम	ग्रेड	वेतनमान (पे स्केल)	कर्मचारी जो पदोन्नति हेतु योग्य के रूप में विचार किये जायंगे	विभागीय कर्मचारियों द्वारा हासिल वांछित योग्यता तथा अनुभव जिसके आधार पर पदोन्नति हेतु विचार किया जायगा।
१	२	३	४	५	६
	ग्रूप—'ए'				
१.	शॉट फायरर/माइनिंग सरदार	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'सी'	रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	(१) डी. जी. एम. एस. द्वारा जारी किया हुआ माइनिंग सरदार हेतु दक्षता प्रमाण-पत्र। (२) गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। (३) वैध फर्स्ट-एड (प्राथमिक उपचार) सर्टिफिकेट।	(१) साक्षर होना आवश्यक। (२) कोयला खानों में कार्य करने का पाँच वर्षों से अधिक का अनुभव रखना आवश्यक। (३) स्वीकृत रिक्तियों के आधार पर इकाई स्तर पर डी. पी. सी. द्वारा प्रोमोशन।
२.	सेफ्टी असिस्टेंट प्रोडक्शन असिस्टेंट स्टोइंग-इन-चार्ज	ग्रेड-'बी'	रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	(१) डी. जी. एम. एस. द्वारा जारी किया गया माइनिंग सरदारशिप की दक्षता का	(१) माइनिंग सरदार के रूप में कम से कम १० वर्षों का कार्यानुभव।

१	२	३	४	५	६
			प्रमाण-पत्र। (२) गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। (३) वैध प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) प्रमाण-पत्र।	(२) स्वीकृत रिक्तियों के आधार पर सब-एरिया स्तर पर डी. पी. सी. के जरिये प्रोमोशन।
	ग्रूप—'बी'				
१.	ओभरमैन	तकनिकी तथा सुपरवाइजरी ग्रेड-'बी'	रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	(१) डी. जी. एम. एस. द्वारा जारी किया गया ओभरमैन की दक्षता का प्रमाण-पत्र। अथवा माइनिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा / मेरिट सर्टिफिकेट अथवा डी.जी.एम.एस. द्वारा स्वीकृत किसी शैक्षणिक संस्थान से मान्य योग्यता प्राप्त। (२) गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। (३) वैध फर्स्ट-एड सर्टिफिकेट।	(१) एरिया (क्षेत्रीय) स्तर पर रिक्त पद होने पर चयन साक्षात्कार के जरिये।

१	२	३	४	५	६
२.	सिनियर ओभरमैन/ हेड ओभरमैन	तकनिकी तथा सुपरवाइजरी ग्रेड-'ए'	रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	(१) डी. जी. एम. एस. द्वारा जारी ओभरमैन की दक्षता प्रमाण - पत्र प्राप्त होने पर ओभरमैन के रूप में पांच वर्षों से अधिक काम किया हो । अथवा (२) माईनिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा / मेरिट सर्टिफिकेट अथवा डी. जी. एम. एस. द्वारा स्वीकृत किसी शैक्षणिक संस्थान से मान्य योग्यता प्राप्त होने पर तकनिकी ग्रेड-बी में ओभरमैर के रूप में कार्य का तीन वर्षों का अनुभव ।	(१) एरिया (क्षेत्रीय) स्तर पर रिक्त पद होने पर मेरिट-कम-सिनियरिटी के आधार पर डी. पी. सी. के जरिये पदोन्नति उन्हें ओभरमैन के वैधानिक कार्यों को करना पड़ेगा ।

कार्यान्वयन आदेश सं० ४७ दिनांक १९-७-१९८५

एच. मिनिस्टेरियल स्टाफ-सेक्रेटेरियट कैडर के लिये कैडर स्कीम

सन्दर्भ : एन. सी. डब्लू. ए.-३ (का.आ.सं. ४०/८४/१०९२)
दि० ५ दिसम्बर, १९८४

एन.सी डब्लु.ए.-३ के कार्यान्वयन आदेश सं. ४० के परिशिष्ट-८-६ (पत्रांक एन सी.डब्लु.ए.-३/(का.आ.सं. ४०/८४)/१०९२ दिनांक ५ दिसम्बर, १९८४ की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, जिसके अन्तर्गत सेक्रेटैरिएट स्टाफ के लिये कैडर स्कीम प्रसारित किया गया था ।

२. प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी की १७वीं बैठक जो १६ एवं १७ जुलाई, १९८५ को हुई उसमें ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया कि स्टेनोग्राफर से परसनल असिस्टेंट में प्रोमोशन हेतु ५ वर्ष के अनुभव को कम करके तीन वर्ष किया जाय एवं यह कि परसनल असिस्टेंट से सिनियर परसनल असिस्टेंट में प्रोमोशन हेतु जांच की बाध्यता नहीं होनी चाहिये ।

२. सेक्रेटैरिएट स्टाफ के लिये जो कैडर स्कीम पहले प्रसारित किया गया था उसपर पुनः वार्त्ता हुई और संशोधित किया गया । सेक्रेटैरिएट स्टाफ के लिये संशोधित कैडर स्कीम परिशिष्ट-८-६ में दिया जा रहा है और यह पहले जो कार्यान्वियन आदेश संख्या-४० दिनांक ५ दिसम्बर, १९८४ के तहत जारी किया गया है, उसकी जगह पर होगा ।

३. प्रबन्धनों से इसे अविलम्ब लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है ।

———

मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये कैडर स्कीम
(सेक्रेटेरिएट कैडर)

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/पे स्केल	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का जरिया
१	२	३	४	५	६
१.	स्टेनोग्राफर	क्लरिकल ग्रेड-१ रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	(१) किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा। (२) शार्टहैण्ड में निम्नतम गति ८० शब्द प्रति मिनट एवं टाइपिंग में ४० शब्द प्रति मिनट होना आवश्यक है।	कम्पनी का कोई भी स्थायी कर्मचारी	डी.पी.सी./ जाँच
२.	परसनल असिस्टेंट	क्लरिकल स्पेशल ग्रेड रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	(१) किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा। (२) शार्टहैण्ड में निम्नतम गति १०० शब्द प्रति मिनट एवं टाइपिंग में ४० शब्द प्रति मिनट होना अनिवार्य है।	स्टेनोग्राफर के रूप में तीन वर्षों का अनुभव	—वही—
३.	सिनियर परसनल असिस्टेंट	तकनिकी एवं सुपर-वाइजरी ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	(१) किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा। (२) शार्टहैण्ड में १०० शब्द प्रति मिनट एवं टाइपिंग में ४० शब्द प्रति मिनट होना अनिवार्य है।	स्पेशल ग्रेड-पी. ए. के रूप में ५ वर्षों का अनुभव	डी.पी.सी.

टिप्पणी : (१) स्केल के अनुसार वर्तमान कर्मचारियों को फिर से उपरोक्त जैसा पदस्थापित किया जायगा।

(२) सेक्रेटेरिएट कैडर स्टाफ की योग्यता जाँच करने के लिये अभ्यर्थियों को स्टेनोग्राफर (क्लरिकल ग्रेड-१) के स्तर पर स्पीड (गति) जाँच में सफलता प्राप्त करना होगा।

सफल उम्मीदवारों को जाँच में उनकी दक्षता के आधार पर उनकी सिनियरिटी के लिये सूचीबद्ध किया जायगा।

स्टेनोग्राफर (क्लरिकल ग्रेड-१) से परसनल असिस्टेंट क्लर्क स्पेशल ग्रेड में प्रोमोशन के लिये भी आधार कैडर स्कीम के अनुसार स्पीड (गति) जाँच होगा।

(३) टिस्को, इस्को एवं सिंगरेनी कम्पनियाँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करके लागू करने को राजी हुईं।

कार्यान्वयन आदेश संख्या ४८ दिनांक २२-७-१९८५

१. **इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम**

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. के प्रोमोशन पालिसी कमिटी की १६ एवं १७ जुलाई १९८५ को हुए बैठक में इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम पर वार्त्ता हुई और अन्तिम निर्णय लिया गया।

२. कैडर स्कीम के सम्बन्ध में जो निर्णय लिया गया उसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार का है :—

इलेक्ट्रोनिक डाटा-प्रोसेसिंग कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम	—कैडर स्कीम सं० १०
क) पंच भेरीफायर/शिफ्ट सुपरवाइजर से लगे डाटा इन्ट्री आपरेटर-पंचरूम/ डाटा इन्ट्री सुपरवाइजर	—परिशिष्ट १०-१
ख) कनसोल आपरेटर से लगे जुनियर कनसोल आपरेटर	—परिशिष्ट १०-२
स) इन्पुट/आउटपुट कन्ट्रोल सुपरवाइजर से लगे जुनियर इन्पुट/आउटपुट कन्ट्रोल असिस्टेंट	—परिशिष्ट १०-३
घ) मशीन सुपरवाइजर से लगे मशीन आपरेटर ट्रेनी	—परिशिष्ट १०-४

३. यह द्रष्टव्य हो कि इन कैडर स्कीमों के लागू हो जाने के साथ ही साथ इस विषय पर अब तक जारी किये गये वर्तमान सभी आदेश व निर्देश अप्रभावी (रद्द) किये जाते हैं।

४. प्रबन्धनों से उपरोक्त कैडर स्कीम को अविलम्ब लागू करने हेतु आग्रह किया गया है।

———

कैडर स्कीम योजना संख्या-१०

इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

१.० **संक्षिप्त नाम, सीमा एवं वर्गीकरण :**

(ए) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के तहत गठित इस स्कीम को ई. डी. पी. कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम के नाम से जाना जायगा।

(बी) यह स्कीम निम्नलिखित सभी ई. डी. पी. कार्मिकों को लागू होगा :—

(१) पंच भेरीफिकेशन आपरेशन/डाटा इन्ट्री आपरेशन।
(२) कम्प्यूटर आपरेशन (कनसोल)/मैग टेप लाइब्रेरियन।
(३) इन्पुट आउटपुट कन्ट्रोल।
(४) यूनिट रेकार्ड मशीन आपरेशन।

२.० **परिभाषा :**

इस स्कीम में यदि विषय अथवा संदर्भ के विपरीत कुछ नहीं हो तो—

(ए) 'कम्पीटेन्ट अथोरिटी' (दक्ष प्राधिकार) का अर्थ कम्पनी का मुख्य कार्यपालक अथवा क्षेत्रीय महाप्रबन्धक जो भी हो अथवा अन्य अधिकारी जिसे समय-समय पर उनके द्वारा इन अधिकारों से अधिकृत किया जाय।

(बी) 'शैक्षणिक योग्यता' का अर्थ वह योग्यता जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा वह योग्यता/जाँच जैसा कि कम्पनियों द्वारा निर्धारित तथा संचालित किया जाता है।

(सी) 'सेवा' (सर्विस) का अर्थ उन सेवाओं से है जैसा कि आगे के परिशिष्टों में दर्शाया गया है।

(डी) 'जाँच' (टेस्ट) का अर्थ समय-समय पर कैडर स्कीम के तहत निर्धारित कुशलता जाँच का तरीका।

३.० **प्रोमोशन का रास्ता :**

३.१ विभिन्न ग्रेडों के कार्यों के लिये प्रोमोशन का रास्ता जैसा कि आगे के परिशिष्टों में दिया गया है तदनुरूप होगा। उक्त परिशिष्ट में

आगे के उच्चतर पद पर पदोन्नति से सम्बन्धित चयन के लिये विचारार्थ योग्यता के उद्देश्य से समय-समय पर कैडर में सम्मिलित किये जाने वाले योग्यताओं तथा अनुभवों का जैसा कि इस स्कीम में निर्दिष्ट है, उसका निर्देश मात्र है।

३.२ ग्रेड-'सी' तक के पदों के लिये चयन का आधार वरीयता-सह-योग्यता (सिनियरिटी-कम-मेरिट) होगा तथा ग्रेड-सी से ग्रेड-बी एवं ग्रेड-बी से ग्रेड-ए में प्रोमोशन के लिये आधार कुशलता, योग्यता-सह-वरीयता (स्किल/मेरिट-कम-सिनियरिटी) होगा।

३.३ सभी रिक्तियों को भरने के लिये प्रोमोशन का क्षेत्र कम्पनी स्तर पर होगा।

३.४ इस स्कीम के लागू होने की तारीख के अभ्यर्थियों के लिये शैक्षणिक योग्यता की कोई बाधा (रुकावट) नहीं होगी।

४.० विभागीय प्रोमोशन कमिटी :

उच्चतर कैटेगरी में रिक्त पदों को भरने के लिये अभ्यर्थियों का चयन/प्रोमोशन, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंशा पर किया जायगा एवं उक्त समिति का गठन दक्ष प्राधिकार अथवा उसके द्वारा समय-समय पर अधिकृत किये गये अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा किया जायगा। दक्ष प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा एवं सभी सम्बन्धित लोगों पर बाध्य होगा।

५.० सीधा बहाली :

सीधा बहाली उसी हालत में किया जायगा जब किसी भी रिक्त पद को भरने हेतु ६ महीने की अवधि के भीतर भी किसी योग्य विभागीय अभ्यर्थी के मिलने की सम्भावना नहीं हो।

६.० रद्दोबदल इत्यादि :

१. इस योजना के लागू हो जाने के साथ ही साथ इस विभाग के लिये वर्तमान सभी कैडर स्कीम अप्रभावी हो जायेंगे।

२. टिस्को, इस्को एवं सिंगरेनी कम्पनियां स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक इसमें संशोधनों के साथ लागू करने को राजी हुए।

———

इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्मिकों/पंच मेरीफायर/डाटा इन्ट्री आपरेटरों के लिये प्रोमोशन का रास्ता

परिशिष्ट १०-१

क्रम संख्या	पदनाम	ग्रेड/पे स्केल	निम्नतम योग्यता	प्रोमोशन के लिये पात्रता	प्रोमोशन का तरीका
१	२	३	४	५	६
१.	पंच मेरीफायर आपरेटर ट्रेनी/ डाटा इन्ट्री आपरेटर ट्रेनी	तकनिकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड-ई रु. ६२५-२३-९४७	मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र	कोई भी स्थायी कर्मचारी जो मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष योग्यता रखता है साथ-साथ कम्पनी में तीन वर्षों का काम का अनुभव है। भविष्य में पंच मेरीफायर/डाटा इन्ट्री आपरेटर ट्रेनी को सिर्फ तकनिकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड-ई में ही लिया जायगा।	डी. पी. सी./ योग्यता
२.	जुनियर पंच मेरीफायर आपरेटर/ जुनियर डाटा इन्ट्री आपरेटर	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-डी रु ६७८-३०-९१८- ३५-११९८	—वही—	पंच मेरीफायर आपरेटर/डाटा इन्ट्री आपरेटर ट्रेनी को तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-ई में १ वर्ष ट्रेनिंग पूरा करने पर अभ्यर्थियों को तक० व सुपर० ग्रेड-डी में जुनियर पंच मेरीफायर आपरेटर/जुनियर डाटा इन्ट्री आपरेटर के रूप में पदस्थापित किया जायगा।	डी. पी. सी.

१	२	३	४	५	६
३.	पंच मेरोफायर आपरेटर/ डाटा इन्ट्री आपरेटर	तकनिकी ब सुपरवाइजरी ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४४२	मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र	जुनियर पंच मेरोफायर / जुनियर डाटा इन्ट्री आपरेटर के रूप में ग्रेड-डी में २ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी./ निपुणता जाँच ८००० के. डी. पी. का
४.	सिनियर पंच मेरोफायर आपरेटर/सिनियर डाटा इन्ट्री आपरेटर	तकनिकी ब सुपरवाइजरी ग्रेड-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	—वही—	तकनिकी ग्रेड-सी में पंच मेरोफायर/डाटा इन्ट्री आपरेटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी./ प्रोफिसिएन्सी (निपुणता) जाँच १०,००० के. डी. पी. का
५.	पंच रूम शिफ्ट सुपरवाइजर / डाटा इन्ट्री सुपरवाइजर	तकनिकी ब सुपरवाइजरी ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	—वही—	तकनिकी ग्रेड-बी में सिनियर पंच मेरोफायर/सिनियर डाटा इन्ट्री आपरेटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : (१) जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा ई.डी.पी. (इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग) कार्मिकों का पुनर्वर्गीकरण उपरोक्त अनुसार होगा ।

(२) ग्रेड-डी में जुनियर पंच मेरोफायर/जुनियर डाटा इन्ट्री आपरेटर, इनपुट/आउटपुट विभाग में भी अपनी उन्नति हेतु आप्ट कर सकते हैं ।

(३) डाटा इन्ट्री मशीनों में सीधा डाटा इन्ट्री एवं आफ लाइन डाटा इन्ट्री मशीन दोनों ही शामिल हैं ।

———

इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

परिशिष्ट-१०-२

कम्प्यूटर आपरेशनल-कनसोल

१	२	३	४	५	६
१.	(ए) जुनियर कनसोल आपरेटर/मैग्नेटिक टेप/ डिस्क लाइब्रेरियन	तकनिकी ग्रेड-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	बी एस-सी /बी.कॉम./ बी.ए	डाटा प्रोसेसिंग विभाग का कोई भी स्थायी कर्मचारी जो वांछित योग्यता रखता है तथा तकनिकी ग्रेड-सी में ३ वर्षों का अनुभवी है ।	डी. पी. सी./ ट्रेनिंग के बाद जाँच
२.	कनसोल आपरेटर	तकनिकी ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	—वही—	जुनियर कनसोल आपरेटर/ मैग्नेटिक टेप/डिस्क लाइब्रेरियन के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी./ ट्रेनिंग के बाद जाँच

द्रष्टव्य : (१) मशीन सुपरवाइजर जो युनिट रेकार्ड मशीन में काम करते हैं उन्हें सिनियर कनसोल आपरेटर के रूप में फिर से पदनामकरण किया जायगा ।

(२) युनिट रेकार्डिंग मशीन आपरेटर सिस्टम के कर्मचारियों को जब और जहाँ उक्त सिस्टम बेकार हो जाय तो कम्पनियों द्वारा डी. पी. सी. एवं प्रशिक्षण के बाद जाँच के उपरान्त बदलकर निम्नानुसार विचार किया जायगा :—

(ए) तकनिकी ग्रेड-ए में कनसोल आपरेटर के पद के लिये तकनिकी ग्रेड-ए में सिनियर मशीन आपरेटर को ।

(बी) तकनिकी ग्रेड-बी के मशीन आपरेटर को तकनिकी ग्रेड-बी में जुनियर कनसोल आपरेटर अथवा मैग्नेटिक टेप डिस्क लाइब्रेरियन पद के लिये ।

(३) युनिट रेकार्डिंग मशीन आपरेटर सिस्टम या तो कम्प्यूटर आपरेशन अथवा इनपुट/आउटपुट सेक्शन के लिये आप्ट कर सकते हैं ।

इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम
(इन्पुट/आउटपुट सेक्सन)

परिशिष्ट-१०-३

१	२	३	४	५	६
१.	जुनियर इन्पुट/आउटपुट कन्ट्रोल असिस्टेंट	तकनिकी ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	बी.एस.सी./बी.काम अथवा बी. ए.	तकनिकी ग्रेड-डी में जुनियर पंच भेरीफायर / जुनियर डाटा इन्ट्री आपरेटर के रूप में तीन वर्षों का अनुभव	डी. पी. सी.
२.	इन्पुट/आउटपुट कन्ट्रोल असिस्टेंट	तकनिकी ग्रेड-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	—वही—	तकनिकी ग्रेड-सी में जुनियर इन्पुट/आउटपुट कन्ट्रोल असिस्टेंट	डी. पी. सी.
३.	इन्पुट/आउटपुट कन्ट्रोल सुपरवाइजर	तकनिकी ग्रेड-ए रु. ८६२-५३-१३१६-५५-१७०१	—वही—	तकनिकी ग्रेड-बी में इन्पुट/आउटपुट कन्ट्रोल असिस्टेंट के रूप में तीन वर्षों का अनुभव	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : (१) युनिट रेकार्डिंग मशीन आपरेटर सिस्टम के कर्मचारियों पर उस समय विचार किया जायगा जब वे निम्नानुसार कम्पनियों द्वारा संचालित डी. पी. सी./जाँच के द्वारा बदलाव प्रशिक्षण लेने के उपरान्त एवं जैसे और जब उक्त सिस्टम (तरीका) बेकार हो जाय।

(ए) सिनियर इन्पुट आउटपुट कन्ट्रोल सुपरवाइजर के लिये मशीन सुपरवाइजर।
(बी) इन्पुट आउटपुट कन्ट्रोल सुपरवाइजर के लिये सिनियर मशीन आपरेटर।
(सी) आउटपुट कन्ट्रोल असिस्टेंट 'बी' के लिये मशीन आपरेटर तकनिकी-'बी'।
(डी) जुनियर इन्पुट आउटपुट कन्ट्रोल असिस्टेंट के लिये जुनियर मशीन आपरेटर तकनिकी-'सी'।

इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम
युनिट रेकार्डिंग मशीन आपरेटर

परिशिष्ट-१०-४

१	२	३	४	५	६
१.	मशीन आपरेटर ट्रेनी	तकनिकी ग्रेड-डी रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	बी.एस.सी./बी.काम अथवा बी. ए.	कम्पनी का कोई भी स्थायी श्रमिक जो बी.एस-सी./बी.काम. बी.ए. हो तथा कम्पनी में तीन वर्षों से कार्यरत हो। भविष्य में मशीन आपरेटर ट्रेनी की नियुक्ति नहीं होगी।	डी. पी. सी. प्रवीणता जाँच।
२.	जुनियर मशीन आपरेटर	तकनिकी ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	—वही—	तकनिकी ग्रेड-डी में मशीन आपरेटर के रूप में १ वर्ष की ट्रेनिंग पूरा करने पर अभ्यर्थियों को प्रवीणता जाँच के लिये जाना होगा। उसमें सफल होने पर उन्हें ग्रेड-सी में जुनियर मशीन आपरेटर के रूप में पदस्थापित किया जायगा।	—वही—

१	२	३	४	५	६
३.	मशीन आपरेटर	तकनिकी ग्रेड-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	बी.एस.-सी./बी.काम. अथवा बी.ए.	ग्रेड-सी में जुनियर मशीन आपरेटर के रूप में २ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी. प्रवीणता जांच
४.	सिनियर मशीन आपरेटर	तकनिकी ग्रेड-ए रु. ८६२-५३-१३१६-५५-१७०१	—वही—	तकनिकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड-बी में मशीन आपरेटर के रूप में ४ वर्षों का अनुभव ।	—वही—
५.	मशीन सुपरवाइजर	तकनिकी ग्रेड-ए ३ बढ़ौतियों के साथ	—वही—	सिनियर मशीन आपरेटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	—वही—

द्रष्टव्य : (१) इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग (ई.डी.पी.) कार्मिकों के पुनर्वर्गीकरण जब भी आवश्यक होगा उपरोक्त अनुसार होगा ।

(२) चूंकि यह सिस्टम (तरीका) तेजी से बेकार होता जा रहा है अतः इसके कर्मचारियों को जब और जहाँ आवश्यक होगा कम्पनियों द्वारा कम्प्यूटर आपरेशन (कनसोल) तथा इन्पुट/आउटपुट विभाग में खपा लिया जायगा ।

———

क्रियान्वयन आदेश सं० ४६ दि० २२-७-१९८५

जे. एकाउन्ट्स (लेखा) कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

प्रोमोशन पालिसी कमिटी की १७वीं बैठक जो १६ एवं १७ जुलाई १९८५ को हुई, उसमें यह निर्णय हुआ कि एकाउन्ट्स (लेखा) कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम जो ६ और ७ मई, १९८५ को हुए १५वीं बैठक में जो निर्णय लिया गया था उससे सम्बन्धित क्रियान्वयन आदेश अविलम्ब लागू किये जाने हेतु जारी कर दिया जाय ।

२. तदनुसार एकाउन्ट्स (लेखा) कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम जो प्रोमोशन पालिसी कमिटी ने अपने ७ मई, १९८५ को हुए बैठक में अन्तिम रूप दिया था उसका विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार दिया जा रहा है :—

एकाउन्ट्स (लेखा) कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम —कैडर स्कीम सं० ९

(१) एकाउन्ट्स क्लर्क ग्रेड-२ से कौस्ट एकाउन्टेंट/एकाउन्टेंट —परिशिष्ट-९-१

क्रियान्वयन आदेश संख्या-३४ (द्वारा पत्रांक संख्या एन. सी. डब्लू. ए.-३) क्रियान्वयन आदेश संख्या ३४/८४/७७१ दिनांक १७ जुलाई, १९८४) के तहत मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये जो (कैडर स्कीम सं. ८) प्रसारित किया गया था उसमें पैरा सं.-१ संक्षिप्त नाम, सीमा एवं वर्गीकरण (बी.) (५) एकाउन्ट्स कैडर को हटा दिया (बाद दे दिया) जाय ।

३. यह द्रष्टव्य हो कि इस कैडर स्कीम के लागू हो जाने के साथ-ही-साथ इस विषय पर अबतक जारी किये गये सभी आदेश व निर्देश रद्द समझे जायेंगे ।

४. प्रबन्धनों से उपरोक्त कैडर स्कीम को अविलम्ब लागू करने की दिशा में कदम उठाने हेतु आग्रह किया गया है ।

———

कैडर स्कीम संख्या-६

एकाउन्ट्स (लेखा) कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

१. **संक्षिप्त नाम :**

(ए) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के तहत बनाया गया यह स्कीम एकाउन्ट्स डिसिप्लिन कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम के नाम से जाना जायगा ।

(बी) यह स्कीम एकाउन्ट्स डिसिप्लिन के समस्त कर्मचारियों पर लागू होगा । प्रारम्भ में जब कैडर का गठन किया जा रहा हो तब सभी स्नातक चाहे वे किसी भी विषय से हों इस कैडर में आगे बढ़ने हेतु अपनी इच्छा (विभाग) जाहिर कर सकते हैं ।

२. **परिभाषा :**

इस स्कीम के अन्तर्गत यदि विषय अथवा सन्दर्भ के प्रतिकूल कुछ नहीं हो तो :—

(ए) 'कम्पीटेन्ट औथोरिटी' (दक्ष प्राधिकार) का अर्थ कम्पनी का मुख्य कार्य-पालक अथवा एरिया जेनरल मैनेजर (क्षेत्रीय महाप्रबन्धक) जो भी हो अथवा अन्य कोई भी अधिकारी जिन्हें इनके द्वारा समय-समय पर अधिकृत किये जाँय, होंगे ।

(बी) 'शैक्षणिक योग्यता' का अर्थ वह योग्यता है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा वह योग्यता/जाँच जो कम्पनियों द्वारा निर्धारित तथा संचालित की जाय ।

(सी) 'सेवा' (सर्विस) का अर्थ किसी पदपर वह सेवा है जैसा कि परिशिष्ट में दर्शाया गया है ।

३. **प्रोमोशन का रास्ता :**

(क) क्लरिकल ग्रेड-१ तक के लिये चयन का आधार सिनियरिटी-कम-मेरिट (वरीयता-सह-योग्यता) होगी तथा क्लरिकल स्पेशल ग्रेड एवं उससे ऊपर के लिये मेरिट-कम-सिनियरिटी (योग्यता-सह-वरीयता) होगी ।

(क) क्लरिकल ग्रेड स्पेशल तक के पदों को भरने के लिये प्रोमोशन का क्षेत्र एरिया (क्षेत्र) अथवा कम्पनी जो भी वर्तमान में सम्बन्धित कम्पनी में प्रचलन है तदनुरूप होगी परन्तु तकनिकी ग्रेड-ए के लिये कम्पनी ही होगी ।

४. **विभागीय प्रोमोशन कमिटी :**
(डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमिटी)

उच्चतर कैटेगरी में रिक्त पदों को भरने के लिये अभ्यर्थियों का चयन/प्रोमोशन विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंशा पर किया जायगा एवं उक्त समिति का गठन दक्ष प्राधिकार अथवा उसके द्वारा समय-समय पर अधिकृत किये गये अन्य किसी भी अधिकारी द्वारा किया जायगा । दक्ष प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा एवं सम्बन्धित लोगों पर बाध्य होगा ।

५. **सीधा बहाली :**

कैडर स्कीम में निर्दिष्ट निम्नतम से अधिक पदों को भरने हेतु सीधा बहाली तभी किया जायगा जब योग्य विभागीय उम्मीदवार नहीं मिलेंगे एवं ६ महीनों के भीतर तक भी वैसे योग्य उम्मीदवारों के मिलने की सम्भावना नहीं होगी ।

६. **रद्द, संशोधन इत्यादि :**

इस योजना के लागू हो जाने के साथ ही साथ इस विभाग के लिये वर्तमान सभी कैडर स्कीम अप्रभावी हो जायंगे ।

———

लेखा कार्मिकों (एकाउन्ट्स पर्सोनेल) के लिये कैडर स्कीम

परिशिष्ट-६-१

क्रम सं० १	पदनाम २	कैटेगरी पे स्केल ३	निम्नतम योग्यता ४	निम्नतम अनुभव ५	प्रोमोशन का जरिया ६	मन्तव्य ७
१.	एकाउन्ट्स क्लर्क ग्रेड-२	क्लरिकल ग्रेड-२ रु. ६७८-३०-६१८-३५-११६८	किसी भी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षोतीर्ण	१) कम्पनी का कोई भी स्थायी कर्मचारी जो इसी स्केल में हो एवं इस कैडर को अपनाता है। अथवा २) कम्पनी का कोई भी स्थायी कर्मचारी जो नीचे के ग्रेड/कैटेगरी में काम करता है एवं एकाउन्ट्स कैडर को अपनाता है।	१) उसी वेतन में सीधा आगे बढ़ता है। अथवा २) एक वर्ष के लिये एकाउन्ट्स ट्रेनी के रूप में उसी वेतन में सीधा आगे बढ़ता है इसके बाद उसे ग्रेड में नियमित कर लिया जायगा।	प्रत्येक वर्ष निम्नतम २५ प्रतिशत रिक्तियों को स्नातकों को सीधा बहाली द्वारा भरा जायगा जो उक्त ग्रेड में रेगुलराइज (स्थायी) किये जाने के एक वर्ष पहले प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) में रहेंगे।
२.	कौस्ट/एकाउन्ट्स क्लर्क ग्रेड-१	क्लरिकल ग्रेड-१ रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।	ग्रेड-२ एकाउन्ट्स क्लर्क के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.	

१	२	३	४	५	६	७
३.	कौस्ट असिस्टेंट/एकाउन्ट्स असिस्टेंट	क्लरिकल ग्रेड-स्पेशल रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	(१) किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षोतीर्ण। अथवा (२) मैट्रिकुलेट जो कोल इण्डिया लि० की एकाउन्ट्स परीक्षा भाग-१ पास किया हो।	(१) कौस्ट/एकाउन्ट्स क्लर्क ग्रेड-१ में ५ वर्षों का अनुभव। अथवा (२) एकाउन्ट्स कैडर में किसी भी ग्रेड में एक वर्ष का अनुभव।	डी. पी. सी. अथवा डी. पी. सी.	
४.	कौस्ट एकाउन्टेंट/एकाउन्टेंट	तकनिकी ग्रेड-ए रु. ८६२-५३-१३१६-५५-१७०१	(१) किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षोतीर्ण अथवा	(१) क्लरिकल स्पेशल ग्रेड में कौस्ट असिस्टेंट/एकाउन्ट्स असिस्टेंट के रूप में चार वर्षों का अनुभव अथवा	डी. पी. सी.	रिक्त पदों का निम्नतम २५ प्रतिशत उन लोगों की सीधी बहाली से किया जायगा जिन्होंने आई. सी. डब्लु. ए. / सी. ए.

१	२	३	४	५	६	७
			(२) मैट्रिकुलेट जो कोल इण्डिया लि० की एकाउन्ट्स परीक्षा भाग-१ पास किया हो। अथवा (३) आई. सी. डब्लू. ए. या सी. ए. की इन्टरमीडिएट परीक्षा पास हो।	(२) क्लरिकल स्पेशल ग्रेड में कौस्ट असिस्टेंट/एकाउन्टस असिस्टेंट के रूप में एक वर्ष का अनुभव। अथवा (३) कोई अनुभव नहीं		की इन्टरमीडिएट परीक्षा पास कर लिया है।

द्रष्टव्य : (१) वैसे कर्मचारी जिन्होंने विभागीय लेखा परीक्षा (डिपार्टमेंटल एकाउन्टस परीक्षा) पास किया है परन्तु रिक्तियाँ नहीं रहने की वजह से प्रोमोशन नहीं हो सका है, उन्हें ग्रेड में एक अतिरिक्त बढ़ोत्ती दी जायगी जिसे बाद में प्रोमोशन होने पर ग्रेड में समाहित कर लिया (मिला दिया) जायगा। दूसरे शब्दों में वैसे कर्मचारियों का प्रोमोशन होने पर वेतन निर्धारण के समय वेतन इस प्रकार सांकेतिक निर्धारित किया जायगा जिस प्रकार यह लगे कि उसे अग्रिम बढ़ोत्ती नहीं मिला है।

(२) विभागीय परीक्षा को योग्यता परीक्षा माना जायगा। अगले उच्च ग्रेड में प्रोमोशन के लिये विचार किये जाने योग्य कर्मचारियों का सिनियरिटी बरकरार रखा जायगा।

(३) टिस्को, इस्को तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनियों ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन करके लागू करने हेतु सहमति प्रकट किया।

———

क्रियान्वयन आदेश सं० ५२ दि० २६-८-१९८५

के. मिनिस्टेरियल स्टाफ एवं लेखा (एकाउन्ट्स) कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

सन्दर्भ : (१) क्रि. आ. संख्या ३४/८४ दिनांक १७ जुलाई, १९८४
(२) क्रि. आ. संख्या ४६/८५ दिनांक २२ जुलाई, १९८५

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. के प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी की २० व २१ अगस्त १९८५ को हुए १८वें बैठक में यह सवाल उठाया गया था कि पहले तकनिकी ग्रेड-बी के जुनियर एकाउन्टेंट को तकनिकी ग्रेड-ए में आफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद तक आगे बढ़ने का मौका था परन्तु मिनिस्टेरियल स्टाफ के लिये जो कैडर स्कीम क्रि. आ. संख्या ३४/८४ दिनांक १७ जुलाई, १९८४ एवं एकाउन्ट्स कार्मिकों के लिये जो क्रि. आ. संख्या ४६/८५ दिनांक २२ जुलाई, १९८५ को प्रसारित किया गया था उसमें इनके आगे बढ़ने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं था।

वार्तालाप के उपरान्त यह निर्णय हुआ कि तकनिकी ग्रेड-बी में जुनियर एकाउन्टेंटों को यह मौका दिया जायगा कि या तो वे जेनेरल क्लरिकल कैडर में स्पेशल ग्रेड क्लर्क/सिनियर क्लर्क अथवा एकाउन्ट्स डिसिप्लिन में एकाउन्ट्स असिस्टेंट/एकाउन्ट्स (कौस्ट) असिस्टेंट को अपनावें तदनुसार उनके द्वारा अपनाये गये कैडर में उनकी सिनियरिटी का निर्धारण किया जायगा।

प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी कम्पनियों में तकनिकी ग्रेड-बी के जुनियर एकाउन्टेंटों से उनकी स्वीकृति लेकर उपरोक्त निर्णय (यदि कोई हों तो उन) को शीघ्र क्रियान्वित करने हेतु कदम उठावें।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या ५० दिनांक २६-८-१९८५

एल. क्वालिटी कन्ट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण) विभाग के कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम (वाशरी एवं रिसर्च डेवलपमेंट विभागों को छोड़कर)

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. को प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी की २० एवं २१ अगस्त १९८५ को हुए १८वें बैठक में क्वालिटी कन्ट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण विभाग) के श्रमिकों (वाशरी एवं अन्वेषण तथा विकास को छोड़कर) के लिये कैडर स्कीम के सम्बन्ध में बातचीत हुई और यह निर्णय लिया गया कि तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. के सदस्य सचिव इस सम्बन्ध में शीघ्र ही क्रियान्वयन आदेश जारी कर दें।

तदनुसार क्वालिटी कन्ट्रोल (गुणवत्ता नियंत्रण विभाग) के कार्मिकों के लिये जो कैडर स्कीम तय हुआ उसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है।

१) वाशरी एवं आर. व डी. को छोड़कर गुणवत्ता नियंत्रण विभाग (क्वालिटी कन्ट्रोल) के कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम से सम्बन्धित निर्देश। —परिशिष्ट—११

२) कोल सैम्पलिंग मजदूर से लेबोरेटरी टेकनिशियन के लिये कैडर स्कीम। —परिशिष्ट—११-१

३) जुनियर केमिस्ट से सिनियर केमिस्ट के लिये कैडर स्कीम। —परिशिष्ट—११-२

४) जुनियर टेकनिकल इन्सपेक्टर से सिनियर टेकनिकल इन्सपेक्टर के लिये कैडर स्कीम। — परिशिष्ट—११-३

३. यह द्रष्टव्य हो कि इस कैडर स्कीम के लागू हो जाने के साथ ही साथ इस विषय पर अब तक के प्रसारित सभी निर्देश अप्रभावी तथा रद्द समझे जायेंगे।

४. प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त स्कीमों के लागू किये जाने की दिशा में अविलम्ब आवश्यक कदम उठाए जाँय।

———

परिशिष्ट-११

कैडर स्कीम संख्या-११

वाशरी एवं आर. एण्ड डी. (अन्वेषण एवं विकास) विभाग को छोड़कर गुणवत्ता नियंत्रण (क्वालिटी कन्ट्रोल) के कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

१. संक्षिप्त नाम, सीमा एवं वर्गीकरण :

(ए) इस स्कीम को गुणवत्ता नियंत्रण (क्वालिटी कन्ट्रोल) कार्मिकों का कैडर स्कीम के नाम से पुकारा जायगा।

(बी) यह स्कीम क्वालिटी कन्ट्रोल विभाग के सभी श्रमिकों पर लागू होगा, जिनका वर्गीकरण निम्नलिखित तीन श्रेणियों में किया गया है :—

(१) जेनरल (सामान्य) सैम्पलिंग मजदूर इत्यादि।

(२) लेबोरेटरी विभाग।

(३) निरीक्षण (इन्सपेक्शन) विभाग।

२. परिभाषा :

इस स्कीम में यदि विषय अथवा संदर्भ के विपरीत कुछ नहीं हो तो :—

(ए) 'कम्पीटेन्ट औथोरिटी (दक्ष प्राधिकार) का अर्थ कम्पनी का मुख्य कार्यपालक अथवा एरिया जेनरल मैनेजर (क्षेत्रीय महाप्रबंधक) जो भी हो अथवा अन्य कोई भी अधिकारी जिन्हें इनके द्वारा समय-समय पर अधिकृत किये जाँय होंगे।

(बी) 'शैक्षणिक योग्यता' का अर्थ वह योग्यता है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा वह योग्यता/जाँच जो कम्पनियों द्वारा निर्धारित तथा संचालित की जाय।

(सी) 'सेवा' (सर्विस) का अर्थ किसी पद पर वह सेवा जैसा कि इसके साथ के परिशिष्टों में दर्शाया गया है।

(डी) 'जाँच' (टेस्ट) का अर्थ स्तर का मूल्यांकन करना है जो लिखित/मौखिक/प्रायोगिक परीक्षाओं के जरिये प्रबन्धन द्वारा समय-समय पर कैडर स्कीम में कुशलता जाँच के लिये निर्धारित किया जाता है।

३. **प्रोमोशन का रास्ता :**

(क) क्वालिटी कन्ट्रोल कार्मिकों के विभिन्न कैटेगरियों के लिये प्रोमोशन का रास्ता इसके साथ के दिये गये परिशिष्ट के अनुसार होगा। उक्त परिशिष्ट, इस स्कीम के तहत अभ्यर्थियों के चयन/प्रोमोशन के लिये पात्रता के उद्देश्य से समय-समय पर कैडर में सम्मिलित किये गये विभागीय कर्मचारियों द्वारा हासिल योग्यता तथा अनुभवों का निर्देश मात्र करते हैं।

(ख) तकनिकी ग्रेड-बी तक के चयन/प्रोमोशन का आधार लगनशीलता (आप्टीच्यूड)-सह-सिनियरिटी-सह-मेरिट होगा तथा तकनिकी ग्रेड-ए के लिये चयन/प्रोमोशन का आधार मेरिट-सह-सिनियरिटी होगा।

(ग) यदि स्कीम में विशेष रूप से कोई अन्य प्रावधान नहीं हो तो कैटेगरी-४ तक के रिक्त पदों को भरने के लिये प्रोमोशन का क्षेत्र कोलियरी/इकाई स्तर होगा एवं उसके बाद तकनिकी ग्रेड-सी तक क्षेत्रीय सिनियरिटी होगा एवं तकनिकी ग्रेड-बी तथा ग्रेड-ए के लिये प्रोमोशन/चयन का आधार कम्पनी सिनियरिटी होगा।

४. **विभागीय प्रोमोशन कमिटी (डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमिटी)**

उच्चतर कैटेगरियों में रिक्त पदों को भरने के लिये अभ्यर्थियों का चयन/प्रोमोशन विभागीय प्रोमोशन कमिटी की अनुशंसा पर होगा एवं उक्त कमिटी का गठन दक्ष (कम्पीटेन्ट) प्राधिकार अथवा समय-समय पर उसके द्वारा अन्य जिस किसी अधिकारी को वैसे अधिकार दिये जांय उनके द्वारा किया जायगा। वैसे अनुशंसाओं पर दक्ष प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा।

५. **सीधा बहाली :**

सीधा बहाली उसी हालत में होगा यदि विभागीय कर्मचारी उक्त रिक्त पद को भरने के उपयुक्त नहीं पाये जायेंगे।

६. यह कैडर स्कीम कोल इण्डिया तथा इसकी सहायक कम्पनियों में प्रचलित संगठनात्मक ढाँचे के आधार पर बनाया गया है। टिस्को,

इस्को तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० को इस बात की छूट होगी कि जब कभी आवश्यक हो, वे अपने स्तर पर यूनियन प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक इसमें संशोधन कर सकें।

७. वर्तमान में कार्यरत कार्मिक अविलम्ब इस स्कीम के तहत लाये जायेंगे एवं निम्न प्रकार से नियमित किया जायगा :—

(अ) जहाँ वेतनमान बराबर हो तथा पदनाम यदि भिन्न हो, तो उसे इस स्कीम के अनुसार बदल दिया जायगा।

(ब) जहाँ पदनाम इस स्कीम के अनुरूप है वहाँ वेतनमान के साथ कार्य-विवरण स्कीम के अनुसार लागू होगा।

८. **रद्द, संशोधन इत्यादि :**

क्वालिटी कन्ट्रोल कार्मिकों के लिये वर्तमान में यदि कोई कैडर स्कीम विद्यमान है तो वह इस स्कीम के लागू होने के साथ-साथ अप्रभावी हो जायगा।

———

वाशरी एवं ई व डी के अलावा क्वालिटी कन्ट्रोल विभाग के कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम परिशिष्ट—११-१
सैम्पलिंग मजदूर से लेबोरेटरी तकनिशियन

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/पे स्केल	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का तरीका
१	२	३	४	५	६
१.	कोल सैम्पलिंग मजदूर	कैटेगरी-१ रु. २१.१६-०.४३-२७.१८	साक्षर वांछनीय किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक पास हो।	कम्पनी का कोई भी स्थायी श्रमिक/कर्मचारी	चयन
२.	कोल लेबोरेटरी सैम्पलिंग असिस्टेंट	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२९.०७	—वही—	कैटेगरी-१ में कोल सैम्पलिंग मजदूर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव	डी. पी. सी.
३.	कोल लेबोरेटरी तकनिशियन	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	—वही—	कैटेगरी-२ में कोल लेबोरेटरी सैम्पलिंग असिस्टेंट के रूप में ३ वर्षों का अनुभव	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य :—टिस्को, इस्को तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन करके लागू करने को राजी हुए।

वाशरी एवं आर. व डी. के अलावा क्वालिटी कन्ट्रोल विभाग के कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम परिशिष्ट-११-२
जुनियर केमिस्ट से सिनियर केमिस्ट

१	२	३	४	५	६
१.	जुनियर केमिस्ट	तकनिकी ग्रेड-डी रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	रशायन शास्त्र (केमिस्ट्री) के साथ विज्ञान में स्नातक	एक वर्ष सर्विस के साथ कम्पनी का कोई भी स्थायी श्रमिक / कर्मचारी।	चयन / जाँच
२.	असिस्टेंट केमिस्ट	तकनिकी ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	—वही—	तकनिकी ग्रेड-डी में जुनियर केमिस्ट के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.
३.	केमिस्ट	तकनिकी ग्रेड-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	—वही—	तकनिकी ग्रेड-सी में असिस्टेंट केमिस्ट के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.
४.	सिनियर केमिस्ट	तकनिकी ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	—वही—	तकनिकी ग्रेड-बी में केमिस्ट के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : (१) इस कैडर स्कीम के लागू होने के दिन तक वर्तमान कर्मचारियों के प्रोमोशन के लिये शैक्षणिक योग्यता कोई बाधा नहीं होगी।

(२) टिस्को, इस्को एवं सिंगरेनी कोलियरी कम्पनियाँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन करके लागू करने को राजी हुए।

बाशरी एवं आर. व डी. के अलावा क्वालिटी कन्ट्रोल विभाग के कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम परिशिष्ट-११-३

जुनियर तकनिकी इन्सपेक्टर से सिनियर तकनिकी इन्सपेक्टर

१	२	३	४	५	६
१.	जुनियर टेकनिकल इन्सपेक्टर	तकनिकी ग्रेड-डी रु. ६७८-३०-९१८-३५-११६८	रशायन शास्त्र (केमिस्ट्री) के साथ विज्ञान में स्नातक	एक वर्ष की सेवा के साथ कम्पनी का कोई भी स्थायी श्रमिक/कर्मचारी ।	चयन/जाँच
२.	असिस्टेंट टेकनिकल इन्सपेक्टर	तकनिकी ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	—वही—	तकनिकी ग्रेड-डी में जुनियर टेकनिकल इन्सपेक्टर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी.पी.सी.
३.	टेकनिकल इन्सपेक्टर	तकनिकी ग्रेड-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	—वही—	तकनिकी ग्रेड-सी में असिस्टेंट टेकनिकल इन्सपेक्टर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.
४.	सिनियर टेकनिकल इन्सपेक्टर	तकनिकी ग्रेड-ए रु. ८६२-५३-१३१६-५५-१७०१	—वही—	तकनिकी ग्रेड-बी में टेकनिकल इन्सपेक्टर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.

द्रष्टव्य : (१) इस कैडर स्कीम के लागू होने के दिन तक वर्तमान कर्मचारियों के प्रोमोशन के लिये शैक्षणिक योग्यता कोई बाधा नहीं होगी ।

(२) टिस्को, इस्को तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनियाँ स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन करके लागू करने को राजी हुए ।

क्रियान्वयन आदेश सं० ६३ दिनांक १७-१०-१९८५

एम. इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल विभाग के कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम/प्रोमोशन सम्बन्धी नियम ।

संदर्भ : जे.बी.सी.सी.आई. कार्यालय परिपत्र संख्या एन. सी. डब्ल्यू. ए.-३ (क्रि० आ० संख्या ३०/८४/६८४ दि० २६ जून, १९८४

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. के प्रोमोशन पालिसी कमिटी की १५ व १६ अक्टूबर, १९८५ को हुए १९वीं बैठक में इलेक्ट्रिकल तथा मेकैनिकल डिसिप्लिन के कर्मचारियों के कैडर स्कीम जो पहले उपरोक्त सन्दर्भ के कार्यालय पत्र अर्थात् क्रियान्वयन आदेश संख्या ३० दिनांक २६ जून, १९८४ को प्रसारित किया गया था उसमें कुछ गलतियों खामियों के प्रति ध्यान आकृष्ट हुआ था/बताया गया था, उन पर वार्तालाप हुई और यह निर्णय हुआ कि उसमें निम्नानुसार संशोधन किया जाय :—

(१)	परिशिष्ट-७-७ जेनरल मजदूर से सब स्टेशन अटेन्डेंट	—'प्रोमोशन का तरीका' वाले कालम में क्रम सं० ४ में सब स्टेशन एटेन्डेंट के सामने 'डी. पी. सी.' शब्द जोड़ दिया जाय ।
(२)	परिशिष्ट-७-८ जेनरल मजदूर से सी.सी एम. ड्राइवर ग्रेड-१	—'प्रोमोशन का तरीका' वाले कालम में क्रम सं० ४ में सी. सी. एम. ड्राइवर ग्रेड-२ तथा क्रम सं० ५ में सी.सी.एम. ड्राइवर ग्रेड-१ के सामने 'डी. पी. सी.' शब्द जोड़ दिया जाय ।
(३)	परिशिष्ट-७-९ हेल्पर से मोल्डर	—'कैटेगरी/वे स्केल कालम में क्रम सं० १ में 'हेल्पर' वर्तमान कैटेगरी-१ तथा पे स्केल रु० २१.१६-०.४३-२७.१० की जगह कैटेगरी-२ तथा पे स्केल रु० २१.६५-०.५३-२९.०७ होगा ।
(४)	परिशिष्ट-७-१५ हेल्पर (इलेक्ट्रिकल) से फोरमैन-इन्चार्ज	—प्रोमोशन का तरीका कालम में क्रम सं०/३ में इलेक्ट्रिशियन फिटर इलेक्ट्रिकल के सामने "डी. पी. सी. / ट्रेड टेस्ट" शब्द जोड़ा जायगा ।

प्रबन्धनों से इन संशोधनों का ख्याल रखते हुए उक्त निर्णय को लागू करने का आग्रह किया गया है ।

———

कैडर स्कीम सं० १२

सुरक्षा कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

१. **संक्षिप्त नाम तथा विस्तार :**

(अ) इस कैडर स्कीम को सुरक्षा "कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम" के नाम से पुकारा जायगा ।

(ब) यह स्कीम कम्पनी को सुरक्षा के उद्देश्य हेतु सुरक्षा विभाग में नियुक्त सभी सुरक्षा कार्मिकों जैसे—सिक्युरिटी गार्ड/सिनियर सिक्युरिटी गार्ड/आर्म्ड गार्ड, हेड सिक्युरिटी/गार्ड/हविलदार, असिस्टेंट सिक्यूरिटी सब-इन्सपेक्टर, सिक्युरिटी सब-इन्सपेक्टर, सिक्युरिटी इन्सपेक्टर तथा सिनियर सिक्युरिटी इन्सपेक्टर इत्यादि पर लागू होगा ।

२. **परिभाषा :**

इस स्कीम में यदि विषय अथवा सन्दर्भ के कुछ भी प्रतिकूल नहीं हो तो :—

(ए) 'कम्पीटेन्ट औथोरिटी' (दक्ष प्राधिकार) का अर्थ कम्पनी का मुख्य कार्यपालक अथवा कम्पनी की सुरक्षा का प्रमुख जो भी हो, अथवा अन्य कोई भी पदाधिकारी जिन्हें इनके द्वारा समय-समय पर वैसे अधिकारों से प्राधिकृत किया जाय ।

(बी) 'एडुकेशनल क्वालिफिकेशन' (शैक्षणिक योग्यता) का अर्थ वह योग्यता जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो एवं वह प्रशिक्षण जैसा कि कम्पनी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल / मिलिटरी बी. एस. एफ. सहित पैरामिलिटरी फोर्स द्वारा निर्धारित एवं संचालित हो ।

३. **प्रोमोशन का रास्ता :**

३.१ विभिन्न कैटेगरियों के सिक्युरिटी कर्मचारियों के लिये प्रोमोशन का रास्ता आगे दिये जा रहे परिशिष्ट के अनुसार होगा। उक्त परिशिष्ट

क्रियान्वयन आदेश संख्या ५४ दि० १७-१०-१९८५

एन. सुरक्षा कार्मिकों (सिक्युरिटी परसोनेल) के लिये कैडर स्कीम

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. के प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी की १५ एवं १६ अक्टूबर, १९८५ को हुए १९वें बैठक में सुरक्षा कार्मिकों (सिक्युरिटी परसोनेल) के लिये कैडर स्कीम के सम्बन्ध में वार्त्तालाप हुई और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिये गये ।

२. तदनुसार सुरक्षा कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम का विस्तृत ब्योरा दिया जा रहा है :—

(अ) सुरक्षा कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम से संबंधित टिप्पणी (द्रष्टव्य) —परिशिष्ट-१२

(आ) सुरक्षा कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम —परिशिष्ट-१२-१

३. यह द्रष्टव्य हो कि इस कैडर स्कीम के लागू हो जाने के साथ ही साथ इस विषय से सम्बन्धित अभी तक के सभी आदेश तथा निर्देश रद्द हुए समझे जांय ।

४. प्रबन्धनों से उपरोक्त स्कीम को अविलम्ब लागू किये जाने हेतु कदम उठाने का आग्रह किया गया है ।

———

में आगे के उच्चतर पद पर पदोन्नति से सम्बन्धित चयन के लिये विचारार्थ पात्रता (योग्यता) के उद्देश्य से समय-समय पर कैडर में सम्मिलित किये जाने वाले योग्यताओं तथा अनुभवों जैसा कि परिशिष्ट में दिया गया है, उसका निर्देश मात्र है। प्रोमोशन इस बात पर निर्भर करेगा कि समय-समय पर अनुमोदित तरीका के अनुसार कितने पद उपलब्ध हैं एवं स्कीम में जैसा निर्दिष्ट है उसके अनुसार अभ्यर्थियों के चयन हेतु पात्रता हो।

३.२ सिक्युरिटी गार्ड, सिनियर सिक्युरिटी गार्ड/आर्म्ड गार्ड, हेड सिक्युरिटी गार्ड/हविलदार, असिस्टेंट सिक्युरिटी सब-इन्सपेक्टर एवं सिक्युरिटी सब-इन्सपेक्टर पद के लिये चयन/प्रोमोशन का आधार सिक्युरिटी-सह-मेरिट होगा तथा सिक्युरिटी इन्सपेक्टर और सिनियर सिक्युरिटी इन्सपेक्टर पदों के लिये चयन/प्रोमोशन का आधार मेरिट-सह-सिनियरिटी होगा।

३.३ सिक्युरिटी कार्मिकों के सभी रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रोमोशन का क्षेत्र कम्पनी का मुख्यालय होगा।

४. विभागीय प्रोमोशन कमिटी :

उच्चतर कैटेगरियों में रिक्त पदों को भरने के लिये अभ्यर्थियों का चयन/प्रोमोशन विभागीय प्रोमोशन कमिटी की अनुशसा पर होगा एवं उक्त कमिटी का गठन दक्ष प्राधिकार (कम्पीटेन्ट औथोरिटी) अथवा समय-समय पर उसके द्वारा अन्य जिस किसी अधिकारी को वैसे अधिकार दिये जाँय उनके द्वारा किया जायगा। वैसे अनुशंसाओं पर दक्ष प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा।

५. सीधा बहाली :

सीधा बहाली उसी हालत में होगा जब कि डी. पी. सी. मिल गया हो और उसे कोई भी विभागीय कर्मचारी उक्त रिक्त पद को भरने हेतु ६ महीने की अवधि तक भी उपयुक्त नहीं मिला हो। तकनिकी ग्रेड-डी से ए के पदों पर सीधा बहाली किये जाने की स्थिति में निर्धारित अनुभव, प्रशिक्षण, शारीरिक स्तर इत्यादि के अलावा अभ्यर्थी का स्नातक होना आवश्यक है।

६. इस कैडर स्कीम का गठन कोल इण्डिया एवं इसकी सहायक कम्पनियों में प्रचलित संगठनात्मक ढाँचे के आधार पर किया गया है।

टिस्को, इस्को तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० को इस बात की छूट होगी कि जब कभी आवश्यक हो वे अपने स्तर पर युनियन प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करके स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक इसमें संशोधन कर सकें।

७. रद्द, संशोधन इत्यादि :

इस स्कीम के लागू हो जाने के साथ ही साथ इस विषय पर अब तक जारी किये गये सभी कार्यकारी निर्देश तथा आदेश रद्द समझे जायंगे।

———

परिशिष्ट-१२-१

सुरक्षा कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम
सिक्युरिटी गार्ड से सिनियर इन्सपेक्टर

१	२	३	४	५	६
१.	सिक्युरिटी गार्ड	तकनिकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड-जी रु ५८०-१६-८०४	(१) साक्षर	(१) सभी सुरक्षा कार्मिक जो वर्तमान में ग्रेड-एच में हैं भले ही उनका पदनाम जो कुछ भी हो उन्हें चुन लिया जायगा। जो सिक्युरिटी गार्ड के रूप में नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाये जायेंगे जैसा कि नीचे के टिप्पणी सं. १ में दिया गया है, और वे प्रशिक्षित भी हैं तो उन्हें ग्रेड-'जी' में पदस्थापित किया जायगा। जो अन्य तरह से उपयुक्त होंगे परन्तु प्रशिक्षित नहीं हैं उन्हें तीन महीने के प्रशिक्षण हेतु भेज दिया जायगा और उस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें ग्रेड-'जी' में पदस्थापित किया जायगा।	डी.पी.सी. साक्षात्कार/ चयन
			(२) ७वीं कक्षा तक	(२) कोई भी स्थायी कर्मचारी जिसे सिक्युरिटी गार्ड के लिये रुचि है एवं शारीरिक रूप से सक्षम है व ३८ वर्ष से अधिक उम्र का नहीं है एवं नीचे टिप्पणी सं० १ में दिये गये योग्यताओं के अनुरूप है तो उसे ६ महीने के प्रशिक्षण में भेजा जायगा एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर ग्रेड-'जी' में पदस्थापित किया जायगा।	डी.पी.सी./ साक्षात्कार/ चयन
			(३) किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक	(३) भूतपूर्व सैनिक / भूतपूर्व बी. एस. एफ. कार्मिक अथवा एन.सी.सी./ बी. व सी. प्रमाणपत्र प्राप्त अथवा अखिल भारतीय ख्याति का खिलाड़ी होने से सीधा बहाली। अभ्यर्थियों के पास नीचे टिप्पणी संख्या-१ में दिये गये योग्यताएं हासिल हो तथा उनकी उम्र ३८ वर्ष से अधिक नहीं हो।	साक्षात्कार/ चयन

१	२	३	४	५	६
२.	(१) सिनियर सिक्युरिटी गार्ड	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'एफ' रु. ६०५-१८-८५७	७वीं कक्षा	(१) तकनिकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड-जी में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.
	(२) आर्म गार्ड	—वही—	—वही—	(२) (क) तकनिकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड-जी में तीन वर्षों का अनुभव । (ख) सेना/बी. एस. एफ./पुलिस/ सी. आई. एस. एफ. से हथियार चलाने का प्रशिक्षण अथवा कम्पनी द्वारा संचालित जाँच ।	डी.पी.सी.
३.	हेड सिक्युरिटी/गार्ड/ हवलदार	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'ई' रु. ६२५-२३-९४७	७वीं कक्षा	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'एफ' में तीन वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.
४.	असिस्टेंट सिक्युरिटी सब-इन्सपेक्टर	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'डी' रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उतीर्ण	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-"ई" में तीन वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.

१	२	३	४	५	६
५.	सिक्युरिटी सब-इन्सपेक्टर	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'सी' रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	—वही—	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'डी' में तीन वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.
६.	सिक्युरिटी इन्सपेक्टर	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'बी' रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-सी में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.
७.	सिनियर सिक्युरिटी इन्सपेक्टर	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'ए' रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	—वही—	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-बी में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.

टिप्पणी : (१) सिक्युरिटी कार्मिक की बहाली/चयन के लिये निम्नलिखित योग्यता रखना अनिवार्य है :

अधिसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिये ऊँचाई—५'-३"
साधारण के लिये ऊँचाई —५'-५"

एस. सी./एस. टी. के लिये सीमा	—३०"-३२"
साधारण के लिये सीमा	—३२"-३४"
एस. सी./एस. टी. के लिये उम्र	—४० वर्ष
साधारण के लिये उम्र	—३५ वर्ष

(२) (अ) तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'ई' में हवलदार/हेड सिक्युरिटी गार्ड तक के पद के लिये इस कैडर स्कीम को लागू होने के दिन तक के वर्तमान सिक्युरिटी विभाग के कर्मचारियों के लिये शैक्षणिक योग्यता कोई बाधा नहीं होगी, फिर भी उन्हें साक्षर होना चाहिये ।

(आ) तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'ई' में हेड सिक्युरिटी गार्ड/हविलदार से तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'डी' में असिस्टेंट सिक्युरिटी सब-इन्सपेक्टर के लिये प्रोमोशन हेतु सिक्युरिटी विभाग के विभागीय अभ्यर्थियों को ७वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

क्रियान्वयन आदेश सं० ५५ दिनांक १७-१२-१९८५

ओ. पैरा मेडिकल कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. के प्रोमोशन पालिसी कमिटी की २०वीं बैठक जो ४ व ५ दिसम्बर, १९८५ को हुई, प्रबन्धन प्रतिनिधियों ने इस सवाल को रखा कि उन्हें उपयुक्त पैरा मेडिकल कर्मचारी पाने में कठिनाई होती है अतः उन्होंने सुझाव दिया कि पैरा मेडिकल कर्मचारियों के लिये जो कैडर स्कीम पहले क्रि० आ० सं० ३३ दि० २२-६-१९८० (कैडर स्कीम सं० ६) के तहत प्रसारित किया गया है उसमें कुछ कैडर स्कीम का पुनरावलोकन किया जाय ।

२. इस विषय पर विस्तृत वार्तालाप हुई और निर्णय हुआ कि उक्त कैडर स्कीम में निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित कर लिये जाँय :—

''पैरा-मेडिकल स्टाफ (टेकनिशियन)—परिशिष्ट-६-१

द्रष्टव्य : (ए) यह राजीनामा हुआ कि वर्तमान धारा "वे तकनिशियन/पैथोलोजिकल तकनिशियन/रेडियोग्राफर जो १० वर्षों से अधिक से ग्रेड-डी में कार्यरत हैं और वे निर्धारित योग्यता हासिल करने में असमर्थ हैं, वे ग्रेड-सी में प्रोमोशन के पात्र हो जायेंगे वशर्ते कि वे कम्पनी द्वारा संचालित जाँच/परीक्षा में सफल हो जाँय" के बदले निम्नलिखित धारा रखा जायगा :—

"वे तकनिशियन/पैथोलोजिकल तकनिशियन/रेडिओग्राफर जो तकनिकी ग्रेड-'डी' में कार्यरत हैं और जिनकी सेवायें निम्नानुसार है :

मैट्रिक—७ वर्ष
नन-मैट्रिक—१० वर्ष

और वे निर्धारित योग्यता हासिल करने में असमर्थ हैं, वे ग्रेड-'सी' में प्रोमोशन के पात्र हो जायेंगे वशर्ते वे कम्पनी द्वारा संचालित जाँच/परीक्षा उतीर्ण कर लें ।"

आगे यह राजीनामा हुआ कि एक द्रष्टव्य "द्रष्टव्य (बी)" के रूप में निम्नानुसार जोड़ा जाय :—

"(बी) सीधा बहाली के उद्देश्य से, तकनिकी पैरा-मेडिकल कर्मचारी जो मैट्रिक पास हैं और जो सेना में रिटायर होने से पहले कम से कम १० वर्षों तक काम किया है उन्हें तकनिकी ग्रेड-सी में टेकनिशियन/पैथोलोजिकल टेकनिशियन/रेडिओग्राफर पदों के लिये निर्धारित योग्यता के अनुरूप समझा जायगा ।"

४. पैरा-मेडिकल स्टाफ (कम्पाउण्डर/फार्मासिस्ट) :

परिशिष्ट—६-२

यह राजीनामा हुआ कि तकनिकी ग्रेड-डी के क्रम सं० २—कम्पाउण्डर (योग्य) के तहत क्र० (बी) में "निम्नतम योग्यता" वाले कालम के वर्तमान शब्दों "मैट्रिक के साथ तीन वर्ष का डिप्लोमा साथ-साथ ३ वर्षों का प्रायोगिक अनुभव" के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाय :—

"मैट्रिक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मासिस्ट डिप्लोमा एवं ३ वर्षों का प्रायोगिक अनुभव ।"

५. आगे यह राजीनामा हुआ कि निम्नलिखित द्रष्टव्य (सी) एवं (डी) को (बी) के बाद जोड़ दिया जाय :

"द्रष्टव्य (सी) : तकनिकी ग्रेड-ई में वर्तमान कम्पाउण्डर (अनक्वालिफायड) जिनके पास निर्धारित योग्यता नहीं है और जो निम्न प्रकार का अनुभव रखते हैं :—

(ए) मैट्रिक या समकक्ष—७ वर्ष
(बी) नन-मैट्रिक —१० वर्ष

और जो निर्धारित योग्यता हासिल करने में असमर्थ हैं वे तकनिकी ग्रेड-डी में प्रोमोशन के पात्र हो जायेंगे बशर्ते कि वे कम्पनी द्वारा संचालित परीक्षा/जाँच में सफल हो जाय ।

द्रष्टव्य-(डी) : तकनिकी पैरा मेडिकल स्टाफ में सीधा बहाली के उद्देश्य से जो मैट्रिक पास हैं और जिन्होंने सेना में कम-से-कम रिटायर होने से पहले १० वर्षों तक काम किया है उन्हें तकनिकी ग्रेड-बी में कम्पाउण्डर पद के लिये निर्धारित वांछित योग्यता के समतुल्य समझा जायगा ।"

६. पैरा मेडिकल स्टाफ (नर्सिंग स्टाफ)-परिशिष्ट-६-५ :

यह राजीनामा हुआ कि इस कैडर स्कीम के साथ निम्नांकित द्रष्टव्य जोड़ दिया जायगा :

द्रष्टव्य :—तकनिकी ग्रेड-डी की वर्तमान नर्सें जिनके पास 'ए' ग्रेड नर्सिंग सर्टिफिकेट नहीं है और जिनके पास निम्न प्रकार का अनुभव है :—

मैट्रिक—७ वर्ष
नन-मैट्रिक—१० वर्ष

और वे निर्धारित योग्यता हासिल करने में असमर्थ हैं वे तकनिकी ग्रेड-सी में प्रोमोशन के पात्र हो जायेंगी बशर्ते कि वे कम्पनी द्वारा संचालित जाँच/परीक्षा में सफल हो जाँय ।"

७. तुरत संदर्भ के लिये, उपरोक्त संशोधनों के साथ संशोधित कैडर स्कीम (बदलने) हेतु निम्नानुसार दिया जा रहा है :

(ए) पैरा मेडिकल स्टाफ (तकनिशियन)-परिशिष्ट-६-१
(बी) —वही— (कम्पाउण्डर/फार्मासिस्ट)-परिशिष्ट-६-२
(सी) —वही— (नर्सिंग स्टाफ)-परिशिष्ट-६-५

८. प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि पैरा मेडिकल स्टाफ (कैडर स्कीम सं० ६) के लिये जो कैडर स्कीम पहले क्रि० आ० सं० ३२ दि० २२-६-१९८० के अन्तर्गत प्रसारित किया गया है उसमें उपरोक्त संशोधनों को समाविष्ट कर लिया जाय ।

पैरा मेडिकल स्टाफ
(टेकनिशियन)

परिशिष्ट-६-१
क्रि० आ० सं० ५५ दिनांक १७-१२-१९८५ का परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६
१.	टेकनिशियन/पैथोलोजिकल टेकनिशियन/रेडिओग्राफर	तकनिकी ग्रेड-'सी' रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	किसी मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट से सम्बन्धित तकनीक में डिप्लोमा। मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट/ सरकारी अस्पताल अथवा ग्रेड-डी में ३ वर्षों का अनुभव		क्षेत्रीय स्तर पर सिनियरिटी रहेगा। इन्टरव्यू/चयन के जरिये प्रोमोशन।
२.	सिनियर टेकनिशियन	तकनिकी ग्रेड-एफ रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	किसी मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट से सम्बन्धित तकनीक में डिप्लोमा।	ग्रेड-सी तकनिशियन के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	कम्पनी स्तर पर सिनियरिटी होगा/चयन/ साक्षात्कार के जरिये प्रोमोशन
३.	चीफ टेकनिशियन	तकनिकी ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	मैट्रिक सम्बन्धित तकनीक में किसी मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट से डिप्लोमा।	तकनिकी ग्रेड-बी में सिनियर टेकनिशियन के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	कम्पनी स्तर पर सिनियरिटी/डी.पी.सी. के जरिये।

द्रष्टव्य : (ए) यद्यपि, कई कम्पनियों में ऐसा देखा गया है कि कुछ टेकनिशियन ग्रेड-डी में कार्यरत हैं। यह सिफारिश की जाती है कि यदि इन तकनिशियनों के पास टेकनिशियन / पैथोलोजिकल टेकनिशियन / रेडिओग्राफर के लिये निर्धारित योग्यता है तो उन्हें ग्रेड-सी में पदस्थापित किया जाना चाहिये। जो भी हो, यदि उनके पास निर्धारित योग्यता नहीं है तो उन्हें उन योग्यताओं को हासिल करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये और वह योग्यता प्राप्त कर लेने पर ग्रेड-सी में पदस्थापित कर देना चाहिये। वैसे टेकनिशियन पैथोलोजिकल टेकनिशियन/रेडिओग्राफर जो तकनिकी ग्रेड-डी में काम करते आ रहे हैं और उन्होंने निम्न प्रकार से सेवायें दी हैं :—

मैट्रिक : ७ वर्ष

नन-मैट्रिक : १० वर्ष

तथा वे निर्धारित योग्यता प्राप्त करने में असमर्थ हैं तो वे भी ग्रेड-सी में प्रोमोशन के पात्र हो जायेंगे बशर्ते कि कम्पनी द्वारा संचालित किये जाने वाले जाँच / परीक्षा को पास कर लेते हैं। यह भी सिफारिश की जाती है कि भविष्य में ग्रेड-डी में तकनिशियनों की बहाली नहीं की जायगी। टेकनिशियन/पैथोलोजिकल टेकनिशियन/रेडिओग्राफरों की नियुक्ति सिर्फ तकनिकी ग्रेड-सी में ही की जायगी।

(बी) सीधा बहाली के उद्देश्य से, टेकनिकल पैरा मेडिकल स्टाफ जो मैट्रिक पास है और जिन्होंने सेना से अवकाश ग्रहण करने से पहले कम से कम १० वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं उनके लिये ऐसा समझा जायगा कि तकनिकी ग्रेड-सी में टेकनिशियन/पैथोलोजिकल टेकनिशियन/रेडिओग्राफर के लिये निर्धारित वांछित योग्यता प्राप्त हैं।

———

पैरा मेडिकल स्टाफ

(कम्पाउण्डर/फार्मासिस्ट)

परिशिष्ट-६-२

(क्रि० आ० सं० ५५ दि० १७-१२-८५ का परिशिष्ट)

१	२	३	४	५	६
१.	कम्पाउण्डर (अन क्वालिफायड)	तकनिकी ग्रेड-ई रु. ६२५-२३-९४७	सिर्फ वर्तमान कर्मचारी		
२.	कम्पाउण्डर (क्वालिफायड)	तकनिकी ग्रेड-डी रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	(ए) मैट्रिक होना अनिवार्य साथ में किसी मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट से फार्मासिस्ट परीक्षा पास हो संग में मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट से २ वर्षों का अनुभव हो । (बी) मैट्रिक के साथ-साथ किसी मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट से फार्मासिस्ट का डिप्लोमा साथ में तीन वर्षों का व्यावहारिक अनुभव ।	नया बहाली के लिये	
३.	सिनियर कम्पाउण्डर	तकनिकी ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	उपरोक्त क्रम सं० २ के (ए) और (बी) जैसा	(ए) १० वर्षों का अनुभव (बी) ५ वर्षों का अनुभव	क्षेत्रीय स्तर पर सिनियरिटी डी. पी. सी.
४.	सिनियर फार्मासिस्ट	तकनिकी ग्रेड-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	मैट्रिक के साथ-साथ किसी मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट से फार्मासिस्ट का डिप्लोमा	तकनिकी ग्रेड-सी में ५ वर्षों का अनुभव	कम्पनी स्तर पर सिनियरिटी डी. पी. सी.
५.	चीफ फार्मासिस्ट	तकनिकी ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	—वही		—वही—

द्रष्टव्य : (ए) सभी कम्पाउण्डरों (क्वालिफायड)/सिनियर कम्पाउण्डरों/सिनियर फार्मासिस्टों को राज्य के मेडिकल कौंसिल से पंजीकृत कराना होगा ।

(बी) फार्मासिस्ट का कार्य करने के साथ ही साथ जहाँ क्षेत्रीय/रिजनल/सेन्ट्रल मेडिकल स्टोर का संचालन उनके द्वारा होना है वहाँ ग्रेड-बी में सिनियर फार्मासिस्ट का पद कार्यकर होगा तथा रिजनल एवं सेण्ट्रल अस्पतालों के लिये ग्रेड-बी एवं ए में सिनियर फार्मासिस्ट तथा चीफ फार्मासिस्ट कार्यकर होगा ।

(सी) तकनिकी ग्रेड-ई में वर्तमान कम्पाउण्डर (अनक्वालिफायड) जिनके पास निर्धारित योग्यता नहीं है और जिनके पास निम्न प्रकार से अनुभव है :

(क) मैट्रिक अथवा समकक्ष—७ वर्ष

(ख) नन-मैट्रिक —१० वर्ष

और जो निर्धारित योग्यता हासिल करने में अक्षम हैं वे तकनिकी ग्रेड-डी में प्रोमोशन के पात्र होंगे बशर्ते कि वे कम्पनी द्वारा संचालित जाँच/परीक्षा में सफल होते हैं।

(डी) तकनिकी पैरा मेडिकल स्टाफ में सीधा बहाली के उद्देश्य से जो मैट्रिक हैं और जिन्होंने रिटायर होने से पहले सेना में कम से कम १० वर्षों तक काम किया है उनके लिये यह मान लेना चाहिये कि तकनिकी ग्रेड-डी में कम्पाउण्डर पद के लिये वांछित योग्यता रखते हैं।

पैरा मेडिकल स्टाफ
(नर्सिंग स्टाफ)

परिशिष्ट-६-५
(क्रि० आ० सं० ५५ दिनांक १७-१२-१९८५ का परिशिष्ट)

१	२	३	४	५	६
१.	जुनियर नर्स (क्वालिफायड) आक्जीलियरी नर्स/मिडवाइफ (क्वालिफायड)	तकनिकी ग्रेड-डी रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	(ए) जुनियर नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र (बी) एक वर्ष का अनुभव		
२.	स्टाफ नर्स	तकनिकी ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	(ए) मैट्रिक साथ में 'ए' ग्रेड नर्सिंग का प्रमाण-पत्र तथा किसी मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट से एक वर्ष का अनुभव। (बी) क्रम सं० १ के (ए) व (बी) जैसा ही तकनिकी ग्रेड-बी में ८ वर्षों का अनुभव		विभिन्न श्रेणी के नर्सों का १०/२०/३२/५०/१०० बिस्तर वाले अस्पतालों में पदस्थापन बाद में एक सब कमिटी की अनुशंसा पर किया जायगा।
३.	सिनियर स्टाफ नर्स	तकनिकी ग्रेड-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	क्रम सं० २ के (ए) की तरह	तकनिकी ग्रेड-सी में ५ वर्षों का अनुभव	

१	२	३	४	५	६
४.	सिस्टर-इन-चार्ज/मेट्रन	तकनिकी ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	(ए) क्रम सं० २ के (ए) की तरह (बी) मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट से नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र	तकनिकी ग्रेड-बी में ५ वर्षों का अनुभव	

द्रष्टव्य : तकनिकी ग्रेड-डी में वर्तमान नर्सें जिनके पास 'ए' ग्रेड नर्सिंग का प्रमाण-पत्र नहीं है तथा उनके पास निम्न प्रकार से अनुभव है :—

मैट्रिक—७ वर्ष

नन-मैट्रिक—१० वर्ष

और जो निर्धारित योग्यता प्राप्त करने में अक्षम हैं वे तकनिकी ग्रेड-'सी' में प्रोमोशन के पात्र हो जायंगे बशर्ते वे कम्पनी द्वारा संचालित जाँच/परीक्षा में सफल हो जाते हैं।

———

२. स्टैण्डरडाइजेशन (एकरूपता) कमिटी

क्रियान्वयम आदेश सं० ४२ दिनांक १६-३-१९८५

ई. वरीय (सिनियर) कर्मचारियों के वेतन निर्धारण से उत्पन्न विषमता

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. की स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की १४ मार्च, १९८५ को बैठक में उपरोक्त सवाल पर विचार किया गया। कमिटी द्वारा लिये गये फैसलों को इसके साथ के परिशिष्ट-ए में दिया जा रहा है।

प्रबन्धनों से उक्त फैसलों को लागू करने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया गया है।

———

परिशिष्ट—ए

विषय : **कैडर स्कीम के एक ही सिनियरी सूची के अन्तर्गत आने वाले सिनियर कर्मचारियों के वेतन निर्धारण से उत्पन्न विषमता, क्योंकि उन्हें जुनियरों से भी कम वेतन मिलता है।**

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की १४-३-१९८५ को हुए बैठक में उपरोक्त सवाल पर विचार किया गया। ऐसा देखा गया था कि एक ही कैडर में उसी सिनियरिटी सूची तथा उसी वेतनमान के अन्तर्गत आनेवाले कर्मचारियों में जो सिनियर हैं उन्हें वेतन निर्धारण में अपने से जुनियर से भी जिनका १-१-१९८३ (एन. सी. डब्लू. ए.-३ लागू करने) के बाद प्रोमोशन हुआ है, से भी कम स्तर पर वेतन निर्धारण हुआ है, यद्यपि उक्त सिनियर कर्मचारी अपने पदोन्नति से पहले एन. सी. डब्लू. ए.-२ के तहत अपने सम्बन्धित जुनियरों से अधिक अथवा उनके समान ही वेतन पाते थे। यह निर्णय हुआ कि इस तरह के व्यक्तिगत मामलों की जाँच की जायगी और जहाँ इस प्रकार की विषमता पायी जायगी वहाँ सिनियर कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित जुनियर कर्मचारी के वेतनमान के बराबर उस दिन से की जायगी जिस दिन से जुनियरों का प्रोमोशन हुआ है अथवा १-१-१९८३ के बाद से जब से इस तरह की विसंगति उत्पन्न हुई है। यह सुनिश्चित किया जायगा कि इस विषमता को दूर करने के लिये कोई कदम उठाने से पहले जो प्रारंभिक शर्तें हैं उन्हें पूरी की जा चुकी हैं।

क्रियान्वयन आदेश सं० ४३ दि० १६-३-१६८५

एफ. टेलीकम्युनिकेशन कार्मिकों का कार्य-विवरण एवं वर्गीकरण

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. की स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की १४ व १५ मार्च, १६८५ को हुए बैठक में टेलीकम्युनिकेशन कार्मिकों के कार्य-विवरण तथा वर्गीकरण के सम्बन्ध में वार्त्ता हुई और उनपर निर्णय लिया गया जो इसके साथ परिशिष्ट-१ में दिया जा रहा है। यह अविलम्ब लागू हो जायगा।

प्रबन्धनों से इन्हें लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया है।

———

परिशिष्ट-१

टेलीकम्युनिकेशन कार्मिकों का वर्गीकरण एवं कार्य-विवरण

क : तर्कनिशियन कैटेगरी :

(अ) टेली-कम-टेकनिशियन

१. **टेली-कम मेकैनिक (तकनीकी ग्रेड-डी)**

विभिन्न किस्मों के टेलीफोन एक्सचेंज तथा टेलीफोनों की टेस्टिंग (जाँच), मरम्मत एवं रख-रखाव करना। बैटरी चार्जिंग करना। विद्युत आपूर्ति के तौर-तरीकों की मरम्मत तथा रख-रखाव करना।

२. **असिस्टेंट फोरमैन टेलीकम (तकनीकी ग्रेड-सी)**

विभिन्न प्रकार के टेलीफोन एक्सचेंज एवं टेलीफोनों की मरम्मत, जाँच (टेस्टिंग) तथा रख-रखाव करना। बैटरी चार्जिंग करना। विद्युत आपूर्ति के तौर-तरीकों की मरम्मत तथा रख-रखाव करना। समय-समय पर नियोजित होने (काम में लगाये जाने) वाले अन्य इलेक्ट्रोनिक पद्धति की स्थापना (इन्स्टालेशन) तथा रख-रखाव में भी वह सहायता करेगा।

३. **फोरमैन (ई. एण्ड टी.) (तकनिकी ग्रेड-बी)**

सर्फेस तथा अण्डरग्राउण्ड दोनों में सभी प्रकार के कम्युनिकेशन (संचार) एवं इलेक्ट्रोनिक्स प्रणाली की स्थापना तथा चालू करना एवं उनकी दैनिक इन्जीनियरी, रख-रखाव एवं मरम्मत आदि का भार सम्भालना/सुपरवाइजरी (पर्यवेक्षण सम्बन्धी) कार्य करना तथा किसी भी संचार व इलेक्ट्रोनिक्स यंत्रों के निवारक रख-रखाव/ मरम्मत के कामों का समन्वय रखना एवं प्रशिक्षण इन्स्टीच्यूट में शिक्षण सम्बन्धी कार्य करना।

४. **फोरमैन-इन-चार्ज (ई. एण्ड टी.) (तकनिकी ग्रेड-ए)**

अपने से वरिष्ठों के अधीन निर्दिष्ट कार्यों को करने हेतु नियोजित विभिन्न कर्मचारियों तथा उनके सुपरवाइजरी ड्यूटी के सम्पादन में मदद पहुँचाना। टेलीकम वर्कशाप तथा प्लानिंग की देखभाल करना एवं मरम्मत के कामों का समन्वय बनाये रखना। ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट (प्रशिक्षण शाला) में शिक्षण सम्बन्धी कार्यों को करना।

(ब) रेडिओ तकनिशियन :

५. **रेडिओ मेकैनिक (तकनिकी ग्रेड-डी)**

सभी तरह के वायरलेस सेटों और उनके एन्टिनाओं की जाँच (टेस्टिंग), मरम्मत तथा रख-रखाव करना। बैटरी चार्जिंग करना तथा विद्युत आपूर्ति पद्धति की मरम्मत/रख-रखाव करना।

६. **असिस्टेंट फोरमैन रेडिओ (तकनिकी ग्रेड-सी)**

सभी तरह के वायरलेस सेटों और उनके एण्टिनाओं की टेस्टिंग (जाँच), मरम्मत तथा रख-रखाव करना। बैटरी चार्जिंग एवं विद्युत आपूर्ति पद्धति की मरम्मत/रख-रखाव करना। वह मल्टी-चैनेल भी. एच. एफ./यू. एच. एफ. पद्धति के लाइनिंग तथा रख-रखाव के कामों में सहायता करेगा।

७. **फोरमैन (ई. एण्ड टी.) (तकनिकी ग्रेड-बी)**

सर्फेस तथा अण्डरग्राउण्ड दोनों में सभी प्रकार के कम्युनिकेशन (संचार) एवं इलेक्ट्रोनिक्स प्रणाली को स्थापित तया चालू करना एवं उनकी दैनिक इन्जीनियरी, रख-रखाव एवं मरम्मत आदि का भार सम्भालना। सुपरवाइजरी (पर्यवेक्षण सम्बन्धी) कार्य करना तथा किसी भी संचार व इलेक्ट्रोनिक्स यन्त्रों के निवारक मरम्मत/रख-रखाव के कामों में समन्वय रखना, प्रशिक्षण इन्स्टीच्यूट में शिक्षण सम्बन्धी कार्य करना।

८. **फोरमैन-इन-चार्ज (ई. एण्ड टी.) (तकनिकी ग्रेड-ए)**

अपने से वरिष्ठों के अधीन निर्दिष्ट कार्यों को करने हेतु नियोजित विभिन्न कर्मचारियों को ड्युटी निर्धारित करने तथा उसके सुपरवाइजरी ड्युटी के सम्पादन में मदद पहुँचाना। टेलीकम वर्कशाप तथा प्लानिंग की देख-भाल करना एवं मरम्मत के कामों का समन्वय बनाये रखना। ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट में शिक्षण कार्यों को करना।

ख : आपरेटर कैटेगरी :

(अ) वायरलेस

९. **वायरलेस आपरेटर (तकनिकी ग्रेड-डी)**

सी. डब्लू. अथवा आर. टी. मोड पर सभी तरह के रेडिओ/वायरलेस पद्धति को आपरेट करना। रेडिओ/वायरलेस सेटों, ऐरियलों,

बैटरियों पर सरल रख-रखाव का कार्य करना। विभिन्न कार्यकारी कागजातों को रखना (मेन्टेन करना)। किसी संचार केन्द्र में काउन्टर क्लर्क का कार्य करना।

१०. **सिनियर वायरलेस आपरेटर ग्रेड-२ (तकनिकी ग्रेड-सी)**

अपने खुद के व्यावसायिक (ट्रेड के) कार्यों में प्रवीण होने के साथ ही उन्हें किसी भी संचार पद्धति का संचालन करना पड़ सकता है तथा कार्य सम्बन्धी विभिन्न कागजात रखना पड़ेगा।

११. **सिनियर वायरलेस आपरेटर ग्रेड-१ (तकनिकी ग्रेड-बी)**

उसे अपने खुद के व्यावसायिक (ट्रेड के) कार्यों में प्रवीण (निपुण) होने के साथ ही साथ, उसे उच्चतर गति से वायरलेस संवाद भेजना (संप्रेषण) तथा प्राप्त करना होगा एवं टेलीफोन एक्सचेंज संभालना तथा टेलीप्रिंटर आपरेट करना पड़ेगा। उसे ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट में अपने ट्रेड का शिक्षण कार्य चलाने में सक्षम होना होगा।

१२. **असिस्टेंट सुपरवाइजर टेलीकम (तकनिकी ग्रेड-बी)**

इन्हें अपने ट्रेड के कामों को करने में दक्ष होने के साथ-ही-साथ टेलीफोन एक्सचेंज तथा टेलीप्रिंटर के संचालन का जानकार होना होगा। वह एक शिफ्ट का इन्चार्ज होगा तथा किसी भी संचार पद्धति का संचालन करेगा एवं विभिन्न कार्यकारी कागजातों को मेन्टेन करेगा (रखेगा) और ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट में प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों को करेगा। किसी भी संचार केन्द्र अथवा टेलीफोन एक्सचेंज में ट्राफिक कन्ट्रोल ड्युटी में प्रवीण (दक्ष) होना होगा, संचार केन्द्र/टेलीफोन एक्सचेंज के विभिन्न प्रकार के कागजातों तथा आंकड़ों को रखेगा। सभी ट्रान्समिशन सिस्टम (प्रेषण पद्धति) के कार्यकारी दक्षता के लिये वह जिम्मेवार होगा एवं जब कभी आवश्यक होगा उसे विभिन्न संचार पद्धतियों का संचालन करना पड़ेगा। जब कभी टेलीफोन एक्सचेंज में काम करेगा तब पी. एण्ड टी. (पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ) के साथ सम्पर्क बनाये रखेगा एवं ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट (प्रशिक्षण संस्थान) में शिक्षण सम्बन्धी कार्यों को करेगा।

१३. **सुपरवाइजर टेलीकम (तकनिकी ग्रेड-ए)**

किसी भी संचार पद्धति (कम्युनिकेशन सिस्टम) के संचालन के लिये

वह शिफ्ट (पाली) का इन्चार्ज होगा तथा विभिन्न संचालन कागजातों को रखेगा। ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट में प्रशिक्षक का कार्य करेगा। किसी भी संचार केन्द्र अथवा टेलीफोन एक्सचेंज में ट्राफिक कन्ट्रोल ड्युटी में उसे प्रवीण होना होगा, संचार केन्द्र/टेलीफोन एक्सचेंज के विभिन्न प्रकार के कागजातों तथा आंकड़ों (स्टैटिस्टिक्स) को रखेगा। सभी ट्रान्समिशन सिस्टम (प्रेषण पद्धति) के कार्यकारी दक्षता के लिये वह जिम्मेवार होगा एवं जब कभी आवश्यक होगा विभिन्न संचार पद्धतियों का संचालन करेगा। जब कभी टेलीफोन एक्सचेंज में काम करेगा तब पी. एण्ड टी. (पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ) के साथ सम्पर्क बनाये रखेगा। संचार केन्द्र के योजना एवं स्थायी आदेश (स्टैंडिंग आर्डर) बनाने, विभिन्न आपरेटर कैटेगरी, ट्रेडसमैन तथा प्रशिक्षण विषय पर नीति निर्धारण में वह अपने से वरिष्ठों की सहायता करेगा।

(ब) **रेडिओ टेलीफोन :**

१४. **आर. टी. आपरेटर (तकनिकी ग्रेड-डी)**

किसी भी प्रकार के रेडिओ/वायरलेस सेट को आर. टी. मोड पर संचालन (आपरेट) करेगा। रेडिओ/वायरलेस सेटों, ऐरियल, बैटरी तथा बैटरी चार्जरों का सरल रख-रखाव का कार्य करेगा। जब आवश्यक होगा एक सम्पूर्ण चलता-फिरता (मोबाइल) स्टेशन तैयार कर लेगा। संवादों को पहुंचाने, प्राप्त करने तथा ट्रान्समिशन से सम्बन्धित सभी वायरलेस/रेडिओ कागजातों (डाकुमेंटों) को रखेगा।

१५. **सिनियर आपरेटर ग्रेड-२ (तकनिकी ग्रेड-सी)**

उसे अपने खुद के ट्रेड (व्यावसायिक कार्यों) में प्रवीण होने के साथ ही साथ उसे टेलीफोन एक्सचेंज तथा टेलीप्रिंटर के कार्य का जानकार होना होगा एवं किसी भी संचार पद्धति का संचालन करेगा और विभिन्न कार्यकारी कागजातों को रखेगा (मेन्टेन करेगा)।

१६. **सिनियर आपरेटर ग्रेड-१ (तकनिकी ग्रेड-बी)**

उसे अपने खुद के ट्रेड के (व्यावसायिक) कार्यों में प्रवीण (निपुण) होने के अलावा उसे टेलीफोन एक्सचेंज एवं टेलीप्रिंटर का जानकार होना होगा। वह एक शिफ्ट का इन्चार्ज होगा तथा किसी भी संचार

पद्धति का संचालन करेगा एवं विभिन्न कार्यकारी कागजातों को रखेगा। ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट में प्रशिक्षक का कार्य करेगा, किसी भी संचार केन्द्र अथवा टेलीफोन एक्सचेंज में ट्राफिक नियन्त्रण का कार्य करेगा और संचार केन्द्र/टेलीफोन एक्सचेंज के विभिन्न कागजातों तथा सांख्यिकी (स्टैटिस्टिक्स) को रखेगा। सभी संचार पद्धति के कार्यकारी दक्षता के लिये वह जिम्मेवार होगा तथा जब कभी आवश्यक होगा विभिन्न संचार पद्धतियों का संचालन करेगा। जब टेलीफोन एक्सचेंज में कार्य करता हो तब पी. एण्ड टी. (पोस्ट एवं टेलीग्राफ विभाग) के साथ सम्पर्क रखेगा।

(स) **टेलेक्स/टेलीप्रिंटर :**

१७. **टेलेक्स/टी. पी. आपरेटर (तकनिकी ग्रेड-डी)**

टी. पी./टेलेक्स को आपरेट करेगा एवं उनके संचालन से सम्बन्धी सभी रेकार्डों को रखेगा। टी. पी./टेलेक्स लाइन युनिट, बैटरी, बैटरी चार्जर, भी. एफ. टी. फाल्ट कन्ट्रोल के फाल्ट की प्रगति के रख-रखाव का कार्य करेगा।

१८. **सिनियर आपरेटर ग्रेड-२ (तकनिकी ग्रेड-सी)**

उसे अपने खुद के व्यावसायिक (ट्रेड के) कार्यों में प्रवीण होने के साथ ही साथ टेलीफोन एक्सचेंज के संचालन का जानकार होना होगा। वह एक शिफ्ट का इन्चार्ज होगा तथा किसी भी संचार पद्धति का संचालन करेगा एवं विभिन्न कार्यकारी कागजातों को रखेगा। ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट में प्रशिक्षक का कार्य करेगा।

१९. **सिनियर आपरेटर ग्रेड-१ (तकनिकी ग्रेड-बी)**

उसे अपने खुद के व्यावसायिक (ट्रेड के) कार्यों में प्रवीण होने के साथ ही साथ उसे टेलीफोन एक्सचेंज के संचालन का जानकार होना जरूरी है। वह एक शिफ्ट का इन्चार्ज होगा और किसी भी संचार पद्धति का संचालन करेगा एवं विभिन्न कार्यकारी कागजातों को रखेगा। ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट में प्रशिक्षक का कार्य करेगा तथा किसी भी संचार केन्द्र अथवा टेलीफोन एक्सचेंज में उसे ट्राफिक नियंत्रण ड्युटी भी करना पड़ेगा। उसे विभिन्न प्रकार के संचार केन्द्र/टेलीफोन एक्सचेंज के कागजातों एवं सांख्यिकी (स्टैटिस्टिक्स)

को रखेगा। सभी प्रेषण पद्धतियों के कार्यकारी दक्षता के लिये वह जिम्मेवार होगा तथा जब कभी आवश्यक होगा, विभिन्न संचार पद्धतियों का संचालन करेगा। जब टेलीफोन एक्सचेंज में कार्य करेगा तब पी. एण्ड टी. (पोस्ट एवं टेलीग्राफ विभाग) के साथ सम्पर्क रखेगा।

(द) टेलीफोन :

२०. **टेलीफोन आपरेटर (तकनिकी ग्रेड-डी)**

किसी भी स्तर पर सर्फेस अथवा अण्डरग्राउण्ड के किसी प्रकार के एक्सचेंज का संचालन करेगा। एक्सचेंज, एम. डी. एफ., बैटरी तथा बैटरी चार्जरों के साधारण रख-रखाव के कार्यों को करेगा।

२१. **सिनियर आपरेटर ग्रेड-२ (तकनिकी ग्रेड-सी)**

उसे अपने खुद के व्यावसायिक (ट्रेड से सम्बन्धी) कार्यों में प्रवीण (कुशल) होने के साथ ही साथ उसे टेलीप्रिंटर के संचालन का जानकार होना होगा। किसी भी संचार पद्धति को आपरेट करेगा तथा विभिन्न कार्यकारी कागजातों को रखेगा।

२२. **सिनियर आपरेटर ग्रेड-१ (तकनिकी ग्रेड-बी)**

उसे अपने खुद के व्यावसायिक (ट्रेड के) कार्यों में प्रवीण होने के साथ ही साथ उसे टेलीप्रिंटर आपरेशन का भी जानकार होना होगा। उसे किसी भी संचार पद्धति का संचालन करना होगा और विभिन्न कार्यकारी कागजातों को रखना पड़ेगा। ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट में प्रशिक्षक का कार्य करेगा, किसी भी संचार केन्द्र अथवा टेलीफोन एक्सचेंज में ट्राफिक कन्ट्रोल ड्युटी करेगा एवं विभिन्न प्रकार के संचार केन्द्र/टेलीफोन सम्बन्धी कागजातों तथा सांख्यिकी (स्टैटिस्टिक्स) को रखेगा। सभी संचार पद्धतियों के कार्यकारी दक्षता के लिये वह उत्तरदायी होगा तथा जब कभी आवश्यक होगा सभी संचार पद्धतियों का संचालन करेगा। जब टेलीफोन एक्सचेंज में कार्यरत होगा तब पी. एण्ड टी. (पोस्ट एवं टेलीग्राफ विभाग) के साथ सम्पर्क बनाये रखेगा।

(ई) लाइनमैन कैटेगरी :

२३. **हेल्पर ट्रेनी (कैटेगरी-१)**

लाइन स्टोर्स (सामान), टूल्स, टैकल्स इत्यादि ढोना तथा लाइनमैन

कैटेगरी के श्रमिक अथवा तकनिशियन कैटेगरी के श्रमिकों के साथ काम करेगा। 'कार्य पर प्रशिक्षण' तरीका द्वारा विभिन्न प्रकार के माइनिंग टेलीकम-केबुल को अण्डरग्राउण्ड में अथवा सर्फेस पर बैठाने का काम, विभिन्न केबुल स्टोर्स के व्यवहार, उसे जोड़ने तथा टेलीफोन की जाँच करना सीखना।

प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष के लिये होगी।

२४. **हेल्पर (कैटेगरी-२)**

केबुल बैठाने एवं केबुल के मरम्मत करने में असिस्टेंट लाइनमैन/सिनियर लाइनमैन की सहायता करना। रख-रखाव के कार्य में तकनिशियनों की सहायता करना।

२५. **लाइनमैन (कैटेगरी-४)**

अण्डरग्राउण्ड में अथवा सर्फेस पर किसी भी तरह के केबुल/ओभरहेड लाइन जिसका उपयोग तार संचार व्यवस्था एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक पद्धतियों में किया जाता है, को बैठाने, स्थापित करने, हटाने एवं जोड़ने का काम करना। केबुल्स व ओभरहेड लाइनों का रूटीन रख-रखाव एवं उनकी मरम्मत करना। प्रेषण क्षमता के लिये उसे सभी प्रकार के टेलीफोनों, सभी केबुल्स तथा ओभरहेड लाइनों की जाँच तथा साधारण दोषों को मरम्मत करना पड़ेगा।

२६. **सिनियर लाइनमैन (तकनिकी ग्रेड-डी)**

अण्डरग्राउण्ड में अथवा सर्फेस पर किसी भी तरह के केबुल/ओभरहेड लाइन जिसका उपयोग तार संचार व्यवस्था एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक पद्धतियों में किया जाता है, को बैठाने, स्थापित करने, हटाने एव जोड़ने का काम करना। केबुल्स व ओभरहेड लाइनों का रूटीन रख-रखाव एवं उनकी मरम्मति करना। उसे सभी प्रकार के टेलीफोनों की जाँच एवं साधारण दोषों को मरम्मत करना पड़ेगा, प्रेषण क्षमता के लिये सभी केबुल्स और ओभरहेड लाइनों की जाँच करेगा तथा सभी लाइन भण्डार का हिसाब रखने के साथ ही साथ किसी भी इकाई का केबुल तथा ओभरहेड लाइन का सर्वे प्लान बनायगा एवं उनपर कार्य करेगा।

२७. **सुपरवाइजर लाइन्स (तकनिकी ग्रेड-सी)**

अण्डरग्राउण्ड में अथवा सर्फेस पर किसी भी तरह के केबुल/ओभरहेड लाइन जिनका प्रयोग तार संचार व्यवस्था एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक पद्धतियों में किया जाता है, को बैठाने, स्थापित करने, हटाने एवं जोड़ने का काम करेगा। केबुल्स और ओभरहेड लाइनों का रूटीन (समयबद्ध) रख-रखाव तथा उनकी मरम्मति करेगा। सभी प्रकार के टेलीफोनों की जाँच तथा साधारण फाल्टों (दोषों) की मरम्मत करेगा एवं प्रेषण दक्षता के लिये सभी केबुल्स और ओभरहेड लाइनों की जाँच करेगा। वह केबुल्स को तैयार करेगा तथा उसे ले जायगा एवं किसी युनिट (इकाई) के लिये ओभरहेड लाइनों का सर्वे के साथ ही साथ सभी लाइन भण्डारों का हिसाब रखेगा। ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट में प्रशिक्षक का कार्य करेगा। उसे लाइन बनाने तथा रख-रखाव सम्बन्धी निरोधक गतिविधि की देख-भाल, उसका समन्वय एवं उसकी योजना तैयार करनी चाहिए।

———

क्रियान्वयन आदेश सं० ५१ दि० २६-८-१९८५

जी. एक्सकैवेशन श्रमिकों की ग्रूपिंग, कार्य-विवरण इत्यादि।

संदर्भ : जे. बी. सी. सी. आई. कार्यालय पत्रांक एन. सी. डब्लू ए.-३ (क्रि० आ० सं० १६/८४)/१९२ दिनांक २२-२-१९८४

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. के स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की १८ एवं १९ जून, १९८५ को हुए १६वें बैठक में एक्सकैवेशन पर कार्यकारी दल (वर्किंग ग्रूप) की रिपोर्ट पर वार्त्तालाप हुई एवं उसकी मंजूरी दी गयी। २२ एवं २३ अगस्त, १९८५ को हुए १७वें बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में निम्नानुसार क्रियान्वयन आदेश जारी कर दिया जाय।

१. यह राजीनामा हुआ कि स्पेशल ग्रेड में स्पेशल ग्रेड सिनियर डम्पर आपरेटर का एक पद गठित किया जाय (सृजन हो) जिसका कार्य-विवरण निम्न प्रकार होगा :

'स्पेशल ग्रेड

स्पेशल ग्रेड सिनियर डम्पर आपरेटर-स्पेशल ग्रेड

एक अति उच्च कुशल श्रमिक जिसे कोयला को इधर से उधर करने वाले (हॉलर) के हेभी ड्यूटी हाइवे डम्पर आपरेट करने का दस वर्ष से कम का अनुभव नहीं हो और जिसमें उसके नीचे के ग्रेड (अर्थात् ग्रूप-ए) का कम-से-कम तीन वर्षों का अनुभव रहना ही चाहिये। उसे १२० टन तथा उससे अधिक की क्षमता वाले वैसे यंत्रों को चलाना (आपरेट करना) पड़ेगा। उसे बिजली सर्किट सहित उन मशीनों के यांत्रिकी की सामान्य जानकारी (ज्ञान) होनी ही चाहिये और उसे छोटा-मोटा रख-रखाव तथा चालू मरम्मत का काम अपने जिम्मे लेना चाहिये। उसे हेभी ड्युटी गाड़ी चलाने हेतु पृष्ठांकित वैध लाइसेन्सधारी होना चाहिये।

उसके लिये कम-से-कम मैट्रिक पास होना वांछनीय है।'

२. यह भी राजीनामा हुआ कि बरकाकाना तथा कोरबा के केन्द्रीय वर्कशाप में जहाँ नया भारी विद्युतीय उपकरण (संयंत्र) बैठाये गये हैं खास करके इन्हीं जगहों के लिये एक मास्टर आर्मेचर वाइण्डर

(हेभी इलेक्ट्रिकल शॉप) ग्रेड-ए का पद सृजित किया जाय, जिसका कार्य-विवरण निम्न प्रकार होगा :—

"मास्टर आर्मेचर वाइण्डर (हेभी इलेक्ट्रिकल शॉप) ग्रेड-ए

एक अति कुशल श्रमिक जो सभी प्रकार के मोटर, जेनरेटर, ट्रान्सफार्मर, मैग्नेटिक, सेपरेटर्स, एम्प्लीडायन एवं किसी भी तरह के बिजली सम्बन्धी यंत्रादि के डिजाइन बनाने तथा वाइण्डिंग करने का कम-से-कम १२ वर्षों का अनुभव प्राप्त है, जिसमें तीन वर्ष उसके नीचले ग्रेड अर्थात् ग्रूप-'बी' में काम किया हो। वह सभी प्रकार के अवयवों एवं अत्यन्त उलझे हुए विद्युतीय उपस्करों (हाइली साफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रिकल एसेम्बली) के हेभी अर्थ मूविंग मशीनरी व यंत्रों तथा सभी प्रकार के स्टार्टर, स्विच, रिले और सभी तरह के ए. सी. / डी. सी. मोटर, जेनरेटर, ट्रान्सफार्मर तथा दूर संचार (कम्युनिकेशन) उपकरणों इत्यादि के मरम्मत, ओभरहालिंग/रिवाइण्डिंग के काम में लगा हो तथा वैसा काम करने की जिम्मेवारी लेने में सक्षम हो। उसमें विभिन्न प्रकार के आवश्यक जाँचों की बुनियादी जानकारी होनी चाहिये और उसके लिये उसे स्वतंत्रता-पूर्वक सर्किट चित्र डायग्राम बनाने में सक्षम होना चाहिये। उसे अपने कार्य के उपयुक्त विभिन्त प्रकार के क्रायल बनाने में सक्षम होना चाहिये तथा अन्य लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में मार्गदर्शन करना चाहिये। उसे स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने में सक्षम होना होगा तथा अपने से जुनियर (कनिष्ठ) कर्मचारियों को मरम्मत के काम में मार्गदर्शन करेगा।

उसके लिये मैट्रिक पास होना वांछनीय होगा।"

३. आगे यह निर्णय हुआ कि क्रियान्वयन आदेश सं० १६ (द्वारा पत्र संख्या एन. सी. डब्लू. ए.-३ (क्रि० आ० सं० १६/८४/१९२) दिनांक २२ फरवरी, १९८४ अर्थात् उसी दिन याने २२-२-१९८४ जिस दिन सदस्य सचिव जे. बी. सी. सी. आई-३ द्वारा उक्त परिपत्र प्रसारित किया गया।

४. प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि वे उपरोक्त फैसलों को अविलम्ब लागू करने हेतु कदम उठावें।

———

क्रियान्वयन आदेश सं० ५६ दि० १७-१२-१९८५

एच टेली-कम्युनिकेशन कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. की स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की १४ एवं १५ मार्च, १९८५ को हुए अपने बैठक में टेली-कम्युनिकेशन कार्मिकों के वर्गीकरण एवं कार्य-विवरण पर वार्त्तालाप किया गया और उसे अन्तिम रूप दिया गया एवं उसे कार्यालय पत्र संख्या एन. सी. डब्लू. ए.-३ (क्रि० आ० सं० ४३ / ८५) / १५७४ दिनांक १९ मार्च, १९८५ के द्वारा क्रियान्वयन आदेश सं० ४३ के रूप में प्रसारित किया गया।

२. टेलीकम्युनिकेशन कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम पर स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की बाद में हुए विभिन्न बैठकों में वार्त्ताएँ हुईं और अन्ततः १० दिसम्बर, १९८५ को हुए बैठक में उसे अन्तिम रूप दिया गया। यह भी राजीनामा हुआ कि तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. के सदस्य सचिव टेलीकम्युनिकेशन कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम से सम्बन्धित क्रियान्वयन आदेश जारी कर सकते हैं।

३. तदनुसार टेलीकम्युनिकेशन कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

(क) टेलीकम्युनिकेशन कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम हेतु द्रष्टव्य : परिशिष्ट-१३

(ख) **टेकनिशियन कैटेगरी :**

टेलीकम्युनिकेशन/रेडिओ मेकैनिक से फोरमैन-इन-चार्ज (ई. एण्ड टी.) : परिशिष्ट-१३-१

(ग) **आपरेटर कैटेगरी :**

१) वायरलेस आपरेटर से सिनियर वायरलेस आपरेटर ग्रेड-१ : परिशिष्ट-१३-२

२) आपरेटर आर. टी./टी. एल. एक्स./टी. पी. से सिनियर आपरेटर आर.टी./टी.एल.एक्स./टी.पी. ग्रेड-१ : परिशिष्ट-१३-३

३) टेलीफोन आपरेटर से
सिनियर टेलीफोन आपरेटर ग्रेड-१ : परिशिष्ट-१३-४

४) असिस्टेंट सुपरवाइजर (टेली-कॉम) से
सुपरवाइजर (टेली-कॉम) : परिशिष्ट-१३-५

(घ) **लाइनमैन कैटेगरी :**

हेल्पर ट्रेनी से सुपरवाइजर लाइन्स : परिशिष्ट-१३-६

४. यह द्रष्टव्य हो कि इस कैडर स्कीम के लागू हो जाने के साथ ही साथ इस विषय पर के वर्तमान सभी आदेश व निर्देश रद्द समझे जायेंगे।

५. प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि वे इस स्कीम को अविलम्ब लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठायें।

———

कैडर स्कीम सं० १३

टेलीकम्युनिकेशन कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

१. **संक्षिप्त नाम, वर्गीकरण एवं विस्तार :**

(अ) इस स्कीम को टेलीकम्युनिकेशन कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम के नाम से पुकारा जायगा।

(ब) यह स्कीम टेलीकम्युनिकेशन विभाग के सभी श्रमिकों पर लागू होगा, जिन्हें तीन वर्गों में वर्गीकृत (विभाजित) किया गया है :

(१) **टेकनिशियन कैटेगरी :**

टेलीकम्युनिकेशन / रेडिओ मेकैनिक से
फोरमैन-इन-चार्ज (ई. एण्ड टी.) : परिशिष्ट-१३-१

(२) **आपरेटर कैटेगरी :**

क) वायरलेस आपरेटर से सिनियर
वायरलेस आपरेटर ग्रेड-१ : परिशिष्ट-१३-२

ख) आपरेटर आर. टी /टी.एल.एक्स./
टी.पी. से सिनियर आपरेटर आर.
टी./टी.एल.एक्स.टी.पी. ग्रेड-१ : परिशिष्ट-१३-३

ग) टेलीफोन आपरेटर से सिनियर
टेलीफोन आपरेटर ग्रेड-१ : परिशिष्ट-१३-४

घ) असिस्टेंट सुपरवाइजर (टेली-कॉम)
से सुपरवाइजर (टेली-कॉम) : परिशिष्ट-१३-५

(३) **लाइनमैन कैटेगरी :**

हेल्पर ट्रेनी से सुपरवाइजर लाइन्स : परिशिष्ट-१३-६

२. **परिभाषा :**

इस स्कीम में यदि विषय अथवा संदर्भ के कुछ भी विरोध में नहीं हो तो :—

(अ) 'कम्पीटेन्ट औथोरिटी' (दक्ष प्राधिकार) का अर्थ कम्पनी का मुख्य पालक अथवा क्षेत्रीय महाप्रबन्धक (एरिया जेनेरल मैनेजर) जो भी हो अथवा समय-समय पर उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी ।

(आ) 'शैक्षणिक योग्यता' का अर्थ वह योग्यता जो कैडर स्कीम में निर्धारित किया गया है ।

(इ) 'सेवा' (सर्विस) का अर्थ उस सेवा से है जैसा कि आगे के परिशिष्टों में दर्शाया गया है ।

(ई) 'जाँच' (टेस्ट) का अर्थ लिखित / मौखिक / प्रायोगिक परीक्षा के जरिये हुनर निर्धारण के लिये स्तर का मूल्यांकन करना है जैसा कि समय-समय पर कैडर स्कीम में निर्धारित किया गया है ।

३. **प्रोमोशन का रास्ता :**

(क) टेली-कॉम कार्मिकों के विभिन्न कैटेगरियों के लिये प्रोमोशन का रास्ता जैसा कि आगे के परिशिष्टों में दिया गया है तदनुरूप होगा । उक्त परिशिष्टों में उम्मीदवारों के आगे के उच्च पद पर प्रोमोशन / चयन के लिये विचारार्थ पात्रता (योग्यता) जानने के उद्देश्य से समय-समय पर कैडर में सम्मिलित किये जाने वाले योग्यताओं तथा अनुभवों जैसा कि परिशिष्ट में दिया गया है, उसका निर्देश मात्र है ।

(ख) कैटेगरी-४ तक के पदों के लिये प्रोमोशन का क्षेत्र कोलियरी/इकाई होगा तथा उसके बाद तकनिकी ग्रेड-सी तक क्षेत्रीय सिनियरिटी एवं तकनिकी ग्रेड-बी व ए के लिये कम्पनी स्तर पर सिनियरिटी होगा ।

(ग) तकनिकी ग्रेड-'बी' तक के लिये प्रोमोशन का आधार वरीयता (सिनियरिटी)-सह-मेरिट (योग्यता) होगी तथा तकनिकी ग्रेड-'बी' से तकनिकी ग्रेड-'ए' के लिये योग्यता-सह-वरीयता होगी ।

४. **विभागीय प्रोमोशन कमिटी :**
(डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमिटी) :

उच्चतर कैटेगरियों में रिक्त पदों को भरने के लिये उम्मीदवारों का प्रोमोशन दक्ष प्राधिकार (कम्पीटेन्ट औथोरिटी) द्वारा उनके ही द्वारा नियुक्त विभागीय प्रोमोशन कमिटी की अनुशंसा पर किया जायगा ।

५. **सीधा बहाली :**

सीधा बहाली तभी किया जायगा यदि रिक्त पद भरने हेतु उपयुक्त विभागीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे ।

६. यह कैडर स्कीम कोल इण्डिया तथा इसकी सहायक कम्पनियों के संगठनात्मक ढाँचे के आधार पर बनाया गया है, इस्को, टिस्को एवं सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० को इस बात की छूट होगी कि वे अपने स्तर पर युनियन प्रतिनिधियों से बातचीत करके स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इनमें ऐसा संशोधन करें जो, इस स्कीम से नीचे नहीं हो, लागू करेंगे ।

७. इस स्कीम के लागू होने के दिन कार्यरत वर्तमान कार्मिकों को इस स्कीम के तहत लाया जायगा और उन्हें निम्न प्रकार से नियमित किया जायगा :—

(अ) जहाँ वेतनमान समान है, वहाँ पदनाम, इस स्कीम में दिये गये पदनाम के समरूप लाया जायगा ।

(ब) जहाँ पदनाम और वेतनमान इस स्कीम के समरूप है वहाँ कार्य-विवरण जिस प्रकार निर्णय किया गया है उसी तरह लागू होगा ।

(स) उपयुक्त बदलाव प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा करने के उपरान्त मेकैनिक्स/इलेक्ट्रिशियन जो कैटेगरी-५ में हो सकते हैं उन्हें तकनिकी ग्रेड-डी में तथा जो कैटेगरी-६ में उन्हें तकनिकी-सी में पदस्थापित किया जायगा ।

८. **संशोधन एवं रद्द इत्यादि :**

इस विभाग के लिये यदि वर्तमान में कोई कैडर स्कीम होगा तो वह इस स्कीम के लागू होने के साथ-ही-साथ अप्रभावी हो जायगा ।

———

टेलीकम्युनिकेशन कार्मिकों के प्रोमोशन का रास्ता

टेली-कम्युनिकेशन/रेडिओ मेकैनिक से फोरमैन इन्चार्ज (ई. एवं टी.)

क्रम संख्या १	पदनाम २	कैटेगरी/वेतन स्केल ३	निम्नतम योग्यता शैक्षणिक/तकनिकी ४	प्रोमोशन के लिये पात्रता ५	चयन/प्रोमोशन का तरीका ६
१.	टेली-कम/रेडिओ मेकैनिक	तकनिकी-डी रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	१) १०+२ योजना के तहत १०वीं स्तर तक/मैट्रिक अथवा समकक्ष २) १०+२ योजना के तहत १०वीं स्तर तक/मैट्रिक अथवा समकक्ष के साथ इलेक्ट्रोनिक्स/समकक्ष में डिप्लोमा।	१) कम्पनी का कोई भी स्थायी कर्मचारी जो कैटेगरी-४/तकनिकी सुपरवाइजरी 'ई' में १ वर्ष या इससे अधिक कार्य किया है तथा टेलीकम क्षेत्र में काम करने में रुचि रखता है अथवा २) कम्पनी का कोई भी स्थाई कर्मचारी	योग्यता जाँच व्यावसायिक जाँच
१	२	३	४	५	६
२.	असिस्टेंट फोरमैन टेली-कम/रेडिओ	तकनिकी-'सी' रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	असिस्टेंट फोरमैन कैडर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	तकनिकी ग्रेड-'डी' में टेलीकम / रेडिओ मेकैनिक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव	डी. पी. सी.
३.	फोरमैन (ई. व टी.)	तकनिकी-'बी' रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	फोरमैन (ई. व टी.) कैडर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	तकनिकी - सी में असिस्टेंट फोरमैन टेलीकम / रेडिओ के रूप में तीन वर्षों का अनुभव	डी. पी. सी.
४.	फोरमैन-इन-चार्ज (ई. व टी.)	तकनिकी-'ए' रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	फोरमैन-इन-चार्ज कैडर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	तकनिकी - 'बी' में फोरमैन (ई. व टी) के रूप में ३ वर्षों का अनुभव	डी. पी सी.

द्रष्टव्य : १) टेलीकम/रेडिओ मेकैनिक पद पर तकनिकी-'डी' के लिये चुने गये अभ्यर्थियों का अपना ही कैटेगरी/ट्रेड तथा पदनाम उस समय तक चालू रहेगा जब तक प्रबन्धन द्वारा व्यवस्था किये गये मेकैनिक में परिवर्तन हेतु तीन वर्ष का

कोर्स सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर लेते । उक्त कोर्स के पूरा कर लेने पर सफल उम्मीदवारों को टेलीकम/रेडिओ मेकैनिक में पदस्थापित किया जायगा और उन्हें उपयुक्त स्थान पर निर्धारित किया जायगा ।

२) तकनिकी-'डी' में टेलीकम/रेडिओ मेकैनिक तीन वर्ष काम करने के बाद असिस्टेंट फोरमैन टेली-कम/रेडिओ पद के लिये प्रबन्धन द्वारा प्रायोजित ६ महीने की अवधि का असिस्टेंट फोरमैन कैडर कोर्स करने के योग्य हो जायेंगे । उक्त कोर्स के पूरा होने के उपरान्त सफल अभ्यर्थी तकनिकी-'सी' में असिस्टेंट फोरमैन टेलीकम/रेडिओ के रूप में प्रोमोशन हेतु योग्य हो जायेंगे ।

३) तकनिकी-'सी' में असिस्टेंट फोरमैन टेली-कम/रेडिओ, तीन वर्ष काम करने के बाद फोरमैन (ई. व टी.) पद के लिये प्रबन्धन द्वारा प्रायोजित एक वर्ष की अवधि का फोरमैन (ई. व टी) कैडर कोर्स में जाने के योग्य हो जायेंगे । उक्त कोर्स के पूरा होने के उपरान्त सफल अभ्यर्थी तकनिकी-'बी' में फोरमैन (ई. व टी.) के रूप में प्रोमोशन के लिये योग्य हो जायेंगे ।

४) फोरमैन (ई. व टी.) तकनिकी-'बी' में तीन वर्ष काम करने के बाद फोरमैन-इन-चार्ज (ई. व टी.) पद के लिये प्रबन्धन द्वारा प्रायोजित ६ महीने की अवधि का फोरमैन-इन-चार्ज कैडर कोर्स में जाने के योग्य हो जायेंगे । उक्त कोर्स के पूरा होने के उपरान्त सफल अभ्यर्थी तकनिकी-'ए' में फोरमैन-इन-चार्ज के रूप में प्रोमोशन के लिये योग्य हो जायेंगे ।

टेलीकम कार्मिकों के प्रोमोशन का रास्ता — परिशिष्ट-१३-२

वायरलेस आपरेटर से सिनियर वायरलेस आपरेटर ग्रेड-१

१	२	३	४	५	६
१.	वायरलेस आपरेटर	तकनिकी-'डी' रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	विज्ञान के साथ १०+२ के तहत १०वें स्तर तक / मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष	कैटेगरी-४ / तकनिकी तथा सुपरवाइजरी 'ई' तथा इससे ऊपर में तीन वर्षों से काम करने वाला कम्पनी का कोई भी स्थायी कर्मचारी जिसे वायरलेस आपरेटर ट्रेड के लिये रुचि हो ।	योग्यता जाँच
२.	सिनियर वायरलेस आपरेटर ग्रेड-२	तकनिकी-'सी' रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	१) विज्ञान के साथ १०+२ योजना के तहत १०वें स्तर तक / मैट्रिक अथवा समकक्ष २) संचार मन्त्रालय द्वारा जारी किया गया वायरलेस आपरेटर का लाइसेन्स/प्रमाण-पत्र	तकनिकी - 'डी' में वायरलेस आपरेटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.

१	२	३	४	५	६
३.	सिनियर वायरलेस आपरेटर ग्रेड-१	तकनिकी-'बी' रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	१) विज्ञान के साथ १० + २ योजना के तहत १०वें स्तर तक / मैट्रिक अथवा समकक्ष ।		
			२) संचार मन्त्रालय द्वारा जारी किया गया वायरलेस आपरेटर का लाइसेन्स/प्रमाणपत्र प्राप्त ।	तकनिकी-'सी' में सिनियर वायरलेस आपरेटर ग्रेड-२ के रूप में तीन वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.
			३) सिनियर आपरेटर ग्रेड-१ कोर्स सफलता पूर्वक पूरा किया हो ।		

द्रष्टव्य : १) तकनिकी-'डी' के लिये चुने गये उम्मीदवार, प्रबन्धन द्वारा संचालित १ वर्ष के कोर्स को सफलता पूर्वक पूरा करने तक तथा संचार मन्त्रालय द्वारा जारी किया गया लाइसेन्स/प्रमाण-पत्र प्राप्त होने तक अपना पदनाम तथा कैटेगरी/ग्रेड में ही रहेंगे। उक्त कोर्स के पूरा होने पर सफल उम्मीदवारों को वायरलेस आपरेटर के रूप में पदस्थापित किया जायगा एवं उपयुक्त स्थान पर निर्धारित किया जायगा ।

२) वायरलेस आपरेटर ग्रेड-२ तकनिकी-'सी' में तीन वर्षों तक काम का अनुभव प्राप्त होने पर प्रबन्धन द्वारा संचालित ६ महीने की अवधि का सिनियर वायरलेस आपरेटर ग्रेड-१ कोर्स में जाने के योग्य हो जायेंगे। उक्त कोर्स पूरा करने पर सफल उम्मीदवार तकनिकी ग्रेड-'बी' में सिनियर वायरलेस आपरेटर ग्रेड-१ में प्रोमोशन के योग्य हो जायंगे ।

३) कैडर योजना सं० १०-५ के अनुसार तकनिकी ग्रेड-'बी' के सिनियर वायरलेस आपरेटर तकनिकी-'ए' में सुपरवाइजर टेलीकम तक जा सकेंगे ।

आपरेटर आर. टी. / टी एल एक्स. / टी. पी. से सिनियर आपरेटर आर. टी. / टी. एल. एक्स. / टी. पी. ग्रेड-१

१	२	३	४	५	६
१.	आपरेटर आर टी./ टी. एल. एक्स./ टी. पी.	तकनिकी-'डी' रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	१. १०+२ योजना के तहत १०वें स्तर तक / मैट्रिक अथवा समकक्ष । २. आर. टी./टी. एल. एक्स./ टी.पी. आपरेटर कनवर्सन कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करना ।	कैटेगरी-४/तकनिकी-'ई' तथा इससे ऊपर ३ वर्षों के कार्य का कम्पनी का कोई भी स्थायी कर्मचारी जिसे उक्त काम में रुचि है ।	योग्यता जाँच
२.	सिनियर आपरेटर आर.टी./टी.एल. एक्स./टी.पी. ग्रेड-२	तकनिकी-'सी' रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	१. १०+२ योजना के तहत १०वें स्तर तक / मैट्रिक अथवा समकक्ष । २. आर. टी./टी. एल. एक्स./ टी.पी. आपरेटर कन्वर्सन कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।	तकनिकी-'डी' में आर. टी./ टी.एल.एक्स./टी ओ. आपरेटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.

१	२	३	४	५	६
			३. सिनियर आपरेटर ग्रेड-२ कैडर कोर्स को सफलता-पूर्वक पूरा किया हो ।		
३.	सिनियर आपरेटर आर.टी./टी.एल.एक्स./ टी.पी. ग्रेड-१	तकनिकी-'बी' रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	१. १०+२ योजना के तहत १०वें स्तर तक / मैट्रिक अथवा समकक्ष । २. आर. टी./टी. एल. एक्स./ टी. पी. आपरेटर कन्वर्सन कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया हो । ३. सिनियर आपरेटर ग्रेड-२ कैडर कोर्स को सफलता-पूर्वक पूरा किया हो । ४. सिनियर आपरेटर ग्रेड-१ कैडर कोर्स को सफलता-पूर्वक पूरा किया हो ।	तकनिकी-'सी' में सिनियर आपरेटर ग्रेड-२ के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी.सी.

द्रष्टव्य : १. तकनिकी-'डी' के आपरेटर आर. टी./टी एल. एक्स./टी. पी. पद के लिये चुने गये उम्मीदवार, प्रबन्धन द्वारा चलाये जाने वाले १ वर्ष अवधि वाले आर. टी./टी. एल. एक्स /टी. पी. आपरेटर कन्वर्सन कोर्स सफलतापूर्वक पूरा होने तक अपने ही पदनाम एवं श्रेणी/ग्रेड में रहेंगे। उक्त कोर्स के पूरा करने पर सफल उम्मीदवारों को आर. टी./टी. एल. एक्स /टी. पी. आपरेटर के रूप में पदस्थापित किया जायगा और उन्हें उपयुक्त स्थान पर निर्धारित किया जायगा।

२. तकनिकी ग्रेड-डी के आर. टी./टी. एल. एक्स./टी. पी. आपरेटर में तीन वर्ष काम पूरा करने के बाद प्रबन्धन द्वारा संचालित सिनियर आपरेटर आर. टी./टी. एल. एक्स./टी. पी. ग्रेड-२ के लिये ६ महीने की अवधि का सिनियर आपरेटर ग्रेड-२ कैडर कोर्स में जाने के लिये योग्य हो जायंगे। उक्त कोर्स के पूरा कर लेने पर सफल उम्मीदवार तकनिकी-'सी' में सिनियर आपरेटर आर. टी./टी. एल. एक्स./टी. पी. के रूप में प्रोमोशन के योग्य हो जायंगे।

३. तकनिकी ग्रेड-'सी' के सिनियर आपरेटर आर. टी./टी. एल. एक्स./टी. पी. ग्रेड-२ में तीन वर्ष काम पूरा करने के बाद प्रबन्धन द्वारा संचालित सिनियर आपरेटर आर. टी./टी. एल. एक्स./टी. पी. ग्रेड-१ के लिये ६ महीने का सिनियर आपरेटर ग्रेड-१ कैडर कोर्स में जाने के लिये योग्य हो जायंगे। उक्त कोर्स के पूरा कर लेने पर सफल उम्मीदवार तकनिकी-'बी' में सिनियर आपरेटर आर. टी./टी. एल. एक्स./टी. पी. ग्रेड में प्रोमोशन के योग्य हो जायंगे।

४. परिशिष्ट-१०-५ के अनुसार सिनियर आपरेटर आर. टी./टी. एल. एक्स./टी. पी. ग्रेड-१ आगे सुपरवाइजर टेलीकम ग्रेड-'ए' तक ऊपर जा सकेंगे।

———

टेलीफोन कार्मिकों के प्रोमोशन का रास्ता — परिशिष्ट-१३-४

टेलीफोन आपरेटर से सिनियर टेलीफोन आपरेटर ग्रेड-१

१	२	३	४	५	६
१.	टेलीफोन आपरेटर	तकनिकी-'डी' रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	१. १०+२ योजना के तहत १०वें स्तर तक / मैट्रिक अथवा समकक्ष। २. एक्सचेंज आपरेटर ट्रेड कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	कैटेगरी-४/तकनिकी-'ई' तथा इससे ऊपर का कम्पनी में कार्यरत कोई भी स्थायी कर्मचारी जिसे टेलीकम शाखा के लिये रुचि हो।	योग्यता जाँच
२.	सिनियर टेलीफोन आपरेटर ग्रेड-२	तकनिकी-'सी' रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	१. १०+२ योजना के तहत १०वें स्तर तक / मैट्रिक अथवा समकक्ष। २. एक्सचेंज आपरेटर ट्रेड कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। ३. सिनियर आपरेटर ग्रेड-२ कैडर कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	तकनिकी - 'डी' में टेलीफोन आपरेटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.

१	२	३	४	५	६
३.	सिनियर टेलीफोन आपरेटर ग्रेड-१	तकनिकी-'बी' रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	१. १०+२ योजना के तहत १०वें स्तर तक / मैट्रिक अथवा समकक्ष। २. एक्सचेंज आपरेटर ट्रेड कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। ३. सिनियर आपरेटर ग्रेड-२ कैडर कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। ४. सिनियर आपरेटर ग्रेड-१ कैडर कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	तकनिकी-'सी' में सिनियर टेलीफोन आपरेटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : १. तकनिकी-'डी' के टेलीफोन आपरेटर पद के लिये चुने गये उम्मीदवार प्रबन्धन द्वारा संचालित एक वर्ष की अवधि का एक्सचेंज आपरेटर ट्रेड कोर्स के सफलतापूर्वक पूरा करने तक अपने ही पदनाम तथा कैटेगरी / ग्रेड में रहेंगे। उक्त कोर्स के पूरा होने पर सफल उम्मीदवारों को टेलीफोन आपरेटर का पदनाम दिया जायगा और उन्हें उपयुक्त स्थान पर निर्धारित किया जायगा।

२. तकनिकी-'डी' के टेलीफोन आपरेटर तीन वर्ष काम पूरा करने के बाद प्रबन्धन द्वारा सिनियर टेलीफोन आपरेटर ग्रेड-२ पद के लिये संचालित ६ माह की अवधि का सिनियर टेलीफोन आपरेटर ग्रेड-२ कैडर कोर्स में जाने के लिये योग्य हो जायेंगे। उक्त कोर्स के पूरा होने पर सफल उम्मीदवार तकनिकी-'सी' में सिनियर टेलीफोन आपरेटर ग्रेड-२ के रूप में प्रोमोशन के लिये योग्य होंगे।

३. तकनिकी-'सी' के सिनियर टेलीफोन आपरेटर ग्रेड-१ में ३ वर्ष काम पूरा करने के बाद प्रबन्धन द्वारा संचालित सिनियर टेलीफोन आपरेटर ग्रेड-१ पद के लिये ६ महीने की अवधि का सिनियर टेलीफोन आपरेटर ग्रेड-१ कैडर कोर्स में जाने हेतु योग्य होंगे। उक्त कोर्स के पूरा होने पर सफल उम्मीदवार तकनिकी-'बी' में सिनियर टेलीफोन आपरेटर ग्रेड-१ के रूप में प्रोमोशन हेतु योग्य होंगे।

४. परिशिष्ट-१०-५ के अनुसार सिनियर टेलीफोन आपरेटर ग्रेड-१ के आगे सुपरवाइजर टेलीकम तक ऊपर जा सकेंगे।

———

असिस्टेंट सुपरवाइजर (टेलीकम) से सुपरवाइजर (टेलीकम)

१	२	३	४	५	६
१.	असिस्टेंट सुपरवाइजर (टेलीकम)	तकनिकी-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	१. असिस्टेंट सुपरवाइजर (टेलीकम) कनवर्सन कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करना ।	१. ग्रेड-बी में सिनियर आपरेटर ग्रेड-१ (वायरलेस ग्रूप) के रूप में तीन वर्षों का अनुभव, अथवा २. टेलीफोन आपरेटर ग्रूप के लिये ग्रेड-बी में सिनियर आपरेटर ग्रेड-१ के रूप में ३ वर्षों का अनुभव, अथवा ३. आर. टी./टेलेक्स टी. पी. ग्रूप के लिये ग्रेड-बी में सिनियर आपरेटर ग्रेड-१ के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.

१	२	३	४	५	६
२.	सुपरवाइजर (टेलीकम)	तकनिकी-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	उपरोक्त क्रम संख्या-१ में उल्लिखित योग्यता के साथ ही साथ सुपरवाइजर (टेलीकम) कैडर कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करना ।	तकनिकी ग्रेड-बी में असिस्टेंट सुपरवाइजर (टेलीकम) के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : १. तकनिकी-'बी' में सिनियर आपरेटर ग्रेड-१ (आर. टी./टेलेक्स/टी. पी.), सिनियर वायरलेस आपरेटर ग्रेड-१ (वायरलेस) अथवा सिनियर आपरेटर ग्रेड-१ (टेलीफोन) जो अपने लाइन (क्षेत्र) में तकनिकी-'बी' में ३ वर्षों तक काम किया है ने प्रबन्धन द्वारा संचालित ९ महीने की अवधि के असिस्टेंट सुपरवाइजर (टेलीकम) कन्वर्सन कोर्स में जाने हेतु योग्य हो जायेंगे । उक्त कोर्स के पूरा हो जाने पर सफल उम्मीदवार तकनिकी-बी में असिस्टेंट सुपरवाइजर (टेलीकम) के रूप में प्रोमोशन के लिये योग्य हो जायेंगे ।

२. तकनिकी-बी में असिस्टेंट सुपरवाइजर (टेलीकम), तीन साल काम करने के बाद प्रबन्धन द्वारा संचालित ४ महीने की अवधि का सुपरवाइजर कैडर कोर्स (टेलीकम) में जाने के योग्य होंगे । उक्त कोर्स के पूरा होने पर, सफल उम्मीदवार तकनिकी-ए में सुपरवाइजर (टेलीकम) के रूप में प्रोमोशन के लिये योग्य होंगे ।

———

परिशिष्ट-१३-६

टेलीकम्युनिकेशन कार्मिकों के प्रोमोशन का रास्ता

लाइनमैन कैटेगरी

हेल्पर ट्रेनी से असिस्टेंट सुपरवाइजर लाइन्स

१	२	३	४	५	६
१.	हेल्पर ट्रेनी	कैटेगरी-१ (रु. २१.१६-०.४३-२७.१८)	८वीं कक्षा	कम्पनी का कोई भी स्थायी कर्मचारी	योग्यता जाँच
२.	हेल्पर	कैटेगरी-२ (रु. २१.६५-०.५३-२९.०७)	—वही—	एक वर्ष की अवधि का 'आन दि जाब ट्रेनिंग' (कार्य में प्रशिक्षण) का सफलतापूर्वक पूरा करना ।	डी. पी. सी.
३.	लाइनमैन	कैटेगरी-४ (रु. २४.१०-०.८०-३५.३०)	—वही—	कैटेगरी-२ में हेल्पर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.
४.	सिनियर लाइनमैन	तकनिकी-डी (रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८)	—वही—	कैटेगरी-४ में लाइनमैन के रूप में २ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.

१	२	३	४	५	६
५.	सुपरवाइजर लाइन्स	तकनिकी-सी (रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	१. ८वीं कक्षा तथा २. असिस्टेंट सुपर-वाइजर लाइन्स कैडर कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।	तकनिकी-डी में सिनियर लाइनमैन के रूप में ३ वर्षों का अनुभव साथ-साथ ६ महीना का प्रशिक्षण पूरा किया हो ।	डी. पी. सी.

क्रियान्वयन आदेश सं० ५७ दिनांक १७-१२-१९८५

आई. ज्योलोजी / एक्सप्लोरेशन विभाग में नियुक्त ड्रिलिंग कार्मिकों के लिये कार्य-विवरण, कैटेगराइजेशन तथा कैडर स्कीम

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. के स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की १८वीं बैठक जो १० एवं ११ दिसम्बर, १९८५ को हुई, उसमें ज्योलोजी/एक्सप्लोरेशन विभाग में नियुक्त ड्रिलिंग कार्मिकों के लिये कार्य-विवरण, कैटेगराइजेशन तथा कैडर स्कीम पर वार्ता हुई एवं उसे अन्तिम रूप दिया गया। यह भी तय हुआ कि तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. के सदस्य सचिव इस सम्बन्ध में क्रियान्वयन निर्देश जारी करें।

२. तदनुसार, ज्योलोजी/एक्सप्लोरेशन विभाग में नियुक्त ड्रिलिंग कार्मिकों के लिये कार्य-विवरण, कैटेगराइजेशन (वर्गीकरण) तथा कैडर स्कीम का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

(१) ड्रिलिंग कार्मिकों का कार्य-विवरण तथा कैटेगराइजेशन,

(२) ज्योलोजी/एक्सप्लोरेशन विभाग में नियुक्त ड्रिलिंग कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम से सम्बन्धित टिप्पणी : परिशिष्ट-१४

(३) कैडर स्कीम : ड्रिल हेल्पर से सिनियर असिस्टेंट ड्रिलर : परिशिष्ट-१४-१

३. यह द्रष्टव्य हो कि इस कैडर स्कीम के लागू हो जाने से इस विषय पर अब तक जारी सभी वर्तमान आदेश तथा निर्देश साथ-साथ रद्द हुए समझे जायेंगे।

४. प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि वे इस योजना को क्रियान्वित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें।

———

ज्योलोजी / एक्सप्लोरेशन विभाग के ड्रिलिंग कार्मिकों का कार्य-विवरण

निम्न कार्य-विवरण सांकेतिक ही हैं तथा विस्तृत नहीं हैं :—

१. सिनियर असिस्टेंट ड्रिलर (तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-ए) :

(ए) वह एक ड्रिलर/सिनियर ड्रिलर के अधीन पदस्थापित होगा।

(बी) वह ३५० मीटर क्षमता वाले ड्रिल जो एन. एक्स. माप का होगा वह चलायगा (आपरेट करेगा) और ड्रिल के निर्बाध संचालन के लिये जिम्मेवार होगा।

(सी) वह ड्रिल के कार्यकारी कर्मचारियों का ड्युटी निर्धारित करेगा साथ ही ड्रिल, पम्प और अन्य उपकरणों के समयबद्ध रख-रखाव की जिम्मेवारी भी उसी की होगी।

(डी) वह ड्रिल एवं अन्य उपकरणों के एक कार्य-स्थल से दूसरे कार्य-स्थल पर लाने ले जाने की व्यवस्था करेगा।

(ई) वह विभाग द्वारा निर्धारित प्रो-फार्मा (नमूना) के अनुसार अपने पाली से सम्बन्धित सभी रेकार्ड रखेंगे।

(एफ) वह ड्रिलों के दैनन्दिन मरम्मत का काम भी देखेगा।

(जी) पाली के दौरान वह रिग के अधिकतम संचालन, अधिकतम कोर की प्राप्ति, कोर तथा स्लज के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करेगा साथ ही बिट सहित सभी संसाधनों (अवयवों) के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करेगा तथा ड्रिल आपरेशन के सुरक्षा को आश्वस्त करेगा। वह ड्रिलिंग कैंपों की स्थापना के लिये जिम्मेवार होगा। पाली के दौरान वह अपने से नीचे के कर्मचारियों को उनके दक्षता-पूर्वक कार्य सम्पादन हेतु परामर्श देगा तथा उन्हें प्रशिक्षित करेगा।

२. असिस्टेंट ड्रिलर (तकनिकी ग्रेड-बी)

(ए) वह एक ड्रिलर/सिनियर ड्रिलर के अधीन पदस्थापित होगा।

(बी) वह ३५० मीटर अथवा उससे कम क्षमता वाले एन. एक्स. माप का ड्रिल आपरेट करेगा तथा ड्रिल के निर्बाध संचालन हेतु उत्तरदायी होगा।

(सी) वह किसी शिफ्ट (पाली) में ड्रिल के आपरेशनल कर्मचारियों को ड्रिल

के दक्षतापूर्ण संचालन के लिये ड्युटी देगा साथ ही साथ ड्रिल, पम्प तथा अन्य उपकरणों के समयबद्ध रख-रखाव के लिये जिम्मेवार होगा ।

(डी) वह ड्रिल तथा उससे सम्बन्धित उपकरणों को एक कार्यस्थल से दूसरे कार्यस्थल पर लाने ले जाने हेतु जिम्मेवार होगा ।

(ई) उसके विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने पाली से सम्बन्धित सभी ब्यौरा दर्ज करेगा ।

(एफ) वह ड्रिल के दैनिक मरम्मत के कार्य की देख-भाल करेगा ।

(जी) पाली के दौरान वह रिग के अधिकतम संचालन, अधिकतम कोर की प्राप्ति, कोर एवं स्लग के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करेंगे साथ ही बिट सहित सभी संसाधनों (अवयवों) के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करेगा तथा ड्रिल आपरेशन के सुरक्षा को आश्वस्त करेगा। वह ड्रिलिंग कैंपों की स्थापना के लिये जिम्मेवार होगा । पाली के दौरान वह अपने से नीचे के कर्मचारियों को उनके दक्षतापूर्वक कार्य सम्पादन हेतु परामर्श देगा तथा उन्हें प्रशिक्षित करेगा ।

३. **सिनियर रिगमैन (तकनिकी ग्रेड-सी) :**

(ए) वह एक सहायक ड्रिलर/सिनियर ड्रिलर के अधीन ड्रिल चलाने हेतु पदस्थापित होगा ।

(बी) वह रिगमैन ग्रेड-१ तथा सहायक रिगमैन ग्रेड-२ की सहायता से ड्रिल साइट पर सभी उपकरणों/संसाधनों की दैनिक देख - भाल करेगा ।

(सी) वह प्रत्येक रन के बाद बिट तथा कोर बैरेल के अवस्था की अच्छी तरह निरीक्षण करेगा तथा बेहतर कोर रिकभरी के लिये जरूरत होने पर आवश्यक समायोजन (एडजस्टमेंट) कर लेगा ।

(डी) वह ड्रिल चढ़ाने तथा उतारने/केसिंग स्ट्रिंग तथा अन्तिम कार्य के दौरान सभी प्रकार से सहायता करेगा ।

(ई) वह बोर होल कोर तथा स्लज के सुरक्षित उपयोग की व्यवस्था करेगा ।

(एफ) वह बालू मिलाने तथा सिमेंट मिलाने की व्यवस्था करेगा ।

(जी) वह साइट पर ड्रिल की मरम्मत के दौरान सहायता करेगा ।

४. **रिगमैन ग्रेड-१ (तकनिकी : ग्रेड-डी) :**

(ए) वह ड्रिल के आपरेशन के लिये एक असिस्टेंट ड्रिलर/सिनियर असिस्टेंट ड्रिलर के अधीन पदस्थापित होगा ।

(बी) वह दैनिक रख-रखाव का कार्य करेगा ।

(सी) वह ड्रिल स्ट्रिंग को ऊंचा करने, उसे नीचा करने, फिशिंग आपरेशन तथा यंत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाने में मदद करेगा ।

(डी) वह ड्रिल रोड क्राशिंग, कोर बैरेल तथा अन्य उपकरणों को साफ सुथरा रखेगा तथा उन्हें सही हालत में रखेगा ।

(ई) वह ड्रिल का स्थान तथा वाटर सम्प तैयार करेगा ।

(एफ) वह सिमेंट, कीचड़ इत्यादि मिलाने की व्यवस्था करेगा ।

५. **रिगमैन ग्रेड-२ (तकनिकी ग्रेड-ई) :**

(ए) वह ड्रिल चलाने हेतु एक असिस्टेंट ड्रिलर / सिनियर असिस्टेंट ड्रिलर के अधीन पदस्थापित होगा ।

(बी) वह ड्रिल स्ट्रिंग को ऊंचा उठाने, उसे नीचा करने, फिशिंग आपरेशन तथा यंत्रादि को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में मदद पहुंचायगा तथा दैनिक रख-रखाव का कार्य करेगा ।

(सी) वह ड्रिल स्थान तथा वाटर सम्प तैयार करेगा ।

(डी) वह आवश्यकतानुसार सिमेंट, कीचड़ इत्यादि को मिलायगा ।

६. **ड्रिल हेल्पर (कैटेगरी-२)**

(ए) वह शिफ्ट (पाली में सिनियर) रिगमैन / रिगमैन ग्रेड-१ तथा रिगमैन ग्रेड-२ के सभी कार्यकलाप जो सिनियर रिगमैन / रिगमैन ग्रेड-१ तथा रिगमैन ग्रेड-२ के लिये निर्धारित ड्रिल सम्बन्धी सभी कार्यों के ठीक-ठीक संचालन करेगा ।

———

कैडर स्कीम संख्या—१४

जियोलोजी एवं एक्सप्लोरेशन विभाग में नियुक्त ड्रिलिंग कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

१. **संक्षिप्त नाम, सीमा तथा योग्यता :**

(ए) राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता के अन्तर्गत तैयार किये गये इस योजना को जियोलोजी / एक्सप्लोरेशन विभाग में नियुक्त ड्रिलिंग कार्मिक के लिये कैडर योजना के नाम से जाना जायगा ।

(बी) जियोलोजी / एक्सप्लोरेशन विभाग में नियुक्त सभी श्रमिकों पर यह योजना लागू होगा ।

२. **परिभाषा :**

इस योजना में विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल कुछ नहीं हो तो :—

(ए) 'कम्पीटेन्ट औथोरिटी' (दक्ष प्राधिकार) का अर्थ कम्पनी का मुख्य कार्यपालक अथवा क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, जो भी हो, अथवा अन्य कोई अधिकारी जिन्हें उनके द्वारा समय-समय पर तत्सम्बन्धी अधिकार दिये जाँय ।

(बी) 'शैक्षणिक योग्यता' का अर्थ वह योग्यता जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है अथवा वह योग्यता / जाँच जो कम्पनी द्वारा निर्धारित तथा संचालित है ।

(सी) 'सर्विस' (सेवा) का अर्थ आगे दिये गये परिशिष्टों में किसी पद के लिये जैसी सेवा का उल्लेख किया गया है ।

(डी) 'जाँच' का अर्थ समय-समय पर कैडर स्कीम में निर्धारित कर्मचारी की कुशलता (हुनर) जाँचने या निर्धारित करने के तरीका से है ।

(ई) 'वर्तमान कर्मचारी' का अर्थ इस स्कीम के लागू होने के दिन ड्रिलिंग विभाग में नियुक्त श्रमिक से है ।

३. **प्रोमोशन का रास्ता :**

(१) विभिन्न ग्रेडों अथवा विभागों के लिये प्रोमोशन का रास्ता आगे दिये

जा रहे परिशिष्टों के अनुसार होगा । उक्त परिशिष्ट इस योजना में जैसा निर्दिष्ट है के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन / प्रोमोशन के लिये पात्रता हेतु कैडर के अन्तर्गत समय-समय पर शामिल किये गये विभागीय अभ्यर्थियों से वांछित योग्यता तथा अनुभवों के निर्देश मात्र हैं ।

(२) ग्रेड-'बी' तक के पदों के लिये चयन बरीयता - सह - योग्यता (सिनियरिटी-कम-मेरिट) के आधार पर होगा एवं ग्रेए-'बी' से 'ए' के लिये चयन का आधार योग्यता-सह-वरीयता होगी ।

(३) रिक्त पदों को भरने हेतु प्रोमोशन का क्षेत्र कम्पनी स्तर होगा ।

४. **विभागीय प्रोमोशन कमिटी :**

उच्चतर कैटेगरियों में रिक्त पदों को भरने के लिये अभ्यर्थियों का चयन विभागीय प्रोमोशन कमिटी की अनुशंसा पर, जिसका गठन दक्ष प्राधिकार अथवा उनके द्वारा समय-समय पर प्रदत्त अधिकार प्राप्त अन्य अधिकारी द्वारा किया जायगा । उक्त अनुशंसाओं पर दक्ष प्राधिकार का फैसला अन्तिम होगा ।

५ **सीधा बहाली :**

सीधा बहाली सिर्फ उसी हालत में किया जा सकता है यदि ६ महीने के भीतर खाली पदों को भरने के लिये कोई विभागीय उम्मीदवार के उपलब्ध होने की कोई सम्भावना नहीं रहे ।

६. **रद्द तथा संशोधन इत्यादि :**

(१) इस योजना के लागू हो जाने के साथ ही साथ इस शाखा (विभाग) के लिये यदि कोई कैडर स्कीम होगा तो वह रद्द समझा जायगा ।

(२) यह कैडर स्कीम कोल इण्डिया एवं इसकी सहायक कम्पनियों के संगठनात्मक ढाँचे के आधार पर बनाया गया है । इसको तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी को इस बात की छूट रहेगी कि इनमें अपने वहाँ की स्थानीय स्थितियों को मद्देनजर रखकर अपने स्तर पर युनियन प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करके आवश्यक संशोधन कर सकती हैं परन्तु इस कैडर स्कीम के स्तर में बिना कोई न्यूनता लाये हुए ।

———

१	२	३	४	५	६
१.	ड्रिल हेल्पर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.०७	१) साक्षर अथवा २) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. व्यावसायिक प्रमाण पत्र अथवा मेकैनिकल / औटोमोबाइल ट्रेड में समकक्ष योग्यता ।	१) कैटेगरी-१ में जेनरल मजदूर के रूप में ३ वर्षों के अनुभव के साथ कम्पनी का कोई भी स्थायी कर्मचारी, अथवा २) कैटेगरी-१ में मजदूर के रूप में एक वर्ष का अनुभव ।	योग्यता जाँच —वही—
२.	रिगमैन ग्रेड-२	तकनिकी ग्रेड-ई रु. ६२५-२३-६४७	१) साक्षर अथवा २) मैट्रिक अथवा इससे ऊपर अथवा ३) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. व्यावसायिक प्रमाण पत्र अथवा मेकैनिकल / औटोमोबाइल ट्रेड में समकक्ष योग्यता ।	१) कैटेगरी-२ में ड्रिल हेल्पर के रूप में ४ वर्षों का अनुभव अथवा २) कैटेगरी-२ में ड्रिल हेल्पर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव अथवा ३) कैटेगरी-२ में ड्रिल हेल्पर के रूप में २ वर्षों का अनुभव	डी. पी. सी. —वही—

१	२	३	४	५	६
३.	रिगमैन ग्रेड-१	तकनिकी ग्रेड-डी रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	१) सिर्फ वर्तमान साक्षर-नन-मैट्रिक कर्मचारियों के लिये अथवा मैट्रिक तथा उससे ऊपर अथवा २) मैट्रिक के साथ आई.टी.आई. व्यावसायिक प्रमाण-पत्र अथवा मेकैनिकल/औटोमोबाइल ट्रेड में समकक्ष योग्यता ।	१) तकनिकी ग्रेड-'ई' में रिगमैन ग्रेड - २ के रूप में ४ वर्षों का अनुभव अथवा २) तकनिकी ग्रेड - ई में रिगमैन ग्रेड - २ के रूप में तीन वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी. —वही—
४.	सिनियर रिगमैन	तकनिकी ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	१) सिर्फ वर्तमान साक्षर / नन-मैट्रिक कर्मचारियों के लिये अथवा मैट्रिक या ऊपर अथवा २) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. व्यावसायिक प्रमाण-पत्र अथवा मेकैनिकल / औटोमोबाइल ट्रेड में समकक्ष योग्यता ।	१) तकनिकी ग्रेड-बी में रिगमैन ग्रेड-१ के रूप में ४ वर्षों का अनुभव अथवा २) तकनिकी ग्रेड-डी में रिगमैन ग्रेड-१ के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	—वही— —वही—

१	२	३	४	५	६
५.	असिस्टेंट ड्रिलर	तकनिकी ग्रेड-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	१) सिर्फ वर्तमान साक्षर / नन-मैट्रिक कर्मचारियों के लिये अथवा मैट्रिक अथवा इससे ऊपर अथवा	१) तकनिकी ग्रेड-सी में सिनियर रिगमैन के रूप में ५ वर्षों का अनुभव अथवा	डी. पी. सी.
			२) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. व्यावसायिक प्रमाण-पत्र अथवा मेकैनिकल / औटोमोबाइल ट्रेड में समकक्ष योग्यता अथवा	२) तकनिकी ग्रेड-सी में सिनियर रिगमैन के रूप में ४ वर्षों का अनुभव अथवा	—वही—
			३) मैट्रिक के साथ २ / ३ वर्षों का डिप्लोमा अथवा मेकैनिकल / औटोमोबाइल इन्जीनियरी में समकक्ष योग्यता, ड्रिलिंग वालों को प्राथमिकता। ड्रिलिंग में बिना किसी अनुभव के बाहर से भी असिस्टेंट ड्रिलर (ट्रेनी) के रूप में बहाल किया जा सकता है।	३) एक वर्ष के लिये सफलता-पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें असिस्टेंट ड्रिलर के रूप में नियमित (रेगुलराइज) किया जा सकता है।	—वही—

१	२	३	४	५	६
६.	सिनियर असिस्टेंट ड्रिलर	तकनिकी ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	१) सिर्फ वर्तमान के साक्षर/नन-मैट्रिक कर्मचारियों के लिये अथवा मैट्रिक या ऊपर अथवा	१) तकनिकी ग्रेड-'बी' में असिस्टेंट ड्रिलर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव अथवा	डी.पी.सी.
			२) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. व्यावसायिक प्रमाण-पत्र अथवा मेकैनिकल/औटोमोबाइल ट्रेड में समकक्ष योग्यता, अथवा	२) तकनिकी ग्रेड-बी में असिस्टेंट ड्रिलर के रूप में ४ वर्षों का अनुभव अथवा	—वही—
			३) मैट्रिक के साथ २ / ३ वर्ष का डिप्लोमा या मेकैनिकल/औटोमोवाइल इन्जीनियरी में समकक्ष योग्यता—ड्रिलिंग वालों को प्राथमिकता।	३) तकनिकी ग्रेड-बी में असिस्टेंट ड्रिलर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	—वही—

द्रष्टव्य : १) प्रत्येक ड्रिल के लिये क्रू की टोली में ४ से ६ लोग रहेंगे, जो ड्रिल की प्रकृति और उसके प्रकार पर निर्भर करेगा एवं उपलब्धता के अनुसार उसमें निम्नलिखित लोग रहेंगे—ड्रिल हेल्पर, रिगमैन ग्रेड-२, रिगमैन ग्रेड-१ तथा सिनियर रिगमैन, असिस्टेंट ड्रिलर, सिनियर असिस्टेंट ड्रिलर।

२) जियोलोजी/एक्सप्लोरेशन विभाग में कार्मिकों का वर्तमान पदनामों में उपरोक्त अनुसार उपयुक्त संशोधन किया जायगा।

३) कैटेगरी-४ में यदि कोई ड्रिलमैन होंगे तो वे तीन वर्षों की सेवा के बाद अन्य लोगों के साथ तकनिकी-'डी' में रिगमैन ग्रेड-१ में प्रोमोशन के योग्य होंगे।

४) कैटेगरी-५ में यदि कोई ड्रिलमैन होंगे तो वे कैटेगरी-५ में ३ वर्ष काम करने के बाद अन्य लोगों के साथ तकनिकी ग्रेड-सी में सिनियर रिगमैन में प्रोमोशन के लिये योग्य होंगे एवं जो कैटेगरी-६ में यदि कोई होंगे तो वे सीधा ग्रेड-सी में निर्धारित किये जायेंगे बशर्ते कि सिनियर रिगमैन के लिये निर्धारित योग्यता उनके पास हो। यदि उनके पास निर्धारित योग्यता नहीं है तो वे उसी ग्रेड तथा पदनाम से रहेंगे जैसा कि वह उनका व्यक्तिगत पदनाम हो।

५) उपयुक्त कार्यकारी कार्मिक के उपलब्ध नहीं रहने की हालत में एक असिस्टेंट ड्रिलर को ३५० एम. एन. एक्स. माप से अधिक क्षमता वाले ड्रिलों को ट्रेनी (प्रशिक्षक) के रूप में चलाने हेतु पदस्थापित किया जा सकता है। वैसे कर्मचारियों को एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सिनियर असिस्टेंट ड्रिलर के नियमित ग्रेड में पदस्थापित किया जायगा।

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३

भाग—४

क्रियान्वयन आदेश सं० ५८-७२

राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३

क्रियान्वयन आदेश

अध्याय—५

क्रियान्वयन आदेश सं० ५८ दिनांक १७-२-१९८६

ई. अतिरिक्त परिवहन अनुदान (एडिशनल ट्रान्सपोर्ट सबसिडी)

संदर्भ : सी. आई. एल. : तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. क्रियान्वयन आदेश सं. ६/८४ दि० ३-१-८४, १७/८४ दि० ६-३-८४ एवं २४/८४ दि० २३-४-८४

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. की एकरूपता समिति (स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी) की १०-११ दिसम्बर १९८५ को हुए बैठक में ई. सी. एल. के वैगन लोडरों को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ की धारा ५.२.२ के अनुसार अतिरिक्त परिवहन अनुदान के भुगतान नहीं किये जाने सम्बन्धित सवाल पर वार्त्तालाप हुई तथा यह फैसला किया गया कि उन वैगन लोडरों, जिनकी पाली (शिफ्ट) १० बजे रात्रि से १२ बजे रात्रि तक शुरू होती है वे राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता-३ की धारा ५.२.२ के मुताबिक अतिरिक्त परिवहन अनुदान के हकदार होंगे, यदि वे रोटेशन शिफ्ट में काम नहीं भी करते हों तब भी।

एकरूपता समिति के उपरोक्त निर्णय को अविलम्ब लागू करने के लिये आवश्यक कदम उठाने हेतु प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है।

———

अध्याय—७

क्रियान्वयन आदेश सं० ५९ दिनांक ४-३-१९८६

डी. : वापसी रेल किराया, एल.टी.सी./एल.एल.टी.सी. सुविधाएँ।

संदर्भ : जे. बी. सी. सी. आई. आफिस सर्कुलर (परिपत्र) सं०

(१) एन. सी. डब्लू. ए.-३ (क्रि० आ० सं० ३/८३) / १९८५ दि० ३०-११-८३

(२) एन. सी. डब्लू. ए.-३ (क्रि० आ० सं० २३/८४) / २४४ दि० २३-४-८४

दि० २४ एवं २५ फरवरी, १९८६ को हुए स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की बैठक में श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने इस सवाल को उठाया कि बहुत से श्रमिक कोलियरी प्रबन्धन द्वारा अल्पावधि सूचना के कारण अथवा किसी सूचना के अभाव में वापसी रेल किराया (आर. आर. एफ.) के बदले छुट्टी यात्रा रियायत (दो वर्ष में एक बार) के लिये अपनी इच्छा (आप्शन) व्यक्त नहीं कर पाये हैं।

२. वार्त्तालाप के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि वैसे श्रमिकों को जिन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं किया है उन्हें एक मौका और दिया जाय एवं किसी भी हालत में वह इच्छा ३० अप्रील, १९८६ तक जाहिर कर दिया जाय। अभी जो इच्छा व्यक्त की जायगी उसके अनुसार हकदारी का लाभ जो पहले ही उठा चुके हैं का समायोजन इस प्रकार किया जायगा जैसे उनकी इच्छा का क्रियान्वयन १ जनवरी, १९८३ से किया जा रहा हो।

३. प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि उन श्रमिकों से आप्शन फार्म भरवा लें जो इसे अभी भरना चाहते हैं और उन्हें ऐसा करने हेतु एक और मौका दें, जो ३० अप्रील, १९८६ तक हो।

———

अध्याय—११

सामान्य

क्रियान्वयन आदेश सं० ६१ दि० ८-७-१९८६

डी. मृत्यु रिटायर होने पर बकाया छुट्टी के पैसों का भुगतान

स्टैण्डरडाइजेशन (एकरूपता) कमिटी की २४ एवं २५ अप्रील, १९८६ को हुए २१वीं बैठक हुई, जिसमें यह राजीनामा हुआ कि श्रमिक की रिटायरमेंट की अवस्था में, प्रबन्धन द्वारा सम्बन्धित श्रमिक को दिये जाने वाले रिटायरमेंट नोटिस में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिये कि सम्बन्धित श्रमिक रिटायर होने की तिथि से उतने दिन पहले रिटायर समझे जायेंगे जितना दिन उनका पावना/अर्जित छुट्टी बकाया पड़ा हो एवं इसके लिये उन्हें भुगतान किया जायगा। पावना/अर्जित छुट्टी को मंजूरी नहीं होने पर सम्बन्धित श्रमिक नामंजूर हुए छुट्टियों के बदले नगद भुगतान के लिये, रिटायर होने के बाद भी हकदार होंगे।

किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके आश्रितों को बकाया अर्जित/सालाना छुट्टियों के लिये, जो अधिकतम ७० दिनों तक होगा, नगद भुगतान किया जायगा।

इसी प्रकार, वैसे श्रमिकों को जो शारीरिक रूप से अक्षम (अनफिट) घोषित किये गये हैं, उन्हें भी बकाया अर्जित / सालाना छुट्टियों के लिये, जो अधिकतम ७० दिनों तक होगा, का नगद भुगतान किया जायगा।

प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि वे स्टैण्डरडाइजेशन (एकरूपता) कमिटी के उपरोक्त निर्णय को अविलम्ब लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठायें।

———

अध्याय—१२

क्रियान्वयन आदेश संख्या ६० दिनांक ८-७-१९८६

समझौता का क्रियान्वयन

१. प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी

पी. कोल वाशरी कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

कोल वाशरी कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम पर प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी की ४ व ५ दिसम्बर १९८५, १८ व १९ मार्च १९८६, २० मई १९८६ को हुए बैठकों में विस्तृत रूप से वार्त्तालाप हुई और अन्ततः १९ व २० जून १९८६ की बैठक में अन्तिम निर्णय लिया गया। यह राजीनामा भी हुआ कि तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. के सदस्य सचिव इस सम्बन्ध में क्रियान्वयन आदेश जारी करेंगे।

२. तदनुसार, कोल वाशरी कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

कैडर स्कीम :

(क)	कोल बाशरी कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम हेतु टिप्पणी	— कैडर स्कीम सं० १५
(ख)	लेबोरेटरी विभाग (सैम्पलिंग मजदूर से लेबोरेटरी तकनिशियन)	— परिशिष्ट-१५-१
(ग)	लेबोरेटरी विभाग (जुनियर केमिस्ट से सिनियर केमिस्ट)	— परिशिष्ट-१५-२
(घ)	लाइनमैन हेल्पर से यार्ड मास्टर/ फोरमैन-इन-चार्ज यार्ड	— परिशिष्ट-१५-३
(ङ)	मेकैनिकल विभाग (फिटर हेल्पर से फोरमैन-इन-चार्ज)	— परिशिष्ट-१५-४
(च)	कार्पेन्टर हेल्पर से कार्पेन्टर	— परिशिष्ट-१५-५
(छ)	हेल्पर से मैशिनिस्ट ग्रेड-१	— परिशिष्ट-१५-६
(ज)	वर्कशॉप हेल्पर से ब्लैकस्मिथ	— परिशिष्ट-१५-७

(झ) पेंटिंग हेल्पर से सिनियर पेंटर — परिशिष्ट-१५-८

(ञ) भल्कैनाइजिंग हेल्पर से सिनियर भल्कैनाइजर — परिशिष्ट-१५-९

(ट) लोको-स्टाफ-साइडिंग/वागन क्लीनिंग मजदूर से बी. जी. लोको सुपरवाइजर — परिशिष्ट-१५-१०

(ठ) आपरेटर ग्रेड-३ से फिटर-कम-आपरेटर ग्रेड-१/टिपलर आपरेटर — परिशिष्ट-१५-११

(ड) इलेक्ट्रिकल (इलेक्ट्रिकल हेल्पर से फोरमैन इन्चार्ज) — परिशिष्ट-१५-१२

३. यह द्रष्टव्य हो कि इस कैडर स्कीम के लागू हो जाने के साथ-ही-साथ इस सम्बन्ध में वर्तमान सभी आदेश व निर्देश रद्द हुए समझे जायेंगे ।

४. प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि इस स्कीम को अविलम्ब लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठावें ।

———

कैडर स्कीम सं० १५

कोल वाशरी कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

१. संक्षिप्त नाम एवं विस्तार :

(१) इस स्कीम (योजना) को कोल वाशरी कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम के नाम से पुकारा जायगा ।

(२) यह स्कीम (योजना) कोल वाशरी के सभी कर्मचारियों पर लागू होगी जो निम्नलिखित १२ श्रेणियों (कैटेगरियों) में वर्गीकृत किये गये हैं :—

(क) लेबोरेटरी विभाग (सैम्पलिंग मजदूर से लेबोरेटरी तकनिशियन) — परिशिष्ट-१

(ख) लेबोरेटरी विभाग (जुनियर केमिस्ट से सिनियर केमिस्ट) — परिशिष्ट-२

(ग) लाइनमैन हेल्पर से यार्ड मास्टर/फोरमैन-इन-चार्ज यार्ड — परिशिष्ट-३

(घ) मेकैनिकल विभाग (फिटर हेल्पर से फोरमैन-इन-चार्ज) — परिशिष्ट-४

(ङ) कार्पेन्टर हेल्पर से कार्पेन्टर — परिशिष्ट-५

(च) हेल्पर से मैशिनिस्ट ग्रेड-१ — परिशिष्ट-६

(छ) वर्कशाप हेल्पर से ब्लैकस्मिथ — परिशिष्ट-७

(ज) पेंटिंग हेल्पर से सिनियर पेंटर — परिशिष्ट-८

(झ) भल्कैनाईजिंग हेल्पर से सिनियर भल्कैनाइजर — परिशिष्ट-९

(ञ) लोको स्टाफ साइडिंग/वागन क्लीनिंग मजदूर से बी. जी. लोको सुपरवाइजर — परिशिष्ट-१०

(ट) आपरेटर ग्रेड-३ से फिटर-कम-आपरेटर ग्रेड-१/टिपलर आपरेटर — परिशिष्ट-११

(ठ) इलेक्ट्रिकल (हेल्पर इलेक्ट्रिकल से फोरमैन इन्चार्ज) — परिशिष्ट-१२

२. परिभाषा :

इस स्कीम में यदि विषय अथवा सन्दर्भ के विपरीत कुछ नहीं हो तो :—

(ए) 'कम्पीटेन्ट औथोरिटी' (दक्ष प्राधिकार) का अर्थ कम्पनी का मुख्य कार्यपालक अथवा एरिया जेनेरल मैनेजर (क्षेत्रीय महाप्रबन्धक) जो भी हो अथवा अन्य कोई भी अधिकारी होंगे, जिन्हें इनके द्वारा समय-समय पर अधिकृत किये जाय ।

(बी) 'शैक्षणिक योग्यता' का अर्थ वह योग्यता है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा वह योग्यता/जाँच जो कम्पनियों द्वारा निर्धारित तथा संचालित किया जाय ।

(सी) 'सेवा' (सर्विस) का अर्थ किसी पद पर वह सेवा जैसा कि इसके साथ के परिशिष्टों में दर्शाया गया है ।

(डी) 'जाँच' (टेस्ट) का अर्थ स्तर का मूल्यांकन करना है जो लिखित/मौखिक/प्रायोगिक परीक्षाओं के जरिये प्रबन्धन द्वारा समय-समय पर कैडर स्कीम में कुशलता जाँच के लिये निर्धारित किया जाता है ।

३. प्रोमोशन का रास्ता :

३.१ विभिन्न ग्रेड एवं विभाग के लिये प्रोमोशन का रास्ता इसके साथ के दिये गये परिशिष्ट के अनुसार होगा । उक्त परिशिष्ट इस स्कीम के तहत अभ्यर्थियों के चयन प्रोमोशन के लिये पात्रता के उद्देश्य से समय-समय पर कैडर में सम्मिलित किये गए विभागीय कर्मचारियों द्वारा हासिल योग्यता तथा अनुभवों का निर्देश मात्र करते हैं ।

३.२ तकनिकी तथा सुपरवाइजरी ग्रेड-बी तक के चयन का आधार वरीयता-सह-योग्यता (सिनियरिटी-कम-मेरिट) होगा एव तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-बी से ग्रेड-ए के लिये चयन / प्रोमोशन का आधार योग्यता-सह-वरीयता (मेरिट-कम-सिनियरिटी) होगा ।

३.३ रिक्त पदों को भरने के लिये प्रोमोशन का क्षेत्र सम्बन्धित वाशरी होगा ।

४. विभागीय प्रोमोशन कमिटी :
(डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमिटी) :

उच्चतर कैटेगरियों में रिक्त पदों को भरने के लिये अभ्यर्थियों का चयन/प्रोमोशन, विभागीय प्रोमोशन कमिटी की अनुशंसा पर होगा एवं उक्त कमिटी का गठन दक्ष प्राधिकार (कम्पीटेन्ट औथोरिटी) अथवा उनके द्वारा समय-समय पर नियुक्त अन्य जिस किसी अधिकारी को वैसे अधिकार दिये जाय, उनके द्वारा किया जायगा । वैसे अनुशंसाओं पर दक्ष प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा ।

५. सीधा बहाली :

सीधा बहाली उसी हालत में होगा यदि किसी पद के रिक्त होने के ६ महीने के भीतर विभागीय कर्मचारी उक्त रिक्त पद को भरने के उपयुक्त नहीं पाये जायेंगे ।

६. रद्द, संशोधन इत्यादि :

(अ) उक्त विभाग के लिये यदि कोई वर्तमान कैडर स्कीम होगा तो इस योजना के लागू होने के साथ-साथ अप्रभावी हो जायगा ।

(आ) यह कैडर स्कीम कोल इण्डिया तथा इसकी सहायक कम्पनियों में प्रचलित संगठनात्मक ढाँचे के आधार पर बनाया गया है । टिस्को, इस्को तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० को इस बात की छूट होगी कि जब कभी आवश्यक हो, वे इस कैडर स्कीम में कोई कमी लाये बगैर, अपने स्तर पर यूनियन प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक इसमें संशोधन कर सकें ।

———

कोल वाशरी कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम
लेबोरेटरी विभाग
सैम्पलिंग मजदूर से लेबोरेटरी तकनिशियन

परिशिष्ट-१५-३

क्रम	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	सैम्पलिंग मजदूर	कैटेगरी-१ रु. २१.१६-०.४३-२७.१०	साक्षर, किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक पास वांछनीय	कम्पनी का कोई भी स्थायी श्रमिक/कर्मचारी	चयन
२.	लेबोरेटरी हेल्पर/ लेबोरेटरी असिस्टेंट/ सैम्पलिंग असिस्टेंट/ सैम्पलिंग अटेन्डेंट	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२९.०७	—वही—	कैटेगरी-१ में सैम्पलिंग मजदूर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.
३.	लेबोरेटरी तकनिशियन	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	—वही—	कैटेगरी-२ में लेबोरेटरी हेल्पर/लेबोरेटरी असिस्टेंट/ सम्पलिंग असिस्टेंट/सैम्पलिंग अटेन्डेंट के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.

कोल वाशरी कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम
लेबोरेटरी विभाग
जुनियर केमिस्ट से सिनियर केमिस्ट

परिशिष्ट-१५-२

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता शैक्षणिक/तकनिकी	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	जुनियर केमिस्ट	तक० व सुप० ग्रेड-डी रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	केमिस्ट्री (रसायन शास्त्र) के साथ स्नातक ।	कम्पनी में एक वर्ष की सेवा (सर्विस) के साथ कम्पनी का कोई भी स्थायी श्रमिक/कर्मचारी ।	चयन/जाँच
२.	असिस्टेंट केमिस्ट	तक० व सुप० ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	—वही—	तक० व सुप० ग्रेड-डी में जुनियर केमिस्ट के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.
३.	केमिस्ट	तक० व सुप० ग्रेड-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	—वही—	तक० व सुप० ग्रेड-सी में असिस्टेंट केमिस्ट के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.
४.	सिनियर केमिस्ट	तक० व सुप० ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	—वही—	तक० व सुप० ग्रेड-बी में केमिस्ट के रूप में ५ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.

द्रष्टव्य : इस कैडर स्कीम के लागू होने के दिन वर्तमान कर्मचारियों के प्रोमोशन के लिये शैक्षणिक योग्यता कोई बाधा नहीं होगी ।

कोल वाशरी कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

लाइनमैन हेल्पर से यार्ड मास्टर / फोरमैन-इन-चार्ज (यार्ड)

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	लाइनमैन हेल्पर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.०७	साक्षर, मैट्रिक वांछनीय	कम्पनी में एक वर्ष की सेवा (सर्विस) के साथ कम्पनी का कोई भी स्थायी कर्मचारी।	चयन
२.	लाइन्समैन/प्वाइन्ट्समैन	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	—वही—	कैटेगरी-२ में लाइन्समैन हेल्पर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी.पी.सी./ व्यावसायिक जाँच (ट्रेड टेस्ट)
३.	शन्टिंग जमादार	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	—वही—	कैटेगरी - ४ में प्वाइन्ट्समैन अथवा लाइन्समैन के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	—वही—
४.	असिस्टेंट शन्टिंग मास्टर	तक० व सुप० ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	मैट्रिक	कैटेगरी-५ में शन्टिंग जमादार के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	—वही—
५.	असिस्टेंट यार्ड मास्टर/शन्टिंग मास्टर	तक० व सुप० ग्रेड-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	मैट्रिक	तक० व सुप० ग्रेड - सी में असिस्टेंट शन्टिंग मास्टर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.
६.	यार्ड मास्टर/फोरमैन इन-चार्ज (यार्ड)	तक० व सुप० ग्रेड-ए रु. ८६२-५३-१३१६-५५-१७०१	—वही—	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-बी में असिस्टेंट यार्ड मास्टर / शन्टिंग मास्टर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.

कोल वाशरी कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

(मेकैनिकल)

फिटर हेल्पर कैटेगरी-२ से फोरमैन इन्चार्ज तकनिकी-ए

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	फिटर हेल्पर/ग्रीजर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.०७	१) साक्षर, अथवा २) आ. टी. आई. सहित मैट्रिक	(१) फिटरों के कार्य में लगने वाले टूल्स व टैकल्स (यंत्रादि) के व्यवहार में कैटेगरी-१ में ३ वर्षों का अनुभव । अथवा (२) आई. टी. आई. सहित मैट्रिक के लिये—फिटरों के कार्यों में लगने वाले टूल्स व टैकल्स (यंत्रादि) के व्यवहार में कैटेगरी-१ में १ वर्ष का अनुभव।	डी. पी. सी./ निपुणता जाँच
२.	मेकैनिकल फिटर ग्रेड-३	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	१) साक्षर, अथवा २) आई. टी. आई. के साथ मैट्रिक	(१) कैटेगरी-२ में हेल्पर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव, अथवा (२) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. के लिये कैटेगरी-२ में हेल्पर के रूप में २ वर्षों का अनुभव ।	—वही—
३.	मेकैनिकल फिटर ग्रेड-२	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	१) साक्षर, अथवा २) आई. टी. आई. के साथ मैट्रिक	(१) कैटेगरी-४ में मेकैनिकल व (२) फिटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	—वही—
४.	मेकैनिकल फिटर ग्रेड-१	कैटेगरी-६ रु. २९.२४-१.३५-४८.१४	१) साक्षर, अथवा २) आई. टी. आई. के साथ मैट्रिक	(१) व (२) कैटेगरी-५ में मेकैनिकल फिटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	—वही—
५.	असिस्टेंट फोरमैन (मेकैनिकल)	तक० व सुप० ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	१) साक्षर, अथवा २) आई. टी. आई. के साथ मैट्रिक ।	(१) कैटेगरी - ६ में मेकैनिकल फिटर के रूप में ६ वर्षों का अनुभव, अथवा (२) आई. टी. आई. के साथ मैट्रिक के लिये कैटेगरी-६ में मेकैनिकल फिटर के रूप में ४ वर्षों का अनुभव ।	—वही—

१	२	३	४	५	६
६.	फोरमैन (मेकैनिकल)	तक० व सुप० ग्रेड-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	१) साक्षर, अथवा २) आई. टी. आई. सहित मैट्रिक	(१) व (२) तक० व सुप० ग्रेड-सी में असिस्टेंट फोरमैन (मेकैनिकल) के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.
७.	फोरमैन इन्चार्ज	तक० व सुप० ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३६०-५५-१७०१	१) साक्षर, अथवा २) आई. टी. आई. के साथ मैट्रिक	(१) व (२) तक० व सुप० ग्रेड-बी में फोरमैन (मेकैनिकल) के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	—वही—

द्रष्टव्य : वांछित व्यावसायिक जाँच (ट्रेड टेस्ट) की रूप-रेखा का निर्णय प्रबन्धन द्वारा किया जायगा ।

वाशरी के कार्मिक जो वर्कशाप में कार्यरत हैं उनके प्रोमोशन का रास्ता — परिशिष्ट-१५-५

कारपेन्टर हेल्पर से कारपेन्टर

१	२	३	४	५	६
१.	कारपेन्टर हेल्पर	कैटेगरी-२ रु. २१ ६५-०.५३-२९.०७	१) साक्षर, अथवा २) आई. टी. आई. के साथ मैट्रिक अथवा समकक्ष सम्बन्धित व्यवसाय (ट्रेड) में प्रमाण-पत्र	(१) कैटेगरी-१ के रूप में ३ वर्षों का अनुभव, अथवा (२) आई. टी आई. सहित मैट्रिक के लिये कैटेगरी-१ में १ वर्ष का प्रशिक्षण ।	डी. पी. सी./ प्रवीणता जाँच —वही—
२.	कारपेन्टर	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	—वही—	(१) कैटेगरी-२ में कारपेन्टर हेल्पर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव	डी. पी. सी./ ट्रेड टेस्ट (व्यावसायिक जाँच)
३.	कारपेन्टर	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	—वही—	कैटेगरी-४ में कारपेन्टर के रुप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.

कोल वाशरी कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

परिशिष्ट-१५-६

मैशिनिस्ट हेल्पर से मैशिनिस्ट ग्रेड-१

१	२	३	४	५	६
१.	हेल्पर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.०७	(१) आई. टी. आई. सहित मैट्रिक, अथवा (२) साक्षर	(१) आई. टी. आई. सहित मैट्रिक के लिये कैटेगरी-१ के रूप में १ वर्ष का प्रशिक्षण ।	डी. पी. सी./ योग्यता जाँच
२.	मैशिनिस्ट ग्रेड-३	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	साक्षर, वेतन मंडल (वेज बोर्ड के अनुरूप योग्यता)	कैटेगरी-२ में हेल्पर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी. व्यावसायिक जाँच (ट्रेड टेस्ट)
३.	मैशिनिस्ट ग्रेड-२	कैटेगरी-५ रु. २६ ०४-१.००-४०.०४	—वही—	कैटेगरी-४ में मैशिनिस्ट ग्रेड-२ के रुप में ३ वर्षों का अनुभव ।	—वही—
४.	मैशिनिस्ट ग्रेड-१	कैटेगरी-६ रु. २६.२४-१.३५-४८.१४	—वही—	कैटेगरी-५ में मैशिनिस्ट ग्रेड-२ के रुप में ३ वर्षों का अनुभव ।	—वही—

द्रष्टव्य : (१) व्यावसायिक जाँच (ट्रेड टेस्ट) की रुपरेखा जैसा प्रबन्धन द्वारा निर्धारित किया जाय ।

(२) कुशलता जैसा कि व्यावसायिक जाँच (ट्रेड टेस्ट) तथा वेतन मंडल (बेज बोर्ड) में दिया गया है ।

कोल वाशरी कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

परिशिष्ट-१५-७

वर्कशॉप कर्मचारी

वर्कशॉप हेल्पर से ब्लैकस्मिथ

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	वर्कशाप हेल्पर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.०७	(१) साक्षर (२) नया बहाली के लिये आई. टी. आई. (ब्लैकस्मिथ ट्रेड में)	(१) कैटेगरी-१ मजदूर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव । (२) कैटेगरी-१ मजदूर के रूप में १ वर्ष का प्रशिक्षण ।	डी. पी. सी. योग्यता जाँच
२.	हैमरमैन	कैटेगरी-३ रु. २२.७०-०.६५-३१.८०	—वही—	कैटेगरी-२ में वर्कशाप हेल्पर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी सी.
३.	ब्लैकस्मिथ	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	—वही—	कैटेगरी-३ में हैमरमैन के रुप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी. व्यावसायिक जाँच

१	२	३	४	५	६
४.	ब्लैकस्मिथ ग्रेड-२ (डब्लू)	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	—वही—	कैटेगरी-४ में ब्लैकस्मिथ के रुप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.
५.	ब्लैकस्मिथ ग्रेड-१ (डब्लू)	कैटेगरी-६ रु. २९.२४-१.३५-४८.१४	—वही—	कैटेगरी-५ में ब्लैकस्मिथ ग्रेड-२ के रुप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी. व्यावसायिक जाँच

द्रष्टव्य : प्रबन्धन द्वारा निर्धारित व्यावसायिक जाँच की रुप-रेखा के अनुरुप कुशलता हासिल करना होगा ।

कोल वाशरी कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

परिशिष्ट-१५-८

पेन्टिंग हेल्पर से सिनियर पेन्टर

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	पेन्टिंग हेल्पर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२४.०७	साक्षर	कैटेगरी-१ में पेन्टिंग के काम का ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी./योग्यता जाँच
२.	पेन्टर	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	साक्षर	कैटेगरी - २ में पेन्टिंग हेल्पर के रुप में ५ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.
३.	सिनियर पेन्टर	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	साक्षर	कैटेगरी-४ में पेन्टर के रुप में ५ वर्षों का अनुभव । अक्षरों तथा साइन बोर्ड लिखने में सक्षम होना चाहिये ।	डी. पी. सी.

परिशिष्ट-१५-९

कोल वाशरी कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम
झल्केनाइजिंग हेल्पर से सिनियर झल्केनाइजर

क्रम संख्या १	पदनाम २	कैटेगरी/ग्रेड/वितनमान ३	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी) ४	प्रोमोशन हेतु पात्रता ५	प्रोमोशन का रास्ता ६
१.	झल्केनाइजिंग हेल्पर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.०७	साक्षर	कैटेगरी-१ में झल्केनाइजिंग औजारों (टूल्स) से काम करने का ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी./ योग्यता जाँच
२.	असिस्टेंट झल्केनाइजर	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	साक्षर	कैटेगरी-२ में झल्केनाइजिंग हेल्पर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.
३.	झल्केनाइजर	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	साक्षर	कैटेगरी-४ में असिस्टेंट झल्केनाइजर के रूप में ४ वर्षों का अनुभव एवं बड़े कन्वेयर बेल्टों के झल्केनाइजिंग का अनुभव ।	डी. पी. सी.
४.	सिनियर झल्केनाइजर	कैटेगरी-६ रु. २९.२४-१.३५-४८.१४	साक्षर	कैटेगरी-५ में झल्केनाइजर के रूप में ४ वर्षों का अनुभव एवं बड़े कन्वेयर बेल्टों के झल्केनाइजिंग का अनुभव ।	डी. पी. सी.

परिशिष्ट-१५-१०

कोल वाशरी कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम
लोको (संचालन एवं रख-रखाव)
साइडिंग/वागन क्लीनिंग मजदूर से बी. जी. डीजल लोको सुपरवाइजर

क्रम संख्या १	पदनाम २	कैटेगरी/ग्रेड/वितनमान ३	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी) ४	प्रोमोशन हेतु पात्रता ५	प्रोमोशन का रास्ता ६
१	साइडिंग/वागन क्लीनिंग मजदूर	कैटेगरी-१ रु. २१.१६-०.४३-२७.१८	(१) साक्षर (२) फिटर ट्रेड में आई.टी.आई.	(१) कम्पनी का कोई भी स्थाई कर्मचारी । (२) नया बहाली के लिये ।	चयन/योग्यता जाँच ।
२.	लोको मजदूर/फिटर हेल्पर	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.०७	(१) साक्षर (२) फिटर ट्रेड में आई.टी.आई.	(१) कैटेगरी-१ में साइडिंग / वागन क्लीनिंग मजदूर के रूप में तीन वर्षों का अनुभव (२) कैटेगरी - १ में साइडिंग / वागन क्लीनिंग मजदूर के रूप में २ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.
३.	बी.जी. लोको फायरमैन/ब्रेकमैन/प्वाइन्ट्समैन/लोको फिटर	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	(१) साक्षर (२) फिटर ट्रेड में आई.टी.आई.	(१) कैटेगरी-२ में लोको मजदूर/ फिटर हेल्पर के रूप में ४ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.

१	२	३	४	५	६
				(२) कैटेगरी-२ में लोको मजदूर/ फिटर हेल्पर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	
४.	लोको ड्राइवर (स्टीम/ डीजल/लोको फिटर)	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	(१) आक्षर, अथवा (२) फिटर ट्रेड में आई.टी.आई.	(१) कैटेगरी - ४ में बी. जी. लोको फायरमैन / ब्रेक्समैन / ब्वाइन्ट्समैन / लोको फिटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.
५.	बी. जी. लोको ड्राइवर (स्टीम/डीजल) लोको फिटर	ग्रेड-डी रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	(१) साक्षर, अथवा (२) फिटर ट्रेड में आई.टी.आई.	कैटेगरी-५ में लोको ड्राइवर (स्टीम/डीजल) के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.
६.	(ए) बी. जी. लोको ड्राइवर (डीजल)	ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	(१) साक्षर (२) फिटर ट्रेड में आई.टी.आई.	(१) ग्रेड-डी में बी. जी. लोको ड्राइवर (स्टीम/डीजल) लोको फिटर के रूप में ६ वर्षों का अनुभव । (२) ग्रेड-डी में बी. जी. लोको ड्राइवर (स्टीम/डीजल) लोकोफिटर के रूप में ४ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.
	(बी) बी. जी. स्टीम लोको	ग्रेड-सी	(१) साक्षर	(१) ग्रेड-डी में बी. जी. लोको	डी.पी.सी.

१	२	३	४	५	६
	इन्चार्ज	रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	(१) फिटर ट्रेड में आई.टी.आई.	ड्राइवर (स्टीम/डीजल) लोको फिटर के रूप में ६ वर्षों का अनुभव ।	
				(२) ग्रेड-डी में बी. जी लोको ड्राइवर (स्टीम/डीजल) लोको फिटर के रूप में ४ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी.. सी.
७.	बी. जी. डीजल लोको फिटर	ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	(१) साक्षर (२) फिटर ट्रेड में आई.टी.आई.	(१) ग्रेड-डी में ६ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.
				(२) ग्रेड - डी में ४ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.
८.	बी. जी. स्टीम/ डीजल लोको मेन्टेनेन्स फिटर-कम-मेकैनिक	ग्रेड-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	(१) साक्षर (२) फिटर ट्रेड में आई.टी.आई.	ग्रेड-सी में बी. जी. डीजल लोको फिटर/बी. जी. लोको ड्राइवर (डीजल) / बी. जी. स्टीम लोको इन्चार्ज के रूप में ४ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.
९.	बी. जी. डीजल लोको सुपरवाइजर	ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	(१) साक्षर (२) फिटर ट्रेड में आई.टी.आई.	ग्रेड-बी में बी. जी. लोको मेन्टेनेन्स फिटर-कम-मेकैनिक के रूप में ४ वर्षों का अनुभव ।	टी. पी. सी.

आपरेटर ग्रेड-३ से फिटर-कम-आपरेटर ग्रेड-१/ट्रिपलर आपरेटर

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	आपरेटर ग्रेड-३	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	(१) साक्षर, अथवा (२) आई. टी. आई. सहित मैट्रिक	(१) कम्पनी का कोई भी स्थायी कर्मचारी जिसे कैटेगरी - २ में हेल्पर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव । (२) वाशरी में प्रचलित विभिन्न कार्यों (तरीकों) के ३ वर्षों का अनुभव, जिसमें क्वालिटी कन्ट्रोल के तरीकों की जानकारी शामिल हो, साथ-ही-साथ कन्ट्रोल स्विचों के चलाने का भी अनुभव रखता हो ।	चयन

१	२	३	४	५	६
२.	(ए) आपरेटर ग्रेड-२	कैटेगरी-५ रु. २६ ०४-१.००-४०.०४	(१) साक्षर, अथवा (२) आई. टी. आई. सहित मैट्रिक	(१) कैटेगरी-४ में आपरेटर ग्रेड-३ के रुप में ५ वर्षों का अनुभव । (२) कैटेगरी-४ में स्वतन्त्र रुप से साइड कण्ट्रोल बोर्ड के संचालन का भी अनुभव रखने के साथ-ही-साथ वाशरियों में अपनाये जाने वाले धुलाई के विभिन्न तौर तरीकों के संचालन का तीन वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी./ व्यावसायिक जाँच
२.	(बी फिटर-कम-आपरेटर ग्रेड-३	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	(१) साक्षर, अथवा (२) मैट्रिक के साथ आई. टी.आई.। दोनों ही अवस्था में खदानों हेतु इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रुल्स के अन्तर्गत एल. टी. परमिट अथवा कोल माइन्स के दक्ष प्राधिकार (कम्पीटेन्ट	(१) कैटेगरी-४ में आपरेटर ग्रेड-३ के रुप में ५ वर्षों का अनुभव । (२) कैटेगरी-४ में आपरेटर ग्रेड-३ के रुप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी./ व्यावसायिक जाँच (ट्रेड टेस्ट)

१	२	३	४	५	६
			औथोरिटी) द्वारा जारी ५५० भोल्ट का माइनिंग पाट्स का परमिट प्राप्त हो।		
३. (ए)	आपरेटर ग्रेड-१	कैटेगरी-६ रु. २९.२४-१.३५-४८.१४	(१) साक्षर, अथवा (२) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई.	(१) एवं (२) कैटेगरी-५ में आपरेटर ग्रेड-२ के रुप में ३ वर्षों का अनुभव।	—वही—
३. (बी)	फिटर-कम-आपरेटर ग्रेड-२	कैटेगरी-६ रु. २९.२४-१.३५-४८.१४	(१) साक्षर, अथवा (२) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई.। दोनों ही अवस्था में केवल ज्वाइनिंग (केबुल जोड़ने) तथा ओभरहेड लाइनों को जोड़ने हेतु एच. टी. (हाई टेन्सन) परमिट प्राप्त हो, जो खदानों के लिये लागू दक्ष प्राधिकार	(१) एवं (२) कटेगरी-५ में फिटर-कम-आपरेटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डो.पी.सी. व्यावसायिक जाँच

१	२	३	४	५	६
			(कम्पीटेन्ट औथोरिटी) द्वारा जारी किया गया हो।		
४. (ए)	फिटर-कम-आपरेटर ग्रेड-१	ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	(१) साक्षर, अथवा (२) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई.। दोनों ही मामलों में केबुल ज्वाइनिंग एवं ओभरहेड लाइनों के लिये खदानों हेतु लागू दक्ष प्राधिकार (कम्पीटेन्ट औथोरिटी) द्वारा जारी किया गया एच.टी. (हाइ-टेन्सन) परमिट प्राप्त हो।	(१) एवं (२) कैटेगरी-६ में आपरेटर ग्रेड-१ अथवा फिटर-कम-आपरेटर ग्रेड-२ के रुप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी.पी.सी.
४. (बी)	ट्रिपलर आपरेटर	ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	(१) साक्षर, अथवा (२) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई.	(१) एवं (२) वागन ट्रिपलर कन्वेयर क्रशर, फीडर इत्यादि के संचालन एवं रख - रखाव अथवा कैटेगरी - ६ में	डी.पी.सी।

१	२	३	४	५	६
				फिटर-कम-आपरेटर ग्रेड-२ का ३ वर्षों का अनुभव ।	

द्रष्टव्य : तकनिकी ग्रेड-सी में फिटर-कम-आपरेटर ग्रेड-१ तथा ग्रेड-सी में ट्रिपलर आपरेटरों को मेकैनिकल (परिशिष्ट-४) के लिये कैडर स्कीम के मुताबिक असिस्टेंट फोरमैन (मेकैनिकल) तकनिकी ग्रेड-बी सहित आगे तकनिकी-बी में फोरमैन (मेकैनिकल) तथा तकनिकी-ए में फोरमैन इन्चार्ज के रूप में सम्मिलित रूप से आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होगा ।

कोल वाशरी कार्मिकों के लिये कैडर स्कीम

परिशिष्ट-१५-१२

(इलेक्ट्रिकल)

हेल्पर (इलेक्ट्रिकल) से फोरमैन इन्चार्ज

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता शैक्षणिक/तकनिकी	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	हेल्पर इलेक्ट्रिकल	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२९.०७	(१) साक्षर, अथवा (२) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई.	(१) कैटेगरी-१ जेनेरल मजदूर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी./ व्यावसायिक जाँच
२. (ए)	इलेक्ट्रिशियन	कैटेगरी-४ रु. २४.१०-०.८०-३५.३०	(१) साक्षर (२) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. दोनों ही मामलों के लिये खदानों हेतु लागू इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के तहत एल.टी. परमिट अथवा इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी	(१) साक्षरों के लिये कैटेगरी - २ में हेल्पर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव, तथा (२) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. के लिये दो वर्षों का अनुभव ।	—वही— —वही—
(बी)	फिटर इलेक्ट्रिकल				

१	२	३	४	५	६
			एक्ट/रूल्स जो भी लागू हो, के अनुसार प्रमाण-पत्र प्राप्त होना चाहिये ।		
३.	इलेक्ट्रिशियन/ फिटर इलेक्ट्रिकल	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	(१) साक्षर, अथवा (२) मैट्रिक के साथ आई. टी. आई. दोनों ही मामलों के लिये खदानों हेतु लागू इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के तहत एल. टी. परमिट अथवा इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट/रूल्स जो भी लागू हो, के अनुसार प्रमाण-पत्र प्राप्त होना चाहिये ।	(१) एवं (२) कैटेगरी-४ में इलेक्ट्रिशियन अथवा कैटेगरी-४ में इलेक्ट्रिकल फिटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	—वही—
४.	इलेक्ट्रिशियन/ फिटर इलेक्ट्रिकल	कैटेगरी-६ रु. २६.२४-१.३५-४८.१४	(१) साक्षर, अथवा (२) मैट्रिक के साथ आई.	(१) एवं (२) कैटेगरी-५ में इलेक्ट्रिशियन, अथवा कैटेगरी-५ में	—वही—

१	२	३	४	५	६
			टी. आई. दोनों ही के लिये दक्ष प्राधिकार द्वारा जारी केबुल ज्वाईनिंग तथा ओभरहेड लाइनों के लिये एल. टी. परमिट प्राप्त होना चाहिये ।	इलेक्ट्रिकल फिटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	
५.	असिस्टेंट फोरमैन/ चार्जमैन	ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरशिप प्रमाण-पत्र प्राप्त हो ।	सुपरवाइजरी प्रमाण-पत्र प्राप्त इलेक्ट्रिशियन ।	—वही—
६.	फोरमैन/इलेक्ट्रिकल	ग्रेड-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरशिप प्रमाण-पत्र प्राप्त हो ।	ग्रेड-सी में असिस्टेंट फोरमैन/चार्जमैन के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी./ व्यावसायिक जाँच
७.	फोरमैन इन्चार्ज	ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	मैट्रिक तथा इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरशिप प्रमाण-पत्र प्राप्त हो ।	ग्रेड-बी में फोरमैन इलेक्ट्रिकल के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	—वही—

अध्याय—१२

समझौता का क्रियान्वयन

१. **प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी**

क्रियान्वयन आदेश संख्या ६३ दिनांक १४-७-१९८६

क्यू. हिन्दी विभाग (सेल) में कार्यरत कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. के प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी की १९ एवं २० जून १९८६ को हुए बैठक में हिन्दी (राजभाषा) सेल में कार्यरत कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम पर वार्त्तालाप हुई और उसपर अन्तिम निर्णय लिया गया। यह भी राजीनामा हुआ कि जे. बी. सी. सी. आई. के सदस्य सचिव इस सम्बन्ध में क्रियान्वयन आदेश जारी करें।

२. तदनुसार, हिन्दी सेल में कार्यरत कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

(क) हिन्दी सेल में कार्यरत कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम हेतु टिप्पणी — परिशिष्ट-१६

(ख) सामान्य (जेनेरल) क्लरिकल ग्रेड के लिये कैडर स्कीम — परिशिष्ट-१६-१

(ग) स्टेनोग्राफर 'ओ. एल.' (राजभाषा) के लिये कैडर स्कीम — परिशिष्ट-१६-२

३. यह द्रष्टव्य हो कि इस कैडर स्कीम के लागू हो जाने के साथ-ही-साथ इस विषय पर अब तक जारी किये गये वर्तमान सभी आदेश व निर्देश रद्द हुए समझे जायेंगे।

४. प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि वे उपरोक्त स्कीम (योजना) को लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठावें।

———

कैडर स्कीम सं० १६

हिन्दी सेल में कार्यरत कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम

१. **संक्षिप्त नाम, सीधा एवं वर्गीकरण :**

(अ) इस स्कीम (योजना) को "हिन्दी सेल कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम" के नाम से पुकारा जायगा।

(ब) यह योजना हिन्दी विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिये लागू होगी एवं उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जायगा :

(१) जेनेरल (सामान्य) क्लरिकल कैडर — परिशिष्ट-१

(२) सेक्रेटेरियल कैडर — परिशिष्ट-२

२. **परिभाषा :**

इस स्कीम में यदि विषय अथवा सन्दर्भ के विरोध में कुछ भी नहीं हो तो :—

(अ) 'कम्पीटेन्ट औथोरिटी' (दक्ष प्राधिकार) का अर्थ कम्पनी का मुख्य कार्यपालक अथवा क्षेत्रीय महाप्रबन्धक (एरिया जेनेरल मैनेजर) जो भी हो अथवा समय-समय पर उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी हों।

(आ) 'शैक्षणिक योग्यता' का अर्थ वह योग्यता है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा वह योग्यता / जाँच जो कम्पनियों द्वारा निर्धारित तथा संचालित किया जाय।

(इ) 'सेवा' (सर्विस) का अर्थ किसी पद पर वह सेवा है जो इसके साथ के परिशिष्टों में दर्शाया गया है।

(ई) वेतन मंडल (वेज बोर्ड) एवं प्रबन्धन द्वारा समय-समय पर कैडर स्कीम में निर्धारित कुशलता की योग्यता जानने हेतु 'जाँच' (टेस्ट) किया जायगा।

३. **प्रोमोशन का रास्ता :**

३.१ हिन्दी सेल में कार्यरत विभिन्न ग्रेडों के कर्मचारियों के लिये प्रोमोशन का रास्ता आगे के परिशिष्टों में दिया गया है। उक्त परिशिष्टों में

उम्मीदवारों के उच्च पद पर प्रोमोशन / चयन के लिये विचारार्थ पात्रता (योग्यता) जानने के उद्देश्य से समय-समय पर कैडर स्कीम में सम्मिलित किये जाने वाले योग्यताओं एवं अनुभवों, जो कि परिशिष्ट में दिया गया है, उसका निर्देश मात्र है ।

३.२ क्लरिकल स्पेशल ग्रेडों तक के पदों के लिये प्रोमोशन का आधार सिनियरिटी-कम-मेरिट (वरीयता-सह-योग्यता) होगा एवं क्लरिकल स्पेशल ग्रेड से तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-ए के लिये योग्यता-सह-वरीयता (मेरिट-कम-सिनियरिटी) होगा ।

६.३ क्लरिकल स्पेशल ग्रेड तक के पदों को प्रोमोशन से भरने का क्षेत्र एरिया (क्षेत्रीय) अथवा उसके समकक्ष स्तर का होगा एवं तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-ए के पदों के लिये वह कम्पनी स्तर रहेगा ।

४. विभागीय प्रोमोशन कमिटी :

उच्चतर कैटेगरियों में रिक्त पदों को भरने के लिये अभ्यर्थियों का चयन विभागीय प्रोमोशन कमिटी की अनुशंसा पर होगा एवं उक्त कमिटी का गठन दक्ष प्राधिकार (कम्पीटेन्ट औथोरिटी) अथवा उसके द्वारा समय समय पर नियुक्त अन्य जिस किसी अधिकारी को वैसे अधिकार दिये जांय, उनके द्वारा किया जायगा । वैसे अनुशंसाओं पर दक्ष प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा । डी. पी. सी. की बैठक होने और योग्य पाने पर अन्तिम पैनल (सूची) जो डी.पी.सी. (विभागीय प्रोमोशन कमिटी) द्वारा बनाया जाय उसकी सूचना सम्बन्धित व्यक्तियों को दे दी जानी चाहिये ।

५. सीधा बहाली :

सीधा बहाली उसी हालत में होगा यदि कोई पद रिक्त होने से उसके ६ महीने के भीतर विभागीय कर्मचारी उक्त रिक्त पद को भरने के उपयुक्त नहीं पाये जायेंगे ।

६. रद्द, संशोधन इत्यादि :

इस योजना (स्कीम) के लागू हो जाने के साथ-ही-साथ इस विषय के अन्य सभी आदेश एवं निर्देश अप्रभावी हुए समझे जायेंगे ।

———

क्लरिकल (ओ. एल.) कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम

जेनेरल क्लरिकल कैडर

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	क्लर्क (ओ.एल.) ग्रेड-३	क्लर्क ग्रेड-३ रु. ६२५-२३-८५७	किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से एक विषय हिन्दी सहित मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा, अथवा मैट्रिक के साथ हिन्दी में प्रभाकर, प्रवेशिका इत्यादि प्रमाण-पत्र हो ।	कम्पनी में ३ वर्षों की चयन/जांच सेवा	
२. (ए)	क्लर्क (ओ.एल.) ग्रेड-२	क्लर्क ग्रेड-२ रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	—वही—	क्लरिकल ग्रेड-३ में क्लर्क (ओ. एल.) के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.
	(बी) टाइपिस्ट (ओ.एल.)	—वही—	१) —वही— २) हिन्दी में ३० शब्द प्रति	—वही—	डी.पी.सी.

१	२	३	४	५	६
			मिनट की दर से टंकन (टाइपिंग) क्षमता अनिवार्य ।		
३.	क्लर्क (ओ.एल.) ग्रेड-१/ट्रान्सलेटर (अनुवादक)	क्लरिकल ग्रेड-१ रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	हिन्दी तथा अंग्रेजी के साथ बी.ए. (स्नातक) अथवा समकक्ष । हिन्दी अनुवाद करने में सरकारी प्रमाण-पत्र धारियों को प्राथमिकता दी जायगी ।	क्लरिकल ग्रेड - २ में क्लर्क (ओ. एल.) के रूप में ३ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.
४.	सिनियर क्लर्क (ओ.एल.)/ ट्रान्सलेटर (अनुवादक)	क्लरिकल स्पेशल ग्रेड रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	—वही—	क्लर्क (ओ. एल.) ग्रेड-१ / ट्रान्सलेटर (अनुवादक के रूप में ५ वर्षों का अनुभव । क्लर्क (ओ. एल.) ग्रेड-१ एवं २ के रूप में ८ वर्षों का अनुभव जिसमें ३ वर्ष ग्रेड-२ में रहना आवश्यक है ।	डी. पी. सी.

१	२	३	४	५	६
५.	आफिस सुपरिन्टेन्डेंट (ओ. एल.) / सिनियर ट्रान्सलेटर (वरीय अनुवादक)	तक० व सुप० ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-६५-१७०१	—वही—	सिनियर क्लर्क (ओ. एल.) अथवा ट्रान्सलेटर (अनुवादक) के रूप में ५ वर्षों का अनुभव ।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : १. ग्रेड-२ के टाइपिस्ट को जिन्होंने आप्शन दिया है उन्हें कैडर में अथवा सेक्रेटेरियट कडर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा बशर्ते कि उनके पास हिन्दी स्टेनोग्राफी की निर्धारित योग्यता हो ।

२. वर्तमान कर्मचारियों के क्लरिकल ग्रेड-१ तक के पदों पर प्रोमोशन के लिये शैक्षणिक योग्यता की कोई बाधा नहीं होगी ।

३. ग्रेड-१ क्लर्क जिन्होंने आप्शन दिया है यदि उनके पास निर्धारित योग्यता होगी तो उन्हें स्पेशल ग्रेड क्लर्क / सिनियर क्लर्क अथवा ट्रान्सलेटर तक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ।

४. इस्को तथा सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० इन योजनाओं में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार संशोधन कर सकेंगे ।

स्टेनोग्राफर (ओ. एल.—राजभाषा) कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

परिशिष्ट-१६-२

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	टाइपिस्ट (ओ.एल. राजभाषा)	क्लरिकल ग्रेड-२ रु. ६७८-३०-६१८-११६८-	१. किसी मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से हिन्दी के साथ मैट्रिक अथवा समकक्ष, अथवा, मैट्रिक के साथ हिन्दी में प्रभाकर, प्रवेशिका इत्यादि प्रमाण-पत्र प्राप्त। २. हिन्दी में ३० शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग /	ग्रेड-३ क्लर्क के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी.पी.सी./ जाँच
२.	स्टेनोग्राफर (ओ.एल.)	क्लरिकल ग्रेड-१ रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	१. —उपरोक्त जैसा ही— २. हिन्दी शार्टहैंड (शंकेतलिपि) में ८० शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी टाइपिंग (टंकण) में ३० शब्द प्रति मिनट की गति होना अनिवार्य।	क्लरिकल ग्रेड-२ में टाइपिस्ट (ओ. एल) के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	—वही—
३.	परसनल असिस्टेंट (ओ.एल.) (निजी सहायक-राजभाषा)	क्लरिकल स्पेशल ग्रेड रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	१. ऊपर के क्रम संख्या २ के अनुरूप। २. हिन्दी शार्टहैंड (शंकेत लिपि) में १०० शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी टाइपिंग में १०० शब्द प्रति मिनट की गति होना अनिवार्य।	स्टेनोग्राफर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी./ जाँच
४.	सिनियर परसनल असिस्टेंट (ओ. एल.) (वरीय निजी सहायक-राजभाषा)	तकनिकी व सुप० ग्रेड-ए रु. ८६२-५३-१३१६ ५५-१७०१	१. उपरोक्त क्रमांक ३ जैसा ही। २. उपरोक्त क्रमांक ३ जैसा ही। ३. अंग्रेजी टाइपिस्ट एवं शार्टहैंड का ज्ञान वांछनीय।	पी. ए. (ओ. एल.) स्पेशल ग्रेड के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य :

१. वर्तमान कर्मचारियों को उनके अनुरूप स्केल के अनुसार ऊपर जैसा फिर से पदनामित किया जायगा।

२. इस्को एवं सिगरेनी कोलियरी कं० लि० इन योजनाओं में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन कर सकेंगी।

३. क्लरिकल ग्रेड-१ तक के पदों के लिये वर्तमान कर्मचारियों के लिये प्रोमोशन हेतु शैक्षणिक योग्यता कोई बाधा नहीं होगी।

अध्याय—१२

१. प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी

क्रियान्वयन आदेश संख्या ६५ दि० १३-८-१९८६

आर. हिन्दी सेल (विभाग) में कार्यरत कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम

परिपत्र संख्या एन. सी. डब्लू. ए.-३ (आई. आई. सं. ६३/८६)/६०६ दिनांक १४ जुलाई, १९८६ जिसके साथ में हिन्दी विभाग के कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम भेजा गया था, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है।

उपरोक्त पत्र के परिशिष्ट-१६-१ में जिसमें क्रमांक ३ के क्लर्क (ओ.एल.) ग्रेड-१/ट्रान्सलेटर (अनुवादक) के सामने कैटेगरी/पे स्केल के अन्तर्गत उल्लिखित स्पेशल ग्रेड की जगह क्लरिकल ग्रेड-१ होगा।

उपरोक्त प्रसारित कैडर स्कीम में इस क्लरिकल गलती को सुधार लिया जाय।

———

अध्याय—१२

१. प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी

क्रियान्वयन आदेश सं० ६६ दि० २-६-१९८६

आर. पारा मेडिकल कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

संदर्भ : (१) एन. सी. डब्लू. ए.-२ (आई. आई. (क्रि. आ.) सं. ३३) दिनांक २२-६-१९८६

(२) एन. सी. डब्लू. ए.-३ (आई. आई. (क्रि. आ.) सं. ५५/८५/६६२) दिनांक १७ दिसम्बर, १९८५

१. प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी की क्रमशः २५ मई, १९८६ एवं १६ व २० जून १९८६ को हुए २२वें एवं २३वें बैठक में भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय के परिपत्र सं० ७ - २१ / ५५ / डी दिनांक १६-७-१९८५ को मद्देनजर रखते हुए योग्य कम्पाउण्डरों को जिनके पास फार्मेसी में डिप्लोमा है उनका पदनाम बदलकर फार्मासिस्ट किये जाने के विषय पर वार्त्तालाप हुई। आगे फार्मासिस्टों के भविष्य में नर्सिंग स्टाफ के समान आगे बढ़ने के मुद्दे पर भी उक्त बैठकों में वार्त्ता हुई।

२. उक्त कमिटी की २१ व २२ अगस्त, १९८६ को हुए २४वें बैठक में उपरोक्त वार्त्ताओं को मद्देनजर रखते हुए पारा मेडिकल स्टाफ (कम्पाउण्डर / फार्मासिस्टों के लिये क्रि० आ० सं० ५५ दि० १७ दिसम्बर, १९८५ के तहत प्रसारित परिशिष्ट-६-२ में कुछ परिवर्तन किये जाने हेतु सहमति हुई एवं यह राजीनामा भी हुआ कि सदस्य सचिव इस सम्बन्ध में क्रिया.न्वयन आदेश जारी कर दें।

३. तदनुसार, कम्पाउण्डर/फार्मासिस्ट के लिये संशोधित कैडर स्कीम परिशिष्ट-६-२ के तहत भेजा गया है।

४. प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि कम्पाउण्डर / फार्मासिस्ट से सम्बन्धित संशोधित कैडर स्कीम को पारा-मेडिकल स्टाफ के लिये पहले प्रसारित क्रि० आ० सं० ५५ दि० १७ दिसम्बर १९८५ को बदलकर इसे लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठावें।

———

मेडिकल स्टाफ (चिकित्सा कर्मचारी) (कम्पाउण्डर/फार्मासिस्ट) (संशोधित) **परिशिष्ट-६-२**

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक /तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	कम्पाउण्डर (योग्यता रहित)	ग्रेड-ई रु. ६२५-२३-६४७	सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों के लिये	—	—
२. (ए)	फार्मासिस्ट (ट्रेनी/प्रोवेशनर)	ग्रेड-डी रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	(१) विज्ञान के साथ मैट्रिक, एवं (२) फार्मेसी में डिप्लोमा, एवं (३) फार्मेसी कौंसिल के साथ पंजीकृत	नयी बहाली के लिये	चयन/डी.पी.सी.
२. (बी)	फार्मासिस्ट ग्रेड-२	ग्रेड-डी रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	वर्तमान कम्पाउण्डर/फार्मासिस्ट जिनके पास फार्मेसी में डिप्लोमा है एवं फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत है।	—	—
३.	फार्मासिस्ट ग्रेड-१	ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	(१) विज्ञान के साथ मैट्रिक एवं (ए) तकनिकी-डी में फार्मासिस्ट (ट्रेनी/प्रोवेशनर) के रूप	चयन/ डी. पी. सी.	

१	२	३	४	५	६
			(२) फार्मेसी में डिप्लोमा, तथा (३) फार्मेसी के कौंसिल के साथ पंजीकृत अथवा वर्त्तमान कम्पाउण्डर / फार्मासिस्ट जिनके पास फार्मेसी में डिप्लोमा है एवं फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत हैं।	में दो वर्षों का सफल प्रशिक्षण । (बी) तकनिकी - डी में फार्मासिस्ट ग्रेड - २ के रूप में २ वर्षों का अनुभव ।	
४. सिनियर फार्मासिस्ट	ग्रेड-बी रु. ८१०-४६-११७८-५१-१५८६	—वही—		तकनिकी-सी में फार्मासिस्ट डी.पी.सी. ग्रेड-१ के रूप में ५ वर्षों का अनुभव ।	
५. चीफ फार्मासिस्ट	ग्रेड-ए रु. ८९२-५३-१३१६-५५-१७०१	(१) —वही— (२) विज्ञान में स्नातक (बी. एस सी.)/बीफार्मा वांछनीय ।		सिनियर फार्मासिस्ट ग्रेड-बी डी.पी.सी. के रूप में ५ वर्षों का अनुभव ।	

द्रष्टव्य : (१) सभी फार्मासिस्ट (योग्य), फार्मासिस्ट ग्रेड-२, फार्मासिस्ट ग्रेड-१, सिनियर फार्मासिस्टों को राज्य के मेडिकल कौंसिल (चिकित्सा परिषद) के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है ।

(२) ग्रेड-बी में सिनियर फार्मासिस्ट के पद वहीं चालू रहेंगे जहाँ उनके द्वारा फार्मासिस्ट का काम करने के अतिरिक्त एरिया / रिजनल सेण्ट्रल मेडिकल स्टोर्स (क्षेत्रीय केन्द्रीय चिकित्सा भंडार) संचालित होता है ।

(३) वर्तमान कम्पाउण्डर (योग्यता रहित) जो तकनिकी ग्रेड-ई में है परन्तु जिनके पास निम्नलिखित निर्धारित योग्यता नहीं है और जिनके पास निम्नानुसार अनुभव हैं :—

(ए) मैट्रिक अथवा समकक्ष : ७ वर्ष
(बी) नन-मैट्रिक : १० वर्ष

और जो निर्धारित योग्यता हासिल करने में सक्षम नहीं हैं वे तकनिकी ग्रेड-डी में प्रोमोशन के हकदार होंगे वशर्ते कि वे कम्पनी द्वारा संचालित जाँच / परीक्षा में सफल हो जाय ।

(४) तकनिकी पारा-मेडिकल कर्मचारी में सीधा बहाली के लिये जो मैट्रिक पास हैं और जिन्होंने रिटायर (सेवा निवृत्त) होने से कम-से-कम दस वर्ष पहले तक सेना में काम किया है उनके लिये यह माना जायगा, जैसे कि वे तकनिकी ग्रेड-डी में कम्पाउण्डर पद के लिये निर्धारित वांछित योग्यता प्राप्त हों ।

———

क्रियान्वयन आदेश सं० ७१ दि० ३०-१२-१९८६

एस. प्रेस कर्मचारियों के लिये कार्य-विवरण एवं कैडर स्कीम

१. प्रोमोशन पॉलिसी कमिटी की १९ दिसम्बर, १९८६ को हुए ७२वें बैठक में प्रेस कर्मचारियों के कैडर स्कीम के साथ-साथ कार्य-विवरण की जाँच करने हेतु पूर्व गठित सब-कमिटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई एवं उसे मंजूरी दी गई । यह राजीनामा हुआ कि सदस्य सचिव इस सम्बन्ध में क्रियान्वयन आदेश जारी कर सकते हैं ।

२. तदनुसार, प्रेस कर्मचारियों का कार्य-विवरण एवं कैडर स्कीम नीचे दिया जा रहा है :—

(क) प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम के सम्बन्ध में टिप्पणी —कैडर स्कीम सं० १७

(ख) बुक-बाइण्डिंग (बंधाई) विभाग—परिशिष्ट-१७-१ एवं १७-२

(ग) कम्पोजिंग विभाग

(१) मेकैनिकल (मशीनी) कम्पोजिंग—परिशिष्ट-१७-३ एवं १७-४

(२) हैंड कम्पोजिंग (हाथ कम्पोज)-परिशिष्ट-१७-५ एवं १७-६

(घ) प्रोसेस विभाग—परिशिष्ट-१७-७, ८, ९, १० एवं ११

(ङ) प्रिंटिंग (छपाई) विभाग

१) लेटर प्रेस —परिशिष्ट-१७-१२

२) ऑफ-सेट —परिशिष्ट-१७-१३

(च) सामान्य (जेनेरल) —परिशिष्ट-१४, १५ एवं १६

(छ) सुपरवाइजरी —परिशिष्ट-१७-१८

३. यह द्रष्टव्य हो कि इस कैडर स्कीम के लागू हो जाने के साथ-ही साथ इस विषय पर अब तक जारी किये गये वर्तमान सभी आदेश एवं निर्देश रद्द हुए समझे जायेंगे ।

४. प्रबन्धनों से उपरोक्त कैडर स्कीम को अविलम्ब लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है ।

प्रेस कर्मचारियों के नामकरण, कार्य-विवरण एवं वर्गीकरण

ए. बुक बाइण्डिंग सेक्सन (किताब बँधाई विभाग) :—

१. **जेनेरल मजदूर (प्रेस) कैटेगरी-१ :**

एक श्रमिक जो कच्चे मालों / तैयार सामानों, छपे हुए फार्मों को विभिन्न विभागों से कार्य स्थल/स्टोर्स में एक जगह से दूसरे जगह रखने (अथवा लाने-ले-जाने) का काम करता है साथ ही साथ पैकिंग, चढ़ाने तथा उतारने एवं विविध कार्यों में सहायता करता है ।

२. **पैकर, ग्रेड एच :**

एक श्रमिक जो कच्चे मालों, तैयार सामानों, छपे हुए फार्मों को विभिन्न विभागों से कार्यस्थल / स्टोर्स में एक जगह से दूसरे जगह रखने के साथ-साथ पैकिंग करता है तथा छपे हुए सामानों का रख-रखाव करता है, बेयर हाउस (गोदामों) को व्यवस्थित रखता है तथा मालों को भेजने का काम करता है ।

३. **बुक बाइण्डर, ग्रेड-ई :**

एक श्रमिक जो कागज कटिंग मशीन, रूलिंग मशीन, तार से सिलाई करने की मशीन, सूता से सिलाई करने की मशीन, वार्निश करने की मशीन, सुनहला लगाने की मशीन, परफोरेटिंग (छेद करने की) मशीन, स्पिरल मशीन तथा नम्बरिंग (नम्बर करने) इत्यादि मशीनों को चलाता है तथा रजिस्टर/किताब/पैडों इत्यादि की बंधाई का कार्य करता है, साथ-ही-साथ छपे हुए सामानों को कार्यक्रम के अनुसार तैयार करने से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करता है ।

४. **सिनियर बुक बाइण्डर, ग्रेड-डी :**

एक श्रमिक जो एक दफ्तरी (बाइण्डर) द्वारा किये जाने वाले सामान्य कार्यों के अतिरिक्त बुक-बाइण्डिंग के कार्य मे लगने वाले विभिन्न मशीनों को चलाने के साथ-ही-साथ उनके रख-रखाव के प्रति भी जिम्मेवार होते हैं ।

५. **हेड बाइण्डर, सेक्सन होल्डर, ग्रेड-सी :**

एक श्रमिक जो बुक-बाइण्डिंग सेक्सन में कार्यक्रम के मुताबिक प्रत्येक कर्मचारी को दैनिक कार्य आबंटित करता है एवं उनकी देख-भाल

करता है। वह तैयार सामानों के चालान बनाने के साथ-ही-साथ विभाग से सम्बन्धित विभिन्न रेकार्ड सम्बन्धी कागजातों को रखता है, साथ-ही-साथ आफिस रिपोर्ट जमा करने के साथ ही कार्यक्रम बनाने में भी सहायता करता है।

बी. **कम्पोजिंग सेक्सन :—**

मेकैनिकल कम्पोजिंग (मशीन से कम्पोजिंग) :

६. **मोनो की-बोर्ड आपरेटर ग्रेड-डी :**

एक श्रमिक जो हिन्दी, अंग्रेजी तथा/अथवा कोई एक क्षेत्रीय भाषा जिसकी छपाई प्रेस में होती हो उसके निर्धारित गति बरकरार रखते हुए निर्दिष्ट तकनिकी निर्देशों के अनुसार मोनो की-बोर्ड पंचिंग मशीन आपरेट (संचालित) करता है।

७. **सिनियर मोनो की-बोर्ड आपरेटर ग्रेड-सी :**

एक श्रमिक जो मोनो की-बोर्ड आपरेटर द्वारा किये जाने वाले कार्यों के अलावा स्वच्छ तथा कठिन टेबुलर कम्पोजिंग के कामों की जिम्मेवारी लेता है।

८. **मोनो कास्टर ग्रेड-डी :**

एक श्रमिक जो हिन्दी, अंग्रेजी तथा/अथवा किसी एक क्षेत्रीय भाषा जिसकी छपाई प्रेस में होती हो उसके निर्धारित गति बरकरार रखते हुए निर्दिष्ट तकनिकी निर्देशों के अनुसार शार्ट-टाइप कास्टिंग एवं कम्पोजिंग कास्टिंग मशीनों का संचालन करता है।

९. **सिनियर मोनो कास्टर ग्रेड-सी :**

एक श्रमिक जो मोनो कास्टर द्वारा किये जाने वाले कार्यों के अलावा कठिन कार्यों की अच्छी कास्टिंग करने हेतु जिम्मेवार होता है।

१०. **हैंड कम्पोजिंग :**

एक श्रमिक जो टेक्स्ट एवं डिस्प्ले टाइप मैटर के साथ-ही साथ स्पेसिंग सामानों की सफाई करके टाइप केस में डिस्ट्रीब्यूट (डालता) करता है, प्रूफ उठाता है एवं कम्पोजीटरों को कम्पोजिंग सामग्री देता (आपूर्ति करता) है। वह मशीन सेक्सन (विभाग) से छपे हुए

सामानों (मैटरों) को हटाता है, उसे निर्धारित जगहों में रखता है, रूल एवं लेडों को विभिन्न मापों में काटता है एवं छपे हुए ब्लाकों को ठीक से रखता है।

११. **सिनियर डिस्ट्रीब्यूटर ग्रेड-ई :**

एक श्रमिक जो प्रिंटिंग कामों (जौबों) की रख-रखाव तथा सफाई करने के साथ-ही-साथ कम्पोजीटरों को सम्बन्धित कम्पोजिंग कामों में सहायता करता है एवं शार्ट-टाइप पहचानने, लेड एवं रूल ढलाई के लिये जिम्मेवार होने के साथ-ही-साथ कम्पोजीटरों को शार्ट कम्पोज करने में सहायता करता है।

१२. **कम्पोजीटर ग्रेड-डी :**

एक श्रमिक जो हिन्दी, अंग्रेजी तथा / अथवा किसी क्षेत्रीय भाषाओं के छपे/हाथ-लिखे/टाइप किये हुए कापी से विशिष्ट निर्देशानुसार कम्पोज (वर्ण-संयोजन) करता है। वह जब भी आवश्यक होता है, सही गति बनाये रखते हुए गेली/मशीन करेक्शन (संशोधन) करता है, पेज मेक-अप, रंगीन संयोजन, ब्लाक लगाना, कम्पोज किये गये मैटरों के प्रूफ को व्यवस्थित करने के साथ-ही-साथ छपे मैटरों/डिस्प्ले टाइपों को डिस्ट्रीब्यूट भी करता है।

१३. **सिनियर कम्पोजीटर ग्रेड-सी :**

एक श्रमिक जो एक कम्पोजीटर द्वारा किये जाने वाले सभी कामों को करने के साथ-ही-साथ उच्च तकनीक के गुणपरक, मशीनी तथा उसी प्रकार के कठिन कम्पोज के कामों को करता है।

सी. **प्रोसेस विभाग (सेक्सन) :**

१४. **जुनियर आर्टिस्ट ग्रेड-डी :**

एक श्रमिक जो अक्षरों (वर्णों) की डिजाइन एवं रंग बनाई के साथ-साथ सभी कामों में आर्टिस्ट की सहायता करता है।

१५. **आर्टिस्ट ग्रेड-सी :**

एक श्रमिक जो प्रदर्शनी एवं छपाई के लिये दृश्य सामग्री / आर्ट के काम को तैयार करता है।

१६. **सिनियर आर्टिस्ट ग्रेड-बी :**

एक श्रमिक जो छपाई प्रदर्शन के लिये ले-आउट माडल तथा आर्ट वर्क तैयार करता है ।

१७. **असिस्टेंट कैमरामैन ग्रेड-ई :**

एक श्रमिक जो निगेटिव/पोजिटिव तैयार करने एवं प्रोसेसिंग में सहायता करता है ।

१८. **कैमरामैन ग्रेड-डी :**

एक श्रमिक जो निगेटिव/पोजिटिव बनाने के साथ-ही-साथ प्रोसेसिंग एवं केमिकल प्रिपरेशन बनाता है ।

१९. **सिनियर कैमरामैन ग्रेड-सी :**

एक श्रमिक जो कैमरामैन द्वारा किये जाने वाले सामान्य निगेटिव/पोजिटिव बनाने के कामों को करने के अलावा उच्च कुशलता वाले अच्छे गुणपरक (क्वालिटी) कामों को करने के लिये भी जिम्मेवार होता है ।

२०. **असिस्टेंट इनग्रेवर ग्रेड-ई :**

एक श्रमिक जो ब्लाक बनाने के काम में मदद करने के साथ-ही-साथ इम्पोज तथा ब्लाक बनाने से सम्बन्धित अन्य कार्यों में भी सहायता करता है ।

२१. **इनग्रेवर ग्रेड-डी :**

एक श्रमिक जो ब्लाक बनाने के साथ-ही-साथ इम्पोजीशन, फिनिशिंग तथा केमिकल प्रिपरेशन इत्यादि कामों को करता है ।

२२. **सिनियर इनग्रेवर ग्रेड-सी :**

एक श्रमिक जो इनग्रेवर द्वारा किये जाने वाले सामान्य ब्लाक बनाने के कामों को करने के साथ-ही-साथ उच्च कुशलता वाले अच्छे गुणपरक कार्यों को करने के लिये भी जिम्मेवार होता है ।

२३. **असिस्टेंट ऑफ-सेट प्लेट मेकर ग्रेड-ई :**

एक श्रमिक जो ऑफसेट प्लेट बनाने एवं उसके रख-रखाव में मदद करने के साथ-ही-साथ इम्पोज तथा प्लेट बनाने सम्बन्धी अन्य कार्यों में सहायता करता है ।

२४. **ऑफसेट प्लेट मेकर ग्रेड-डी :**

एक श्रमिक जो आफसेट प्लेट बनाने के साथ-ही-साथ इम्पोज एवं केमिकल प्रिपरेशन इत्यादि करता है ।

२५. **सिनियर आफसेट प्लेट मेकर ग्रेड-सी :**

एक श्रमिक जो आफसेट प्लेट मेकर द्वारा किये जाने वाले सामान्य प्लेट तैयार करने के अलावा उच्चतर हुनर के गुणपरक (क्वालिटी) कामों को पूरा करने हेतु जिम्मेवार होता है ।

२६. **असिस्टेंट आफसेट प्लेट ग्रेनर ग्रेड-एफ :**

एक श्रमिक जो आफसेट प्लेट तैयार करने एवं तत्सम्बन्धी अन्य कामों के लिये ग्रेनिंग मशीन चलाने एवं उसके रख-रखाव में सहायता करता है ।

२७. **ऑफ-सेट प्लेट ग्रेनर ग्रेड-ई :**

एक श्रमिक जो प्लेट ग्रेनिंग मशीन चलाता है साथ ही ऑफ-सेट प्लेटों की परत को सुरक्षित एवं उसका रख-रखाव करता है ।

२८. **सिनियर ऑफ-सेट प्लेट ग्रेनर ग्रेड-डी :**

एक श्रमिक जो ऑफ-सेट ग्रेनर द्वारा किये जाने वाले सामान्य ग्रेनिंग के काम को करने के साथ-ही-साथ वह ग्रेनिंग मशीन को ठीक-ठाक रखने हेतु छोटे-मोटे मरम्मत के कामों को करने, उसके समायोजन एवं रख-रखाव के लिये जिम्मेवार होगा ।

डी. **प्रिंटिंग सेक्शन (छपाई विभाग) :**

लेटर प्रेस :

२९. **असिस्टेंट मशीनमैन (लेटर प्रेस) ग्रेड-ई :**

एक श्रमिक जो मशीनमैन (लेटर प्रेस) की सहायता करता है एवं जब आवश्यक होता है लेटर प्रेस छपाई की मशीन चलाता है साथ ही मशीन में तेल देता है उसकी सफाई करता है, काली देता है, पैकिंग बदलता है, मशीन में छपने वाले फर्मों को आंटता (इम्पोज करता) है, रोलर लगाता है इत्यादि ।

३०. **मशीनमैन (लेटर प्रेस) ग्रेड-डी :**

एक श्रमिक जो लेटर प्रेस मशीन चलाता है साथ ही इम्पोज करने (फर्मा आंटने) सहित तत्सम्बन्धी सभी कार्यों को करता है एवं छोटे-मोटे रख-रखाव/एडजस्टमेंट को करता है ।

३१. **सिनियर मशीनमैन (लेटर प्रेस) ग्रेड-सी :**

एक श्रमिक जो मशीनमैन (लेटर प्रेस) द्वारा किये जाने वाले सामान्य कार्यों को करने के अलावा लेटर प्रेस मशीन को ठीक एवं सही हालात में रखने एवं उच्च कुशलता वाले गुणपरक कार्यों को करने हेतु जिम्मेवार होता है ।

ऑफ-सेट :

३२. **असिस्टैंट मशीनमैन (ऑफसेट) ग्रेड-डी :**

एक श्रमिक जो मशीनमैन (आफसेट) की सहायता करता है एवं जब कभी आवश्यकता होती है, आफसेट प्रिंटिंग मशीन चलाता है एवं आफसेट मशीन में तेल-मोबिल डालता है, सफाई करता है, उसमें स्याही (काली) डालता है, रोलर लगाता है ।

३३. **मशीनमैन (ऑफसेट) ग्रेड-सी :**

एक श्रमिक जो औटोमैटिक ऑफ-सेट छपाई मशीन को चलाता एवं उस पर काम करता है, तत्सम्बन्धी सभी कामों की देख-रेख करता है जैसे रेडी करना, काली मिलाना, रजिस्ट्रेशन, फाईल छपाई साथ-साथ प्रतिरोधक रख-रखाव करता है ।

३४. **सिनियर मशीनमैन (ऑफसेट) ग्रेड-बी :**

एक श्रमिक जो मशीनमैन (आफ-सेट) द्वारा किये जाने वाले सामान्य ऑफ-सेट छपाई सम्बन्धी कार्यों को करने के साथ-ही-साथ मशीन एडजस्टमेंट का काम करने सहित मशीन के समुचित रख-रखाव के लिये जिम्मेवार होता है । उसे गुणपरक (अच्छें) छपाई के कामों, जिसमें उच्चतर कुशलता की आवश्यकता होती है, उन कामों को भी करना पड़ेगा ।

ई. **सामान्य :**

३५. **असिस्टैंट इस्टिमेटर ग्रेड-डी :**

एक श्रमिक जो प्राप्त काम के आदेशों को अलग-अलग करता है, कार्य आदेशों से सम्बन्धित कागजातों को रखता है, उन्हें वृहत खाता (बल्किंग रजिस्टर) में लिखता है एवं कार्यों के मूल्य निरूपण तैयार करता है और तत्सम्बन्धी कागजातों को रखता है ।

३६. **इस्टीमेटर ग्रेड-सी :**

एक श्रमिक जो मांगपत्र (सामानों की सूची) तैयार करने के अलावा असिस्टैंट इस्टीमेटर द्वारा रखे जाने वाले सम्बन्धित रजिस्टरों को रखता है एवं प्राथमिकता सूची के अनुसार उत्पादन कार्यक्रम बनाता है तथा मांगपत्र की मंजूरी हेतु प्रयत्नरत रहता है ।

३७. **असिस्टैंट प्रूफ रीडर ग्रेड-डी :**

एक श्रमिक जो हिन्दी, अंग्रेजी एवं किसी एक क्षेत्रीय भाषा जिसमें प्रेस में काम होता है के प्रूफों का करेक्शन (संशोधन) करता है ।

३८. **प्रूफ रीडर ग्रेड-सी :**

एक श्रमिक जो सामान्य प्रूफ देखने का काम जो असिस्टैंट (सहायक) प्रूफ रीडर द्वारा किया जाता है, उन कामों को करने के अलावा प्राथमिकता के अनुसार आदेशकों के पास प्रूफ जमा करता है ।

३९. **असिस्टैंट मेकैनिक ग्रेड-ई :**

एक श्रमिक जो एक मेकैनिक (मिस्त्री) को छपाई एवं बँधाई (बाइन्डिंग) मशीनों को ठीक-ठाक रखने में सहायक के रूप में मदद करता है ।

४०. **मेकैनिक ग्रेड-डी :**

एक श्रमिक जो प्रेस के लॉग (रजिस्टरों) पर विभिन्न छपाई मशीन, बंधाई यंत्र एवं अन्य मशीनों की सूची रखता है ।

४१. **सिनियर मेकैनिक ग्रेड-सी :**

एक श्रमिक जो लेद, बेल्डिंग एवं अन्य सम्बन्धित मशीनों को चलाने के साथ-ही-साथ स्पेयरों की मरम्मत तथा रख-रखाव करता है ।

एफ. सुपरवाइजर :

४२. फोरमैन-इन-चार्ज ग्रेड-ए :

एक श्रमिक जो प्राथमिकता सूची के मुताबिक उत्पादन का कार्यक्रम बनाता है एवं कम्पोजिंग, प्रोसेसिंग, छपाई और बंधाई विभागों में दोनों शिफ्टों में सम्यक कार्य प्रणाली बरकरार रखने एवं कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु उत्पादन का समन्वय बनाये रखता है। मशीनों का रख-रखाव करता है, अनुशासन बनाये रखता है, छानबीन करता है एवं अपने से वरिष्ठ अधिकारियों को शिफ्ट एवं मासिक प्रगति विवरण तथा कार्यों से सम्बन्धित अन्य विवरण प्रस्तुत करता है।

४३. फोरमैन ग्रेड-बी :

एक श्रमिक जो विभिन्न विभागों को दैनिक कार्य आबंटित करता है, दक्षतापूर्वक निर्बाध उत्पादन को बनाये रखता है, उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करना, स्वच्छता एवं मशीनों तथा कार्यस्थल को सुव्यवस्थित रखता है, शिफ्ट की प्रगति विवरण प्रस्तुत करता है, मशीन लौग बुक/कार्य डाकेट (विवरणी) रखता है एवं स्वीकृत प्रूफों/कापी के अनुसार छपाई में शुद्धि को सुनिश्चित करता है।

४४. असिस्टेंट फोरमैन ग्रेड-सी :

एक श्रमिक जो साप्ताहिक उत्पादन कार्यक्रमानुसार कम्पोजीटरों एवं मैशिनमैनों के बीच दैनिक कार्यों को आबंटित करता है। वह चित्र कला (ड्राइंग) सामग्री, निर्बाध उत्पादन, मशीनों के रख-रखाव, जाब डाकेट (कार्य-विवरण) तथा मशीन लौग बुक रखने हेतु जिम्मेवार होता है। वह शिफ्ट प्रगति विवरण तैयार करने तथा साप्ताहिक प्रगति कार्यक्रम तैयार करने एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों में सहायता करने हेतु भी जिम्मेवार होता है।

———

कैडर स्कीम सं० १७

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं वर्गीकरण :

(ए) इस स्कीम (योजना) को प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम (योजना) के नाम से पुकारा जायगा।

(बी) यह योजना प्रेस कैडर के सभी श्रमिकों पर लागू होगा जिन्हें निम्नलिखित ६ कैटेगरियों में वर्गीकृत किया गया है :

(१) बुक बाइण्डिंग सेक्सन (किताब बंधाई विभाग) —परिशिष्ट-१ व २

(२) कम्पोजिंग विभाग —(ए) मेकैनिकल कम्पोजिंग —परिशिष्ट-३ व ४
—(बी) हैंड कम्पोजिंग— —परिशिष्ट-५ व ६

(३) प्रोसेस विभाग—परिशिष्ट-७, ८, ९, १० व ११

(४) प्रिंटिंग (छपाई विभाग)—
(ए) लेटर प्रेस—परिशिष्ट-१२
(बी) ऑफसेट —परिशिष्ट-१३

(५) सामान्य —परिशिष्ट-१४, १५ व १६

(६) सुपरवाइजरी —परिशिष्ट-१७

२. परिभाषा

इस कैडर स्कीम (योजना) यदि विषय अथवा संदर्भ के विपरीत कुछ नहीं हो तो :—

(ए) 'कम्पीटेन्ट ऑथोरिटी' (दक्ष प्राधिकार) का अर्थ कम्पनी का मुख्य कार्यपालक अथवा निदेशक (कार्मिक) जो भी हो अथवा अन्य कोई भी अधिकारी जिन्हें इनके द्वारा समय-समय पर अधिकृत किये जाँय, होंगे।

(बी) 'शैक्षणिक योग्यता' का अर्थ वह योग्यता है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा वह योग्यता/जाँच जो कम्पनियों द्वारा निर्धारित तथा संचालित की जाय।

(सी) 'सेवा' (सर्विस) का अर्थ किसी पद पर वह सेवा है जैसा कि इसके साथ के परिशिष्टों में दर्शाया गया है।

(डी) 'जाँच' (टेस्ट) का अर्थ स्तर का मूल्यांकन करना है, जो लिखित/मौखिक/प्रायोगिक परीक्षाओं के जरिये प्रबन्धन द्वारा समय-समय पर कैडर स्कीम में कुशलता जाँच के लिये निर्धारित किया जाता है।

३. (क) प्रेस कर्मचारियों के विभिन्न कैटेगरियों के लिये प्रोमोशन का रास्ता इसके साथ के दिये गये परिशिष्ट के अनुसार होगा। उक्त परिशिष्ट, इस स्कीम के तहत अभ्यर्थियों के चयन/प्रोमोशन के लिये पात्रता के उद्देश्य से समय-समय पर कैडर में सम्मिलित किये गये विभागीय कर्मचारियों द्वारा हासिल योग्यता एवं अनुभवों का निर्देश मात्र करते हैं।

(ख) तकनिकी ग्रेड-सी तक के चयन/प्रोमोशन का आधार लगनशीलता (आप्टीच्यूड)-सह-सिनियरिटी (वरीयता)-सह-मेरिट (योग्यता) होगा तथा तकनिकी ग्रेड-ए के लिये चयन/प्रोमोशन का आधार मेरिट-सह-सिनियरिटी होगा।

(ग) यदि स्कीम (योजना) में विशेष रूप से कोई अन्य प्रावधान नहीं हो तो प्रोमोशन का क्षेत्र प्रेस होगा।

(घ) विभागीय प्रोमोशन कमिटी (डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमिटी) :

उच्चतर कैटेगरियों में रिक्त पदों को भरने के लिये अभ्यर्थियों का चयन/प्रोमोशन विभागीय प्रोमोशन कमिटी की अनुशसा पर होगा एवं उक्त कमिटी का गठन दक्ष प्राधिकार (कम्पीटेण्ट औथोरिटी) अथवा उसके द्वारा समय-समय पर अन्य जिस किसी अधिकारी को वैसे अधिकार दिये जाँय उनके द्वारा किया जायगा। वैसे अनुशंसाओं पर दक्ष प्राधिकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(ङ) सीधा बहाली :

सीधा बहाली उसी हालत में किया जायगा यदि विभागीय कर्मचारी उक्त पद को भरने के उपयुक्त नहीं पाये जायेंगे।

४. यह कैडर स्कीम सेण्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की प्रेस, जो कोल इण्डिया एवं उसकी सहायक कम्पनियों में सबसे बड़ी प्रेस है, में व्याप्त संगठनात्मक ढाँचे के आधार पर बनाया गया है। टिस्को, इस्को एवं सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० को इस बात की छूट होगी कि जब कभी आवश्यक हो, वे अपने स्तर पर यूनियन प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसमें संशोधन कर सकें।

५. वर्तमान में कार्यरत कार्मिक अविलम्ब इस योजना के तहत लाये जायेंगे एवं उन्हें निम्न प्रकार से नियमित किया जायगा :—

(अ) जहाँ वेतनमान बराबर हो तथा पदनाम यदि भिन्न हो, तो उसे इस स्कीम के अनुसार बदल दिया जायगा।

(ब) जहाँ पदनाम इस स्कीम के अनुरूप है वहाँ वेतनमान के साथ कार्य-विवरण स्कीम के अनुसार लागू होगा।

६. रद्द, संशोधन इत्यादि

प्रेस कर्मचारियों के लिये वर्तमान में यदि कोई कैडर स्कीम विद्यमान है तो वह इस स्कीम के लागू होने के साथ-साथ अप्रभावी हो जायगा।

———

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम (योजना) — परिशिष्ट-१७-१

बुक बाइण्डिंग सेक्सन (किताब बँधाई विभाग)

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	जेनेरल मजदूर (प्रेस)	कैटेगरी-१ रु. २१.१६-०.४३-२७.१८	साक्षर	कम्पनी का कोई भी स्थायी कर्मचारी	डी. पी. सी. / ट्रेड टेस्ट (विभागीय प्रोमोशन कमिटी/ व्यावसायिक जाँच)
२.	पैकर	ग्रेड-एच रु. ५६७-१४-७४३	साक्षर	कैटेगरी-१ में जेनेरल मजदूर (प्रेस) के रूप में ३ वर्षों का अनुभव	डी. पी. सी.

ट्रष्टव्य :- जेनरल मजदूर जिन्होंने पैकरों के साथ ३ वर्ष सेवा के साथ जिसमें पैकर के रूप में ३ वर्ष सेवा सहित ५ वर्षों से अधिक तक काम किया है उन्हें आगे डिस्ट्रीब्यूटर / असिस्टेंट मशीनमैन (लेटर प्रेस), बुक बाइण्डर, असिस्टेंट प्लेट ग्रेनर के रूप में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ।

—०—

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम (योजना) — परिशिष्ट-१७-२

बुक बाइण्डिंग सेक्सन (किताब बँधाई विभाग)

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	बाइण्डर	ग्रेड-ई रु. ६२५-२३-६४७	साक्षर अथवा ग्रेड-एफ में डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ४ वर्षों का अनुभव	ग्रेड-एच में पैकर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव बशर्ते कि व्यावसायिक जाँच (ट्रेड टेस्ट) परीक्षा में पास हो जाय । अथवा किसी व्यावसायिक प्रेस में बाइण्डर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव बशर्ते कि व्यावसायिक जाँच (ट्रेड टेस्ट) में पास हो । (नयी बहाली के लिये)	डी.पी.सी./ ट्रेड टेस्ट
२.	सिनियर बाइण्डर (वरीय बाइण्डर)	ग्रेड-डी रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	साक्षर	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-ई में बाइण्डर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.

१	२	३	४	५	६
३.	हेड बाइण्डर (मुख्य बाइण्डर)	ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	साक्षर मैट्रिक वांछनीय	सिनियर बाइण्डर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य :- बाइण्डर पद के स्वीकृत पदों का ४३% को ग्रेड-डी में बाइण्डर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हेड बाइण्डर/सेक्सन होल्डर ग्रेड-'सी' में ५ वर्ष सेवा करने के बाद आगे सुपरवाइजरी कैडर में फोरमैन तथा फोरमैन-इन-चार्ज के रूप में अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा बशर्ते कि यह अन्य पद के लिये योग्यता तथा लगन पर निर्भर करेगा।

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

परिशिष्ट-१७-३

(कम्पोजिंग विभाग—मेकैनिकल (यांत्रिक) कम्पोजिंग)

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	मोनो की-बोर्ड आपरेटर	तकनिकी सुपरवाइजरी 'डी' रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	मैट्रिक अथवा समकक्ष अथवा एप्रेन्टिसशिप एक्ट १९६१ के तहत एप्रेन्टिसशिप प्रमाणपत्र सफलतापूर्वक पास किया हो।	उक्त व्यवसाय (ट्रेड) में ५ वर्षों का अनुभव। हिन्दी, अंग्रेजी तथा किसी एक क्षेत्रीय भाषा जिसमें प्रेस में छपाई होती हो में दिया गया निर्धारित कार्य पूरा करता हो।	डी. पी. सी./ ट्रेड टेस्ट (व्यावसायिक जाँच)
२.	सिनियर मोनो की-बोर्ड आपरेटर	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'सी' रु. ७४२-४०-१०६२-४५-११२२	—वही—	तकनिकी एवं सुपरवाइजरी ग्रेड-'डी' में मोनो की-बोर्ड आपरेटर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : सिनियर मोनो की-बोर्ड आपरेटर ग्रेड-'सी' में ५ वर्ष काम करने के बाद आगे सुपरवाइजरी कैडर में फोरमैन एवं फोरमैन-इन-चार्ज के रूप में अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ने का मौका पायेंगे बशर्ते कि उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता तथा लगन उनके पास हो।

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम (योजना)

परिशिष्ट-१७-४

(कम्पोजिंग विभाग—मेकैनिकल (यांत्रिक) कम्पोजिंग)

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	मोनो कास्टर	तक० व सु० ग्रेड-'डी' रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	मैट्रिक अथवा समकक्ष अथवा एप्रेन्टिसशिप एक्ट १९६१ के तहत एप्रेन्टिसशिप प्रमाणपत्र सफलता पूर्वक प्राप्त किया हो।	सम्बन्धित व्यवसाय में ५ वर्षों का अनुभव। अंग्रेजी, हिन्दी एवं किसी एक क्षेत्रीय भाषा में जिसमें प्रेस में छपाई होता हो, में दिया गया निर्धारित कार्य पूरा करने में सक्षम हो। अथवा प्रेस के काम में ५ वर्षों का अनुभव जिसमें कम से कम ३ वर्ष ग्रेड - ई में रहा हो, बशर्ते निर्धारित व्यावसायिक	डी. पी. सी / ट्रेड टेस्ट (व्यावसायिक जाँच)
२.	सिनियर मोनो कास्टर	तक० व सुप० ग्रेड-'सी' रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	—वही—	जाँच में उतीर्ण हुआ हो। तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'डी' में मोनोकास्टर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : सिनियर मोनो कास्टर, ग्रेड-'सी' में कम-से-कम ५ वर्ष काम करने के बाद आगे सुपरवाइजरी कैडर में फोरमैन एवं फोरमैन-इन-चार्ज के रूप में अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ सकेंगे, वशर्ते कि उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता एवं लगन उनके पास हो।

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

परिशिष्ट-१७-५

(कम्पोजिंग विभाग हैंड (हाथ) कम्पोजिंग)

क्रम संख्या १	पदनाम २	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान ३	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी) ४	प्रोमोशन हेतु पात्रता ५	प्रोमोशन का रास्ता ६
१.	डिस्ट्रीब्यूटर	तक० व सुप० ग्रेड-एफ रु. ६०५-१८-८५७	साक्षर	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'एच' में पैकर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव। व्यावसायिक जाँच में सफल होना आवश्यक।	डी. पी सी./ट्रेड टेस्ट (व्यावसायिक जाँच)
२.	सिनियर डिस्ट्रीब्यूटर	तक० व सुप० ग्रेड-ई रु. ६२५-२३-८४७	साक्षर	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-एफ में डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : सिनियर डिस्ट्रीब्यूटर तकनिकी ग्रेड-ई में सिनियर डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में कम-से-कम तीन वर्ष काम करने के बाद आगे ग्रेड-डी में कम्पोजीटर के रूप में आगे बढ़ने का मौका पायेंगे। यदि वे चाहें तो उसी ग्रेड में असिस्टेंट मशीनमैन (पल. पी.) पद के लिये आप (स्वेच्छा प्रकट) कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरों को या तो ग्रेड-ई में सिनियर डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अथवा असिस्टेंट मशीनमैन (लेटर प्रेस) के रूप में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यह उक्त पद के लिये वांछित योग्यता तथा लगनशीलता के ऊपर निर्भर करेगा।

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

परिशिष्ट-१७-६

(कम्पोजिंग सेक्सन—हैण्ड कम्पोजिंग)

क्रम संख्या १	पदनाम २	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान ३	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी) ४	प्रोमोशन के लिये पात्रता ५	प्रोमोशन का रास्ता ६
१.	कम्पोजीटर	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-डी रु. ६७८-३०-६१८-३५-१११८	मैट्रिक अथवा समकक्ष अथवा एप्रेन्टिसशिप ऐक्ट के तहत एप्रेन्टिसशिप सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	हिन्दी, अंग्रेजी तथा किसी भाषा में जिसमें प्रेस में छपाई होता हो उसमें कम्पोज करने तथा प्रूफ करेक्शन करने में तीन वर्षों का अनुभव (नयी बहाली के लिये)	डी. पी. सी./ ट्रेड टेस्ट
				अथवा तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-ई में सिनियर डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव बशर्ते व्यावसायिक जाँच में उत्तीर्ण हो।	डी. पी. सी / ट्रेड टेस्ट
२.	सिनियर कम्पोजीटर	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-सी रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	—वही—	तक० व सु० ग्रेड-डी में कम्पोजीटर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी./

द्रष्टव्य : (१) कम्पोजीटरों के स्वीकृत पदों का ३३% ग्रेड-सी में सिनियर कम्पोजीटर के रूप परिवर्तित किया जा सकता है।

(२) सिनियर कम्पोजीटर ग्रेड-सी में ५ वर्षों तक काम करने के बाद आगे सुपरवाइजरी कैडर में फोरमैन तथा फोरमैन-इन-चार्ज के रूप में अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ने का मौका पायेंगे जो उक्त पद के लिये वांछित योग्यता तथा लगन पर निर्भर करेगा।

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना — परिशिष्ट-१७-७

प्रोसेस विभाग (आर्टिस्ट)

क्रम सं०	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन के लिये पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	जुनियर आर्टिस्ट	तक० व सुप० ग्रेड-'डी' रु. ६७८-११९८	किसी सरकारी मान्यता प्राप्त इन्स्टीच्यूट से फाइन आर्ट में डिप्लोमा प्राप्त हो।	(१) प्रेस के किसी भी काम में ग्रेड-'ई' में ५ वर्षों का अनुभव वशर्ते कि प्रतियोगिता जाँच में सफल हो। (२) उक्त ट्रेड (व्यवसाय) में ५ वर्षों का अनुभव वशर्ते कि प्रतियोगिता जाँच में सफल हो। (नयी बहाली के लिये)	डी.पी.सी./ ट्रेड टेस्ट (व्यावसायिक जाँच) डी.पी.सी./ ट्रेड टेस्ट (व्यावसायिक जाँच)
२.	आर्टिस्ट	तक० व सुप० ग्रेड-'सी' रु. ७४२-१४२२	—वही—	ग्रेड-'डी' में जुनियर आर्टिस्ट के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी.प.सी.
३.	सिनियर आर्टिस्ट	तक० व सुप० ग्रेड-'बी' रु. ८१०-१५८६	—वही—	ग्रेड-'सी' में आर्टिस्ट के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी.पी.सी.

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम (योजना)

परिशिष्ट-१७-८

प्रोसेस विभाग (कैमेरा)

क्रम सं०	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	असिस्टेंट कैमेरामैन	तक. व सुप. ग्रेड-'ई' रु. ६२५-९४७	मैट्रिक अथवा समकक्ष	(१) प्रेस में किसी हैसियत में ग्रेड-'एफ' में ५ वर्षों का अनुभव बशर्ते व्यावसायिक प्रतियोगिता जाँच में सफल हो।	डी.पी.सी./ट्रेड टेस्ट (व्यावसायिक जाँच)
				अथवा (२) उक्त ट्रेड (व्यवसाय) में ५ वर्षों का अनुभव बशर्ते व्यावसायिक प्रतियोगिता जाँच में सफल हो। (नयी बहाली के लिये)	व्यावसायिक जाँच (ट्रेड टेस्ट)
२.	कैमेरामैन	तक. व सुप. ट्रेड-'डी' रु. ६७८-११९८	मैट्रिक अथवा समकक्ष	ग्रेड-'ई' में असिस्टेंट कैमेरामैन के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.
३.	सिनियर कैमरामैन	तक. व सुप. ग्रेड-'सी' रु. ७४२-१४२२	मैट्रिक अथवा समकक्ष	ग्रेड-डी में कैमरामैन के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : सिनियर कैमरामैन ग्रेड-'सी' में ५ वर्ष काम करने के बाद आगे सुपरवाइजरी कैडर में अन्य लोगों के साथ फोरमैन तथा फोरमैन-इन-चार्ज के रूप में आगे बढ़ सकेंगे जो कि उक्त पद के लिये वांछित योग्यता एवं लगनशीलता पर निर्भर करेगा।

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम योजना
प्रोसेस सेक्सन (कैमेरा)

परिशिष्ट-१७-६

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	असिस्टेंट इन्ग्रेभर	तकनिकी व सुपरवाइजरी 'ई' रु. ६२५-९४७	मैट्रिक अथवा समकक्ष	(१) प्रेस में किसी भी पद पर ५ वर्षों का अनुभव वशर्ते व्यावसायिक जांच में सफल हो।	डी.पी.सी./ट्रेड टेस्ट (व्यावसायिक जाँच)
				अथवा	
				(२) उक्त ट्रेड (व्यवसाय) में ५ वर्षों का अनुभव वशर्ते व्यावसायिक जांच में सफल हो। (नयी बहाली के लिये)	डी.पी सी./ट्रेड टेस्ट (व्यावसायिक जाँच)
२.	इन्ग्रेभर	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'डी' रु. ६७८-११९८	मैट्रिक या समकक्ष	ग्रेड-'ई' में असिस्टेंट इन्ग्रेभर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.
३.	सिनियर इन्ग्रेभर	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'सी' रु. ७४२-१४२२	मैट्रिक या समकक्ष	ग्रेड-'डी' में इन्ग्रेभर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : सिनियर इन्ग्रेभर ग्रेड-'सी' में ५ वर्ष काम करने के बाद आगे सुपरवाइजरी कैडर में फोरमैन तथा फोरमैन-इन-चार्ज के रूप में अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ेंगें वशर्ते उक्त पद के लिये बांछित योग्यता तथा कुशलता हो।

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना
प्रोसेस विभाग (आफसेट प्लेट बनाना)

परिशिष्ट-१७-१०

क्रम सं०	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता शैक्षणिक/तकनिकी	प्रोमोशन के लिये पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	असिस्टेंट ऑफसेट प्लेट मेकर	तक० व सुप० ग्रेड-'ई' रु. ६२५-९४७	मैट्रिक अथवा समकक्ष	(१) प्रेस में किसी भी पद पर ग्रेड-'एफ' में ५ वर्षों का अनुभव वशर्ते व्यावसायिक प्रतियोगिता जाँच में सफल हो। अथवा	डी. पी. सी./ट्रेड टेस्ट (व्यावसायिक जाँच)
				(२) उक्त ट्रेड (व्यवसाय) में ५ वर्षों का अनुभव वशर्ते व्यावसायिक प्रतियोगिता जाँच में सफल हो। (नयी बहाली के लिये)	डी. पी. सी./ट्रेड टेस्ट (व्यावसायिक जाँच)
२.	ऑफसेट प्लेट मेकर	तक० व सुप० ग्रेड-'डी' रु. ६७८-११८६	मैट्रिक अथवा समकक्ष	ग्रेड-'ई' में असिस्टेंट ऑफसेट प्लेट मेकर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सो.
३.	सिनियर ऑफसेट प्लेट मेकर	तक० व सुप० ग्रेड-'सी' रु. ७४२-१४२२	मैट्रिक अथवा समकक्ष	ग्रेड-'डी' में ऑफसेट प्लेट मेकर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : सिनियर ऑफसेट प्लेट मेकर कम-से-कम ५ वर्षों तक काम करने के बाद आगे सुपरवाइजरी कैडर में फोरमैन एवं फोरमैन-इन-चार्ज के रूप में अन्य लोगों के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो उक्त पद के लिये बांछित योग्यता तथा कुशलता पर निर्भर करेगा।

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

परिशिष्ट-१७-११

प्रोसेस विभाग (ऑफसेट प्रेनिंग)

क्रम सं०	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वितनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	असिस्टेंट ऑफसेट प्लेट ग्रेनर	तक. व सुप. ग्रेड-'एफ' रु. ६०५-१८-६५७	(१) साक्षर अथवा (२) मिडिल स्कूल पास	(१) ग्रेड-'एच' में पैकर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव अथवा (२) मजदूर के रूप में ६ वर्षों का अनुभव निम्नलिखित ट्रेड में :-	डी. पी. सी./ ट्रेड टेस्ट
				(अ) कैटेगरी-१ बशर्ते व्यावसायिक प्रतियोगिता जाँच में सफल हो।	—वही—
				(ब) उक्त व्यवसाय (ट्रेड) में ४ वर्षों का अनुभव बशर्ते व्यावसायिक प्रतियोगिता जाँच में सफल हो।	—वही—
२.	ऑफसेट प्लेट ग्रेनर	तक. व सुप. ग्रेड-ई रु. ६२५-२३-६४७	(१) साक्षर अथवा (२) मिडिल स्कूल पास	(१) एवं (२) ग्रेड-'एफ' में असिस्टेंट ऑफसेट प्लेट ग्रेनर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.
३.	सिनियर ऑफसेट प्लेट ग्रेनर	तक. व सुप. ग्रेड-डी रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	(१) साक्षर (२) मिडिल स्कूल पास	(१) एवं (२) ग्रेड-'सी' में ऑफसेट प्लेट ग्रेनर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : सिनियर आफसेट प्लेट ग्रेनर ग्रेड-'डी' में ५ वर्ष काम करने के बाद आगे अन्य लोगों के साथ तक० व सुप० ग्रेड-'डी' में असिस्टेंट मशीनमैन (ऑफसेट) अथवा ऑफसेट प्लेट मेकर (ग्रेड-'डी') में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जो उक्त पद के लिये वांछित योग्यता तथा कुशलता पर निर्भर करेगा।

———

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

परिशिष्ट-१७-१२

छपाई विभाग (प्रिंटिंग सेक्सन) (लेटर प्रेस)

क्रम सं० १	पदनाम २	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान ३	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी) ४	प्रोमोशन के लिये पात्रता ५	प्रोमोशन का रास्ता ६
१.	असिस्टेंट मशीनमैन (लेटर प्रेस)	तक० व सुप० ग्रेड-'ई' रु. ६२५-९४७	(१) साक्षर	(१) पैकर/डिस्ट्रीब्यूट के रूप में ५ वर्षों का अनुभव तथा व्यावसायिक जाँच में सफल हो।	डी.पी.सी./ व्यावसायिक जाँच
			अथवा (२) मिडिल क्लास के साथ एप्रेन्टिसशिप एक्ट १९६१ के तहत एप्रेन्टिसशिप सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	अथवा (२) नये अभ्यर्थियों के लिये।	डी.पी.सी./ व्यावसायिक जाँच
२.	मशीनमैन (लेटर प्रेस)	तक० व सुप० ग्रेड-'डी' रु. ६७८-११९८	(१) साक्षर	(१) असिस्टेंट मशीनमैन (लेटर प्रेस) के रूप में तक० व सुप० ग्रेड-'ई' में ७ वर्षों का अनुभव	डी.पी.सी.
			अथवा (२) मिडिल क्लास के साथ एप्रेन्टिसशिप एक्ट १९६१ के तहत एप्रेन्टिसशिप सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	अथवा (२) तक० व सुप० ग्रेड-'ई' में असिस्टेंट मशीनमैन के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी.पी.सी.
३.	सिनियर मशीनमैन (लेटर प्रेस)	तक० व सुप० ग्रेड-'सी' रु. ७४२-१४२२	(१) साक्षर	(१) तक० व सुप० ग्रेड-'डी' में मशीनमैन (लेटर प्रेस) के रूप में १० वर्षों का अनुभव।	डी पी.सी.
			अथवा (२) मिडिल क्लास के साथ एप्रेन्टिसशिप एक्ट १९६१ के तहत एप्रेन्टिसशिप सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	तथा (२) ग्रेड-'डी' में दस वर्षों का अनुभव।	डी.पी.सी.

द्रष्टव्य : (१) मशीनमैन (लेटर प्रेस) के अनुमोदित पदों के ३३ प्रतिशत पदों को ग्रेड-'सी' में सिनियर मशीनमैन (लेटर प्रेस) में परिवर्तित किया जा सकता है।

(२) सिनियर मशीनमैन (लेटर प्रेस) को ग्रेड-'सी' में कम-से-कम ५ वर्ष काम पूरा करने के बाद अन्य लोगों के साथ सुपरवाइजरी कैडर में फोरमैन / फोरमैन इन्चार्ज के रूप में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा जो उक्त पद के लिये वांछित योग्यता एवं कुशलता पर निर्भर करेगा।

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर स्कीम (योजना)
प्रिन्टिंग सेक्शन (छपाई विभाग) (ऑफसेट)

परिशिष्ट-१७-१३

क्रम सं०	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	असिस्टेंट मशीनमैन	तक० व सुप० ग्रेड-'डी' रु. ६७८-११९८	(१) मिडिल पास	(१) आफसेट प्लेट ग्रेनर, असिस्टेंट मशीनमैन (लेटर प्रेस) के रूप में अथवा अन्य कोई भी अभ्यर्थी जो प्रेस में ग्रेड-'ई' में ५ वर्षों का अनुभव रखता है बशर्ते कि जो व्यावसायिक जाँच में सफल हो ।	डी. पी. सी./ व्यावसायिक जाँच
			अथवा (२) मैट्रिक के साथ एप्रेन्टिसशिप एक्ट १९६१ के तहत सफलता पूर्वक एप्रेन्टिसशिप पूरा किया हो ।	अथवा (२) नयी बहाली के लिये	डी. पी. सी./ ट्रेड टेस्ट
२.	मशीनमैन (आफसेट)	तक० व सुप० ग्रेड-'सी' रु. ७४२-१४२२	(१) उपरोक्त जैसा ।	(१) ग्रेड-'डी' में असिस्टेंट मशीनमैन (आफसेट) के रूप में ७ वर्षों का अनुभव । अथवा (२) ग्रेड-'डी' में असिस्टेंट मशीनमैन (आफसेट) के रूप में ५ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी. डी.पी.सी.
३.	सिनियर मशीनमैन	तक० व सुप० ग्रेड-'बी' रु. ८१०-१५८६	(१) उपरोक्त जैसा अथवा (२) उपरोक्त जैसा	(१) तथा (२) ग्रेड-'सी' में मशीनमैन (आफसेट) के रूप में १० वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.

द्रष्टव्य : सिनियर मशीनमैन (आफसेट) को ग्रेड-'बी' में कम-से-कम ५ वर्षों तक काम करने के बाद अन्य लोगों के साथ फोरमैन इनचार्ज (प्रेस) के रूप में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो उक्त पद हेतु वांछित योग्यता तथा कुशलता पर निर्भर करेगा ।

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

परिशिष्ट-१७-१४

(जेनेरल - इस्टिमेटिंग)

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	असिस्टेंट इस्टिमेटर	तक० व सुप० ग्रेड-'डी' रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	मैट्रिक या समकक्ष अथवा एप्रेन्टिसशिप एक्ट १९६१ के तहत एप्रेन्टिसशिप सफलता-पूर्वक पूरा किया हो।	लागत (इस्टिमेट) तथा कार्य आदेश (वर्क आर्डर) बनाने में ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी./ व्यावसायिक जाँच।
२.	इस्टिमेटर	तक० व सुप० ग्रेड-'सी' रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	—वही—	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'डी' में असिस्टेंट इस्टिमेटर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : इस्टिमेटर ग्रेड-'सी' में ५ वर्षों तक काम करने के बाद आगे सुपरवाइजरी कैडर में अन्य लोगों के साथ फोरमैन / फोरमैन-इन-चार्ज के रूप में आगे बढ़ने का मौका पायेंगे जो उक्त पद के लिये वांछित योग्यता तथा कुशलता पर निर्भर करेगा।

———

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

परिशिष्ट-१७-१५

सामान्य (जेनेरल)

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	असिस्टेंट प्रूफ रीडर	तकनिकी ग्रेड-'डी' रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	मैट्रिक अथवा समकक्ष स्नातक वांछनीय	हिन्दी, अंग्रेजी तथा किसी एक क्षेत्रीय भाषा में जिसमें प्रेस में काम होता हो में प्रूफ करेक्शन (निशान) करने का ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी./ व्यावसायिक जाँच।
२.	प्रूफ रीडर	तकनिकी ग्रेड-'सी' रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	—वही—	तकनिकी ग्रेड-'डी' में असिस्टेंट प्रूफ रीडर के रूप में ५ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.

द्रष्टव्य : प्रूफ रीडर तकनिकी ग्रेड-'सी' में कम-से-कम ५ वर्षों तक काम करने के बाद आगे सुपरवाइजरी कैडर में दूसरे लोगों के साथ फोरमैन / फोरमैन-इन-चार्ज के रूप में आगे बढ़ने का मौका पायेंगे जो कि उनके उक्त पद हेतु वांछित योग्यता तथा कुशलता पर निर्भर करेगा।

———

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

परिशिष्ट-१७-१६

(जेनेरल-मेकैनिक) (सामान्य मिस्त्री)

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	असिस्टेंट मेकैनिक	तकनिकी ग्रेड-'ई' रु ६२५-२३-९४७	साक्षर, मिडिल क्लास पास वांछनीय	प्रिन्टिंग (छपाई) व तत्सम्बन्धी अन्य मशीनों के रख-रखाव एवं मरम्मत में ५ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी. / व्यावसायिक जाँच ।
२.	मेकैनिक	तकनिकी ग्रेड-'डी' रु. ६७८-३०-९१८-३५-११९८	साक्षर, मिडिल क्लास पास वांछनीय	तकनिकी ग्रेड-'ई' में असिस्टेंट मेकैनिक के रूप में ५ वर्षों का अनुभव ।	डी पी.सी.
३.	सिनियर मेकैनिक	तकनिकी ग्रेड-'सी' रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४२२	साक्षर, मिडिल क्लास पास वांछनीय ।	तक० व सुप० ग्रेड-डी में मेकैनिक के रूप में ५ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.

प्रेस कर्मचारियों के लिये कैडर योजना

परिशिष्ट-१७-१७

सुपरवाइजरी

क्रम संख्या	पदनाम	कैटेगरी/ग्रेड/वेतनमान	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी)	प्रोमोशन हेतु पात्रता	प्रोमोशन का रास्ता
१	२	३	४	५	६
१.	असिस्टेंट फोरमैन	तक० व सुप० ग्रेड-'सी' रु. ७४२-१४२२	(१) मैट्रिक अथवा समकक्ष	(१) कम्पोजिंग, प्रिंटिंग अथवा बुक बाइन्डिंग विभाग में ५ वर्षों का अनुभव जिसमें कम-से-कम तीन वर्ष ग्रेड-'डी' में होना आवश्यक है ।	डी.पी.सी. / व्यावसायिक जाँच ।
			अथवा	अथवा	
			(२) प्रिन्टिंग टेक्नोलोजी में डिप्लोमा ।	(२) प्रेस में कम्पोजिंग, प्रिन्टिंग एवं बुक बाइन्डिंग विभागों में ३ वर्षों का अनुभव ।	—वही—
१.	फोरमैन	तक० व सुप० ग्रेड-'बी' रु. ८१०-१५८६	(१) उपरोक्त जैसा	(१) ग्रेड-'सी' में असिस्टेंट फोरमैन के रूप में ७ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.
			अथवा	अथवा	

१	२	३	४	५	६
			(२) उपरोक्त जैसा	(२) ग्रेड-'सी' में असिस्टेंट फोरमैन के रूप में ५ वर्षों का अनुभव ।	डी.पी.सी.
३.	फोरमैन इनचार्ज	तक० व सुप० ग्रेड-'ए' रु. ८९२-१७०१	(१) उपरोक्त जैसा अथवा (२) उपरोक्त जैसा	ग्रेड-'बी' में फोरमैन के रूप में ९ वर्षों का अनुभव ।	डी पी.सी./ चयन

द्रष्टव्य : तकनिकी ग्रेड-'ए' में फोरमैन इनचार्ज का पद उन्हीं कम्पनियों में कारगर होगा जहाँ प्रेस एक से अधिक शिफ्टों में काम करता है ।

---

१. प्रोमोशन पालिसी कमिटी

क्रियान्वयन आदेश सं० ७२ दिनांक १-१-१९८७

टी. ड्राइवरों (चालकों) के लिये कैडर योजना तथा कार्य-विवरण

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. की प्रोमोशन पालिसी कमिटी की ११ नवम्बर १९८६ को हुए २६वें बैठक में चालकों के लिये कैडर योजना तथा कार्य-विवरण पर वार्त्तालाप हुई तथा उसे अन्तिम रूप दिया गया । १९ दिसम्बर, १९८६ को हुए २७वें बैठक में यह निर्णय हुआ कि सदस्य सचिव इस सम्बन्ध में क्रियान्वयन आदेश जारी कर दें ।

२. तदनुसार, चालकों के लिये कैडर योजना तथा कार्य - विवरण का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :—

(क) चालकों (ड्राइवरों) के लिये कैडर योजना से सम्बन्धित टिप्पणी —कैडर योजना-१८

(ख) चालकों (ड्राइवरों) के लिये कैडर योजना —परिशिष्ट-१८-१

(ग) सुपरवाइजर (आटो) तथा गैरेज इनचार्ज के लिये कार्य-विवरण —परिशिष्ट-१८-२

३. यह द्रष्टव्य हो कि इस कैडर योजना के लागू हो जाने के साथ-ही-साथ इस विषय से सम्बन्धित अब तक के सभी वर्तमान आदेश तथा निर्देश रद्द हुए समझे जायेंगे ।

४. प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि इस योजना को अविलम्ब लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठावें ।

कैडर योजना सं० १८

चालकों (ड्राइवरों) के लिये कैडर योजना

१. **संक्षिप्त नाम, सीमा एवं वर्गीकरण :**

(ए) इस योजना को आटो वाहन जैसे कार, बस, जीप, लौरी, ट्रक, एम्बुलेन्स, कैरा भान, एक्सप्लासिव भान, ट्रैक्टर, मिनीबस इत्यादि चलाने के काम में नियुक्त कर्मचारियों के लिये कैडर योजना के नाम से पुकारा जायगा ।

(बी) यह योजना कम्पनी की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत वैसे सभी कर्मचारियों पर लागू होगी ।

२. **परिभाषा :**

इस कैडर योजना में यदि विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल कुछ नहीं हो तो :

(ए) 'कम्पीटेन्ट औथोरिटी' का अर्थ कम्पनी का मुख्य कार्यपालक अथवा क्षेत्रीय प्रबन्धक जो भी हो, अथवा अन्य कोई भी अधिकारी जिन्हें समय-समय पर ऐसे अधिकार दिये जाँय ।

(बी) 'शैक्षणिक योग्यता' का अर्थ वह योग्यता जो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो अथवा जो कम्पनी द्वारा निर्धारित किया जाय ।

(सी) 'सेवा' (सर्विस) का अर्थ उस पद पर सेवा है जैसा कि आगे के परिशिष्टों में दिया जा रहा है ।

(डी 'जाँच' (टेस्ट) का अर्थ परीक्षा लिखित/मौखिक/प्रायोगिक द्वारा स्तर का मूल्यांकन करना है, जिससे प्रबन्धन द्वारा समय-समय पर निर्धारित कुशलता को आंका जा सके ।

३ **प्रोमोशन का रास्ता :**

(ए) विभिन्न कैटेगरियों के लिये प्रोमोशन का रास्ता आगे दिये गये परिशिष्टों के अनुसार होगा । वैसे परिशिष्ट विभागीय अभ्यर्थियों

द्वारा हासिल किये जाने वाले योग्यता तथा अनुभवों का निर्देश मात्र है, जो उनके चयन/प्रोमोशन हेतु योजना में निर्धारित किया गया है ।

(बी) तकनिकी ग्रेड-बी तक के पदों के लिये चयन/प्रोमोशन का आधार कुशलता-सह-सिनियरिटी (वरीयता) सह-योग्यता होगी एवं तकनिकी-ए के लिये वह योग्यता-सह-सिनियरिटी होगी ।

(सी) यदि योजना में विशेषरूप से कोई प्रावधान नहीं हो तो कैटेगरी-४ तक के पदों की रिक्तियों को भरने का क्षेत्र कोलियरी/इकाई होगा, एवं उसके बाद तकनिकी सी तक के पदों को भरने के लिये क्षेत्रीय वरीयता होगी, तथा तकनिकी-बी एवं ए के लिये कम्पनी सिनियरिटी होगी ।

(डी) **विभागीय प्रोमोशन कमिटी :**

उच्चतर कैटेगरियों के रिक्त पदों को भरने के लिये अभ्यर्थियों का चयन/प्रोमोशन विभागीय प्रोमोशन कमिटी की अनुशंसा पर होगी, जिसका गठन 'दक्ष प्राधिकार' कम्पीटेन्ट औथोरिटी अथवा वे अधिकारी होंगे जिन्हें इनके द्वारा समय-समय पर ऐसे अधिकार दिये जाँय । वैसे अनुशंसाओं पर दक्ष प्राधिकार का अन्तिम निर्णय होगी ।

४ **सीधा बहाली :**

सीधा बहाली उसी हालत में किया जायगा जब रिक्त पदों को भरने हेतु उपयुक्त विभागीय कर्मचारी (अभ्यर्थी) उपलब्ध नहीं होंगे ।

५. **प्रोमोशन/चयन :**

(ए) प्रोमोशन सिर्फ पदों के रिक्त होने पर ही होंगे और वे प्रोमोशन के लाइन पर जो कि विभागीय प्रोमोशन कमिटी की अनुशंसा पर आधारित होगी के अनुसार ही होंगी ।

(बी) इस योजना के कारगर होने के दिन वर्तमान कर्मचारियों के प्रोमोशन के लिये शैक्षणिक योग्यता की कोई बाधा नहीं होगी ।

(सी) दक्ष प्राधिकार (कम्पीटेन्ट औथोरिटी) का निर्णय अन्तिम होगा ।

६. **अन्य बिन्दु :**

यह कैडर योजना कोल इण्डिया तथा इसकी सहायक कम्पनियों के संगठनात्मक ढाँचे को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। टिस्को, इस्को तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी को इस बात की छूट होगी कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जहाँ भी आवश्यक हो अपने स्तर पर युनियनों से सलाह करके इसमें संशोधन कर सकेंगे।

वर्त्तमान कार्यरत कर्मचारी अविलम्ब ही इस योजना के अन्तर्गत लाये जायेंगे और वे निम्न प्रकार से संचालित होंगे :

(क) जहाँ वेतनमान समान हो और पदनाम भिन्न हो तो उसे इस योजना में दिये अनुसार परिवर्तित किया जाय।

(ख) जहाँ पदनाम इस योजना के अनुरूप है वहाँ कार्य-विवरण तथा वेतनमान इस योजना के अनुसार लागू होगा।

७. **रद्द, संशोधन इत्यादि :**

इस योजना के लागू हो जाने के साथ-ही-साथ ड्राइवरों (चालकों) के लिये यदि कोई वर्तमान कैडर योजना होगी तो वह अप्रभावी हो जायगी।

———

परिशिष्ट-१८-१

चालकों (ड्राइवरों) के लिये कैडर स्कीम

क्रम सं० १	पदनाम २	कैटेगरी/ग्रेड/वितनमान ३	निम्नतम योग्यता (शैक्षणिक/तकनिकी) ४	प्रोमोशन के लिये पात्रता ५	प्रोमोशन का रास्ता ६
१.	लौरी क्लीनर/हेल्पर	कैटेगरी-२ रु २१.६५-०.५३-२६.०७	(१) ८वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है।	कम्पनी का कोई भी स्थायी कर्मचारी जो कैटेगरी-१ में तीन वर्षों का अनुभव रखता है।	व्यावसायिक जाँच/ डी.पी.सी.
२.	ड्राइवर (ट्रेनी)	कैटेगरी-२ रु. २१.६५-०.५३-२६.०७ अथवा वर्तमान ग्रेड यदि अधिक हो तो।	(१) ८वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। (२) भारी वाहनों (हेभी भेही-कल्स) के लिये चालक का लाइसेन्स प्राप्त हो।	कोई भी लौरी क्लीनर / हेल्पर अथवा कम्पनी का कोई भी अन्य स्थायी कर्मचारी।	—वही—
३	ड्राइवर	कैटेगरी-५ रु. २६.०४-१.००-४०.०४	(१) व (२) —वही—	कैटेगरी-२ में ड्राइवर (ट्रेनी) के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलता-पूर्वक पूरा किया हो।	—वही—
४.	ड्राइवर-सह-मेकैनिक	कैटेगरी-६ रु. २९.२४-२.३५-४८.१४	(१) व (२) —वही— (३) लौरी/कार (गाड़ी) को अच्छा चालू हालत में रखने	कैटेगरी-५ में ड्राइवर (चालक) के रूप में ८ वर्षों का अनुभव।	—वही—

१	२	३	४	५	६
			में सक्षम हो तथा गाड़ी, इलेक्ट्रिकल गियर की मरम्मत कर ले एवं भेल्भ व ट्युनिंग इत्यादि को एडजस्ट कर ले।		
५. असिस्टैंट सुपरवाइजर (ट्रान्सपोटशन) परिवहन	तक० व सुप० ग्रेड-'सी' रु. ७४२-४०-१०६२-४५-१४३३	(१), (२) एवं (३) —वही—		कैटेगरी-६ में ड्राइवर-सह-मेकैनिक के रूप में ७ वर्षों का अनुभव।	—वही—
६. सुपरवाइजर (आटो)	तक० व सुप० ग्रेड-'बी' रु. ८१०-४६-११७८-१५८६	(१) ओटोमोबाइल इञ्जीनियरिंग में डिप्लोमा। (२) हेभी मेहिकल्स (भारी वाहन) के लिये ड्राइविंग लाइसेन्स प्राप्त हो। (३) लौरी/कार/बस इत्यादि को अच्छी चालू हालत में रखने में सक्षम हो तथा कार एवं इलेक्ट्रिकल गियर की मरम्मत कर सके और भेल्भ तथा ट्युनिंग को एडजस्ट कर ले।	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'सी' में असिस्टैंट सुपर-वाइजर (ट्रान्सपोर्टेशन) के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी.पी.सी.

१	२	३	४	५	६
७. गैरेज इञ्चार्ज	तक० व सुप० ग्रेड-ए रु. ८९०-५३-१३१६-५५-१७०१	(१), (२) एवं (३) —वही—	तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-बी में सुपरवाइजर (आँटो) के रूप में ३ वर्षों का अनुभव।	डी. पी. सी.

———

परिशिष्ट-१८-२

सुपरवाइजर (ऑटो) तथा गैरेज इन्चार्ज के कार्य-विवरण

सुपरवाइजर (ऑटो) तक० व सुप० ग्रेड-'बी' —एक श्रमिक जो औटोमोबाइल इञ्जीनियरिंग का जानकार है एवं उनके संचालन व रख-रखाव के लिये जिम्मेवार है। उसे अपने अधीन के कर्मचारियों का कार/लौरी / ट्रक / ट्रिप्पर / पे-लोडर इत्यादि के संचालन एवं रख-रखाव करने हेतु मार्गदर्शन करने में सक्षम होना चाहिये। उसे डीजल के खपत पर नियंत्रण रखने में भी सक्षम होना चाहिये।

गैरेज इन्चार्ज तक० व सुप० ग्रेड-'ए' —एक श्रमिक जो गैरेज के रख-रखाव व संचालन का पूरा जानकार है। वह इसके पूरे कार्य-कलाप के लिये जिम्मेवार होगा। उसे गैरेज की पूरी जिम्मेवारी लेने में सक्षम होना चाहिये। उसे अपने अधीनस्थ विभिन्न वाहनों का निरीक्षण करने में भी सक्षम होना चाहिये एवं निवारक रख-रखाव की योजना बनाने में भी सक्षम होना चाहिये।

———

अध्याय—१२

२. **स्टैण्डरडाइजेशन (एकरूपता) कमिटी**

क्रियान्वयन आदेश सं० ६२ दि० ८-७-१९८६

जे. सौफ्ट कोक बनाने वाले के लिये कार्यभार

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. की २४ व २५ अप्रील, १९८६ को हुए स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २१वीं बैठक जो कोल इण्डिया के मुख्यालय, कलकत्ता में हुई जिसमें उपरोक्त विषय पर वार्त्तालाप हुई और यह राजीनामा हुआ कि ग्रुप-४ में सौफ्ट कोक मेकर (सौफ्ट कोक बनाने वालों) के सम्मिलित काम जैसे स्टैकिंग, कवरिंग, फायरिंग एवं क्रेन्चिंग के लिये कार्यभार ३.७५ टन कच्चा कोयला होने सम्बन्धी स्पष्टीकरण जारी कर दिया जाय।

२. तदनुसार, जे. बी. सी. सी. आई. द्वारा प्रकाशित 'ग्रुपिंग, नोमेन्क्लेचर, जाब डिस्क्रिप्शन एण्ड वर्क नार्म्स आफ कोल इम्प्लाइज' (कोयला श्रमिकों के नामकरण, कार्य-विवरण, वर्गीकरण एवं कार्यभार) नामक पुस्तिका में ग्रुप-४ में "शाफ्ट कोक मेकर" पदनाम के सामने कार्यभार "३.७५ टन कच्चा कोयला" पढ़ा जाय।

३. प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि वे स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी के उक्त फैसले को अविलम्ब लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठावें।

क्रियान्वयन आदेश सं० ६४ दि० १४-७-१६८६

के. कैडर योजना—प्रोमोशन का आधार

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. के स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की १० व ११ दिसम्बर, १६८५ को हुए बैठक में लिये गये फैसले की तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-बी तक के पदों के लिये प्रोमोशन का आधार सिनियरिटी-सह-मेरिट (वरीयता-सह-योग्यता) होगी तथा ग्रेड-बी से ग्रेड-ए में प्रोमोशन के लिये मेरिट-कम-सिनियरिटी (योग्यता-सह-वरीयता) होगी एवं संशोधन किये जाने वाले कैडर योजना जो प्रसारित किया गया है, से सम्बन्धित टिप्पणी पर प्रोमोशन पालिसी कमिटी की १८ एवं १६ मार्च, १६८६ को बैठक में वार्त्तालाप हुई।

२. यह निर्णय लिया गया कि कैडर योजना से सम्बन्धित (कवरिंग) टिप्पणी में निम्नानुसार संशोधन किया जाय :—

के. कैडर योजना—प्रोमोशन का आधार

कैडर योजना सं०	विभाग	क्रियान्वयन आदेश सं०	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
१	२	३	४	५
८.	मिनिस्टेरियल स्टाफ (कर्मचारियों) के लिये कैडर योजना	३४ दि० १७-७-८४	३.२ क्लरिकल ग्रेड-१ तक के पदों के लिये चयन का आधार सिनियरिटी - सह - मेरिट (वरीयता-सह-योग्यता) होगी एवं क्लरिकल स्पेशल व ऊपर के पदों के लिये मेरिट - सह - सिनियरिटी (योग्यता-सह-वरीयता) होगी।	३.२ तकनिकी ग्रेड-बी तक के पदों के लिये प्रोमोशन का आधार सिनियरिटी-सह-मेरिट (वरीयता-सह-योग्यता) होगी एवं तकनिकी ग्रेड-बी से ग्रेड-ए पदों के लिये मेरिट-सह-सिनियरिटी (योग्यता-सह-वरीयता) होगी।
६.	एकाउन्ट्स विभाग के कार्मिकों के लिये कैडर योजना	४६ दि० २२-७-८५	३(१) क्लरिकल ग्रेड-१ तक के पदों के लिये चयन का आधार सिनियरिटी - सह - मेरिट (वरीयता-सह-योग्यता) होगी एवं क्लरिकल स्पेशल व ऊपर के लिये मेरिट-सह-सिनियरिटी (योग्यता-सह-वरीयता) होगी।	३(१) तकनिकी ग्रेड-बी तक के पदों के लिये प्रोमोशन का आधार सिनियरिटी-सह-मेरिट (वरीयता-सह-योग्यता) होगी एवं ग्रेड-बी से ग्रेड-ए के लिये प्रोमोशन का आधार मेरिट-सह-सिनियरिटी (योग्यता-सह-वरीयता) होगी।

१	२	३	४	५
१०.	इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग कार्मिकों के लिये कैडर योजना	४८ दि० २२-७-८५	३(२) ग्रेड-सी तक के पदों के लिये चयन का आधार सिनियरिटी - सह-मेरिट (वरीयता-सह-योग्यता) होगी एवं ग्रेड-सी से ग्रेड-बी और ग्रेड-बी से ग्रेड-ए के लिये चयन का आधार कुशलता/योग्यता - सह-वरीयता (स्किल/मेरिट-सह-सिनियरिटी) होगी ।	३(२) ग्रेड-बी तक के पदों के लिये प्रोमोशन का आधार सिनियरिटी-सह-मेरिट (वरीयता-सह-योग्यता) होगी एवं ग्रेड-बी से ग्रेड-ए के लिये मेरिट-सह-सिनियरिटी (योग्यता-सह-वरीयता) होगी ।
१२.	सिक्योरिटी (सुरक्षा) कार्मिकों के लिये कैडर योजना	५४ दि० १७-१०-८५	३.२ सिक्योरिटी गार्ड, सिनियर सिक्योरिटी गार्ड, आर्म्ड गार्ड, हेड सिक्योरिटी गार्ड / हविलदार, असिस्टेंट सिक्योरिटी सब - इन्सपेक्टर और सिक्योरिटी सब - इन्सपेक्टर पदों के लिये चयन / प्रोमोशन का आधार सिनियरिटी - सह - मेरिट (वरीयता-सह-योग्यता) होगी एवं सिक्योरिटी इन्सपेक्टर और सिनियर सिक्योरिटी इन्सपेक्टर पदों के लिये मेरिट - सह - सिनियरिटी (योग्यता-सह-वरीयता) होगी ।	३.२ तकनिकी ग्रेड-बी पदों के लिये प्रोमोशन सिनियरिटी-सह-मेरिट (वरीयता-सह-योग्यता) के आधार पर होगी एवं तकनिकी ग्रेड-बी से तकनिकी ग्रेड-ए के लिये मेरिट - सह - सिनियरिटी (योग्यता-सह-वरीयता) होगी ।

१	२	३	४	५	६

३. प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि वे उपरोक्त फैसले को लागू करने की दिशा में आवश्यक कदम उठावें एवं उपरोक्त संशोधनों के अनुसार कैडर योजना को क्रियान्वित करें ।

———

क्रियान्वयन आदेश सं० ६७ दि० ३-६-१६८६

एल. केन्द्रीय वर्कशाप बरकाकाना एवं कोरबा में एक्स-कैडर पद

सन्दर्भ : क्रियान्वयन आदेश सं० ३६ दि० १०-८-८२

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी द्वारा एक्सकैवेशन पर गठित कार्य-दल (वर्किंग ग्रूप) की ५ मई, १६८६ एवं २० अगस्त, १६८६ की बैठकों में किये गये शिफारिशों पर स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २८ अगस्त, १६८६ को हुए बैठक में विचार-विमर्श किया गया और उसे निम्न प्रकार से स्वीकृति दिया गया :

एक्स - कैडर पद :

केन्द्रीय वर्कशाप, बरकाकाना एवं कोरबा में वर्तमान पदनामों एवं ग्रेडों को नये सिरे से निम्नानुसार पदनामित किया जायगा :

वर्तमान पदनाम एवं ग्रेड	स्वीकृत पदनाम एवं ग्रेड
प्रोडक्शन असिस्टेंट-ए डि० डिजाइन असिस्टेंट-ए सिनियर इनडेन्टिंग असिस्टेंट-ए इस्टिमेटिंग असिस्टेंट-बी प्लानिंग असिस्टेंट-बी प्रोग्रेस असिस्टेंट-बी	फोरमैन इन्चार्ज-ए
जॉब इन्सपेक्टर-बी इन्सपेक्टर (टायर) - बी फोरमैन (आक्जिलियरी/मिस्लेनियस) - बी	फोरमैन-बी

केन्द्रीय वर्कशाप, बरकाकाना एवं कोरबा में जुनियर जाब इन्सपेक्टर-तकनिकी-सी के वर्तमान पदनाम को समाप्त कर दिया जायगा एवं उक्त ग्रेड और पदनाम के कर्मचारियों को कम्पनियों द्वारा इकाई स्तर पर सुविधित रूप से खपा लिया जायगा ।

कार्य-विवरण (उपरोक्त के लिये)

(ए) फोरमैन इनचार्ज तकनिकी-ए

उन्हें एच. ई. एम. एम. (हेभी अर्थमूभिंग मशीनरी) / वर्कशाप मशीनों के संचालन तथा उनके रख-रखाव की पूरी जानकारी होनी चाहिये । उसे मशीन/रख-रखाव के तौर-तरीकों की तकनीकियों (बनावटों) का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये । वह आबंटित पाली (शिफ्ट) का इन्चार्ज होगा । उसे अपने अधीन के मशीनों का निरीक्षण करने में सक्षम होना चाहिये तथा मरम्मत एवं रख-रखाव के कार्यों की योजनाओं को तैयार कर लेना चाहिये । उसे रिपोर्ट तथा रेकार्ड रखना पड़ेगा एवं तत्सम्बन्धी अन्य कागजातों को भी रखना पड़ेगा । जहाँ कहीं लागू होगा उसके अधीनस्थ मशीनों एवं श्रमिकों के सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उसी की होगी । उसको निर्धारित किये गये कार्यों / उपकरणों (यन्त्रों) के डिजाइन, योजना, प्रगति तथा उत्पादन की देख-भाल भी वह करेगा । वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि शिफ्ट के समय का पालन दृढ़ता पूर्वक हो रहा है ।

वह अपने नियन्त्रण (अधीन) में कार्यरत श्रमिकों का नेता इस उद्देश्य से होगा जिससे कि वह निर्धारित लक्ष्य पूरा कर ले और अपने अधीन के मशीनों की उत्पादकता, उपलब्धि तथा उपयोग के सुधार हेतु सचेष्ट रहेगा ।

जहाँ कहीं भी हाई टेन्सन विद्युतीय उपकरण / स्थापनों का जिम्मा उसे दिया जाता है वहाँ उसे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का प्रमाण-पत्र प्राप्त होना चाहिये ।

समय-समय पर वरिष्ठों / सुपरवाइजरों द्वारा सुपुर्द किये गये अन्य कोई भी काम उसे करना होगा ।

(बी) फोरमैन तकनिकी-'बी'

उन्हें एच. ई. एम. (हेभी अर्थ मूभिंग मशीनरी) / वर्कशाप मशीनों के संचालन तथा उनके रख-रखाव की पूरी जानकारी होनी चाहिये । उसे मशीन / रख-रखाव के तौर-तरीकों की तकनीकियों (बनावटों) का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये तथा मरम्मत एवं रख-रखाव के कार्यों की योजनाओं को तैयार करने में सक्षम होना चाहिये । उसे रिपोर्ट तथा रेकार्ड रखना पड़ेगा एवं तत्सम्बन्धी अन्य कागजातों को भी रखना पड़ेगा । जहाँ कहीं लागू होगा उनके अधीनस्थ मशीनों एवं श्रमिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी उसी

की होगी। उसके अधीन दिये गये कार्यों / उपकरणों (यन्त्रों) के डिजाइन, योजना, प्रगति तथा उत्पादन की देख-भाल भी वही करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि शिफ्ट के समयों का कठोरता से पालन हो रहा है।

वह अपने अधीनस्थ कार्यरत श्रमिकों का नेता इस उद्देश्य से होगा जिससे कि वह निर्धारित लक्ष्य पूरा कर ले और अपने अधीन के मशीनों को उत्पादकता, उपलब्धि तथा उपयोग के सुधार हेतु सचेष्ट रहेगा।

समय-समय पर वरिष्ठों द्वारा सुपुर्द किये गये अन्य कोई काम भी उसे करना पड़ेगा तथा वह शिफ्ट के सब-सेक्शन / मशीनों का इन-चार्ज होगा।

जहाँ कहीं भी हाई टेन्सन विद्युतीय उपकरण / स्थापनों का जिम्मा उसे दिया जायगा वहाँ उसे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का प्रमाण-पत्र प्राप्त होना चाहिये।"

प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्रीय वर्कशाप, बरकाकाना एवं कोरबा में एक्स-कैडर पद से सम्बन्धित संशोधित पदनाम एवं कार्य-विवरण को पूर्व प्रसारित क्रियान्वयन आदेश ३६ दि० १०-८-१९८२ के परिशिष्ट-३ के बदले वर्तमान नये के साथ परिवर्तित कर लें एवं उन्हें क्रियान्वित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठावें।

———

क्रियान्वयन आदेश सं० ६८ दि० ५-६-१९८६

एम. कोयला कर्मचारियों के नामकरण, कार्य-विवरण एवं वर्गीकरण

तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. की स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २६ व ३० मई १९८६ को हुए २२वें बैठक में विभिन्न कागजातों में उपलब्ध कार्य-विवरणों को एकत्रित करते हुए उपरोक्त उद्देश्य से जे. बी. सी. सी. आई. द्वारा प्रसारित पुस्तिका "ग्रूपिंग, नोमेन्क्लेचर, जॉब डिस्क्रिप्सन एण्ड वर्क नार्म्स आफ कोल इम्प्लाइज एवं नेशनल कोलवेज एग्रीमेंट दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४" ("कोयला श्रमिकों का वर्गीकरण, नामकरण, कार्य-विवरण एवं कार्य-भार व राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४) में निम्नलिखित संशोधन हेतु राजीनामा हुआ :

उक्त पुस्तिका की पृष्ठ संख्या	क्रम संख्या	वर्तमान पदनाम	कैटेगरी	संशोधित पदनाम
२९	२	सर्वे/सेन्टरब्वायज	१	सर्वे-सेन्टर
२९	७	फ्रिक्शन रोलर व आयर्लिंग/ रोलर ब्वायज	१	फ्रिक्शन रोलर एवं आयर्लिंग/ रोलर
४४	५	बाइण्डिंग इंजिन खलासी	५	बाइण्डिंग इञ्जिन आपरेटर (द्वितीय श्रेणी के प्रमाण-पत्र धारक)

जॉब डिस्क्रिप्शन (कार्य-विवरण) के अन्तिम लाइन में "नया कैटेगरी-६" शब्दों की जगह सिर्फ 'कैटेगरी-६' पढ़ा जाना चाहिये।

२. इसी प्रकार, तृतीय जे. बी. सी. सी. आई. की २८ अगस्त १९८६ को हुए स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की २३वें बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

(१) जे.बी.सी.सी.आई. द्वारा जारी की गई पुस्तिका ग्रूपिंग, नोमेन्क्लेचर, जॉब डिस्क्रिप्शन एण्ड वर्क नार्म्स आफ कोल इम्प्लाइज एण्ड

एम. सी. डब्लू. ए.—१ दिनांक ११ दिसम्बर, १९७४' अथवा इसके बाद सदस्य सचिव, जे. बी. सी. सी. आई. द्वारा जारी किये गये क्रियान्वयन आदेश में दैनिक दर मजदूर कैटेगरी-१ से ६ में कैटेगरी-४ में बाइण्डिंग इंजिन खलासी को छोड़कर जहाँ कहीं भी 'खलासी' शब्द आया है उसे बदलकर जहाँ चलाया जाने वाला इंजिन मशीन स्थिर रहता हो वहाँ 'आपरेटर' (संचालक) हो जायगा एवं जहाँ चलाया जाने वाला मशीन/इंजिन चलायमान हो वहाँ 'ड्राइवर' (चालक) हो जायगा ।

२. (ए) **सिनियर रूफ बोल्टर :**

क्रियान्वयन आदेश सं. ३६ दि० २-२-८१ के साथ क्रि० आ० सं० ३८ दि० १६-३-८१ के अनुसार सिनियर रूफ बोल्टर को कैटेगरी-५ में पदस्थापित किया जायगा एवं सिनियर रूफ बोल्टर/स्टिचिंगमैन के रूप में फिर से पदनामित किया जायगा ।

(बी) **रूफ बोल्टिंग क्रू कैटेगरी-४**

क्रि. आ. सं. ३६ दि० २-२-१९८१ के अनुसार रूफ बोल्टिंग क्रू कैटेगरी ४ को रूफ बोल्टिंग स्टिचिंग क्रू के रूप में फिर से पदनामित किया जायगा ।

(सी) **सेन्ट्रल डिस्पैचर डेस्क आपरेटर ग्रेड-१**
क्रि. आ. सं. ३६ दि. २-२-१९८१

यह राजीनामा हुआ कि इन्हें क्लरिकल ग्रेड-१ के बदले तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-सी में पदस्थापित किया जायगा ।

(डी) **सेन्ट्रल डिस्पैचर डेस्क आपरेटर क्लरिकल ग्रेड २**
(क्रि आ. सं. ३६ दि. २-२-१९८१)

यह राजीनामा हुआ कि इन्हें क्लरिकल ग्रेड-२ के बदले तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-डी में पदस्थापित किया जायगा । यह भी राजीनामा हुआ कि सदस्य सचिव, जे. बी. सी. सी. आई. द्वारा इस सम्बन्ध में क्रियान्वयन आदेश जारी कर दिया जाय ।

प्रबन्धनों से उपरोक्त फैसलों को लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है ।

———

क्रियान्वयन आदेश सं ७० दिनांक ३-११-१९८६

एन. कोक प्लांट के क्रूड बेंजल ड्राइवर / आपरेटर

संदर्भ : १) जे. बी. सी. सी आई. कार्यालय पत्र संख्या जे. बी. सी. सी. आई. आर /९४/एम. पी./१२६२ (एन. सी. डब्लू. ए.-२ क्रियान्वयन आदेश सं. ३८) दिनांक १६ मार्च, १९८१ ।

२) जे. बी. सी. सी. आई. कार्यालय पत्रांक एन सी.डब्लू. ए.-३ (क्रि.आ.सं. ६९/८६) ९८५ दि. ८ अक्टूबर, १९८६

अधिकारियों का ध्यान क्रियान्वयन आदेश सं० ३८ दिनांक १६ मार्च, १९८१ की ओर आकृष्ट किया गया है जिसके तहत कोक ओभेन तथा बाइ प्रोडक्ट प्लांट से सम्बन्धित पदनाम, कैटेगरी तथा कार्य-विवरण जो वेतन मंडल में शामिल नहीं हुआ है, और जिसे स्टैण्डर-डाइजेशन कमिटी ने अपनी मंजूरी दे दी है, उसे परिशिष्ट-२ के रूप में प्रसारित किया गया है । उस परिशिष्ट-२ में क्रम सं० १३ के सामने क्रूड बेंजल ड्राइवर/खलासी को कैटेगरी-५ एवं उनका कार्य-विवरण दिया गया है ।

इसी प्रकार, जे. बी. सी. सी. आई. के पत्रांक एन. सी. डब्लू. ए.-३ (क्रियान्वयन आदेश सं० ६९/८६)/९८५ दि० ८ अक्टूबर, १९८६ के तहत प्रसारित कोयला श्रमिकों के नामकरण, कार्य-विवरण एवं वर्गीकरण (नोमेन्क्लेचर, जॉब डिस्क्रिप्शन एण्ड कैटेगराइजेशन आफ कोल इम्प्लाइज) नामक पुस्तिका के तहत पृष्ठ-९५ (अंग्रेजी पुस्तिका) के क्रम सं० ३ के अन्तर्गत क्रूड बेंजल ड्राइवर / आपरेटर का पदनाम एवं कार्य-विवरण कैटेगरी-५ के तहत दिया गया है ।

कम्पनियों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार यह पाया गया है कि कोक प्लांटों में न तो कोई बेंजल प्लांट है और न ही कैटेगरी-५ में कोई क्रूड बेंजल ड्राइवर/आपरेटर ही है ।

स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की ३० सितम्बर एवं १ अक्टूबर, १९८६ को हुए बैठक में यह निर्णय लिया गया कि संदेहों को दूर करने के लिये उपरोक्त दोनों संदर्भों के तहत कोक ओभेन तथा बाइ-प्रोडक्ट प्लांटों में नियुक्त कर्मचारियों के नाम-करण, कार्य-विवरण एवं वर्गीकरण से कैटेगरी-५ में क्रूड बेंजल ड्राइवर/आपरेटर के पदनाम को हटा दिया जाय।

प्रबन्धनों से उपरोक्त निर्णयों को लागू करने की दिशा में कदम उठाने हेतु आग्रह किया गया है।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या ७३

सं० सी. आई. एल./एन. सी. डब्लू. ए-३ / क्रि. आ. सं. ७३/८७/९२८
दि० २८-८-१९८७

विषय : **पीस-रेट कर्मचारियों के लिये विशेष पीस-रेट एलाउन्स।**

सन्दर्भ : **कार्यालय पत्रांक सी. आई. एल./एन. सी. डब्लू. ए.-३/ जी. एम. २१/७ दि० २७-३-१९८७**

१. पीस-रेट कर्मचारियों को १-१-१९८७ से विशेष (स्पेशल) पीस-रेट एलाउन्स देने के सम्बन्ध में जे. बी. सी. सी. आई.-४ की नई दिल्ली में १९ एवं २० अगस्त १९८७ को हुई तीसरी बैठक में चर्चा हुई एवं यह निर्णय लिया गया कि पीस-रेट कर्मचारियों को भी एन. सी. डब्लू. ए.-३ की धारा ३-११-२ से ३-११-४ के मुताबिक एस. पी. आर. ए. का एक अतिरिक्त किस्त १-१-१९८७ से भुगतान किया जायगा।

२. तदनुसार, एस. पी. आर. ए. का भुगतान नीचे दिये गये दर के अनुसार १-१-१९८७ से उन कर्मचारियों को दिया जायगा जिनका नाम ३१ दिसम्बर १९८२ को हाजरी बही में था और वह १-१-१९८३ को भी था।

ग्रूप		१-१-१९८७ से एस. पी. आर. ए. की दर का रकम
१	—	२ रु० ५८ पै०
२	—	२ रु० ८८ पै०
३	—	३ रु०
४	—	३ रु० ६० पै०
५	—	४ रु० २० पै०
५ए	—	४ रु० २० पै०

३. वैसे पीस-रेट कर्मचारी जिनकी नियुक्ति १-१-८३ को अथवा उसके बाद हुई है उन्हें एन. सी. डब्लू. ए.-३ की धारा ३.११.३ एवं ३.११.४ के प्रावधानों के अनुसार एस. पी. आर ए. की एक अतिरिक्त किस्त का भुगतान १-१-१९८७ से किया जायगा।

४. यह सभी को जानकारी एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक कारवाई हेतु दी जा रही है।

———

क्रियान्वयन आदेश सं० ७४

सं० सी. आई. एल./एन. सी. डब्लू. ए.-३/आई. आई.
सं० ७४/८७/१०२६ दि० १६ सितम्बर, १९८७

विषय : अण्डरग्राउण्ड कोल कटर ए. एम. ५०० एवं उससे ऊपर के आपरेटरों का वर्गीकरण (कैटेगराइजेशन)

जे. बी. सी. सी. आई.-४ की ४थी बैठक जो ७ एवं ८ सितम्बर, १९८७ को हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया कि जे. बी. सी. सी. आई.-३ की २ दिसम्बर १९८६ को हुए ३१वें बैठक में लिये गये फैसले पर क्रियान्वयन आदेश जारी कर दिया जायगा कि शियरर आपरेटर जो ए. एम. ५०० (३७५ कि. वाट.) एवं इससे अधिक का शियरर आपरेट करते हैं उन्हें एक्सकावेशन ग्रेड-'ए' में पदस्थापित किया जायगा ।

तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि वैसे शियरर आपरेटर जो ए. एम. ५०० (३७५ के. डब्लू.) एवं इससे अधिक क्षमता का शियरर आपरेट करते हैं उन्हें एक्सकैवेशन ग्रेड-'ए' में पदस्थापित किया जा सकता है ।

प्रबन्धनों से यह अनुरोध किया गया है कि उक्त निर्णय को अविलम्ब क्रियान्वित किये जाने हेतु आवश्यक कारवाई करें ।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या-७५

सं०-सी.आई.एल./एन-सी.डब्लू.ए.-३/आई.आई.सं. ७५/८८/२०२
दि० २२-२-१९८८

विषय : क्रेन आपरेटरों का वर्गीकरण ।

जे. बी. सी. सी. आई.-३ पर कार्य ग्रूप ने १२ नवम्बर, १९८६ को हुए १३वें बैठक में क्रेन आपरेटरों के वर्गीकरण से सम्बन्धित, श्रमिक प्रतिनिधियों के सुझावों पर चर्चा की एवं निम्नलिखित निर्णय लिया :—"इस बात पर सहमति हुई कि वैसे क्रेन आपरेटर जो ७५ टन क्षमता से नीचे का क्रेन आपरेट नहीं करते हैं उन्हें "एक्सकावेशन स्पेशल ग्रेड" दिया जायगा ।

इस बात पर भी सहमति हुई कि क्रेन आपरेटरों का एक्सकावेशन विशेष ग्रेड में निम्नानुसार कार्य-विवरण होगा :—

क्रेन आपरेटर—

स्पेशल (विशेष) ग्रेड :

एक अति कुशल श्रमिक जिसे हेभी ड्यूटी क्रेन (क्राउलर माउन्टेड / मोबाइल क्रेन) आपरेट करने एवं उसके संचालन में कम-से-कम १० वर्षों का अनुभव हो । वह वैसे यन्त्रों को आपरेट करेगा जिसकी क्षमता ७५ टन से कम नहीं हो । उसे उस यन्त्र के यांत्रिकी का सामान्य ज्ञान होने के साथ-ही-साथ छोटा-मोटा रख-रखाव एवं यन्त्र की चालू मरम्मति कर लेना चाहिये । १० वर्षों के कार्य अनुभव में कम-से-कम तीन वर्ष ठीक नीचले ग्रेड अर्थात् एक्सकानेशन के ग्रूप-'ए' का अनुभव रहना चाहिये ।

एक्सकावेशन के लिये गठित कार्य-समिति के उपरोक्त फैसलों की जे. बी. सी. सी. आई.-४ की स्टैण्डरडाइजेशन कमिटी की ९ फरवरी, १९८८ को हुए बैठक में चर्चा की गई एवं इस बात पर सहमति हुई कि इसे लागू करने हेतु क्रियान्वयन आदेश जारी की जाय ।

प्रबन्धनों से उपरोक्त निर्णयों को क्रियान्वित करने का अनुरोध किया गया है ।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या-७६

सं० सी.आई.एल./एन सी.डब्लू ए.-३/आई.आई.सं. ७६/८८/१४५
दि० २५ अप्रील, १९८८

विषय : **कर्मचारियों के उम्र निर्धारण एवं उसकी जाँच एवं सर्विस रेकार्ड से सम्बन्धित विवादित मामलों के निपटारे के लिये तौर-तरीका।**

१. कर्मचारियों के उम्र निर्धारण/जाँच के तौर-तरीका जैसा कि जे. बी. सी. सी. आई.-२ में तय किया गया था और जो क्रियान्वयन आदेश सं. ३७ दि० ५ फरवरी १९८१ के द्वारा क्रियान्वयन हेतु जारी किया गया था।

२. जे. बी. सी. सी. आई.-४ की तीसरी बठक जो १९ एवं २० अगस्त, १९८७ को हुई उसमें श्रमिकों के सर्विस रेकार्ड को पूरा तैयार करने के सम्बन्ध में आगे बातचीत की गई। इस पूरे मामले की ठीक ढंग से जाँच के लिये प्रबन्धन एवं श्रमिक प्रतिनिधियों को मिलाकर एक सर्विस रेकार्ड कमिटी का गठन किया गया और उसे निम्नलिखित कार्यभार सौंपा गया :—

(क) सर्विस रेकार्ड से सम्बन्धित सभी विवादों की प्रकृति की जाँच करना एवं उसे स्पष्ट करना।

(ख) उम्र विवाद सहित सभी विवादों के निपटारे के लिये तौर-तरीका, दिशा निर्देश एवं मानक तैयार करना।

(ग) विवादों के निपटारे में प्रगति की समीक्षा करने हेतु एक प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण प्रारम्भ करना।

३. सर्विस रेकार्ड कमिटी की कई बैठकें हुई एवं वार्तालाप का प्रतिवेदन जे. बी. सी. सी. आई.-४ की ८ एवं ९ मार्च, १९८८ को हुई ९वीं

बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसे कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया।

४. अग्रिम स्वीकृत फैसलों (निर्णयों) को क्रियान्वयन हेतु क्रमानुसार दिया जा रहा है। नीचे दिये गये आदेश/तौर-तरीका वर्त्तमान तौर-तरीकों/आदेशों के ऊपर है।

५. **विवादरहित मामले :**

यह स्वीकार किया गया कि विवादरहित मामलों में, सेवा का ठोस रेकार्ड रखे जाने के उद्देश्य से सर्विस रेकार्ड में रखे गये पूरे आंकड़े को कम्प्यूटरीकृत कर लिया जाय और उसे कोलियरी/प्रोजेक्ट/एरिया/कम्पनी स्तर पर एवं कोल इण्डिया के मुख्यालय में इसकी प्रति सुरक्षित रखी जाय। वैसे विवादरहित मामलों को फिर से खोला नहीं जायगा। यह राजीनामा भी हुआ कि कम्प्यूटरीकृत का कार्य पूरा हो जाने पर, उसकी एक छपी प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायगी।

६. कर्मचारी के उम्र के निर्धारण/जाँच के लिये तौर-तरीका :

पिछला क्रियान्वयन आदेश संख्या-३७ दिनांक ५ फरवरी, १९८१ को संशोधित किया गया है और वह परिशिष्ट-१ में दिया गया है।

७ **योग्यता से सम्बन्धित विवाद :**

यह राजीनामा हुआ कि एक कर्मचारी जो अपने अपनी योग्यता के सम्बन्ध में कोई शिकायत करता है उसे अपने अपनी योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्रबन्धन के पास जमा करेगा और प्रबन्धन उसके मांग की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में सन्तुष्ट होने के बाद उक्त योग्यता को कर्मचारी के सर्विस रेकार्ड में दर्ज कर लेगी। प्रबन्धन द्वारा कागजात (प्रमाण-पत्रों) जो कर्मचारी द्वारा जमा की गयी है, की फोटो कापी रखकर, उसकी मूल प्रति उसे लौटा दी जायगी।

८. नियुक्ति की तारीख से सम्बन्धित विवाद :

वैसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनकी सेवायें राष्ट्रीयकरण के समय ली गयी हैं उनकी जन्म तिथि राष्ट्रीयकरण के समय के नियोक्ता जहाँ से उसकी सेवाएं ली गई है उसके अधीन नियुक्ति की तारीख जो दर्ज है उसी तारीख को निर्धारित माना जायगा। सम्बन्धित सी. एम. पी. एफ. (कोल माइन्स प्रोविडेन्ट फण्ड) रेकार्ड में सदस्यता हेतु योग्यता को हिसाब में लिया जायगा। नियुक्ति की तारीख इसी आधार पर निर्धारित हुई समझा जायगा।

९. आश्रितों की संख्या एवं उनके नामों के सम्बन्ध में विवाद :—

यह राजीनामा हुआ कि सी एम. पी. एफ. (कोल माइन्स प्राविडेन्ट फण्ड), एल. टी. सी. खातों एवं ग्रैच्युटी हेतु दर्ज आश्रितों के नामों को मान्य समझा जायगा। जहाँ सम्बन्धित श्रमिक कम्पनी के क्वार्टर में परिवार सहित रहते हैं वहाँ कल्याण अधिकारी/प्रबन्धक का प्रमाण-पत्र इस मामले में अन्तिम समझा जायगा। उन मामलों में जहाँ कर्मचारी अपने परिवार के साथ कोलयरियों में नहीं रहता है वहाँ सम्बन्धित ग्राम पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति/नगरपालिका द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र और वह बीडीओ / अंचल पदाधिकारी द्वारा सत्यापित हो उसे मान्य समझा जायगा।

१०. घर का पता के सम्बन्ध में विवाद :

यह राजीनामा हुआ कि घर के पता में परिवर्त्तन अथवा घर के पता का गलत रेकार्डिंग के मामलों के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेते समय सम्बन्धित श्रमिक को एक शपथ पत्र (एफिडेविट) करना होगा कि वह घर का पता क्यों बदलना चाहता है अथवा किन परिस्थितियों में घर के पते का गलत रेकार्डिंग किया गया है। उसे अपने एफिडेविट में नये स्थान पर स्थित उसके सम्पत्तियों का विवरण भी देना होगा। एफिडेविट के साथ-साथ सम्बन्धित श्रमिकों को ग्राम पंचायत के मुखिया / अधिसूचित क्षेत्र समिति/ नगरपालिका/नगर-निगम के प्रधान द्वारा एक प्रमाण-पत्र देना होगा जो बीडीओ/सर्किल अधिकारी (अंचलाधिकारी) द्वारा उसके घर के पता को सत्यापित किया गया हो।

खनन कारवाई अथवा प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि से हुए अस्थिरता के कारण हुए घर के पता में परिवर्त्तन को वाजिब जाँच-पड़ताल के बाद स्वीकार किया जायगा।

११. उम्र निर्धारण समिति/मेडिकल बोर्ड का फैसला अन्तिम एवं मान्य होगा।

१२. यह भी राजीनामा हुआ कि १ जुलाई १९८७ को अथवा उसके बाद रिटायर हुए कर्मचारियों से सम्बन्धित लम्बित उम्र सम्बन्धी विवादों की जाँच संशोधित तौर-तरीका के मुताबिक की जायगी एवं सभी पुराने मामलों को फिर से नहीं खोला जायगा।

१३. उपरोक्त तौर-तरीका अविलम्ब लागू हो जायगा एवं इस सम्बन्ध में अबतक के वर्त्तमान तौर-तरीके/आदेश यदि कोई हों तो वह निरस्त समझा जायगा।

———

परिशिष्ट-१

क्रियान्वयन आदेश संख्या-७६

कर्मचारियों के उम्र की जाँच एवं निर्धारण का तौर-तरीका

(अ) नियुक्ति के समय उम्र का निर्धारण

(१) मैट्रिक

मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास नियुक्तियों (कर्मचारियों) के मामले में उनके मूल प्रमाण-पत्र में दर्ज जन्म दिन को ही सही जन्म दिन माना जायगा और उसे किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकेगा ।

(२) मैट्रिक पास नहीं परन्तु शिक्षित

वैसी नियुक्तियों के मामले में, जहाँ नियुक्त व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा ग्रहण किया है, उनके लिये स्कूल छोड़ने के प्रमाण-पत्र में दर्ज जन्म के दिन को ही सही जन्म दिन माना जायगा और वह किसी भी हालत में बदला नहीं जायगा ।

(३) भूतपूर्व सैनिक

उन भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में जहाँ वे मैट्रिक पास नहीं हैं वहाँ आर्मी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में दर्ज जन्म दिन को ही सही जन्म दिन माना जायगा और वह किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जायगा । उन भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जहाँ वे मैट्रिक परीक्षा पास हैं वहाँ मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज जन्मदिन को ही सही जन्मदिन माना जायगा ; बशर्ते कि सैनिक में भर्ती होने के पूर्व मैट्रिक की परीक्षा पास किया हो, अन्यथा सैनिक सेवा निवृत प्रमाण-पत्र (आर्मी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट) में दर्ज जन्म दिन को ही सही जन्म दिन माना जायगा ।

(४) निरक्षर

उपरोक्त (पिछले) धाराओं के अधीन नहीं पड़ने वाले नियुक्तियों हेतु जन्म दिन का निर्धारण कोलियरी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा उन प्रमाणों को मद्देनजर रखकर किया जायगा, जिसे कर्मचारी भर्ती होने के समय प्रस्तुत करता है । इस तरह निर्धारित जन्म दिन को सही जन्म दिन माना जायगा और वह किसी हालत में बदला नहीं जायगा ।

(बी) वर्त्तमान कर्मचारियों के जन्म दिन के निर्धारण के सम्बन्ध में पूनर्मूल्यांकन

१) (ए) वर्त्तमान कर्मचारियों के मामले में मैट्रिक प्रमाण-पत्र अथवा उच्च माध्यमिक (हायर सेकेण्डरी) प्रमाण-पत्र जो मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो, अथवा मिडिल पास प्रमाण-पत्र जो किसी शिक्षा परिषद (बोर्ड) तथा/अथवा पब्लिक इन्स्ट्रक्शन विभाग द्वारा जारी किया गया हो तथा एडमिट कार्ड जो उपरोक्त संस्थाओं द्वारा जारी किया गया हो उसमें दर्ज जन्म की तारीख को ही सही जन्म दिन माना जायगा, बशर्ते वे उक्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान द्वारा नियुक्ति के पूर्व जारी किया गया हो ।

१) (बी) इसी प्रकार माईनिंग सरदारी, बाईण्डिंग इञ्जिन अथवा इसी प्रकार अन्य वैधानिक प्रमाण-पत्र जहाँ प्रबन्धक को जन्म की तारीख सत्यापित करना पड़ा है उसे ही प्रामाणिक माना जायगा । बशर्ते कि जहाँ उपरोक्त पारा १(क) और १(ख) में वर्णित दोनों ही प्रमाण-पत्र मौजूद हैं, वहाँ १(क) में दर्ज प्रमाण-पत्र को ही प्रामाणिक माना जायगा ।

२) जहाँ कहीं कोई खाते में कोई मतभेद अथवा अन्तर नहीं है उसे फिर से नहीं खोला जायगा बशर्ते कि वहाँ कोई भूल इन्दराज हो और वह प्रबन्धन के ध्यान में लाया गया हो । प्रबन्धन मामले की गुणवत्ता (प्रामाणिकता) के आधार पर संतुष्ट होकर उम्र निर्धारण समिति/

मेडिकल बोर्ड के जरिए से उसे सही (भूल सुधार) करने हेतु उपयुक्त कदम उठायेंगे ।

(सी) उपरोक्त मामलों के लिये उम्र निर्धारण समिति/मेडिकल बोर्ड का गठन प्रबन्धन द्वारा किया जायगा । उन मामलों में जहाँ जन्म दिन का निर्धारण उपरोक्त पारा (बी) (१) (ए) अथवा (बी) (१) (बी) में दिये तौर-तरीकों के जरिये नहीं किया जा सकता, वहाँ कम्पनी के खाते में दर्ज जन्म की तारीख, जैसे बी फार्म रजिस्टर, सी.एम.पी.एफ. खाता तथा पहचान पत्र (बिना हेर-फेर किया हुआ) को अन्तिम माना जायगा । बशर्ते कि जहाँ उपरोक्त उल्लिखित खातों में दर्ज जन्म की तारीख में अन्तर है उन मामलों को प्रबन्धन द्वारा गठित उम्र निर्धारण समिति/मेडिकल बोर्ड के पास जन्म तिथि निर्धारण हेतु भेजा जायगा ।

(डी) उम्र निर्धारण के लिये कोलियरी प्रबन्धन के पास उपलब्ध एवं/अथवा बाद में सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र पर उम्र निर्धारण समिति/मेडिकल बोर्ड विचार कर सकती है ।

(ई) उम्र निर्धारण के लिये गठित मेडिकल बोर्ड को "चिकित्सा न्यायशास्त्र" (मेडिकल जुरिस्प्रूडेन्स) द्वारा वांछित आधार पर उम्र का निर्धारण करना होगा एवं मेडिकल बोर्ड जहाँ तक सम्भव होगा निश्चित उम्र निर्धारित करेगी, अनुमानतः अथवा समकक्ष नहीं ।

(एफ) जहाँ प्रबन्धन अर्थात् क्षेत्रीय उम्र निर्धारण समिति जिसमें क्षेत्र के महाप्रबन्धक, कार्मिक प्रबन्धक एवं चिकित्सा पदाधिकारी-इन-चार्ज सम्मिलित होंगे वे इस तथ्य से संतुष्ट होंगे कि पहचान पत्र में दर्ज किया गया जन्म दिन और कर्मचारी के सही उम्र में काफी अन्तर स्पष्ट दीखता है तो वैसे मामलों को कम्पनी मुख्यालय में अवस्थित एपेक्स मेडिकल बोर्ड के पास उम्र निर्धारण हेतु अग्रसारित कर देंगें ।

(एच) उम्र निर्धारण समिति/मेडिकल बोर्ड द्वारा उम्र निर्धारित किये जाने के बाद उसे कम्प्यूटर में दर्ज कर लिया जायगा एवं उसकी छपी

प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को उस ईकाई को जहाँ से मामला अग्रसारित होकर आया था वहाँ एक महीना के भीतर दे दिया जायगा। जो भी हो, यदि उम्र को कम्प्यूटर में दर्ज नहीं किया गया हो तो भी उसकी सूचना सम्बन्धित कर्मचारी एवं उक्त इकाई को एक महीना के भीतर, दे दी जायगी।

(आई) यह राजीनामा हुआ कि जहाँ जन्म दिन की जगह जन्म का वर्ष दर्ज किया गया है वहाँ उस वर्ष की १ली जुलाई को जन्म का दिन मान लिया जायगा।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या-७७

सं० सी.आई.एल./एन.सी.डब्लू.ए.-३/आई.आई. ७७/८८/१७०
दि० २५ अप्रील, १९८८

विषय : **पीस-रेट कर्मचारियों के लिये विशेष पीस-रेट एलाउन्स ।**

सन्दर्भ : **कार्यालय पत्रांक सी. आई. एल. / एन. सी. डब्लू. ए.-३/ आई. आई. नं० ७३/८७/९२८ दिनांक २८-८-८७**

पीस-रेट श्रमिकों को १-१-८८ से विशेष पीस-रेट एलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में जे. बी. सी. सी. आई.-४ की ९वीं बैठक जो नई दिल्ली में ८ और ९ मार्च '८८ को हुई और यह निर्णय किया गया कि पीस-रेट श्रमिकों को एन. सी. डब्लू. ए.-३ की धारा ३.११.२ से ३.११.४ के प्रावधानों के अनुसार १-१-८८ से विशेष पीस-रेट एलाउन्स दिया जायगा ।

२) तदनुसार, ३१-१२-८२ से १-१-८३ तक लगातार जिनका नाम खाते में दर्ज था उन्हें १-१-१९८८ से निम्नलिखित दर से विशेष पीस-रेट एलाउन्स (एस. पी. आर. ए.) दिया जायगा :—

ग्रूप		१-१-८८ से एस.पी.आर.ए. (विशेष पीस-रेट एलाउन्स) की दर
		रु०पै०
१	—	३.००
२	—	३.३६
३	—	४.२०
४	—	४.२०
५	—	४.९०
५ए	—	४.९०

३) वैसे पीस-रेट श्रमिक जिनकी बहाली १-१-८३ को अथवा उसके बाद हुई है उन्हें एन. सी. डब्लू. ए.-३ की धारा ३.११.३ एवं ३.११.४ की प्रावधानों के अनुसार एस. पी. आर. ए. की एक अतिरिक्त किस्त के साथ जिस दिन से देय होगी उस दिन से दी जायगी ।

४) एस. पी. आर. ए. एलाउन्स जो १-१-८७ एवं १-१-८८ से दी गई है, उसका समायोजन, एन. सी. डब्लू. ए.-४ का समझौता लागू होने पर, किया जायगा ।

५) इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी एवं कारवाई हेतु प्रेसित ।

———

क्रियान्वयन आदेश संख्या-७८

सं० एन. सी. डब्लू. ए.-३/आई. आई. सं० ७८/८८/२०३४
दिनांक २९ दिसम्बर, १९८८

विषय : प्रेस कार्मिकों के लिये कार्य विवरण एवं कैडर योजना

इस कार्यालय के परिपत्र सं० एन. सी. डब्लू. ए.-३ (आई. आई. सं० ७१/८६) / ६२६१ दिनांक ३० दिसम्बर, १९८६ के साथ जे. बी. सी. सी. आई.-३ की प्रोमोशन पालिसी कमिटी द्वारा स्वीकृत प्रेस कार्मिकों के कैडर योजना एवं कार्य-विवरण की जो प्रति भेजी गई थी उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

जे. बी. सी. सी. आई.-४ की प्रोमोशन पालिसी कमिटी की ६ दिसम्बर, १९८८ को हुए बैठक में उपरोक्त कैडर योजना का पुनरावलोकन किया गया एवं यह निर्णय लिया गया कि वर्त्तमान कर्मचारियों से सम्बन्धित शैक्षणिक योग्यता की धारा में अन्य कैडर योजना के समतुल्य यथोचित सुधार किया जाना चाहिये ।

तदनुसार, उपरोक्त कैडर योजना की धारा-३ प्रोमोशन का रास्ता में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाय :—

"३ (४) वर्त्तमान कर्मचारियों के लिये तकनिकी व सुपरवाइजरी ग्रेड-'सी' पदों तक के लिये प्रोमोशन हेतु शैक्षणिक योग्यता कोई रुकावट नहीं होगी ।"

प्रबन्धनों से अनुरोध किया गया है कि उक्त निर्णय को लागू करने हेतु आवश्यक कारवाई करें ।

———